हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही
28 दिसम्बर, 2022
खण्ड–4, अंक–3
अधिकृत विवरण

विषय सूची
बुधवार, 28 दिसम्बर, 2022

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनंदन

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बरवाला, के अध्यापकगण एवं विद्यार्थीगण का अभिनंदन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

भारतीय मजूदर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष का अभिनंदन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक का अभिनंदन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री भव्य बिश्नोई, विधायक को बधाई

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के विधि विभाग के विद्यार्थियों का अभिनंदन

नियम–15 के अधीन प्रस्ताव

नियम–16 के अधीन प्रस्ताव

शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों से संबंधित सूचना

शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना

राज्य सभा के सदस्य तथा हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनंदन

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा अनुसूचित जाति आयोग, हरियाणा के अध्यक्ष का अभिनंदन

शून्यकाल (पुनरारम्भ)

बैठक का स्थगन

नगर परिषद् कालका के चेयरमैन एवं पार्षदों का अभिनंदन

राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पानीपत के अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों का अभिनंदन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(i) दिसम्बर महीने में जिला सोनीपत में 2 ठेकेदारों के एल–13 गोदाम में शराब के स्टॉक में लगभग 7.4 लाख पेटियां कम पाये जाने से संबंधित

मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों के घरों को गिराने के संबंध में दिनांक 26.12.2022 को सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या– 18 में शब्द विध्वंसक का मामला उठाना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

वॉक आउट

दादा बनने पर श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. को बधाई

अस्वीकृत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–27 के स्थान पर दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेने का मामला उठाना

वॉक आउट

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

आगरा नहर में दिल्ली से आने वाले रसायन तथा गंदे पानी के मिश्रित होने के कारण जिला फरीदाबाद तथा पलवल में बीमारियों के फेलने से संबंधित

वक्तव्य–

परिवहन मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

ब्लाक रायपुर रानी, जिला पंचकूला की ब्लाक विकास समिति के नव– निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का अभिनंदन

सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज पत्र

विधायी कार्य–

(i) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. दि हरियाणा सिख गुरद्वाराज (मैनेजमैंट) अमैंडमैंट बिल, 2022

शून्यकाल में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मामलों/मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर तथा नववर्ष की शुभकामनाएं

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

2. दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2022
3. दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2022

(ii) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किया जाना वाला विधेयक)

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 4) बिल, 2022

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 28 दिसम्बर, 2022

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

To Reconstruct the Over Bridge

***41**. **Shri Laxman Singh Yadav**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there are any proposal under consideration of the Government to re-construct the Kosli Over Bridge and to construct Kosli by-pass; and

(b) if so, the action taken or likely to be taken by the Government in the matter ?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : (a) Yes Sir, there is a proposal to re-construct the Kosli Over Bridge and to construct Kosli By-pass.

(b) The details are as under:-

(i) Kosli Over Bridge: Rough cost estimate for rehabilitation of Kosli Over Bridge has been prepared as per detailed report of CRRI, New Delhi and same is under consideration.

(ii) Kosli Bye-pass: The work was administratively approved amounting to Rs. 6274.16 Lakhs vide Additional Chief Secy. to Government of Haryana, PW (B&R) Architecture Department no. 09/154/2015-3 B&R (W). Dt. 26/11/2015. For construction of Kosli bye-pass, no Govt. land is available and private land is to be purchased. The matter for purchase of land was taken up through e-Bhoomi portal but it has to be dropped due to higher demanded rates by the land owners. Now, alternative alignment has been explored and same is under consideration. The work of Kosli by-pass can be started only after purchase of private land.

श्री लक्ष्मण सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इस पुल का उद्घाटन वर्ष 2012 में हुआ था और उसके बाद वर्ष 2017 में यह पुल पूरी तरह से डैमेज हो गया था। विभाग द्वारा 62 लाख रूपये लगाकर, सी.आर.आई., नई दिल्ली द्वारा इस पुल की लोड बियरिंग कैपेसिटी को नापा गया था। अब यह पुल बिल्कुल डैमेज घोषित कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, 5 साल में यह पुल टूट गया है तो मैं इस संदर्भ में पूछना चाहता हूँ कि जिस समय यह पुल बना था, उस समय कौन–कौन अधिकारी थे और विभाग ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई करने का काम किया है। अगर पांच–पांच साल में पुल टूटने लगेंगे तो फिर ऐसी अवस्था में देश–प्रदेश की क्या हालत होगी। अब इस पुल के रिहेबिलिटेशन के लिए दोबारा से साढे तेरह करोड़ रूपये का एस्टिमेट्स बनाया गया है जो प्रशासनिक अनुमति के लिए भेजा गया है। मेरा सदन के माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस एस्टिमेट्स को जल्द से जल्द सैंग्शन करके पुल के रिहेबिलिटेशन करने का काम कराया जाये। अध्यक्ष महोदय, यहां से पूरे दिन में हजारों गाड़ियां निकलती हैं लेकिन पुल डेमेज होने की

वजह से पूरा शहर एक तरह से बंद ही हो गया है। इस पुल पर अब हल्की गाड़ियों को चलने से भी रोक दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कोसली बाईपास के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूँ। वर्ष 2015 में इस बाई–पास को बनाने की घोषणा हुई थी लेकिन इस दिशा में सिर्फ कागजी कार्यवाही से अधिक कुछ नहीं किया गया है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बाई–पास का जो पहले वाला प्रपोजल था, वह प्रपोजल जमीन न मिलने के कारण कैंसिल कर दिया गया था और अब दोबारा से इसके उपर एक्सरसाइज शुरू हो रही है। मैं समझता हूँ कि इस बाई पास को भी जल्द से जल्द बनाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर न बाई पास है और न ही कोई फ्लाई ओवर है इस वजह से अब कोसली बाजार चारों तरफ से बिल्कुल पैक हो गया है। यहां पर लाखों लोगों का रोज आवागमन होता है और इस वजह से यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। बाई पास बनाने में भूमि की प्रोब्लम सबसे ज्यादा होती है तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि जिस प्रकार नैशनल हाइवे के लिए भूमि अधिग्रहण की जाती है, ठीक इसी प्रकार यदि बाई पास के लिए भूमि का अधिग्रहण होगा तभी जाकर यह काम जल्द से जल्द हो पायेगा और तभी जाकर शहरों का विस्तार हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर गाड़ियां निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। यही नहीं जनसंख्या का भार भी निरंतर बढ़ रहा है। लोग निरंतर बाजार में आ–जा रहे है लेकिन जहां तक निकासी की बात है, यहां पर न तो आने का रास्ता है और न ही जाने का रास्ता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस दिशा में नैशनल हाइवे की तर्ज पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून को दोबारा से बनाया जाये ताकि आसानी से भूमि अधिग्रहण करके रोड्ज वगैरह बनाकर लोगों को सुविधायें मुहैया करवाई जा सकें।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, के परिपेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि यह ब्रिज वर्ष 2008 में सैंग्शन हुआ था और इसके लिए लगभग 21 करोड़ रूपये की राशि की एप्रूवल हुई थी तथा लगभग साढ़े बीस करोड़ रूपये की लागत से इसको बनाया गया था और वर्ष 2011 में इसकी कंपलीशन हुई थी। वर्ष 2012 में इसमें डिफेक्ट्स दिखाई दिए थे। वर्ष 2012 के बाद जो कंपनी इसमें इंवोल्व थी अर्थात एन.के.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली तथा जो इस कार्य से संबंधित कंसलटेंट थे, उनको डिबार कर दिया गया था और जो अधिकारी इसमें इंवोल्व थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। स्टॉप गैप अरेंजमैंट, यहां पर पीछे दो बार किए जा चुके है। यही नहीं दिल्ली के हमारे आई.आई.टी. प्रोफेशनल्ज से भी इस बारे में मदद ली गई है और इस पर हैवी ट्रैफिक बंद कर दिया गया है क्योंकि यह पुल हैवी ट्रैफिक के लिए फिट नहीं है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसको डमोलिश

करके दोबारा से बनाने का काम किया जायेगा और माननीय सदस्य ने इसके बारे में खुद बताया है कि बारह करोड़ रूपये की लागत से इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जायेगा। सरकार इसके उपर तुरंत एक्शन लेने का काम काम करेगी। जहां तक बाईपास की बात है, माननीय सदस्य ने पिछले सत्र में भी यह बात कही थी, मैं दोबारा इनको याद करवा देता हूँ। कोसली बाईपास की लैंड के लिये भूमि के रेट बहुत हाई थे। आल्ट्रनेट अलाइनमैंट्स के लिये डिपार्टमैंट को आदेश दे दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, दो आल्ट्रनेट अलाइनमैंट्स माननीय विधायक को भी दिखा दिये जायेंगे और इनके परामर्श के बाद ही इसको ई–भूमि पोर्टल पर डाल कर भूमि अधिग्रहण का जो प्रोसैस है, उसको शुरू करके कोसली का बाईपास भी बनवायेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जब से मैं विधायक चुनकर आया हूँ तब से मैं अपनी दोनों समस्याओं को सदन में रख रहा हूँ लेकिन मुझे आज तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे ये दोनों काम कब तक कम्पलीट हो जायेंगे? इसकी कोई तय सीमा सदन को जरूर बता दें। मेरे पांच साल की विधायक की अवधि का थोड़ा सा ही समय बचा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पांच साल के दौरान ही ये काम हो जायें, नहीं तो पांच साल तक मैं आवाज उठाता ही चला जाउंगा। यह तो वही बात हो गई जैसे एक औरत अपनी पेंशन बनवाने गई। उसने विभागीय अधिकारी से कहा कि आप मेरी विधवा पेंशन बना दे। इस पर विभागीय अधिकारी ने कहा कि आप अपनी फाइल लेकर आये। जब अधिकारी ने सारी फाइल अच्छी तरह से देख ली तो उसने कहा कि इस फाइल में तेरे पति का डैथ सर्टिफिकेट भी लगा दे। औरत ने कहा कि डैथ सर्टिफिकेट तो पति के मरने के बाद जारी होता है। विभागीय अधिकारी ने कहा कि जब आपका पति मरा ही नहीं है, तो आप किसलिए विधवा पेंशन बनवाने के लिये आई हैं। औरत ने कहा कि आप विधवा पेंशन बनाने का प्रोसैस तो शुरू करो, 5 साल में जब तक यह विधवा पेंशन बनकर आयेगी तब तक मेरा पति मर जायेगा। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे भी पांच साल ऐसे ही ना निकल जायें। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बातों के सिवाय इसमें कुछ होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरे और मेरे क्षेत्र के निवासियों के लिये गंभीर समस्या बनी हुई है, इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी इस समस्या को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विधवा पेंशन वाली बात तो लाइट मूड में कही है। एक बात तो मैं जरूर माननीय सदस्य से कह सकता हूँ कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसी तरह से सरकार चलती रही तो माननीय

सदस्य दोबारा से विधायक चुनकर जरूर विधान सभा आयेंगे। दूसरी बात जो ऊपरगामी पुल की है, उसका मार्च से पहले टैंडर करने का प्रयास करेंगे ताकि इस वित्त वर्ष में ही उसका टैंडर फ्लोट हो जाये और माननीय सदस्य के विधायक रहते–रहते उसका कंस्ट्रक्शन वर्ष 2023 के अन्दर–अन्दर कम्पलीट हो जाये। अध्यक्ष महोदय, अब भूमि अधिग्रहण का प्रोसैस बड़ा कठोर हो गया है, इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि ई–भूमि के माध्यम से ही भूमि अधिग्रहण हो। मैं तो यह चाहूंगा जैसे चौधरी ईश्वर सिंह जी, विधायक ने गुहला चीका के अंदर इस प्रोसैस में सरकार का सहयोग किया और श्री प्रवीण डागर, विधायक ने हथीन के अन्दर सहयोग किया, उसी तरह से लोकल लैवल पर माननीय सदस्य सहयोग करें और जल्दी से जल्दी भूमि अधिग्रहण के प्रोसैस को ई–भूमि पोर्टल पर अपलोड करवाने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि जब हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी के पास इसकी लैंड आ जायेगी, तुंरत कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे।

.....

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि आज सदन की कार्यवाही देखने के लिये श्री जसवंत सिंह बावल, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी और सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ।

————

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बरवाला, के अध्यापकगण एवं विद्यार्थीगण का अभिनंदन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, बरवाला, जिला पंचकुला के अध्यापकगण एवं विद्यार्थीगण दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

To Open a Research Centre

***42 Shri Dharam Pal Gonder**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether an announcement to open a research centre on the name of Sh. Prithviraj Chauhan has been made by the Hon'ble Chief Minister in Taraori in the year 2015; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the time by which the abovesaid announcement is likely to be completed?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता) :

(क) माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 09.08.2015 को कोड संख्या 10561 के तहत एक घोषणा की गई, जिसका शीर्षक "Research Center is also to be created on the land being identified by Yodha Smarak Samittee for the construction of Memorial of Prithvi Raj Chauhan in Taraori" है।

(ख) यह प्रस्तुत किया जाता है कि, उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिनांक 22.07.2022 के तहत, उक्त घोषणा को आगामी आदेशों तक स्थगित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

श्री धर्मपाल गोंदरः अध्यक्ष महोदय, तरावड़ी 'पृथ्वीराज चौहान' के नाम से ऐतिहासिक नगरी है। वर्ष 2015 में तरावड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक अनुसंधान केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। वहां पर जमीन भी है और उस जमीन पर से कब्जा हटाने के माननीय न्यायालय से ऑर्डर भी हो चुके हैं। इस पर कार्यवाही करना प्रशासन का काम है। उस जमीन से कब्जा छुड़वाकर जल्दी से जल्दी अनुसंधान केन्द्र खोला जाये। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश आए हैं। नगरपालिका के पास जमीन उपलब्ध है। उस जमीन पर से भी कब्जा छुड़वाने के माननीय न्यायालय के आदेश हुए हैं। सरकार इस पर शीघ्र कार्यवाही करे।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, उक्त घोषणा की अनुपालना में नगर पालिका तरावड़ी द्वारा श्मशान घाट तरावड़ी के पास खाली पड़ी 14 कनाल 9 मरले भूमि चिन्हित की गई। उपायुक्त करनाल द्वारा दिनांक 31.05.2019 को नगर पालिका द्वारा चिन्हित भूमि के निरीक्षण हेतु एस.डी.एम. (सिविल), करनाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन

किया गया, जिसमें एक्सईएन, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) करनाल, सचिव, एम.सी., तरावड़ी और सचिव, योद्धा स्मारक समिति जगाधरी शामिल थे। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में चिन्हित की गई भूमि को निम्नलिखित कारणों से अनुसंधान केन्द्र के निर्माण हेतु अनुपयुक्त बताया गया। 'पृथ्वी राज चौहान स्मारक' के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल जी.टी. रोड, तरावड़ी से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रस्तावित स्थल की कनैक्टिविटी किसी अच्छी सड़क से नहीं है। प्रस्तावित स्थल के एक तरफ श्मशान घाट है तथा दूसरी तरफ एक किला व अग्निशामक भवन निर्माणाधीन है। तदानुसार, उपायुक्त, करनाल द्वारा अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 07.09.2020 के अनुसार की गई सिफारिश के तहत, मुख्यमंत्री घोषणा कोड संख्या 10561 को नॉन फिजीबल करने का प्रस्ताव आ गया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि अगर कोई और जमीन का सुझाव देंगे तो काम करने की संभावना बन जायेगी।

श्री धर्मपाल गोंदरः अध्यक्ष महोदय, एक 50–60 एकड़ नगर पालिका की भूमि है और उस पर कुछ ही परिवारों ने कब्जा किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय से उस कब्जे को छुड़वाने के आदेश हो गये हैं। वह भी सरकार का काम है।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, जमीन पर से कब्जा छुड़वाने के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हो चुके हैं, इसलिए इस पर विचार क्या किया जाये।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जमीन से कब्जा छुड़वा कर देख लेंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को यह तो आश्वासन दें कि उस जमीन से कब्जा छुड़वा लिया जायेगा।

———————

To Handover the Works to PHE

*43 **Sh. Ram Karan**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the works like maintenance of tubewells, pipeline and appointment of tubewell operators have been conducted by the Panchayati Raj Department in the villages of State; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to hand over the abovesaid works to the Public Health Engineering Department; if so, the details thereof ?

@मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हां श्रीमान जी, पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ करने हेतु सरकार के दिनांक 01.10.2010 के निर्णय के अनुसार कुछ एकल गांव नलकूप आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है। यह भारत के संविधान की 11 वीं अनूसूची में प्रविष्टि 11 के अनुरूप है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

श्री राम करणः अध्यक्ष महोदय, जैसे अब पंचायत विभाग, बी.डी.पी.ओ. को सौंपा गया है तो टयूबवैल की देखभाल कौन करेगा? यदि पंचायत विभाग के बी.डी.पी.ओ. के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसका काम पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग के पास है। यदि पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग के पास काम के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि यह काम पंचायत विभाग के बी.डी.पी.ओ. करेंगे। यह हमारे लिये बहुत बड़ी समस्या है। मेरा कहना है कि ट्यूबवैल्ज के काम पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग को ही दिये जायें।

सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल): अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग के 3821 ट्यूबवैल्ज पहले ही पंचायत विभाग को दे दिये गए हैं और बाकियों को भी धीरे–धीरे पंचायत विभाग को ही देंगे। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिये पंचायत विभाग को ही इसका रख–रखाव का जिम्मा सौंपा जायेगा।

श्री राम करणः अध्यक्ष महोदय, यह काम पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग को दिया जाये क्योंकि वे ही इसका अच्छी तरह से रख–रखाव रख सकते हैं।

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट मैंटीनैंस के पैसे देता है।

श्री राम करणः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अगर हम संबंधित बी.डी.पी.ओ. को किसी गांव में पाइपलाइन दबाने के लिए कहते हैं तो वह कह देता है कि इस काम को पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग वाले करेंगे। अगर पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी को संबंधित

पाइपलाइन दबाने के लिए कहते हैं तो वह कह देता है कि यह काम बी.डी.पी.ओ. करवाएगा।

@Replied by the Cooperation Minister (Dr. Banwari Lal)

डॉ0 बनवारी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग उनको संबंधित कार्यों की मैंटीनैंस के लिए पैसे देता है। उदाहरण के तौर पर वे एक ट्यूबवैल की मैंटीनैंस के लिए 15,000 रुपये देते हैं।

श्री राम करण: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बी.डी.पी.ओ. अपने एरिया की गलियां बनवाएगा या पाइपलाइन डलवाएगा।

डॉ0 बनवारी लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर संबंधित ट्यूबवैल्ज की मोटर बदलनी है तो उस काम को पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग करता है। छोटी– मोटी वॉयर बदलनी हो या उसकी मैंटीनैंस के लिए जो ऑपरेटर रखा हुआ है उसकी तनख्वाह पंचायत विभाग देता है।

श्री राम करण: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके लिए टाईम फिक्स कर दें कि यह काम कब तक किया जाएगा ?

डॉ0 बनवारी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि संबंधित कार्य पंचायती राज विभाग के पास ही रहेगा।

श्री दूड़ा राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इस काम में हर जगह पर पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग और पंचायत विभाग में दिक्कत है। इसमें संबंधित कार्य पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग को ही दे दें ताकि कोई टूट– फूट हो तो उसका काम करवाया जा सके। चूंकि पंचायत विभाग को संबंधित कार्य करने में दिक्कत आ रही है। अगर उनको संबंधित कार्यों के लिए कहा जाता है तो वे कह देते हैं कि इन कार्यों को नहीं करवा सकते।

डॉ0 बनवारी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अगर संबंधित ट्यूबवैल्ज पर कोई बड़ा काम होता है तो उसको पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ही किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मोटर बदलनी हो तो उसका खर्चा पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ही किया जाता है।

श्री दूड़ा राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इन कार्यों में दिक्कत आ रही है। पब्लिक हैल्थ इंजीरियरिंग विभाग वाले संबंधित काम नहीं करते हैं।

श्रीमती शकुंतला खटक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि इन कार्यों में हरेक जगह पर दिक्कत आ रही है।

डॉ0 बनवारी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग को जो पैसा दिया जाता है, वह सिर्फ संबंधित ट्यूबवैल की मैंटीनैंस के लिए है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों का यही सुझाव है कि प्रदेश के सभी ट्यूबवैल्ज का काम पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग संभाले क्योंकि संबंधित कार्यों के लिए न तो बी.डी.पी.ओज. के पास पैसा है और न ही संबंधित ग्राम पंचायतों के पास पैसा है।

श्री राम करणः अध्यक्ष महोदय, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए संबंधित कार्य पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग को दिये जाने चाहिए।

डॉ0 बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि संबंधित ट्यूबवैल्ज का बड़ा खर्चा पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग ही करता है। अगर कोई मोटर बदलनी है तो उसका खर्चा भी पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग ही करता है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, अगर कोई ट्यूबवैल खराब हो गया तो उसको ठीक कौन सा विभाग करेगा ?

डॉ0 बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, इस काम को पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग ही करता है।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः वरुण जी, प्लीज आप बैठ जाएं। माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी अपनी बात रखेंगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी संबंधित ट्यूबवैल्ज का काम पंचायती राज विभाग को देने की बात कर रहे हैं। इसमें यह बात निर्धारित कर दें कि संबंधित कार्य के लिए पंचायतों को कितने पैसे देंगे ताकि वे उनकी मैंटीनैंस करवा पाए। इसमें यह होता है कि संबंधित ट्यूबवैल्ज की मैंटीनैंस नहीं होती है जिसके कारण लोगों को दर–बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। माननीय मंत्री जी यह निर्धारित कर दें कि संबंधित ट्यूबवैल्ज में जो खर्चा आएगा वह सारा खर्चा सरकार द्वारा संबंधित पंचायतों को दिया जाएगा। ऐसा करने से तो फायदा है या यह काम पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग के जरिए करवाया जाए। अन्यथा हमेशा यह काम जंजाल बना रहेगा।

डॉ0 बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें बड़ा खर्चा या मोटर बदलनी है तो उस काम को पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग करता है। सिर्फ मैंटीनैंस के लिए ऑपरेटर का पैसा पंचायत विभाग को दिया गया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वे मैंटीनैंस का खर्चा निर्धारित कर दें ताकि बाद में पंचायतों को कोई दिक्कत न आए।

डॉ0 बनवारी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि अगर गांव में एक ट्यूबवैल है तो उसकी मैंटीनैंस के लिए 15,000 रुपये दिये जाते हैं।

श्री रणधीर सिंह गोलन: अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं, इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: गोलन जी, माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई दे दिया है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

————————

To Meet the Shortage of Teachers

*44 **Smt. Naina Singh Chautala**: Will the Education Minister be pleased to state the steps are being taken by the Government to meet the shortage of teachers on the sanctioned posts in the following Government Schools of the Badhra Assembly Constituency:-

i. Government Senior Secondary School, Chandwas;
ii. Government Senior Secondary School, Adampur Dadhi;
iii. Government High School, Hansawas Kalan;
iv. Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Badhra;
v. Government High School, Khorda;
vi. Government High School, Balkra;
vii. Government Senior Secondary School, Berla; and
viii. Government Senior Secondary School, Naurangabas Rajputan?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

सरकार शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिये रिक्त पदों को भरने हेतु गंभीर है। विभाग द्वारा 3863 विभिन्न विषयों के पी0जी0टी0 पदों को भरने के लिये हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला को पहले ही मांग पत्र भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा पदोन्नति कोटे के विभिन्न विषयों के पी0जी0टी0 के रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने बारे भी मामले आमंत्रित किये जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 877 पी0जी0टी0 तथा 5624 टी0जी0टी0 पदों को अनुबंध आधार पर भरने बारे भी मांग पत्र हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एच0के0आर0एन0) को भेजा जा चुका है, जिसमें इन आठ विद्यालयों के लिये 01 पद पी0जी0टी0 एवं 06 पद टी0जी0टी0 के शामिल है।

बाढ़डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के इन आठ विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता, कार्यरत एवं रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	पद	वर्कलोड तथा वैज्ञानीकरण के आधार पर आवश्यकता	कार्यरत			रिक्त	एच.के. आर.एन. को भेजे गये
				नियमित	अतिथि	कुल		
1	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चांदवास;	प्राचार्य	1	0	0	0	1	0
		पी.जी.टी.	9	6	0	6	3	0
		टी.जी.टी.	5	2	1	3	2	1
		ई.एस.एच.एम.	0	0	0	0	0	0
		पी.आर.टी. /एच.टी.	2	2	0	2	0	0
2	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, आदमपुर दाडी;	प्राचार्य	1	1	0	1	0	0
		पी.जी.टी.	9	6	0	6	3	0
		टी.जी.टी.	5	3	0	3	2	1
		ई.एस.एच.एम.	0	0	0	0	0	0
		पी.आर.टी./ एच.टी.	2	2	0	2	0	0
3	राजकीय उच्च विद्यालय, हंसावास कलां; (यह माध्यमिक विद्यालय है)	मुख्याध्यापक	0	0	0	0	0	0
		पी.जी.टी.	0	0	0	0	0	0
		टी.जी.टी.	1	0	0	1	0	0
		ई.एस.एच.एम.	1	2	0	2	–1	0
		पी.आर.टी.	2	2	0	2	0	0
4	राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बाढ़ड़ा;	प्राचार्य	1	0	0	0	1	0
		पी.जी.टी.	22	14	0	14	8	0
		टी.जी.टी.	5	2	0	2	3	0
		ई.एस.एच.एम.	1	0	0	0	1	0
		पी.आर.टी.	10	10	0	10	0	0
5	राजकीय उच्च विद्यालय, खोरडा;	मुख्याध्यापक	1	1	0	1	0	0
		पी.जी.टी.	0	0	0	0	0	0
		टी.जी.टी.	8	3	2	5	3	1
		ई.एस.एच.एम.	0	0	0	0	0	0
		पी.आर.टी.	3	2	0	2	1	0
6	राजकीय उच्च विद्यालय, बलकरा;	मुख्याध्यापक	1	1	0	1	0	0
		पी.जी.टी.	0	0	0	0	0	0
		टी.जी.टी.	8	5	0	5	3	2
		ई.एस.एच.एम.	0	0	0	0	0	0
		पी.आर.टी.	2	2	0	2	0	0
7	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बेरला;	प्राचार्य	1	1	0	1	0	0
		पी.जी.टी.	16	13	1	14	2	0
		टी.जी.टी.	6	4	1	5	1	0
		ई.एस.एच.एम.	0	0	0	0	0	0
		पी.आर.टी.	5	5	0	5	0	0
8	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय,	प्राचार्य	1	1	0	1	0	0
		पी.जी.टी.	21	19	0	19	2	0

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	पद	वर्कलोड तथा वैज्ञानीकरण के आधार पर आवश्यकता	कार्यरत			रिक्त	एच.के. आर.एन. को भेजे गये
				नियमित	अतिथि	कुल		
	नौरंगाबास राजपूतान;	टी.जी.टी.	6	5	0	5	1	0
		ई.एस.एच.एम.	0	0	0	0	0	0
		पी.आर.टी.	7	7	0	7	0	0

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि मेरे विधान क्षेत्र सभा बाढड़ा में बहुत से ऐसे स्कूल्ज हैं जिनमें टीचर्ज नहीं हैं। मैं इस संबंध में पूरी डिटेल लेकर आयी हूं। मैं उन स्कूल्ज में भी जाकर आयी हूं जिनमें टीचर्ज बिल्कुल नहीं हैं। मैं बताना चाहूंगी कि हंसावास गांव के स्कूल की हालत यह है कि वहां पर सिर्फ मुख्याध्यापक के अलावा दूसरा कोई टीचर ही नहीं है। पिछले दिनों वहां पर ग्रामीणों ने ताला भी जड़ दिया था और बड़ी मुश्किल से संबंधित स्कूल को खुलवाया है। बाढड़ा के राजकीय स्कूल में संस्कृत का टीचर नहीं है, दूधवा गांव के स्कूल में अंग्रेजी का टीचर नहीं है। घसौला गांव के स्कूल में अंग्रेजी और एस.एस. के टीचर्ज नहीं हैं। इनके अतिरिक्त चांदवास, खोरड़ा, बलकरा, बेरला गांवों के स्कूल्ज में जब से टीचर्ज की पोस्ट कैप्ट की गई हैं तब से वहां पर कोई टीचर नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि इन स्कूल्ज में टीचर्ज भिजवाने का काम करें अन्यथा पढाई के बिना संबंधित बच्चों का पूरा साल ही खराब हो जाएगा। खासकर, हंसावास गांव के स्कूल में तो एक भी टीचर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए शर्म आती है कि हमारी खुद की सरकार होते हुए भी संबंधित स्कूल्ज में टीचर्ज नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे यह बता दें कि संबंधित स्कूल्ज में कब तक टीचर्ज उपलब्ध करवा देंगे ?

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, चांदवास में टोटल 17 पद हैं जिनमें से 11 भरे हुए हैं और 6 पद खाली हैं। इसमें कौशल रोजगार निगम के तहत 1 टीचर का पद भरने के लिए लिखा हुआ है। गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, आदमपुर दाढी में टोटल 17 पद हैं जिनमें से 12 पद भरे हुए हैं और 5 पद खाली हैं। इसमें भी कौशल रोजगार निगम के तहत 1 टीचर का पद भरने के लिए लिखा हुआ है। गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, हंसावास में 4 पद हैं लेकिन 5 टीचर्ज कार्यरत हैं।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि वहां पर सिर्फ 1 मुख्याध्यापक ही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो

माननीय मंत्री जी मौके पर विजिट करवा लें। वहां पर मुख्याध्यापक के अलावा दूसरा कोई टीचर नहीं है जिसके कारण बच्चे स्कूल में आते हैं फिर वापिस आ जाते हैं।

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बाढड़ा में टोटल 39 पद हैं और 26 पद भरे हुए हैं और 13 पद खाली हैं।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं हंसावास के स्कूल की बात कर रही हूं। पूरे स्कूल में सिर्फ एक मुख्य अध्यापक हैं और दूसरा कोई टीचर नहीं हैं।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, गांव हंसावास के स्कूल में एक टीचर फालतू है।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को जिस अधिकारी ने जानकारी दी है वह बिल्कुल गलत है। मैं सारे गांव का एक–एक टीचर का रिकॉर्ड लेकर आई हूं। मैं इनको टेबल कर देती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं गांव हंसावास कलां के स्कूल की बात कर रही हूं।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, अधिकारी ने माननीय मंत्री जी को गलत जानकारी दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी दोबारा जानकारी लेकर बताऊंगा लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार वहां पर टीचर के 4 पद है और 1 टीचर फालतू है।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गांव हंसावास कलां के स्कूल के बारे में मैं यह कह रही हूं कि पिछले दिनों पूरे गांव के लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया था और स्कूल को लॉक लगा दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं गांव हंसावास कलां के स्कूल की बात कर रही हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो लिस्ट है इसमें गवर्नमैंट सीनियर स्कूल हंसावास लिखा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्या गवर्नमैंट हाई स्कूल, हंसावास कलां की बात कर रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने हंसावास कलां के स्कूल का प्रश्न नहीं लगाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने हंसावास कलां के स्कूल से संबंधित ही प्रश्न लगाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आपके रिप्लाई के कॉलम नम्बर 3 में गवर्नमैंट हाई स्कूल, हंसावास कलां से संबंधित बात लिखी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी स्कूल्ज की डिटेल लेकर आई हूं और मैं इनकी पूरी डिटेल माननीय मंत्री को दे देती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आपके रिप्लाई के कॉलम नम्बर 3 में लिखा हुआ है और उसका चार्ट भी बना हुआ है उसमें गवर्नमैंट हाई स्कूल हंसावास कलां लिखा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें मेरे पास गवर्नमैंट सीनियर सैंकेडरी स्कूल हंसावास लिखा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, हमारे पास रिप्लाई का जो चार्ट बना हुआ है उसमें गवर्नमैंट हाई स्कूल हंसावास कलां लिखा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास गवर्नमैंट सीनियर सैंकेडरी स्कूल हंसावास लिखा हुआ है। इसमें टी.जी.टी. का 1 टीचर है, ई.एस.एच.एम. 1 टीचर और पी.आर. टी. के 2 टीचर हैं और एक अतिरिक्त टीचर है। इस प्रकार से वहां पर कुल 5 टीचर्ज हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्या ने बताया है कि वह खुद उस स्कूल में जाकर आई हैं। अगर यह रिपोर्ट सही नहीं है तो यह हाउस के साथ मजाक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक–एक स्कूल विजिट किया है। मैं इन गांवों के स्कूलों में एक बार नहीं बल्कि दो–दो बार जाकर आई हूं। जहां तक गांव हंसावास कलां के स्कूल की बात है तो उसमें सुबह से लेकर शाम तक स्कूल को गांव वालों ने लॉक लगा दिया था। मैंने खुद संबंधित एस.डी.एम. के साथ जाकर उस स्कूल का लॉक खुलवाया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्या की बात सही है और मुझे जो जानकारी दी गई है, वह गलत है तो निश्चित तौर पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इसकी पूरी डिटेल टेबल कर देती हूं। आप एक बार इसे जरूर चैक करवा लें क्योंकि टीचर्ज की बहुत भारी कमी है।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर इस मामले को चैक करवायेंगे और संबंधित अधिकारी की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह टीचर्ज की कमी का विषय जनरल विषय है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जहां–जहां भी टीचर्ज की कमी है, उसको पूरा करवाया जाये।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, अधिकारी ने माननीय मंत्री जी को गलत जानकारी दी है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव जी ने जो बात कही है वह बहुत ही जैनुअन है। मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी देता हूं कि हमारे पास प्रिंसीपल के 573 पद खाली पड़े हुए हैं। प्रिंसीपल के पद प्रमोशन के माध्यम से ही भरे जायेंगे और प्रमोशन से संबंधित केस विभाग के द्वारा मांग लिये गये हैं। हैड मास्टर के 302 पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जायेंगे और इसकी भी जानकारी विभाग ने मांग ली है। हमारे पास पी.जी.टी. के 8567 पद रिक्त हैं। हमने 3863 पद शेष हरियाणा के लिये और 663 पद मेवात के लिए एच.पी.एस.सी. को भर्ती करने के लिए भेज दिये हैं और इसके अलावा 877 पद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भरने के लिए भेज दिये हैं और शेष पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जायेंगे। दूसरा हमारे पास ई.एस.एच.एम. के पद हैं, इसमें 730 पद सरप्लस हो गये हैं क्योंकि ये 8वीं स्कूल तक के हैड मास्टर थे और ये स्कूल दूसरे स्कूलों में मर्ज हो गये थे। इसके अलावा टी.जी.टी. के 17910 पद खाली पड़े हुए है, जिसके लिए टी.जी.टी. अध्यापकों के सेवा नियम 2012 में संशोधन के बाद 7471 पद सीधी भर्ती के लिए एच.पी.एस.सी. को भेजने की प्रक्रिया भी हम जल्दी कर देंगे और इनकी नियुक्तियां भी जल्दी हो जायेंगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 5624 पद भरने के लिए भेज दिये हैं और हम शेष पद प्रमोशन के माध्यम से भरने का काम करेंगे। इसके बाद पी.आर.टी. के 861 पद है लेकिन पी.आर.टी. के 1483 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको अप्वॉयंटमैंट के लिए ऑफर कर दिया है और जल्दी ही इनकी भर्ती कर दी जायेगी।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है मैं उस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, आप बैठ जाएं, मंत्री जी ने इसके बारे में रिप्लाई दे दिया है।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए।

.....

भारतीय मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष का अभिनंदन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री हनुमान गोदारा, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

To Metal The Canal Tracks

*45. **Dr. Krishan Lal Middha**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the canal tracks of Hansi Branch from RD-188000 to RD-198000 in Jind City; if so, the time by which the abovesaid canal tracks are likely to be metalled?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): नहीं , श्रीमान जी।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि विभाग द्वारा सदन के पटल पर गलत सूचना रखी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के worhty CPSCM ऑफिस से पत्र क्रमांक 46512 दिनांक 16.10. 2021 को प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि CM has desired that the estimates be prepared and put up जो कि ए.सी.एस. इरीगेशन एंड वाटर रिर्सोसिज को प्रेषित किया गया है, यानी प्रस्ताव विचाराधीन है। क्या यह तथ्य भी सही है कि अगर इस पटरी को पक्का किया जाता है तो यह सड़क मिनी बाईपास का काम करेगी। क्या यह तथ्य भी सही है कि हांसी ब्रांच नहर जो शहर के बीच में से गुजरती है, बरसाती मौसम के अन्दर इसकी पटरी के कच्चे होने की वजह से टूटने की आशंका बनी रहती है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसका 2.33 करोड़ का एस्टीमेट्स बनवाया गया था। अगर यह लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट का एरिया है और सड़क बनाई जाती है तो नहर विभाग इसके लिए एन.ओ.सी. दे देगा। नहर विभाग सड़क नहीं बनाता। लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट सड़क बनवाता है तो इसके लिए हम एन.ओ.सी. दिलवा देंगे।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2016 में 24.96 लाख रुपये व वर्ष 2016 में ही 18.94 लाख रुपये तथा वर्ष 2020 में 13.77 लाख रुपये की राशि से पटरी का कुछ एरिया बनाया गया और

यह भी आवश्यक है कि अगर ये पटरी बनती है तो यह शहर में मिनी बाईपास का काम करेगी।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वहां सिर्फ खड़ंजा लगाया गया था। जहां रैस्ट हाऊसिज हैं, वहां पर नहर विभाग अपने उपयोग के लिए कहीं–कहीं खड़ंजा लगाता है। जो यह सड़क बनानी है यह आम पब्लिक के उपयोग के लिए है जिसके लिए मैंने माननीय सदस्य को कहा है कि आप इसे लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट से बनवाएं, हम आपको नहर विभाग से इसकी एन.ओ.सी. दिलवा देंगे।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा हल्के में लगभग 20 लाख पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जो छठ पूजा को बड़े अच्छे ढंग से मनाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आर.डी. नंबर 1,92,000 पर छठ पूजा का घाट भी निर्मित किया जाए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए मंजूरी दे दें तो लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट से परमीशन ले ली जाएगी लेकिन राशि तो नहर विभाग ही देगा। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, क्या वहां पर छठ पूजा घाट का निर्माण किया जा सकता हैं, इसके लिए हम इरीगेशन विभाग से सर्वे करवा लेते हैं।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, छठ पूजा घाट तो सभी जगह बने हुए हैं।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि छठ पूजा घाट का विभाग से प्रस्ताव पास करवाके इसके बनाने की शुरूआत करेंगे।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन है कि करनाल के अन्दर से एक नहर गुजरती है और वहां पर साईड बर्म्स को बढ़ाया गया है। उसी प्रकार हमारे यहां भी नहर का सौन्दर्यीकरण करवा दिया जाए।

श्री जय प्रकाश दलालः स्पीकर सर, सौन्दर्यीकरण का काम लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट का है। छठ पूजा घाट निर्माण का काम नहर विभाग का है, सड़क बनाने का काम नहर विभाग का नहीं है। आपको सड़क बनाने के लिए जो परमीशन नहर विभाग से चाहिए वह दिलवा देंगे। सौन्दर्यीकरण का काम लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट से करवायें।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः मंत्री जी, मैं नहर की साइड़ दीवार की बात कर रहा हूं । उसकी तलहटी को पक्का न किया जाए। साइड़ दीवार बनाना तो इरीगेशन विभाग का ही काम है।

श्री जय प्रकाश दलालः नहर विभाग छठ पूजा घाट का निर्माण करवा देगा तथा नहर की साइड की दीवार के सौन्द्रर्यीकरण के संबंध में चैक करवा लेते हैं ।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः धन्यवाद जी।

.....

The Scheduled Rates Applicable to Public works

*46 **Dr. Abhe Singh Yadav** : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the date since the scheduled rates applicable to public works were revised by the Government together with the average percentage of increase after such revision in general and specifically in that of the earth works alongwith the basis of such revision;

(b) the average percentage of decrease/increase in the rates received up to 31st October 2022 on the revised scheduled rates together with the net average percentage of increase in such rates on the pre-revised scheduled rates; and

(c) the net additional amount required to meet with such increase in the annual budget of PWD alone?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान जी,बयान सदन के पटल पर रखा गया है।

Statement

HSR 2021 is applicable from the date of Gazette Notification issued on 03/05/2021. The basic rates of some items in chapter 2, nomenclature of some items in chapter 7, 15,17, 20, 21 & 27 were amended as well as some new items were added in these chapters vide notification dated 06.08.2021. The rates have been revised in HSR 2021 after the period of 33 years whereas the last ceiling premium on some items were revised in year 2011.

General increase or decrease in rates on account of HSR 2021 as compared to HSR 1988 cannot be worked out mainly due to the reason that many new items have been included in HSR 2021. However, some tenders pertaining to road works, bridge works and building works, which were invited on HSR 1988 +ceiling premium before Gazette notification and were opened after that, were compared with HSR 2021. It was found that there is increase in

cost for road works about 15% to 18%; for building about 19% to 21% and for bridge about 18% to 21%.

In case of Earthwork, if we compare the item by taking an average lead of 5 km, the rates of this as per HSR 1988 was Rs. 170/- per cum and the same item as per HSR 2021 is Rs. 206/- per cum, which is 21.18% above HSR 1988 rates.

The tenders in PWD B&R are invited online through NIC portal in a transparent and competitive manner where the bidders are free to quote the rates as per their assessment of the tender. Mentioning of rates of tenders on the floor of the house will not be appropriate.

Now the estimates are framed based on HSR 2021 and the budget provisions are made accordingly.

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न जनहित में लगाया था। मेरा आशय मात्र यह था कि पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमैंट (बी.एंड.आर.) जब रेट रिवाइज करता है, तो शिड्यूल ऑफ रेट्स को हर डिपार्टमैंट फोलो करता है। जब पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमैंट (बी.एंड.आर.) के रेट बढ़ते हैं तब स्टेट के सभी डिपार्टमैंट्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इस संबंध में मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से दो–तीन बातें और भी पूछी थीं कि ये रेट कब रिवाइज किये गये थे ? मुझे बताया गया है कि दिनांक 21.05.2021 को रेट रिवाइज किये गये थे। दूसरा पुराने रेट की तुलना में नए रेट में कितना इंक्रीज था, मुझे बताया गया कि कई आइट्म्स हैं, इसलिए हरेक आइट्म का बताना पोसिबल नहीं है। लेकिन यह जरूर कहा गया है कि हमने जो टेंडर पुराने रेट्स पर किये थे उन्हें नए रेट्स में खोला है और उस टैण्डर के मुताबिक उन्होंने यह बताया कि नये टैण्डर में रेट्स में 18 से 21 परसैंट का इंक्रीज हुआ है। इसके लिए यह उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए किसी आईटम का पुराना रेट 170 रूपये आया है तो नये रेट्स में 206 रूपये है। मेरा निवेदन यह है कि जो शिडयूल्ड रेट होता है वह एक तरह से फ्लोर रेट यानि बेस रेट होता है। सरकार किसी भी फसल की एम.एस.पी. फिक्स करती है। आप सभी ने देखा होगा कि जब मार्किट में किसी फसल की एम.एस.पी. फिक्स हो जाती है तो धीरे–धीरे रेट के उस लैवल पर पहुंचने की टैंडैंसी बाजार में आ जाती है। पीछे आपने देखा भी होगा कि सरसों का बाजार भाव उसकी एम.एस.पी. से ऊपर चला गया। इसी प्रकार से बाजरा भी दो साल में एम.एस.पी. के लैवल पर आ गया। इससे गवर्नमैंट के फाईनैंस पर बड़ा इफैक्ट आता है। अब 170 रूपये में हमें जो चीज मिल रही है उसको अगले ही दिन हम 206 रूपये में खरीदने लग जायें it makes a lot of difference on the

State exchequer तो यह ठीक है कि कोई क्राईटेरिया रहा होगा या कोई आवश्यकता रही होगी इस रेट को रिवाईज करने की। मेरे कहने का यह मतलब है कि इस तरह के रेट्स जब रिवीजन करें तो उसमें सारी मार्किट की टैंडैंसी, सारे मार्किट के अवेलेबल रेट्स को कम्पेयर करना ही करना चाहिए अदरवाईज एकदम फाईनैंशियल लॉस बहुत ज्यादा आता है। ये दोनों बातें हैं जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जवाब में कही हैं। उनसे बड़ा क्लीयर है कि उन्होंने ओवरनाईट ही अपने खर्चे यानि आईटम्ज के रेट्स 18 से 21 परसैंट तक बढ़ा दिये। मुझे इतना ही कहना था। Thank You.

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा ही उचित सा सवाल उठाया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उन्होंने रेट्स का तो कम्पेरीजन कर लिया कि पहले 170 रूपये का प्राईस था और उसके बाद 206 रूपये का हो गया पर माननीय सदस्य एक चीज छुपा गए कि जो 170 रूपये का भाव था वह 1988 के एच.एस.आर. रेट्स के अंदर था। ये आज से 34 साल पुराने हैं। सरकार ने वर्ष 1988 के रेट्स को रिवाईज करने के लिए वर्ष 2018 के अंदर एक कमेटी का गठन किया। कोविड के कारण उसमें डिले हुआ और वर्ष 2021 में उस कमेटी के द्वारा फाईनल रिपोर्ट मई के महीने में दी गई और रेट्स को रिवाईज किया गया। एवरेज रेट रिवीजन जो आई वह सड़कों में 15 से 18 परसैंट की आई, ब्रिजिज में 18 से 21 परसैंट की आई और बिल्डिंग्स में 19 से 21 परसैंट की आई। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि over a period हर चीज के रेट्स रिवाईज हुए हैं। मगर एच.एस.आर. क्योंकि बहुत बड़ी डॉक्यूमैंट होती है जिसको सभी इंजीनियरिंग विंग के 28 डिपार्टमैंट्स फोलो करते हैं। उसके अंदर रेट्स की रिवीजन नहीं हो पाई थी। हमने डिटेल निकाली तो पता चला एक बार वर्ष 2007 में प्रीमियम रिवाईज हुआ था। फिर वर्ष 2009 में प्रीमियम रिवाईज हुआ। उसके बाद वर्ष 2011 में प्रीमियम रिवाईज हुआ। इसके बाद वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2021 तक 10 साल के दौरान कई चीजों का तो प्रीमियम भी रिवाईज नहीं हुआ और उस कारण से जो हमारे डिपार्टमैंट के वर्क ऑर्डर और टैण्डर जाते थे वे नैगेटिव की बजाये 130 परसैंट व 140 परसैंट पॉजिटिव में जाते थे। आज रेट्स के रिवीजन के बाद ये हालात हैं कि हमारे जितने भी टैण्डर्ज और बिड्स होती हैं वे सभी नैगेटिव के अंदर आती हैं। ये तो कॉपिटिटिव मार्किट है और इसके अंदर कोई एक पी.डब्ल्यू.डी. ही नहीं बल्कि आज 28 के 28 डिपार्टमैंट्स में जहां कंस्ट्रक्शन चलती है वहां पर बेस रेट को गवर्नमैंट के द्वारा डिसाईड किया जाता है और उस बेस रेट के बाद जो कोई भी सम्बंधित कार्य को करना चाहता है वह अपनी कोटेशन अपलोड करता है और उस

कोटैशन के ऊपर कम्पीटिटिव रेट में जो लोएस्ट होता है उसको फिर आगे सरकार द्वारा कार्य का आबंटन किया जाता है।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि माननीय सदस्य "छुपा" गए मैं छुपा नहीं गया बल्कि मैं यह इन्हीं के जवाब से पढ़ रहा था। इन्होंने ही अपने जवाब में एक एग्जाम्पल दिया है। जो यह जवाब दिया है मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूं। इन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि मिट्टी के काम के मामले में यदि हम 5 कि.मी. की औसत लीड लेकर इसकी तुलना करते हैं तो एच.एस.आर. 1988 के अनुसार इसकी दरें 170/– रूपये प्रति घन मीटर हैं और एच.एस.आर. 2021 के अनुसार 206/– रूपये प्रति घन मीटर है, जोकि एच.एस.आर. 1988 की दरों से 21.18 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा इन्होंने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि कुछ निविदाएं, जिन्हें अधिसूचना से पहले एच. एस.आर.प्लस सीलिंग प्रीमियम पर आमंत्रित किया गया था और अधिसूचना के बाद खोली गई थी उनकी तुलना एच.एस.आर. 2021 से की गई और यह पाया गया कि सड़क के काम के लिए लागत लगभग 15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत, भवन के कार्यों के लिए लगभग 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत और पुल के कार्यों के लिए लगभग 18 प्रतिशत से 21 प्रतिशत की वृद्धि पायी गई। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें शायद इनका भाव दूसरा है और मैं दूसरा समझ रहा हूं। इनका कहना है कि एक्चुअल एक्सपैंडिचर का पुराना रेट 170 रुपये था और इसमें 206 रुपये है। अगर एक्चुअल एक्सपैंडिचर 170 रुपये और 206 रुपये है तो यह बहुत स्पष्ट है कि just after revision 170 और 206 रुपये का जो गैप है वह बढ़ गया है। मैं, न ही तो इसको छिपाना चाहता हूं और न ही मेरी कोई गलत इन्टैंशन है। मैं तो यह कहता हूं कि जब स्टेट के हित में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं वे ट्रांस्पेरेंट तरीके से लिए जायें और सभी तथ्यों को ध्यान में रख कर लिए जायें। कोई ऐसा निर्णय लें जिससे स्टेट को एक दम से 15–20 प्रतिशत अधिक खर्चा देना पड़े तो वह ठीक सा नहीं लगता। मैं तो यही बात हाईलाइट करने के लिए कह रहा था।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा बता देता हूं कि एच.एस.आर. के जो बेस रेट हैं वे सरकार ने निर्धारित किये हैं। 170 रुपये 1988 में बेस रेट था और 206 रुपये 2021 का बेस रेट है। इसमें अगर वैरिएशन आती है तो जब कोई टैंडर भरता है तब वैरिएशन आती है। आज के दिन जो एग्जाम्पल दिया गया है वह क्लीयरली दिया गया है कि बेस रेट क्या है। बेस रेट में कोई एक आइटम नहीं होता है बल्कि हजारों आइटम्ज होते हैं और हर आइटम के रेट बदलते रहते हैं। भारत सरकार की एन.एच.ए.आई. की गाइडलाइन्ज हैं कि अगर सड़क बनेगी तो बिटुमिन का रेट क्योंकि यह पैट्रोलियम प्रोडक्ट है और डे–टू–डे रिवाइज होता रहता है इसलिए टैंडर अलॉट

होने के बावजूद सरकार को उसको रिवाइज करना पड़ता है। उसी तरीके से सीमेंट का रेट है वह भी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आज के दिन किसी एक विभाग में नहीं बल्कि किसी भी विभाग में अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो सीमेंट का रेट हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी में निर्धारित होता है और समय–समय पर वैरी करता है और इसीलिए यह एग्जाम्पल कोट किया गया है कि पिछले 34 साल में इस रेट में जो वैरिएशन आई है वह 21 प्रतिशत आई है। अगर फिर भी माननीय सदस्य को किसी और डाटा की जरूरत है या किसी और आइटम के वैरिएशन कम्पैरीजन की जरूरत है तो I will be more than happy to provide that data.

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक का अभिनंदन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक श्री धर्मपाल ओबरा, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ।

———

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Total Number of Incidents of Death

*47 **Shri Neeraj Sharma** : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state :-

(a) the total number of incidents of death occurred due to sewerage water/open drains/damaged roads from January, 2015 to 30 November, 2022 in the areas falling under the Urban Local Bodies Department in State;

(b) the details of the action taken by the Government against the officers/officials responsible for such deaths occurred due to said reasons; and

(c) whether any economic assistance as compensation have been provided or likely to be provided by the Government to the aggrieved families of deceased persons who have died due to the abovesaid reasons; if so, the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता):

(क) पुलिस महानिदेशक हरियाणा से प्राप्त जानकारी अनुसार नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में सीवरेज के पानी/खुली नालियों/क्षतिग्रस्त सडकों के कारण हुई मौतों का विवरण **अनुलग्नक–क** में सलग्न है।

(ख) पुलिस महानिदेशक हरियाणा से प्राप्त जानकारी अनुसार इन मौतों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व सरकार द्वारा की गई कार्यवाई का विवरण **अनुलग्नक–ख** में सलग्न है।

(ग) सरकार अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा सीवरेज के पानी से मौत के कारण मृत व्यक्ति के परिजनों को दिये गये मुआवजे का विवरण **अनुलग्नक–ग** में सलग्न है।

Annexure-I

Total no. of incidents of death occurred due to sewerage water/open drain/damaged roads, in the areas falling under Urban Local Bodies Dept. in state

Sr. No.	District	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (upto Nov.,30)
01.	Gurugram	0	0	3 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	1 DEATH OCCURRED IN1 INCIDENT	1 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	1 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	2 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT
02.	Faridabad	1 DEATH OCCURRED IN1 INCIDENT	0	0	0	0	0	0	2 DEATH OCCURRED IN 2 INCIDENT
03.	Panchkula	0	0	2 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	1 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	0	0
04.	Ambala	0	0	0	1 DEATH OCCURRED IN1 INCIDENT	1 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	1 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0
05.	Yamunanagar	0	0	0	0	1 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	0	0
06.	Kurukshetra	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	Karnal	0	0	0	0	0	0	0	0
08.	Kaithal	0	0	1 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	0	0	0	0
09.	Panipat	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Rohtak	0	0	0	0	4 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	0	2 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT
11.	Jhajjar	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonipat	0	0	3 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	3 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	0	0

13.	Dadri	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Bhiwani	2 DEATH OCCURRED IN1 INCIDENT	0	0	2 DEATH OCCURRED IN1 INCIDENT	0	0	0	0
15.	Hisar	0	0	0	0	0	0	2 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	3 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT
16.	Hansi	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Sirsa	0	0	0	0	0	2 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	0
18.	Fatehabad	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Jind	0	0	1 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	0	0	0	0
20.	Rewari	0	0	0	1 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	2 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	0	0
21.	Nuh	0	0	0	0	0	0	0	2 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT
22.	Palwal	0	0	0	2 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT	0	0	0	1 DEATH OCCURRED IN 1 INCIDENT
23.	Narnaul	0	0	0	0	0	0	0	0

Annexure-II

Details of the action taken by the government against the officers/officials responsible for such deaths

Sr. No.	District	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (upto Nov. 30)
01.	Gurugram	0	0	FIR N0-143 DT- 30.09.2017 U/S 304A,34 IPC, & 3 SC/ST ACT & 7 &9 PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGER& THEIR REHABILITATION ACT2013 PS-SEC37/GGM FOUR PRIVATE PERSON ARRESTED. PC – 01.03.2018 ACQ- 12.07.2022	DD NO. 15 DATED – 19.05.2018 U/S 174CRPC PS SEC- 9, GURUGRAM	FIR NO. 224 DT.1.6.2019 U/S 9 PROHIBITION OF EMPLOYMENT ASMANUAL SCAVENGER & THEIR REHABILITATION ACT. 2013 PS BADSHAPUR (TWOPERSONS DEAD INTHESE INCIDENT) FIR NO. 298 DT. 28.08.2019 U/S 304AIPC, 3 SC/ST ACT &7,9,22 PROHIBITIONOF EMPLOYMENT ASMANUAL SCAVENGER & THEIR REHABILITATION ACT2013 P.S – N.COLONYONE PRIVATE PERSONARRESTED. PC-12.09.2019 ONE PRIVATE PERSON ARRESTED.PC- 20.03.2020	0	FIR NO. 438, DT-10.11.2021 U/S 304A IPC & 7,9 PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGER & THEIR REHABILITATION ACT 2013 P.S-SEC 5 TWO PRIVATE PERSON ARRESTED. PC-08.07.2022	FIR NO – 249 DT-31.10.2022 U/S304A IPCPS SEC- 37, GGM ONE PRIVATE PERSON ARRESTED CH- 15.12.2022

02.	Faridabad	FIR NO. 493 DT. 09.10.2015 U/S 304, 34 IPC PS SECTOR 58 FBD AGAINST MCF EMPLOYEE **(CANCEL-10.05.2016)**	0	0	0	0	0	0	FIR NO. 323 DT. 06.05.22 U/S 304A, IPCPS SECTOR 58 FBD FIR NO. 501 DT. 06.11.22 U/S 304A, 34IPC PS DABUA, FBD BOTH CASES AGAINSTMCF EMPLOYEE & ARESTILL UNDER INVESTIGATION.
03.	Panchkula	0	0	FIR NO. 67 DATED 08.06.2017 U/S 304-A, 337 IPC PS SECTOR-20, PANCHKUL(CANCELLE D ON 10.06.2018)	0	FIR NO. 268 DATE16.11.2019 U/S 304-AIPC PS SECTOR-14, PANCHKULA (CANCELLED ON 04.01.2020)	0	0	0

04.	Ambala	0	0	0	DDE NO. 32 DT. 29.06.2018 U/S 174CrPC PS AMBALA CANTT. DECEASED JAGDISH S/O PREM SINGH R/O KHUDAKALAN MAHESH NAGAR INCIDENT PALACE 12 CROSS ROAD GANDA NALA AMBALA CNATT.	DD NO. 10 DT. 24.06.2019 U/S 174 CrPC PS AMBALA CANTT. DECEASED ROHTASH @ KHAATTU S/O KULBHUSHAN R/O 65/63 TOP KHANA PARADE AMBALA CANTT. INCIDENT PALACE: GANDA NALA TOPKHANA PARADE AMBALACNATT.	0	DDE NO. 24 DT. 15.02.2021 U/S 174 CrPC PS AMBALA CANTT. DECEASED AGRISH PULKIT S/O BHOUTIQ MISHRA R/O H.NO. 100 GOLD PARK PS MAHESH NAGAR INCIDENTPALACE: GUDUDIYA NALA NEAR PEER BABA AMBALA CANTT.	0
05.	Yamunanagar	0	0	0	0	FIR NO. 493 DT. 06.05.2019 U/S 304A IPC, 3(1) SC/ST ACT & 9 THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILATION ACT.2013 PS CITY JAGADHRI & CASE HAS BEEN CANCELLED ON DATED 25.05.2019 AND CANCELLATION REPORT SUBIMTTEDIN THE LD. COURT ON DATED 09.01.2021	0	0	0
06.	Kurukshetra	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	Karnal	0	0	0	0	0	0	0	0

08.	Kaithal	0	0	FIR NO. 107 DATE 30.03.2017 U/S 304-A IPC PS CIVIL LINE KAITHAL (CANCELLED15.05.2017)	0	0	0	0	0
09.	Panipat	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Rohtak	0	0	0	0	FIR NO. 397 DT. 26.06.2019 U/S 304IPC 3 SC/ST ACT &7/9/22 PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANAUL SCAVENGER &THEIRR REHABILITATION ACT, 2013	0	0	FIR NO. 382 DT. 10.09.2022 U/S 304, 34, 284, 506 IPC & 3 (2)(N)SC/ST ACT & 7/9 PROHIBITIOF EMPLOYEMENT AS MANUAL SCAVENGER& THEIR REHABILITATION ACT,2013
11.	Jhajjar	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonipat	0	0	FIR NO. 139 DT. 17.04.2017 U/S 284, 304A, 34 IPC & SEC. 9 PROHIBITION OF EMPLOYEMENT AS MANAUL SCAVENGERS AND THEIR REHABILATION ACT, 2013 PS KUNDLI	0	FIR NO. 185 DT. 01.05.2019 U/S 304A IPC ADDED PROHIBITION OF EMPLOYEMENT AS MANAUL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITAION ACT,2013 & 3(1) SC/ST ACT PS SADAR SONIPAT	0	0	0
13.	Dadri	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Bhiwani	IN CASE FIR NO. 194 DT. 26.03.2015 U/S 304A IPC, 7 PEMS ACT AND REMOVED 7 PEMSACT & ADDED 9 PEMS ACT PS CITY BHIWANI 1. AHMAD KHAN @ RAMJAN S/O MIYA KHAN R/O NAGLA DEWAL GAJI, DISTT. NAGRIA, BANGAL (PVT. CONTRACTOR) 2.DEVENDER S/O MAHENDER R/O SUBRI, DISTT. GAJIABAD (HELPER) 3. ARJUN LAL S/O TUTEJA R/O NEW DELHI (HELPER)	0	0	IN CASE FIR NO. 112 DT. 02.05.2018 U/S304A IPC ADD 9/25/2013 PEMS ACT & 3(1) J SC/ST ACT 1989 DT. 03.05.2018PS CIVIL LINESBHIWANI 1. SATNARAYAN S/O JUGAL BRAHAMAN R/O MUNDHAL KHURD (SDO) 2. DAYA KISHAN S/O SURJIT SINGH R/O MAKHAD DISTT. JIND HAL SHIV NAGAR HISAR (JE)	0	0	0	0
15.	Hisar	0	0	0	0	0	0	FIR NO. 99 DT. 27.02.2021 U/S 304 IPC AND 9 OF THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANAUL SCAVENGER & THEIR REHABILITATION ACT, 2013 PS HTM, HISAR (PC – 18.08.2021)	FIR NO. 152 DT. 20.04.2022 U/S 304 IPC AND9 OF THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANAUL SCAVENGER & TH EIR REHABILITATION ACT, 2013 PS HTM, HISAR (CANCELLED -16.06.2022)
16.	Hansi	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Sirsa	0	0	0	0	0	D.D No.38 dt 14/08/2020 u/s 174 CrP.C of deceased Purna Chand S/o Dona Ram R/0 Natar and D.D No. 23 dt 21.08.2020 u/s 174 Cr.P.C of deceased Sandeep SinghS/o Ballu Ram R/o Natar have been conducted by I/O Sukhdarshan Singh No 207 Police station Sadar Sirsa.	0	0
18.	Fatehabad	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Jind	0	0	FIR NO. 752 DATED 14.08.2017 U/S 304-AIPC PS CITY JIND INWHICH ON 05.09.2017 (CANCELLATION REPORT WAS PREPARED)	0	0	0	0	0

20.	Rewari	0	0	0	FIR NO. 52 DATED 18.02.2018 U/S 304-A IPC, 9 THE PROHIBITION OF EMPLOYEMENT AS MANUAL SCAVENGER AND THEIR REHABILITATION ACT 2013, 3 SC/ST ACT PS CITY REWARI 02 ACCSUED ARRESTED ON 04.06.2018 ABOVE BOTH ACCUSED WERE ACQUITTED ON DATED 26.02.2020	FIR NO. 707 DATED 14.10.2019 U/S 304 IPC, 9 THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUSAL SCAVENGER AND THEIR REHABILITATION ACT 2013, 3 SC/ST ACT PS MODEL TOWN REWARI 02 ACCUSED ARRESTED ON 10.06.2020 PC-07.03.2020	0	0	0
21.	Nuh	0	0	0	0	0	0	0	FIR NO. 73 DATE 25.03.2022 U/S 304 IPC PS CITY NUH CASE REGISTERED AGAINST J.E. PUBLIC HEALTH (CA NCEL28.06.2022)
22.	Palwal	0	0	0	FIR NO. 54 DATED 29.01.2018 U/S 304-A IPC & SC/ST ACT AND 25 MS ACT PS CITY PALWAL ACCUSED ARRESTED (PC - 16.01.2019)	0	0	0	FIR NO. 328 DATED 09.04.2022 U/S 304-A IPC & SC/ST ACT AND 23 MS ACT. PS CAMP PALWAL ,RIZ WAN ACCUSED ARRESTED (PC - 12.10.2022)
23.	Narnaul	0	0	0	0	0	0	0	0

Annexure-III

Sr. No.	Name of Organization	Name of Deceased	Amount of Compensation given on account of death due to Sewerage (In Rs.)	Remarks
Urban Local Bodies Department				
1	Gurugram	Sh. Vijay pal	300000	Paid by Municipal Corporation, Gurugram as he was the employee of MCG
2	Gurugram	Sh.Manoj	---	Case not identified
3	Gurugram	Sh. Nanhe	1700000	Paid by Private company
4	Gurugram	Sh.Rinku	1700000	Paid by Private company
5	Gurugram	Sh. Raj Kumar	1700000	Paid by Private company
6	Gurugram	Sh. Vikky	2000000	Paid by Private company

7	Gurugram	Sh. Shiv Kumar	1500000	Paid by Private company
8.	Gurugram	Sh. Aslam	1500000	Paid by Private company
9.	Gurugram	Sh. Balraj	------	As per available record this person was engaged by MCG
10	Faridabad	Sh. Rahul	1000000/-	Paid by Private company
11	Faridabad	h. Attar Singh	1000000/-	Paid by Private company
12	Faridabad	Sh. Santosh	1000000/-	Paid by Private company
13	Faridabad	ulemanAli	700000/-	Paid by Private company
14	Faridabad	Sh. Ibrahim	700000/-	Paid by Private company
15	Faridabad	Mohd. Muslim	1000000/-	Paid by Private company
16	Faridabad	Sh. Sachin	1000000/-	Paid by Private company
17	Sonepat	Sh. Pandu	500000/-	Paid by Private company
18	Sonepat	Sh. Vinay	500000/-	Paid by Private company

19	Sonepat	Sh. Deepak	500000/-	Paid by Private company
Public Health Engineering Department				
Sr. No	**Name of Organization**	**Name of Deceased**	**Amount of Compensation given on account of death due to Sewerage (In Rs.)**	**Remarks**
20	Bhiwani	Sh. Anil Dass	1000000/-	Paid by PHED
21	Bhiwani	. RajeshPassi	1000000/-	Paid by PHED
22	Kaithal	. Deepak Kumar	1000000/-	Jointly by PHED and contractor (3,00,000 by Contractor and 7,00,000 by PHED)
23	Kaithal	Sh. Raj Kumar	1000000/-	Jointly by PHED and contractor (3,00000 by Contractor and 7,00000by PHED)
24	Rohtak	Sh. Anil Saini	1000000/-	Paid by PHED

25	Rohtak	Sh. Sanjay	1000000/-	Paid by PHED
26	Rohtak	Sh. Ranjit	1000000/-	Paid by PHED
27	Rohtak	Sh. Dharmender	1000000/-	Paid by PHED
28	Palwal	Sh. Javed	1000000/-	Paid by PHED
29	Palwal	Sh. Jahid	1000000/-	Paid by PHED
Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation Ltd.				
30	Rohtak	----	15,00,000	Paid by private company
31	Rohtak	-----	15,00,000	Paid by private company

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि सीवरेज के पानी या ओपन जल भराव की वजह से किसी की मृत्यु न हो। इस महान् सदन के पटल पर सही डाटा या सही जानकारी न हो तो बड़ा दुख होता है। जैसे मैं फरीदाबाद का ही उदाहरण लूं तो 4 आदमी क्यू.आर.जी. अस्पताल में सीवर में डूब कर मर गये। इस रिप्लाई में उनका कोई विवरण नहीं है। मैंने इस सदन में उस अस्पताल के खिलाफ कई बार आवाज उठाई है कि उस अस्पताल के पास न तो ऑकुपेशन सर्टिफिकेट है और न ही कम्पलीशन सर्टिफिकेट है, हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस रिप्लाई में डबुआ थाने की 501 नम्बर एफ.आई.आर. का जिक्र है। अध्यक्ष महोदय, यह 11 साल का मासूम बच्चा है और यह सी.एम. अनाउंसमैंट का 2015 का काम था। वर्ष 2018 में यह वर्क ऑर्डर हुआ कि हाई मास्क लाईट वहां पर लगनी चाहिए। यह देश की रक्षा और सुरक्षा का मामला है क्योंकि ऐयरफोर्स स्टेशन वहां से मात्र 60 मीटर की दूरी पर है जबकि सुरक्षा की वजह से लोगों की जिन्दगी पर तलवारें लटकी पड़ी हैं। इस वर्क ऑर्डर में हाई मास्क लाईट लगाने का प्वायंट चिन्हित था कि उस प्वायंट पर यह हाई मास्क लाईट लगनी चाहिए लेकिन बदकिस्मती से वह लाईट वहां से शिफ्ट कर दी गई।

वह लाईट 60 फीट रोड पर पूर्व विधायक के ऑफिस सीरिज नं. 55 में शिफ्ट कर दी गई। इसके जवाब में मुझे यह कहा गया कि मैटर अण्डर इन्वैस्टीगेशन है। अध्यक्ष महोदय, 5 नवम्बर, 2022 का हादसा या जिसमें एक इक्लौते बच्चे की मृत्यु हुई है। आज उस बात को 54 दिन हो गये हैं। इस संबंध में मेरी कल भी पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी। उस संबंध में मेरी नगर निगम में भी बात हुई है। पुलिस ने तो इस संबंध में एक डी.ओ. लैटर लिख दिया कि इस मामले की हमारे पास एफ.आई.आर. दर्ज है। इसमें कौन अधिकारी है, हम किसके खिलाफ कार्यवाही करें वह हमें बता दिया जाए। यू.एल.बी. डिपार्टमैंट 54 दिन से उस मामले की जांच कर रहा है कि हम किसके खिलाफ कार्यवाही करने की परमीशन दें। मैं इस मामले से संबंधित आज जो कागज हाऊस में रख रहा हूं वे कागज मैंने माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व मंत्री तथा एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्रेटरी आदि सबको एक–एक विवरण के साथ दिये हैं कि यह सी.एम. अनाउंसमैंट है, यह वर्क ऑर्डर है। अगर वह स्ट्रीट लाईट वहां लगी होती तो उस बच्चे की जान बच जाती। वह नाला बिना स्लैब के छोड़ दिया गया और उस ठेकेदार की पूरी पेमैंट कर दी गई है। उस ठेकेदार की पेमैंट किसने की है उसकी जांच करवाई जाए। बदकिस्मती की बात है कि ऐसे गम्भीर मामलों के जवाब भी हम

एम.एल.एज. को नहीं मिलते हैं। उपमुख्यमंत्री जी के यहां से हमारे पास एक एक्नॉलिजमैंट आती है कि आप एम.एल.एज. की यह चिट्ठी हमारे पास आ गई है उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे गम्भीर मामलों पर मंत्री जी कम से कम एक एक्नॉलिजमैंट तो दे दें। हम विधायक एक 11 साल के मासूम बच्चे की मौत की बात कर रहे हैं और आप उसकी कार्यवाही में इतना समय लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के तीसरे भाग के अन्दर जो 10 लाख रुपये मुआवजा देने की बात है उसमें आप देखेंगे कि फरीदाबाद के जितने भी केस है वहां कम्पनसेशन गिवन बाई प्राईवेट कम्पनी लिखा है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या प्राईवेट कम्पनी इनकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं? इनकी मौत की जिम्मेदार कहीं न कहीं हमारी नीति है। इसमें प्रशासन की कमी है कि वे मुआवजे क्यों नहीं दे रहे हैं जबकि यह काम एक टाईम बाउंड मैनर में भी होना चाहिए। वह कुनाल नाम का बच्चा अपने परिवार का इक्लौता चिराग था। उस बच्चे से उस परिवार को बहुत उम्मीद थी कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगी। मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस परिवार के साथ ऐसा हादसा हो उसकी आर्थिक मदद के साथ–साथ सरकार उसके परिवार में कोई न कोई नौकरी का प्रावधान भी करे क्योंकि उस घर से केवल आदमी ही नहीं जाता उसके साथ पूरे परिवार की रोजी–रोटी चली जाती है।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने अपना प्रश्न तीन भागों में पूछा है और उनमें जानकारी मांगी है कि जनवरी 2015 से 30 नवम्बर 2022 तक कितनी मृत्यु हुई हैं, उनका क्या हुआ, उनको क्या मुआवजा दिया गया? इन सब की जानकारी हमने एनैक्श्चर में दे दी हैं। अगर उनके संज्ञान में ऐसे कोई इंडिविजुअल केस हैं तो वे उनके बारे में अलग से पूछ लें, या मुझे समय दे दें मैं उनकी पूरी जानकारी लेकर उनको बता दूंगा।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उस अस्पताल के अन्दर चार आदमी इक्ट्ठे मरे हैं और मंत्री जी ने अपने एनैक्श्चर में यह लिखा है कि फरीदाबाद में दो ही आदमियों की मृत्यु हुई है। यह विवरण वहां का नहीं है।

डॉ कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे ध्यान है फरीदाबाद के एनैक्श्चर में तीन मृत्यु दर्शाई गई हैं।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, नैशनल हयूमैन राईट कमीशन में उस मामले की जांच चल रही है।

डॉ कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2015 में एक मृत्यु हुई है और वर्ष 2022 में दो मृत्यु हुई हैं।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022 की बात कर रहा हूं। मैं बार–बार क्यू. आर.जी. अस्पताल का नाम ले रहा हूं जिसके अन्दर चार सीवरमैन मरे हैं और उनकी नेशनल हयूमैन राईट कमीशन में जांच चल रही है।

डॉ कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में विभाग ने हमें पूरी जानकारी नहीं दी है। अगर वहां कोई मृत्यु हुई है तो हम उसकी इंक्वायरी करवाकर उस पर उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वही तो हम कह रहे हैं कि हाऊस में पूरी जानकारी नहीं है।

डॉ कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। विधायक जी, जिन दो और मृत्यु के बारे में बता रहे हैं वे मुझे लिख कर दे दें उनकी मैं इंक्वायरी करवा लूंगा।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कुनाल नाम के बच्चे की जानकारी तो मैं ऑलरेडी मंत्री जी को दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, विधायक जी का सवाल यह था कि फरीदाबाद में टोटल कितनी डैथ्स हुई हैं।

डॉ कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में तीन डैथ्स हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, विधायक जी चार मृत्यु तो इकट्ठी बता रहे हैं। आपको जो जानकारी दी गई है वह गलत दी गई है जोकि बड़ी चिन्ता का विषय है इसलिए मेरा सभी मंत्रियों से निवेदन है कि सदन के अन्दर जो भी जानकारी दें उसकी पूरी तरह से पुष्टि करके आएं क्योंकि सदन को पुख्ता व सही जानकारी मिलनी चाहिए। अगर किसी अधिकारी ने यह गलती की है तो उसकी ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि बाकियों को भी हिदायत हो जाए।

डॉ कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। हम इस पर एक्शन लेंगे।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, अब मंत्री जी कृपया यह तो बता दें कि जिस कुनाल बच्चे के मामले का मैंने जिक्र किया है, इसकी जांच कब तक पूरी हो जायेगी। इस मामले को पहले ही 54 दिन हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, यू.एल.बी. डिपार्टमैंट कब तक पुलिस को चिट्ठी भेज देगा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले लिया जाये। मेरा निवेदन है कि इसको टाइम बाउंड मैंनर में करने का काम किया जाये। 54 दिन पहले ही हो चुके है। यह 11 साल का मासूम बच्चा था अध्यक्ष महोदय, इस बच्चे के परिवार को मुआवजा भी जाना है और दूसरे काम भी होने है। अतः माननीय मंत्री जी, इस संबंध में जांच की कोई टाइम लिमिट जरूर बता दें।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, किसी भी जांच का समय एक दम देना संभव नहीं होता है और पिछले इतिहास में देखा भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर तक की भी डैथ हो जाती है तो भी यह नहीं होता कि तुरंत जांच कर दी गई हो। हर जांच का एक प्रोसीजर होता है और उसी हिसाब से जांच करते हुए आगे बढ़ा जाता है।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गलत बात कह रहे है। 11 साल के मासूम बच्चे के लिए इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को एक महीने, छह महीने या साल कुछ तो टाइम लिमिट देनी चाहिए।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जांच का समय एक दम बताना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह बात मैं ऑन न दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कह रहा हूँ लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह जांच जल्द से जल्द करने का काम किया जायेगा।

.....

To Construct the Building of Government Boys College

*48 **Rao Chiranjeev**: Will the Education Minister be pleased to state the time by which the construction work of building of Government College for Boys in Rewari is likely to be started?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): श्रीमान जी, राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी (लड़के) के भवन के निर्माण के लिए 8 एकड़ 1 कनाल 8 मरला भूमि ग्राम लिसाना में चिन्हित की गई है। भूमि

उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के नाम स्थानातंरण हो जाने के उपरांत महाविद्यालय के निर्माण कार्य की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुसार आरंभ कर दी जाएगी।

राव चिरंजीव : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट कालेज फोर ब्वॉज की जो घोषणा थी, यह सी.एम. अनाउंसमेंट नम्बर 10292 थी और 28 मई, 2015 को की गई थी। अब देखिए करीबन 9 साल बीत गए है अभी तक जमीन की आइडेंटिफिकेशन की बात ही कही जा रही है। मेरे से पहले बोलते हुए हमारे पड़ोस के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी कह रहे थे कि यह आश्वासनों की सरकार है लेकिन हमें तो आश्वासन तक भी नहीं मिल पा रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह कालेज कब तक बन जायेगा। अभी मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हम जगह आइडेंटिफाई करेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक सी.एम. अनाउंसमेंट जो 9 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने की थी, जिसके लिए सैक्टर 20 रेवाड़ी में लैंड भी एलोकेट हो गई थी तो फिर इसमें देरी क्यों की जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत मैनुपुलेशन कर रहे है। मैंने यह बात बिल्कुल नहीं कही कि यह आश्वासनों की सरकार है। यह आश्वासनों की सरकार नहीं है। माननीय सदस्य मुझे कोट करके गलत बात कह रहे हैं। वास्तव में अगर माननीय सदस्य मेरा नाम लेकर बात कह रहे हैं तो इनको वही बोलना चाहिए जो मैंने बोला है।

राव चिरंजीव : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य मेरी बात को नहीं मान रहे हैं तो ठीक है मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहूंगा कि यह आश्वासनों की सरकार है। 9 साल के बाद भी रेवाड़ी में लड़कों के लिए राजकीय महाविद्यालय के भवन का निर्माण नहीं हो पाया है और केवल आश्वासन ही दिए जा रहे है। जब मुख्यमंत्री जी ने एक चीज की घोषणा 9 साल पहले की थी और 9 साल के बाद भी अब यह कहा जा रहा है कि हम जगह आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। यह बहुत गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई में एक और चीज भी लिखी गई है कि अगर रेवाडी में जगह आइडेटिफाई नहीं कर पाये तो इस कालेज को गवर्नमैंट कालेज, बावल के साथ मर्ज कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आप एक बात बताइये एक घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और बावजूद इसके, इसको दरकिनार करते हुए यदि रेवाड़ी में लड़कों के लिए बनने वाले राजकीय महाविद्यालय को गवर्नमैंट कालेज, बावल के अंदर मर्ज कर दिया जायेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि फिर मुख्यमंत्री जी ऐसी घोषणा करते ही क्यों हैं ? ऐसा लगता है कि अधिकारी

भी मुख्यमंत्री महोदय को गलत जानकारी देते हैं । रिप्लाई में लिखा गया है कि एक पॉलिसी चेंज हुई कि 5 एकड़ से कम जमीन के अंदर गवर्नमैंट कालेज नहीं बन पायेगा परन्तु यह अनाउंसमेंट तो 2015 के अंदर हुई थी तब यह पॉलिसी नहीं थी तो जिस विषय के लिए अनाउंसमेंट 2018 से पहले की गई थी उसके अंदर चेजिंज क्यों किए जा रहे है। मैं चाहता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी अपना जवाब दें तो मेरे सभी प्रश्नों को उसमें शामिल करने का काम करें।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2015 में गवर्नमैंट कालेज रेवाडी की घोषणा की गई थी और शिक्षण वर्ष 2017–2018 में कालेज की क्लासिज शुरू कर दी गई थी। जहां 53 लड़कियां और 322 लड़के कुल मिलाकर 375 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान में यह कालेज गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल, रेवाड़ी की बिल्डिंग में चल रहा है। कालेज के भवन निर्माण में देरी के कारण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले सैक्टर–20 रेवाडी में 10 अप्रैल, 2017 को 5.32 एकड़ जमीन एच.एस.वी.पी. द्वारा स्वीकृत की गई थी । दिनांक 20.12.2018 को इस कालेज के लिए 12 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई परन्तु किन्हीं कारणों से स्वीकृत भूमि को 5.32 एकड़ से घटाकर 5.00 एकड़ कर दिया गया जोकि 99 वर्ष के लिए लीज होल्ड आधार पर 100 रूपये प्रति वर्ष पर आबंटित किया गया। बाद में दिनांक 2.7.2021 को एच.एस.वी.पी. द्वारा पूरी भूमि को वापिस ले लिया गया। विभाग द्वारा दिनांक 16.11.2021, 31.1.2022 तथा 4.3.2022 को उपायुक्त रेवाडी को रिमाइंडर भेजे गए कि कालेज के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाये। दिनांक 8.7.2022 को ये मामला माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया। अधिकारियों की मीटिंग में विभिन्न साइट्स पर चर्चा करने के बाद उपायुक्त रेवाड़ी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिनांक 21.12.2022 को ग्राम पंचायत लिसाना में 8 एकड़ 1 कनाल 8 मरले भूमि की पहचान कर ली गई है। जैसे ही यह जमीन विभाग के नाम ट्रांसफर हो जायेगी हम इस कार्य शुरू कर देंगे।

राव चिरंजीव : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020 के सैशन में भी मेरा यही सवाल था उसमें भी मुझे यही जवाब मिला था कि यह काम हो जाएगा । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2017 में इस गवर्नमैंट कॉलेज को एक साल तक एक गर्ल्स स्कूल के अंदर चलाया गया था । उसके बाद गवर्नमैंट ब्वॉय्ज कॉलेज को वर्ष 2018 में बाल भवन के 5 कमरों में चलाया गया । यह कॉलेज आज भी 5 कमरों में चल रहा है । इसमें 2 कमरे टीचर्स के लिए हैं और बाकी 3 कमरे स्टूडैंट्स के लिए हैं ।

पिछले दिनों लगभग 1 महीना पहले सभी छात्र–छात्राओं को पढ़ाने के लिए इसे को–एजुकेशनल बना दिया गया है जबकि अनाउंसमैंट गवर्नमैंट ब्यॉय्ज कॉलेज के लिए की गई थी । यह सरकार 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा देती है । यह बड़े शर्म की बात है कि उन बेटियों ने नंगे पैर डी.सी. ऑफिस तक मार्च किया है । सदन में अभी भी यही आश्वासन मिल रहा है कि यह अगले वर्ष तक शुरू हो जाएगा । मेरा प्रश्न है कि सरकार हमें कब तक केवल आश्वासन ही देती रहेगी ? सैनिक स्कूल के लिए भी आश्वासन दिया गया है लेकिन अभी तक वह भी नहीं बन पाया है । अतः मुझे बताया जाए कि यह कॉलेज कब तक शुरू हो जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : चिरंजीव जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि यह कॉलेज वर्ष 2023 में शुरू हो जाएगा ।

————————————

To complete the construction work

*49 **Shri Jogi Ram Sihag**: Will the Skill Development and Industrial Training Minister be pleased to state the present status of construction work of Industrial Training Institute which is approved in village Badopati togetherwith the time by which the construction work of abovesaid ITI is likely to be completed?

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण (श्री मूल चन्द शर्मा): गांव बाड़ोपट्टी में स्वीकृत किए गए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। भूमि के स्थानान्तरण के लिए केस विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा के पास विचाराधीन हैं। क्योकि भूमि ग्राम पंचायत की मलकीयत है। भूमि विभाग के नाम होने उपरान्त आई0टी0आई0 के भवन निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी।

श्री जोगी राम सिहाग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध भी करता हूं और कहना भी चाहता हूं कि पंचायत की भूमि विभाग के नाम ट्रांसफर होने के बाद विभाग उस प्रोजैक्ट पर काम शुरू करता है । मैं इसका भुगतभोगी हूं । मैं पिछले 3 साल से इस बात को सत्र में भी उठाता आ रहा हूं । वह फाइल केवल इसी बात पर चक्कर काट रही है । मेरे क्षेत्र के 2 हॉस्पिटल पहले उसी भूमि पर बने हुए थे लेकिन वह भूमि विभाग के नाम पर नहीं थी । उस भूमि को ट्रांसफर करने के लिए जो फाइल चल रही है वह फाइल पिछले 5–6 साल से कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे जाती है । यह भूमि भी पंचायत की ही है । इसमें

कंडीशन लगाई जाती है कि यह भूमि विभाग के नाम ट्रांसफर होनी चाहिए । भूमि को विभाग के नाम ट्रांसफर होने में 5–6 साल लग जाएंगे । इस दौरान उस भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेगा क्योंकि अब वह भूमि खाली करवा दी गई है । अतः मेरा अनुरोध है कि भूमि ट्रांसफर की पोलिसी को टाइम बाउंड किया जाए । इसके अलावा जब वह भूमि चिन्हित हो गई है तो उस पर अपना पजैशन लेकर उस पर कम से कम बाउंड्री अवश्य बना दी जाए ताकि बाद में यह विषय न आये कि इस भूमि पर तो किसी का कब्जा है अथवा लिटीगेशन है और कोई उसके लिए कोर्ट में न चला जाए । ऐसा होने पर फिर से 5–7 साल लग जाएंगे । इस समय यहां पर पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं । अतः मेरा आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है कि वे इस तरह की फाइलों को अपने लैवल पर अपने पास मंगवाकर जमीन को संबंधित विभाग को जल्दी ट्रांसफर कर दें ताकि उस पर आगे का काम पूरा किया जा सके । माननीय मंत्री जी ने मेरी मांग को स्वीकृत किया था और इसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी किया था । मेरा कहना है कि किसी अन्य बिल्डिंग में बच्चों की कक्षाएं शुरू करवा दी जाएं ताकि बच्चों को सुविधा मिल सके । विभाग के नार्म्ज के अनुसार बिल्डिंग मिल जाए तो ठीक है अदरवाइज नॉर्म्ज में कुछ छूट देकर बिल्डिंग ले ली जाए । मैं अनुरोध करता हूं और जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उसमें कब तक कक्षाएं शुरू करवा देंगे?

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में उनको बताना चाहता हूं कि हमारे पास पहली रिपोर्ट 13.04.2022 को आई थी और उसमें जानकारी दी गई थी कि यह जमीन जोहड़ की है । उसके बाद हमें 21.12.2022 को जानकारी दी गई कि यह जमीन क्लीयर है और इस पर कोई जोहड़, कुंआ आदि नहीं है बल्कि यह उपजाऊ जमीन है । इस जमीन को हमने 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 33 साल के लिए पट्टे पर दे दिया है । अतः हम इस पर बहुत जल्द आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे और फंड आदि भी जल्दी ही स्वीकृत करवाएंगे । इस जमीन के संबंध में कोई परेशानी नहीं आएगी ।

————————————

To Upgrade the CHC

***50 Smt. Nirmal Rani**: Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Community Health Centre of Ganaur as Sub- Divisional Hospital; if so, the time by which it is likely to be upgraded?

Health Minister (Shri Anil Vij): Yes, sir, the proposal to upgrade the Community Health Centre of Ganaur as Sub-Divisional Hospital is under consideration. It may take six to eight months to accomplish the process of upgradation.

श्रीमती निर्मल रानी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कम्युनिटी हैल्थ सैंटर की अपग्रेडेशन को स्वीकार भी कर लिया और उसके अपग्रेडेशन का समय भी बता दिया है । अतः मैं आपके माध्यम से इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं ।

———————————

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह प्रश्न माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह जून का है । वे इस प्रश्न को पूछने के लिए माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स को कहकर गए हैं । अतः अब इसे माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स पूछेंगे ।

माननीय सदस्यगण, इस समय सदन में माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स भी नहीं हैं ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो उनके प्रश्न को मैं पूछ लेती हूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं गीता जी, इस प्रश्न को आप नहीं पूछ सकती ।

———————————

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह जून सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

———————————

To Replace the Sewerage and Drinking Water Pipelines

***52 Shri Bhavya Bishnoi:** Will the Chief Minister be pleased to State-

(a) whether it is a fact that the projects worth Rs. 5378.73 lac and Rs. 3017.30 lac have been approved by the Government to replace the damaged sewerage and drinking water pipelines in Adampur Mandi; (b)

the time by which the tenders for these projects are likely to be invited by the Government togetherwith the time by which the said works are likely to be started;

(c) whether it is a fact that there is great problem of potable water in villages Chabarwal, Bhodia Khera, Sadalpur, Adampur, Kabrel, Mahatma Gandhi Basti in Dobhi, Bir, Dhandoor, Jhiri and Peeranwali; if so, the time by which the abovesaid problem is likely to be solved; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct water works in villages Sadalpur and Chandan Nagar and to repair the water tank in water works of village Asrawan; if so, the details thereof ?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हां श्रीमान जी,

(ख) मल शोधन संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद सीवरेज प्रणाली के कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी और जल आपूर्ति प्रणाली के कार्य के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। स्वीकृति पत्र जारी होने के दो माह के भीतर इन कार्यों को शुरू कर दिया जाएगा।

(ग) नहीं श्रीमान,

(घ) हां श्रीमान, गावं सादलपुर में जलघर निर्माण का प्रस्ताव है परन्तु गावं चन्दन नगर में जलघर निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। असरावन जलघर की मरम्मत का 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर दिया गया है।

श्री भव्य बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र आदमपुर की बहुत पुरानी मांग को पूरा किया है । बदहाल सीवरेज और पेयजल पाइपलाइन लगभग 84 करोड़ रुपये की लागत से बदलने के लिए स्वीकृत की गई है । मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित

.....

@ Replied by the Cooperation Minister (Dr. Banwari Lal)

करना चाहता हूं कि सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के लिए लैण्ड एक्वायर हो चुकी है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं । मेरा प्रश्न है कि इन कामों का टैण्डर कब तक फ्लोट हो जाएगा और ये काम कब पूरे हो जाएंगे ? धन्यवाद ।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया था कि सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के लिए जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी वैसे ही हम उसका टैण्टरिंग प्रोसैस शुरू कर देंगे और काम को जल्दी ही पूरा करवायेंगे । इसके अलावा जलघर का कार्य भी प्रोसैस में है ।

श्री भव्य बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने प्रश्न के भाग (ग) का जवाब पढ़कर काफी चिन्ता और हैरानी हुई क्योंकि माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब 'न' में दिया था । आदमपुर हल्के में पीने के पानी की बहुत ही भयंकर और गम्भीर समस्या है । वहां पर काफी समय से पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई जी अपने खर्चे से पानी के टैंकर भेजते रहे हैं लेकिन वह सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है । दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में भी मेरे हल्के के लोगों को पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैंने जवाब में पढ़ा कि सदलपुर गांव में वाटर वर्क्स का प्रावधान है लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसका कार्य कब शुरू होगा ? उत्तर में मैंने यह भी पढ़ा कि चंदन नगर में वाटर वर्क्स का कोई प्रावधान नहीं है जिसको पढ़कर मुझे हैरानी हुई क्योंकि मेरे हल्के में अगर कोई सबसे पिछड़ा गांव है तो वह चंदन नगर ही है । उदाहरण के तौर मैं बताना चाहता हूं कि हमारा बंसी डेलू के नाम से एक बहुत ही पुराना कार्यकर्त्ता है । वह अपने खेत से पाइपलाइन बिछाकर गांव को पानी दे रहा है । अतः मेरा सवाल यह है कि अगर चन्दन नगर में वाटर वर्क्स का प्रावधान किया जा सकता है तो वह कब तक कर दिया जाएगा ? इसके अलावा आदमपुर गांव में पानी बहुत बड़ी मात्रा में दूषित है । वहां पर सीवरेज का पानी मिक्स होकर आता है । वहां पर सीवरेज के पानी की उचित निकासी और पीने के स्वच्छ पानी के उचित प्रबंध करने की आवश्यकता है । काबरेल गांव में सलेमगढ़ के वाटर वर्क्स से पाइपलाइन बिछाकर पानी दिलवाने की आवश्यकता है । गांव असरावां, चबरवाल और भोड़िया में वाटर वर्क्स जर्जर हालत में है और उसकी मरम्मत करवाने की आवश्यकता है । गांव चन्दन नगर, झीड़ी, बीड़ बबरान, पीरांवाली और धनढूर में नये वाटर वर्क्स लगाने की आवश्यकता है । ढंढूर गांव में जी.एल.एफ. ने 4 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है लेकिन उसकी फाईल काफी समय से पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग,

चण्डीगढ में पड़ी हुई है, परन्तु उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चन्दन नगर में जमीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहां पर भी जी.एल.एफ. में उनसे पत्र लिखवाकर मंजूरी करवाने की जरूरत है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इन सभी गांवों में पीने के पानी की समस्या को दूर करने की संभावना कब तक हो सकती है ? धन्यवाद।

डॉ0 बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन– जिन गांवों का जिक्र किया है मैं उनके बारे में डिटेल में बता देता हूं। माननीय सदस्य ने आदमपुर मंडी–जलापूर्ति के बारे में बात की है। वर्तमान में आदमपुर मण्डी में पेयजल आपूर्ति तीन नहर आधारित जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से की जा रही है। आदमपुर कस्बे में पेयजल की स्थिति 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। 116.36 किलोमीटर पाइपलाइन के नेटवर्क के साथ शहर का 90 प्रतिशत क्षेत्र वितरण प्रणाली से कवर किया गया है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। पेयजल आपूर्ति को 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाएगा और पूरे नए घोषित शहर को सीवरेज सिस्टम से कवर किया जाएगा। दिनांक 27.07.2022 को 3017.30 लाख रुपये की जलापूर्ति प्रणाली के उन्नयन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया है। जलापूर्ति व्यवस्था के कार्य के टैंडर प्रक्रियाधीन हैं। स्वीकृति पत्र जारी होने के दो माह के भीतर यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा और यह कार्य दिनांक 31.12.2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। चाबरवाल गांव फतेहाबाद जिले में पड़ने वाले सेखुपुर दारोली नहर जलघर के अंतर्गत आता है। बूस्टिंग स्टेशन के माध्यम से चाबरवाल गांव में पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। ग्राम चाबरवाल की पेयजल आपूर्ति का स्तर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गांव भोडिया खेड़ा की जनसंख्या 3278 व्यक्ति है। गांव भोडिया खेड़ा की नहर आधारित जल आपूर्ति योजना 1995 के दौरान 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर के साथ शुरू की गई थी। लेकिन वर्ष 2018 के दौरान जल आपूर्ति योजना को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर तक बढाया गया था। इसके अलावा जल आपूर्ति योजना में सुधार के लिए 50.75 लाख रुपये की राशि का अनुमान सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और इस अनुमान के विरुद्ध काम पूरा हो चुका है। फंग्शनल हाउस होल्ड टैप कनैक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 61.12 लाख रुपये के अनुमान को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है और 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गांव सादलपुर

की जनसंख्या 15,215 व्यक्ति है। गांव सादलपुर की नहर आधारित जल आपूर्ति योजना वर्ष 1981 के दौरान 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर के साथ शुरू की गई थी। गांव सादलपुर भी स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के अंतर्गत शामिल है तथा ग्राम की जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था की क्रमशः 2426.02 लाख एवं 2703. 05 लाख रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा मुख्यालय में तकनीकी जांच की जा रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कबरेल गांव की जनसंख्या 4387 है। गांव कबरेल की नहर आधारित जलापूर्ति योजना वर्ष 2009 के दौरान 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर के साथ शुरू की गई थी। वर्तमान में गांव में पेयजल जलापूर्ति सुचारू रुप से चल रही है। जल आपूर्ति योजना में सुधार और जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन प्रदान करने के लिए 170.95 लाख रुपये की लागत का अनुमान स्वीकृत किया गया है और इस अनुमान के अंतर्गत 30 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गांव ढोभी की जनसंख्या 6999 है। गांव ढोभी की नहर आधारित जलापूर्ति योजना वर्ष 1994 के दौरान 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर के साथ शुरू की गई थी।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आपका रिप्लाई लम्बा हो गया है, इसलिए आप संक्षिप्त में बता दें कि संबंधित मांगे कब तक पूरी हो जाएंगी।

डॉ0 बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गये सभी गांवों के बारे में डिटेल में ही बता रहा हूं।

.....

श्री भव्य बिश्नोई, विधायक को बधाई।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य श्री भव्य बिश्नाई पहली बार विधान सभा में बोले हैं और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने प्रश्न सदन में रखे हैं। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं।

————————

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य श्री भव्य जी ने जो क्वैश्चन उठाया है वह चन्दन नगर आउटर कॉलोनियां से बना हुआ है। अभी वह पंचायत के अंडर आता है। वहां पर मेरे गांव की ढाणियां बहुत ज्यादा हैं, माननीय सदस्य की बात बिल्कुल वाजिब है

क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है इसलिए वहां पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर माननीय मंत्री जी इसके लिए कोई आश्वासन दे तो बहुत ही बढ़िया हो जायेगा।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर वह शहर में आता है तो उसमें पानी की सुविधा जरूर उपलब्ध करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Provide Opportunity of Registration to Unemployed Youth

*53 **Smt. Renu Bala**: Will the Skill Development & Industrial Training Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide opportunity of registration to the unemployed educated youth of the State through Haryana Kaushal Rozgar Nigam; and

(b) if so, the details thereof?

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री (श्री मूल चन्द शर्मा): हाँ श्रीमान जी। राज्य के शिक्षित युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

(क) हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में कार्य करने का पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को (जोकि वर्तमान में काम नहीं कर रहे) पोर्टल पर पंजीकरण करने का अवसर दिया गया है। उनके पुराने अनुभव को आनॅलाईन पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग के आदान प्रदान अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। सत्यापित उम्मीदवारो ंको ही नियुक्ति के लिए मान्य किया जाता है।

(ख) **जिन उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी संस्था में पूर्व अनुभव नहीं होता है उन्हें भी सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से एच०केआर०एन०एल पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने का अवसर दिया जाता है। ऐसे विज्ञापन तब प्रकाशित किए जाते हैं**

जब विभिन्न विभागों की मांग के अनुसार पोर्टल पर उम्मीदवारों की पंजीकृत लिस्ट में पर्याप्त संख्या में अनुभवी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं।

To Open Navodaya Vidyalaya

*54 **Sh. Nayan Pal Rawat**: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Navodaya Vidyalaya in Prithla Assembly Constituency; if so, the details thereof?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल): नहीं, श्रीमान जी।

.....

The Number of Works Gram Darshan Yojana Portal

*55 **Sh. Ram Kumar**: Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state the number of requests received on the Haryana Gram Darshan Yojana portal so far together with the number of works completed through this portal till to date?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेंद्र सिंह बबली): महोदय, अब तक विकास कार्यों से संबन्धित कुल 11700 मांगे/सुझाव ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपलोड हुई है। इनमें से 6484 मांगों/सुझावों की सिफारिश जन प्रतिनिधियों द्वारा संबधित विभागों को भेज दी गई है। इन 6484 मांगों/सुझावों में से 912 व्यवहार्य नही (Not Feasible) है और 999 मांगों/सुझावों को व्यवहार्य (Feasible) घोषित कर दिया गया है। 999 व्यवहार्य (Feasible) मांगों में से 42 मांगों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और शेष मांगे विभिन्न स्तरों (अर्थात राज्य और जिला) पर व्यवहार्यता (Feasiblity) रिपोर्ट के लिए लंबित है।

इसी प्रकार, पोर्टल पर 639 सेवा सम्बन्धित मांगे/सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 148 मांगों को अस्वीकार कर दिया गया है, और 109 मांगों/सुझावों को पूरा कर लिया गया है और शेष पर विचार किया जा रहा है।

To Construct New Studs

***56. Sh. Dharam Singh Chhoker**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the studs constructed in Yamuna river in the 25 kilometre area from village Rana Majra to Simbalgarh falling under the Samalkha Assembly Constituency have been damaged; and (b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new studs in the abovesaid area so that the adjacent villages can be prevented from flood?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनज़र इस प्रश्न का कोई औचित्य ही नहीं है।

The Extent of Amount Deposited as Application Fees

*57. **Shri Abhay Singh Chautala**: Will the Chief Minister be pleased to state the extent of amount deposited by the applicants as application fees for the recruitment exams in HSSC and HPSC in the State during the last eight years (October 2014 to October 2022) togetherwith the yearwise details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): महोदय, पिछले आठ वर्षों (अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2022) के दौरान राज्य में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क के रूप में आवेदकों द्वारा वर्षवार जमा की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

ब्यौरा

क्रम संख्या	अवधि	हरियाणा लोक सेवा आयोग में आवेदन से प्राप्त फीस	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में आवेदन से प्राप्त फीस
1.	अक्टूबर 2014 से मार्च 2015	रूपये 97,93,005/–	रूपये 65,211/–
2.	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	रूपये 4,26,23,750/–	रूपये 36,78,04,473/–
3.	अप्रैल 2016 से मार्च 2017	रूपये 32,33,000/–	रूपये 12,94,40,810/–
4.	अप्रैल 2017 से मार्च 2018	रूपये 2,60,74,685/–	रूपये 7,98,75,017/–

5.	अप्रैल 2018 से मार्च 2019	रूपये 12,59,94,764/–	रूपये 19,90,47,738/–
6.	अप्रैल 2019 से मार्च 2020	रूपये 1,19,45,187/–	रूपये 40,10,11,092/–
7.	अप्रैल 2020 से मार्च 2021	रूपये 40,753/–	रूपये 16,09,39,049/–
8.	अप्रैल 2021 से मार्च 2022	रूपये 10,98,78,126/–	रूपये 28,28,92,173/–
9.	अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022	रूपये 2,79,58,801/–	रूपये 7,83,17,427/–

—

To provide Sufficient Quantity of DAP/Urea

*58 **Shri Aftab Ahmed**: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) the reasons for which sufficient quantity of DAP/Urea for cultivation of Kharif crops during the current year has not been provided to the farmers of State; and

(b) whether any efforts have been made by the Government to make sure the availability of DAP/Urea in the State and to check its black marketing; if so, the district wise details of the action taken by the Government in the matter?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री **(श्री जय प्रकाश दलाल):**

(क) श्री मान जी, राज्य के किसानों को खरीफ फसलों की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में डीएपी व यूरिया की आपूर्ति की जा चुकी है। किसानों को वर्तमान रबी मौसम में 20.12.2022 तक 3.62 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 7.67 लाख मीट्रिक टन यूरिया पिछले रबी मौसम की तुलना में 2.93 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 6.73 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की गई है, अर्थात पिछले रबी मौसम की तुलना में इस वर्ष किसानों को 15 प्रतिशत डीएपी और 14 प्रतिशत अधिक यूरिया (20.12.2022 तक) उपलब्ध कराया गया है।

(ख) श्री मान जी, डीएपी व यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार जिलेवार आवश्यकता,

उपलब्धता, कृषकों को उसकी आपूर्ति पर लगातार पैनी नजर रख रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, 26 लाइसेंस निलंबित करने के अतिरिक्त दोषियों के खिलाफ 12 एफ.आई.आर दर्ज की गई हैं। इसके साथ-साथ 17 बिक्री केन्द्रो पर बिक्री भी बंद की गई है।

The Total Quantity of Rotten Food Grain

*59 **Rao Dan Singh**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the total quantity of food grain rotten/damaged in the warehouses of Government in State during the last 7 years together with the reasons therefore along with the total price of above said rotten/damaged food grain; and

(b) whether the said food grain have been rotten due to negligence of departmental officers; if so, the action taken by the Government against such officers so far?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) पिछले 7 वर्षो में खरीद वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान गोदामों/खुले में भण्डारित क्रमशः 4073 एम.टी. तथा 74735 एम.टी. खराब हुआ है। जिसकी कुल कीमत सम्बन्धित खरीद वर्ष के न्यूनतम खरीद मूल्य अनुसार लगभग 106 करोड रूपये बनती है।

(ख) वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के राज्य में खराब हुए गेहूं के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के आदेश न05/5/2021-1एम.सी. दिनांक 14.11.2022/25.11.2022 द्वारा प्रशासकीय सचिवों, जिला प्रभारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करते हुए जांच करवाई जा रही है।

The Details of Works Under Jal Jeevan Mission

*60 **Shri Mamman Khan**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that under Jal Jeevan Mission, a budget of 273 crore for 80 villages of Ferozepur Jhirka Assembly Constituency was approved by the Government with work start date 19.04.2017 and completion date 31.10.2020; and

(b) if so, the present status thereof togetherwith the time by which the abovesaid works are likely to be completed alongwith the village wise details of the works completed with repairing of trench under Jal Jeevan Mission in Ferozepur Jhirka Assembly Constituency ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल):

(क) श्रीमान् जी, 80 गांवों के लिए 210.90 करोड़ रूपये की लागत की एक परियोजना को नाबार्ड सहायता के अन्तर्गत, 19.04.2017 को प्रशासनिक अनुमोदन किया गया था। इस परियोजना का दिनांक 31.10.2020 तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव था।

(ख) महून में मुख्य बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण को छोड़कर कार्य पूरा कर लिया गया है और ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। यह योजना दिनांक 31.12.2022 तक चालू होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त गलियों की मुरम्मत की स्थिति के साथ-साथ पूरे किए गए कार्यों का ग्राम-वार विवरण अनुलग्नक-क पर सलंग्न है।

अनुलग्नक-क

गलियों की मरम्मत तथा पूर्ण हो चुके कार्य एवं उनमें की स्थिति का ग्रामवार विवरण

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
1	2		3	4	5	6			7		8		9
जन स्वा0 अभि0 मण्डल न0.1 नूहॅ													
1	कंसाली		कंसाली -पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	48.52	85	600	2752	1400	0	2752	600	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.01.2023
2	मूलथान		मूलथान-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	114.65	90	655	2850	505	655	2850	0	0	
		भूडबास			90	455	250	450	455	250	0	0	
3	नोटकी		नोटकी-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	32.56	85	1500	2500	1280	1200	2500	300	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.01.2023

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
4	गुमट बिहारी		गुमट बिहारी-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	53.7	95	1000	2100	1764	1000	2100	0	0	
5	फकरपुर खोरी				95	450	840	355	450	840	0	0	
6	सांटावाडी		सांटावाडी-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	69.7	75	150	2100	250	0	2100	150	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.01.2023
7	नांगल मुबारीकपुर		नांगल मुबारीकपुर-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	146.5	95	440	3710	1638	440	3710	0	0	
8	नांगल साबत				75	0	450	339	0	450	0	0	
9	सिसवाना जाटका		सिसवाना जाटका-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	22.65	90	900	2800	1068	900	2800	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
10	मांडीखेडा		मांडीखेडा-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	39.53	95	1500	4800	2307	1500	4800	0	0	
11	घाघस		घाघस-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	47.00	90	1300	2650	822	1300	2650	0	0	
		साहापुर			90	0	0	0	0	0	0	0	
12	करहेडा		करहेडा-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	87.10	0	0	0	0	0	0	0	0	डी.आई. पाईप लाईन की खरीद प्रक्रिया मे है।
13	उलेटा		उलेटा-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	61.20	75	50	1965	154	50	1965	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
14	खेरली कला		खेरली कला-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	99.80	75	1200	2605	950	0	2605	1200	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.01.2023
15	बडेड		बडेड-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	157.85	90	0	3020	980	0	3020	0	0	
16	डोडल		डोडल-पाईप लाईन, जलाश्य व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	55.00	80	0	907	1471	0	907	0	0	
17	महू		महू-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	148.00	90	0	3000	3080	0	3000	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
18	शेखपुर		शेखपुर-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	85.07	80	0	400	2631	0	400	0	0	
19	गुजर नंगला		गुजर नंगला-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	52.44	80	0	1700	900	0	1700	0	0	
20	मौहम्मदबास बुचाका		मौहम्मदबास बुचाका-पाईप लाईन, जलाश्य व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	122.00	70	500	1400	300	500	1400	0	0	
21	घाटबासन				70	500	900	400	0	900	500	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.01.2023
22	बाईखेडा		बाईखेडा-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के	43.28	80	0	1584	601	0	1584	0	0	
23	बहरीपुर				80	0	500	300	0	500	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
			घरेलु नल उपलब्ध कराना।										
24	नावली		नावली-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	210.07	80	500	1994	806	200	1994	300	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.01.2023
25	धमाला		धमाला-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	120.40	100	0	0	2360	0	0	0	0	
26	रंगाला राजपुर				100	700	500	1720	700	500	0	0	
27	चाक रंगाला				100	200	0	1872	200	0	0	0	
28	अहमदबास		अहमदबास-पाईप लाईन, लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	75.40	100	538	1410	252	538	1410	0	0	
29	राजोली				100	0	400	200	0	400	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
30	पाडला शाहपुरी		पाडला शाहपुरी-पाईप लाईन, लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	71.21	100	1031	1093	676	1031	1093	0	0	
31	सुलेला		सुलेला-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	25.39	100	0	1311	480	0	1311	0	0	
32	नंगली				100	0	1407	785	0	1407	0	0	
33	रनियाला फिरोजपूर		रनियाला फिरोजपूर-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	26.44	98	350	1963	390	0	1963	350	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.01.2023
34	रनियाली		रनियाली पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	43.39	90	135	480	895	135	480	0	0	
35	हमजापुर		हमजापुर पाईप लाईन व नलकूप	55.02	100	500	1529	381	500	1529	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
			लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।										
36	खेडला खुर्द		खेडला खुर्द-पाईप लाईन, जलाश्य व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	60.65	90	0	599	601	0	599	0	0	
37	डूंगरी				90	0	450	450	0	450	0	0	
38	रावा		रावा-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	67.94	100	152	2498	175	152	2498	0	0	
39	बधोला		बधोला-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	112.05	100	80	2554	542	80	2554	0	0	
		गुगलबास			100	0	200	300	0	200	0	0	
		कानाबास			100	0	0	200	0	0	0	0	
		कोठीबास			100	0	150	50	0	150	0	0	
40	मादापूर		मादापूर-पाईप लाईन लगाकर	56.42	100	0	810	290	0	810	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
			पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।										
41	चीतोडा		चीतोडा-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	98.80	100	500	700	676	500	700	0	0	
42	नहारीका				90	0	900	624	0	900	0	0	
43	हिरवाडी		हिरवाडी-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	206.23	100	0	1100	1700	0	1100	0	0	
		बावनथेडी			100	0	1000	0	0	1000	0	0	
44	अलीपूर तिगरा		अलीपूर तिगरा-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	12.71	100	45	0	1210	45	0	0	0	
		फतुबास			100	75	180	145	75	180	0	0	
45	अखनाका		अखनाका -पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के	66.47	100	450	3370	1265	450	3370	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
			घरेलु नल उपलब्ध कराना।										
46	घाटा समसाबाद		घाटा समसाबाद-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	25.31	100	0	3645	700	0	3645	0	0	
47	बसई मेव		बसई मेव-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	50.70	100	0	4656	812	0	4656	0	0	
48	रिगड		रिगड-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	136.49	100	0	2820	1520	0	2820	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
49	कामेडा		कामेडा-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	16.32	100	0	3481	1200	0	3481	0	0	
50	बिलकपुर				100	0	300	400	0	300	0	0	
51	सिधरावट		सिधरावट-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	15.12	100	0	850	944	0	850	0	0	
52	दोहा		दोहा-पाईप लाईन, जलाश्य व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	154.21	80	300	5151	2800	300	5151	0	0	
		ईकरामबास			0	0	0	0	0	0	0	0	
		मालीबास			0	0	0	0	0	0	0	0	
53	सकरपुरी		सकरपुरी-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	5.00	100	150	0	0	150	0	0	0	
		मुडांका			0	0	0	0	0	0	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
54	सहाबपुर		सहाबपुर-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	42.00	100	0	600	254	0	600	0	0	
55	खेडला कला				100	0	519	400	0	519	0	0	
56	बादोपुर				100	0	498	0	0	498	0	0	
57	भाकरोजी		भाकरोजी-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	27.48	100	800	3079	450	800	3079	0	0	
		दिलावरबास			0	0	0	0	0	0	0	0	
58	भोंड		भोंड-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	18.05	100	0	1476	1800	0	1476	0	0	
59	हसनपुर बिलोंडा		हसनपुर बिलोंडा-पाईप लाईन, जलाश्य व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	39.00	100	748	400	600	500	400	248	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.01.2023
60	धडोली खुर्द				100	700	150	0	700	150	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
61	पथराली		पथराली-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	16.69	100	0	927	600	0	927	0	0	
62	ईबराहीमबास		ईबराहीमबास-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	12.32	100	0	2365	900	0	2365	0	0	
63	बेरीयाबास				100	0	0	0	0	0	0	0	
64	समीरबास		समीरबास-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	32.97	80	1000	1163	400	0	600	1000	563	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.01.2023
65	अगोन		अगोन-पाईप लाईन, लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	98.48	100	300	3500	2440	300	3500	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
66	कोलगाव		कोलगाव-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	26.15	100	300	2753	1000	300	2753	0	0	
67	पथखोरी		पथखोरी-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	83.05	100	1800	3841	1000	400	3841	1400	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.01.2023
		जालीखोरी			75	100	200	300	100	200	0	0	
		चैनपुरी			100	0	900	600	0	900	0	0	
68	रावली		रावली-पाईप लाईन, लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	78.64	100	450	1750	500	450	1750	0	0	
		कुबडाबास			100	150	100	0	150	100	0	0	
69	पाटन उदयपुरी		पाटन उदयपुरी-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	15.09	100	0	1427	0	0	1427	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
70	माहोली		माहोली-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	19.20	80	500	3234	1200	0	3234	500	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.01.2023
71	सोहलपुर				100	0	555	200	0	555	0	0	
72	नसीरबास		नसीरबास-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	37.00	90	260	1025	615	260	1025	0	0	
73	मौहम्मदबास		मौहम्मदबास - पाईप लाईन, जलाश्य व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	94.00	90	0	1703	1097	0	1703	0	0	
74	पोल				90	0	758	300	0	758	0	0	
75	खेडली खुर्द		खेडली खुर्द-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के	91.1	100	1100	2270	800	1100	2270	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
			घरेलु नल उपलब्ध कराना।										
76	साकरस		साकरस-पाईप लाईन, जलाश्य व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	341.00	80	4000	11000	11209	3500	1500	500	9500	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 20.01.2023
		काला खेडा			50	0	0	2359	0	0	0	0	
		कालीयाबास			0		0	0	0	0	0	0	
		कुलडेहरा			50	0	828	1174	0	828	0	0	
		आमका			80	0	1007	2413	0	1007	0	0	
77	चांदडाका		चांदडाका-पाईप लाईन, जलाश्य व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	93.00	80	302	1922	759	0	1922	302	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.01.2023
78	तिगांव		तिगांव-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	191.29	80	0	3741	1259	0	3741	0	0	
		सिरसबास			80	0	400	200	0	400	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
79	बीवां		बीवां-पाईप लाईन, जलाश्य व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	301.71	80	680	9720	2400	680	9720	0	0	
		फोंदाबास			80	0	1050	150	0	1050	0	0	
		मोनियाबास			80	0	600	100	0	600	0	0	
		दोरक्खी			80	330	990	180	330	990	0	0	
80	ठेकडी		ठेकडी	96.00	50	0	0	1100	0	0	0	0	
	फिरोजपुर झिरका (ग्रामीण)		फिरोजपुर झिरका (ग्रामीण)-पाईप लाईन व नलकूप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।										
		ग्यासीना बास			50	0	0	600	0	0	0	0	
		मण्डल का कुल योग				**30426**	**159735**	**90725**	**23076**	**149672**	**7350**	**10063**	
जन स्वा0 अभि0 मण्डल न0.2 पलवल													
81	गोहाना		गोहाना- पाइप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	33.10	100	627	215	98	627	215	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
82	गंडूरी		गंडूरी - पाइप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	41.60	100	1578	400	300	1578	400	0	0	
83	उमरा		उमरा- पाइप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	110.69	100	3010	800	500	3010	800	0	0	
84		दानीबास											
85		प्रताबबास											
86	नांगल शाहपुरी		नांगल शाहपुरी- पाइप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान		100	0	950	0	0	950	0	0	
						5215	**2365**	**898**	**5215**	**2365**	**0**	**0**	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
जन स्वा0 अभि0 मण्डल पुन्हाना													
87	एंचवाडी		एंचवाडी - 150 मीटर गहराई का नलकुप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	80.83	100	0	2891	1800	0	2891	0	0	
88	अकलीमपुर फिरोजपुर		अकलीमपुर फिरोजपुर -पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	35.10	80	0	2001	0	0	2001	0	0	
89	सरल		सरल			0	0	0	0	0	0	0	
90	अकलीपुर नुहॅ		अकलीपुर नुहॅ - पाइप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	66.72	100	0	2252	450	0	2702	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
91	अटेरना समसाबाद		अटेरना समसाबाद-पाईप लाईन, व जलाश्य का निमा्रण कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	132.70	90	0	6700	400	0	7100	0	0	
92	बदरपुर		बदरपुर-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	78.42	100	1200	2920	0	1200	2920	0	0	
93	बलई		बलर्इ- नलकुप लगाकर व पाइप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	109.89	90	800	4450	2500	635	4450	165	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 15.01.2023
94	बनारसी		बनारसी-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	83.50	90	550	3623	250	550	3623	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
95	बसई खांजादा		बसई खांजार्दा-पाइप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	75.10	100	0	3120	600	0	3120	0	0	
96	बाजीदपुर		बाजीदपुर-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	49.90	90	0	2613	0	0	2200	0	413	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 15.01.2023
97	भादस		भादर्स- 150 मीटर गहराई का नलकुप लगाकर व पाइप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	91.70	90	0	600	0	0	600	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
98	बूबलहेडी		बूबलहेडी-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	184.62	90	950	4256	1150	950	4256	0	0	
99	भुखाराका		भुखाराका-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	79.6	100	0	3360	800	0	3360	0	0	
100	ढाडोली कला		ढाडोली कला-पाईप लाईन लगाकर ढाडोली कला व ढाडोला में पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	113.75	80	1800	1800	0	1275	1100	525	700	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 15.01.2023
101						450	700	0	450	400	0	300	
	ढाडोला												
102	ढाणा		ढाणा-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	260.27	90	350	4457	3850	350	4457	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
103	डूगेंजा		डूगेंजा-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	134.57	100	250	4386	1550	250	4386	0	0	
104	डूगंरा सहजादपुर		डूगंरा सहजादपुर-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	56.27	90	0	3005	300	0	3005	0	0	
105	गोकलपुर		गोकलपुर-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	171.52	85	0	3350	2150	0	3350	0	0	
106	हसनपुर नुहॅ		हसनपुर नुहॅ-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	68.83	100	550	1676	650	550	1676	0	0	
107	ईमाम नगर		ईमाम नगर-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	149.14	100	650	1353	350	650	1353	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
108	जैताका		जैताका-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	155.46	100	250	2227	450	250	2227	0	0	
109	करहेडी		करहेडी-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	26.50	100	150	750	250	150	750	250	0	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 15.01.2023
110	जलालपुर झिरोजपुर		जलालपुर झिरोजपुर-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	373.08	70	0	2670	800	0	2670	0	0	
111	फिरोजपुर डेहर		फिरोजपुर डेहर			0	1100	250	0	1100	0	0	
112	जलालपुर नूंहॅ		जलालपुर नूंहॅ-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	122.95	90	100	659	250	100	659	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
113	खानपूर नूहँ					0	1900	1400	0	1900	0	0	
114	महू					100	1724	550	100	1724	0	0	
115	झारपुडी		झारपुर्डी- नलकुप लगाकर जलाश्य का निर्माण कर पाइप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	91.65	95	250	2995	0	250	2865	0	130	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 15.01.2023
116	झिमरावट		झिमरावट-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	95.90	80	262	1950	0	262	1950	0	0	
117	खानपूर धाटी		खानपूर धाटी-150 मीटर गहराई का नलकुप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	247.79	70	0	3664	550	0	3664	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
118	खान मौम्मदपुर		खान मौम्मदपुर - नलकुप लगाकर व पाइप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	72.33	100	0	1300	0	0	1300	0	0	
119	खेडली नूहँ		खेडली नूहँ- जलाश्य का निर्माण कर पाइप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	114.20	85	250	2262	700	250	2262	0	0	
120	खुशपुरी		खुशपुरी-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	60.14	90	250	1950	0	250	1950	0	0	
121	कुल्ताजपुर कलां		कुल्ताजपुर कलां- पाईप लाईन, व	100.95	100	0	1663	500	0	1663	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
122	जरगाली		जलाश्य का निमा्रण कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।			0	1147	250	0	1147	0	0	
123	पटाकपुर फिरोजपुर					0	915	0	0	915	0	0	
124	लुहींगा खुर्द		लुहींगा खुर्द- 150 मीटर गहराई का नलकुप लगाकर व पाइ्रप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	168.75	85	0	2800	600	0	2800	0	0	
125	जैतलाका					0	1800	300	0	1800	0	0	
126	मढी		मढी-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	84.09	90	900	2321	350	900	2321	0	0	
127	मल्हाका		मल्हाका-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	114.43	90	0	3600	600	0	3600	0	0	
128	खोरी					0	1000	450	0	1000	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
129	मरोडा		मरोडा-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	118.07	95	0	3990	1100	0	3640	0	350	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 15.01.2023
130	मोहलाका		मोहलाका-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	94.28	100	0	3620	600	0	3620	0	0	
131	मौम्मद नगर		मौम्मद नगर-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	12.45	100	0	0	200	0	0	0	0	
132	नगीना		नगीना- 150 मीटर गहराई का नलकुप लगाकर नगीना व पिथोरपुरी मे पानी के घरेलु नल	278.89	20	0	0	0	0	0	0	0	
133	पिथोरपुरी					0	727	450	0	727	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
			उपलब्ध कराने का अनुमान										
134	नाई नंगला		नाई नंगला-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	63.05	100	0	2705	450	0	2705	0	0	
135	नीमखेडा		नीमखेडा-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल	116.95	100	250	2600	650	250	2600	0	0	
136	ढोली		उपलब्ध कराना।			0	1730	675	0	1730	0	0	
137	राजाका		राजाका - 150 मीटर गहराई का नलकुप लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	81.82	100	350	2898	450	350	2898	0	0	
138	रानीका		रानीका-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	70.93	80	0	1950	250	0	1950	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
139	रनयाला पटाकपुर		रनयाला पटाकपुर- नलकुप लगाकर व पाइप लाईन बिछा कर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराने का अनुमान	163.57	80	0	2600	700	0	2600	0	0	
140	रीठट		रीठट-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	97.80	100	700	2102	600	700	2102	0	0	
141	शादीपुर		शादीपुर-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	53.19	100	175	375	0	175	375	0	0	
142	असाईसीका					70	1338	90	70	1338	0	0	
143	सुखपुरी		सुखपुरी-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	107.29	100	250	3777	0	250	3777	0	0	
144	हुहुका					0	800	300	0	800	0	0	

क्रम सं0	गांव का नाम		जल जीवन मिशन के तहत कराये गये कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	किए गए कार्य का स्तर (प्रतिशत में)	खोदी गई सड़क की लम्बाई (मीटर)			मरम्मत की गई सड़क की लम्बाई (मीटर)		मरम्मत हेतु शेष बची सड़क की लम्बाई (मीटर)		सड़क की मरम्मत हेतु संभावित तिथि
	गांव	ढाणी				सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	कच्चा	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	सी.सी.रोड	ईन्टर लॉकिंग रोड	
145	सुलतानपुर नूहं		सुलतानपुर नूहं-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	95.15	70	0	3675	1500	0	2675	0	1000	शेष कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 15.01.2023
146	उमरी		उमरी-पाईप लाईन लगाकर पानी के घरेलु नल उपलब्ध कराना।	62.01	100	0	2753	250	0	2753	0	0	
		मण्डल का कुल योग				**11857**	**137550**	**33315**	**11167**	**135507**	**940**	**2893**	
		कुल योग				**47498**	**299650**	**124938**	**39458**	**287544**	**8290**	**12956**	

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

The Details of Sterilization of Stray Dogs

81 Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

(a) the number of stray dogs sterilized by the Government during the year 2014 to 30 October, 2022 in the State togetherwith the amount incurred thereon alongwith the district wise details thereof;

(b) whether it is a fact that a Committee was to be constituted by the Government in accordance with the Animal Birth Control (Dogs) Rule, 2001 before the sterilization of stray dogs; if so, the date on which the said Committee has been constituted togetherwith the details of its members alongwith the district wise details thereof;

(c) the name of the officers who have signed the file of sterilization during the abovesaid period togetherwith the name of the officers who have signed on the file of payment for sterilization alongwith the district wise details thereof; and

(d) whether any irregularities have been found by the Government in any district during the abovesaid period in regard to the sterilization of dogs; if so, the action taken by the Government in this regard togetherwith the district wise details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री **(**डा0 कमल गुप्ता):

(क) वर्ष 2014 से 30 अक्टूबर, 2022 तक कुल 1,37,440 आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई है, जिस पर रु0 17,46,91,626/– की राशि खर्च की गई है। जिलावार विवरण की प्रति अनुलग्नक–1 पर सलंगन है।

(ख) हां, श्रीमान जी , आवारा कुत्तों की नसबंदी से पहले, पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 के अनुसार सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाना था। इसके अंर्तगत पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 और शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा दिनांक 30.07.2022 को राज्य स्तर,

जिला स्तर और नगरपालिका स्तर पर समितियों का गठन किया। उक्त अधिसूचनाओ की प्रति अनुलग्नक–II और III पर सलंगन है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान नसबंदी की फाइल पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों के जिलेवार नाम अनुलग्नक–IV में संलग्न है।

(घ) उक्त अवधि के दौरान किसी भी जिले में कुत्तों की नसबंदी के संबंध में सरकार को कोई अनियमितता नहीं मिली है।

Annexure-I

Name of District	Name of the Municipality	Number of strayDogs Sterilized	Amount(In Rs.)
Ambala	Municipal Council, Ambala Sadar	6283	5,82,6,558
	Municipal Corporation, Ambala City	9588	77,94,415
Faridabad	Municipal Corporation, Faridabad	14698	1,24,81,050
Gurugram	Municipal Corporation, Gurugram	42228	28730338
Panchkula	Municipal Corporation, Panchkula	17346	1,56,15,846
Panipat	Municipal Corporation, Panipat	7983	5,68,6,279
Karnal	Municipal Corporation, Karnal	5647	58,99,245
Yamunanagar	Municipal Corporation, Yamunanagar	16170	142529600
Sonepat	Municipal Corporation, Sonepat	2400	1742890
Rewari	Municipal Council, Rewari	3340	49,89,960
Rohtak	Municipal Corporation, Rohtak	7941	80,60,115
Kurukshetra	Municipal Council, Thanesar	956	76,4800
Jhajjar	Municipal Council, Bahadurgarh	1580	23,15,000
Palwal	Municipal Committee, Hathin	1280	1,45,5000
	Total	1,37,440	174,691,626

Annexure-II **HARYANA GOVERNMENT**
ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT

NOTIFICATION

To control rabies and stray dog population in the State, the animal component of National Rabies Control Programme (NRCP) of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India is being implemented through Animal Welfare Board of India. To review, coordinate and monitor this programme in the State, the Governor of Haryana is pleased to constitute the State level Monitoring cum Coordination Committee and District level Monitoring cum Coordination Committee as per the details mentioned below:-

1) State level Monitoring cum Coordination Committee

1	Chief Secretary to Govt. Haryana	Chairman
2	Principal Secretary Urban Local Bodies	Member
3	Principal Secretary Panchayats & Rural Development	Member
4	Representative from Animal Welfare Board of India	Member
5	Principal Secretary Animal Husbandry & Dairying	Member Secretary

The committee may meet on quarterly basis to monitor and review the overall performance of the programme in the state and recommend necessary directions for mid-course correction, if any.

2) District level Monitoring cum Coordination Committee

1	Deputy Commissioner	Chairman
2	Additional Deputy Commissioner	Vice Chairman
3	Joint Commissioner, Municipal Corporation/Executive Officer, Municipal Committee	Member
4	Representative of Public Health Department	Member
5	Block Development Officer in the respective Block	Member
6	Tehsildar of respective Tehsil	Member
7	Representatives of the District SPCA & other NGOs nominated by Deputy Commissioner	Member
8	Representative of Animal Welfare Board of India (AWBI) to be nominated by AWBI.	Member
9	Deputy Director, Animal Husbandry	Member Secretary

The functions of the District Level Monitoring cum Coordination Committee will be:-

1. To solicit cooperation of the public in implementing the programme.
2. To coordinate, facilitate and monitor implementation of mass sterilization and vaccination programme of street and owned dogs by the implementing agencies (Humane Society International India and Worldwide Veterinary Services)
3. To motivate the pet owners to get their pets also vaccinated and sterilized.
4. To facilitate the provision of necessary infrastructural, administrative and accommodation & transport help etc. to the implementing agencies from local bodies, Veterinary Hospitals of Department of Animal Husbandry and Panchayats etc.

A copy is forwarded to Private Secretary/Chief Secretary to Govt. Haryana for Kind information of Chief Secretary Haryana.

Deputy Secretary
for Principal Secretary to Govt. of Haryana
Animal Husbandry & Dairying Department

To

Private Secretary/Chief Secretary to Govt. Haryana

U.O. No. 964-AH-4-2015/484 Chandigarh, dated 9-3-15

A copy is forwarded to PS/PSAH for the information of the Principal Secretary to Govt. of Haryana Animal Husbandry & Dairying Department.

Deputy Secretary
for Principal Secretary to Govt. of Haryana
Animal Husbandry & Dairying Department

To

The Principal Secretary to Govt. of Haryana
Animal Husbandry & Dairying Department

U.O. No. 964-AH-4-2015/485 Chandigarh, dated 9/3/15

GOVERNMENT OF HARYANA
DEPARTMENT OF URBAN LOCAL BODIES

Notification

The 30th July, 2020

In pursuance of the provisions under Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 and the directions of Hon'ble Supreme Court of India vide order dated 09.03.2016 in SLP No. 691 of 2009 and to control rabies, stray dog population and to review, coordinate & monitor this program in the State of Haryana, the Governor of Haryana is pleased to constitute the State Monitoring and Implementation Committee, District Monitoring and Implementation Committee as well as Municipal Corporation Monitoring and Implementation Committee as per the details mentioned below:-

(A) State Monitoring and Implementation Committee

1.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government of Haryana, Urban Local Bodies Department	Chairperson
2.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government of Haryana, Health & Family Welfare Department	Member
3.	Principal Secretary to Government of Haryana, Development and Panchayats Department	Member
4.	Director General, Urban Local Bodies Department	Member
5.	Director, Animal Husbandry and Dairying Department	Member
6.	Commissioner, Municipal Corporation, Gurugram	Member
7.	Commissioner, Municipal Corporation, Karnal	Member
8.	Chief Engineer (HQ), Directorate of Urban Local Bodies, Haryana	Member Secretary
9.	Executive Officer, Municipal Council, Ambala Sadar	Member
10.	Secretary, Municipal Committee, Shahabad	Member
11.	Two representatives from Development and Panchayats Department, Haryana (to be nominated by Director, Development & Panchayats, Haryana)	Member
12.	Representative of the Animal Welfare Board of India (to be nominated by AWBI)	Member
13.	Representative of an Animal Welfare Organization registered with the AWBI that has conducted more than 5000 Animal Birth Control surgeries per year and has been in existence for a minimum of 3 years (to be selected by Director General, Urban Local Bodies from the list to be provided by AWBI)	Member

2. The State Monitoring and Implementation Committee shall meet on quarterly basis and the process of monitoring & evaluation by the said Committee shall include the following key aspects:-

(i) This Committee shall set target for the required number of dog sterilizations within specified period in each district comprised in the State, keeping in view the estimated number of dogs as the baseline. These targets shall be spelt out in the Memorandums of Understanding executed with the ABC Implementing Agencies. The Committee shall then monitor the collaboration between local authorities and ABC Implementing Agencies to ensure that the targets are met and any challenges to the same are smoothly overcome.

(ii) The targets specified shall be binding on the local authority and the ABC Implementing Agency. The Animal Birth Control Monitoring Committee of the local authority shall ensure timely release of funds and oversee that adequate

infrastructure is created by the local authority so that targets are met. The expenses incurred by the ABC Implementing Agencies must be reimbursed on monthly basis.

(iii) Developing a comprehensive district-wise Plan including but not limited to infrastructure, budget etc., for dog population management in Urban and Rural areas throughout the State.

(iv) To resolve issues, if any, raised by District as well as Municipal Corporation Monitoring and Implementation Committee.

(v) Where adequate ABC Implementing Agencies are not available, the State Monitoring and Implementation Committee shall set up a Special Purpose Vehicle (SPV) within Animal Husbandry & Dairying Department to act as the ABC Implementing Agency. In each such case the ABC Implementing Agency will undergo training at an AWBI designated training establishment and embark upon the program only once the training has been completed.

(vi) Ensure that the requisite infrastructure is set up and other capital costs (including but not limited to fully furnished ABC facilities/campuses with ambulances and equipment) and all other expenses for successfully running an animal birth control program, including manpower costs, are made available to the ABC Implementing Agencies from the local authorities and reimbursed in a timely manner as required under Rule 6 of the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001.

(B) District Monitoring and Implementation Committee

1.	Deputy Commissioner	Chairperson
2.	Additional Deputy Commissioner	Member
3.	Deputy Director, Animal Husbandry & Dairying Department	Member Secretary
4.	Executive Officer/Secretary, Municipal Council/Committee	Member
5.	Chief Surgeon of the District	Member
6.	Block Development & Panchayat Officer in the respective Block	Member
7.	Tehsildar of the respective Tehsil	Member
8.	Representative of District SPCA & other NGOs nominated by Deputy Commissioner	Member
9.	Representative of Animal Welfare Board of India (AWBI) to be nominated by AWBI	Member

3. The District Monitoring and Implementation Committee shall meet on monthly interval so as to monitor and review the overall performance of the program in the respective district. This Committee will recommend necessary directions for any correction/improvements, as and when required.

The functions of the District Monitoring and Implementation Committee will be as under:-

(i) To solicit cooperation of the public in implementing the program.

(ii) To coordinate, facilitate and monitor implementation of mass sterilization and vaccination program of street and owned dogs by the implementing agencies.

(iii) To motivate the pet owners to get their pets also vaccinated and sterilized.

(iv) To facilitate the provision of necessary infrastructural, administrative and accommodation & transport help etc. to the implementing agencies from local bodies, Veterinary Hospitals of Department of Animal Husbandry and Panchayats etc.

(v) To facilitate provision of Police help as and when required by the Team of Implementing agency.

(vi) To organize the counting and certification of genital organs of operated dogs by a team headed by Deputy Director, Animal Husbandry & Dairying Department or his representative on a fortnightly basis.

(vii) To authorize the implementing agency to humanely euthanize critically ill or fatally injured and rabid dogs encountered during implementation of the program and to dispose off their carcasses by burial in the area identified by the monitoring committee.

(viii) To provide monthly progress report to State Monitoring and Implementation Committee regarding the implementation of the program.

(C) Municipal Corporation Monitoring and Implementation Committee

1.	Commissioner, Municipal Corporation	Chairperson
2.	Additional Commissioner/Additional Municipal Commissioner	Member
3.	Joint Commissioner, Municipal Corporation	Member Secretary
4.	Chief Surgeon of the District	Member
5.	Representative of District SPCA & other NGOs to be nominated by Commissioner, Municipal Corporation	Member
6.	Representative of Animal Welfare Board of India (AWBI) to be nominated by AWBI	Member
7.	Deputy Director, Animal Husbandry & Dairying Department	Member

4. The Municipal Corporation Monitoring and Implementation Committee shall meet on monthly interval so as to monitor and review the overall performance of the program in the respective Corporation. This Committee will recommend necessary directions for any correction/improvements, as and when required.

The functions of the Municipal Corporation Monitoring and Implementation Committee will be as under:-

(i) To solicit cooperation of the public in implementing the program.

(ii) To coordinate, facilitate and monitor implementation of mass sterilization and vaccination program of street and owned dogs by the implementing agencies.

(iii) To motivate the pet owners to get their pets also vaccinated and sterilized.

(iv) To facilitate the provision of necessary infrastructural, administrative and accommodation & transport help etc. to the implementing agencies from local bodies, Veterinary Hospitals of Department of Animal Husbandry etc.

(v) To facilitate provision of Police help as and when required by the Team of Implementing agency.

(vi) To organize the counting and certification of genital organs of operated dogs by a team constituted by this Committee on a fortnightly basis.

(vii) To authorize the implementing agency to humanely euthanize critically ill or fatally injured and rabid dogs encountered during implementation of the program and to dispose off their carcasses by burial in the area identified by the monitoring committee.

(viii) To provide monthly progress report to State Monitoring and Implementation Committee regarding the implementation of the program.

S. N. Roy, IAS
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Chandigarh, Dated
The 30th July, 2020

Endst. No. ADULB/Admn./2020/39952 Dated: 04.08.2020

A copy of the above is forwarded to Controller, Printing & Stationery Department Haryana, Chandigarh for publishing it in the Haryana Government Extra Ordinary Gazette. Further, it is requested that 150 copies of the Notification may be sent to this Department for Official use.

04/08/2020

Additional Director (Admn.)
for Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. ADULB/Admn./2020/39953 Dated: 04.08.2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action please:-

1. Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Health & Family Welfare Department, Chandigarh.
2. Principal Secretary to Government of Haryana, Development and Panchayats Department, Chandigarh.
3. Director General, Urban Local Bodies Department, Haryana, Panchkula.
4. Director, Animal Husbandry and Dairying Department, Panchkula.
5. Chief Engineer (HQ), Directorate of Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula.

04/08/2020

Additional Director (Admn.)
for Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. ADULB/Admn./2020/39954 Dated: 04.08.2020

A copy of the above is forwarded to Chairman, Animal Welfare Board of India (AWBI), NIAW Campus, Village Seekri, Ballabhgarh, Faridabad, Haryana – 121004. This is in continuation to this Office earlier memo No. ADULB/Admn/2020/38510 dated 22.07.2020 with the request to provide the list of representative for the State Monitoring & Implementation Committee. Further, it is also requested that the name of one each representative for District Monitoring & Implementation Committee and Municipal Corporation Monitoring & Implementation Committee be forwarded to respective Deputy Commissioners and Commissioners, Municipal Corporations.

04/08/2020

Additional Director (Admn.)
for Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. ADULB/Admn./2020/39955 Dated: 04.08.2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action please:-

1. All the Deputy Commissioners in the State of Haryana.
2. All the Commissioners of Municipal Corporations in the State of Haryana.
3. Commissioner, Municipal Corporation, Gurugram.
4. Commissioner, Municipal Corporation, Karnal.
5. All the Additional Deputy Commissioners in the State of Haryana.
6. All the Additional Commissioners/Additional Municipal Commissioners of Municipal Corporations in the State of Haryana.
7. All the Joint Commissioners of Municipal Corporations in the State of Haryana.
8. All the Chief Surgeons in the State of Haryana.
9. All the Deputy Directors, Animal Husbandry & Dairying Department, Haryana.
10. All the Block Development & Panchayat Officers in the State of Haryana.
11. All the Executive Officers/Secretaries of Municipal Councils/Committees in the State of Haryana.
12. Executive Officer, Municipal Council, Ambala Sadar.
13. Secretary, Municipal Committee, Shahabad.
14. All the Tehsildars in the State of Haryana.

04/08/2020

Additional Director (Admn.)
for Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Annexure-III			
Name of District	**Name of the Municipality**	**Name of Officer**	**Designation**
Ambala	Municipal Council, Ambala Sadar	Sh. Gorav Gotam	Sanitary Inspector
		Sh. Vinod Beniwal	Chief SanitaryInspector
		Sh. Rajesh Kumar	Secretary
		Sh. Madan Lal	Account Officer
		Sh. Vinod Nehra	ExecutiveOfficer
		Sh. Ravinder Kumar	ExecutiveOfficer
		Sh. Sachin Gupta	Administrator
		Sh. Amrinder Singh	Administrator
		Sh. Dinesh Kumar	Administrator
	Municipal Corporation, Ambala	Sh. Phul Kumar	Assistant Sanitary Inspector
		Sh. Sushil Kumar	Assistant Sanitary Inspector
		Sh. Mandeep Singh	Sanitary Inspector
		Sh. Madan Lal	Chief SanitaryInspector
		Sh. Sunil Dutt	Chief SanitaryInspector
		Sh. Vinit Kumar	Section Officer
		Sh. Som Nath	Section Officer
		Sh. Rakesh Kumar	VeterinaryDoctor
		Sh. Lalit Mohan	Legal Advisor
		Sh. Virender Saharan	ExecutiveOfficer
		Sh. Jarnail Singh	ExecutiveOfficer
		Sh. Rohtash Bishnoi	Additional Municipal Commissioner
		Sh. Aman Danda	Deputy Municipal Commissioner
		Sh. Parth Gupta	Commissioner
		Sh. Sushil Malik	Commissioner
		Sh. Virender Lather	Commissioner
		Sh. Dhirender Khargate	Commissioner
Faridabad	Municipal Corporation, Faridabad	Sh. Deepak Kinger	ExecutiveEngineer
		Dr. Uday Bhan Sharma	Medical OfficerHealth
		Sh. Shyam Singh	ExecutiveEngineer

		Sh. Inderjeet Kularia	Additional Municipal Commissioner
		Sh. Shyam Singh	Executive Engineer
		Sh. Madan Lal Sharma	Executive Engineer
		Dr. Nitish Parwal	Medical Officer Health
		Dr. Prabhjot	Medical Officer Health
Rewari	Municipal Council, Rewari	Sh. Sandeep Kumar	Chief Sanitary Inspector
		Sh. Praveen Kumar	Secretary
		Sh. Hemant Yadav	Executive Engineer
		Sh. Ravinder Kumar	Account Officer
		Sh. Dayanand	Accountant
		Sh. Jitender Kumar	Accountant
		Sh. Abhe Singh	Executive Officer
		Smt. Poonam yadav	President
Kurukshetra	Municipal Council, Thanesar	Sh. Amit Kumar	Junior Engineer
		Sh. Rakesh Mago	Municipal Engineer
		Sh. B.N. Bharti	Executive Officer
Jhajjar	Municipal Council, Bahadurgarh	Sh. Dalbir Deswal	Junior Engineer
		Sh. Aman Kumar	Municipal Engineer
		Sh. Jagbir Malik	Section Officer
		Sh. Sanjay Rohilla	Executive Officer
		Sh. Bhupender	Administrator-cum-S.D.O (C) Bahadurgarh
Panchkula	Municipal Corporation, Panchkula	Dr. Anil Banwal	Deputy Director, Animal husbandry & Dairying Department, Panchkula
		Sadhu Ram	Chief Sanitary Inspector
		Manendra Singh	Executive Officer
		O.P Sihag	Executive Officer
		Jagdeep Dhanda	Commissioner
		Lalit Siwach	Commissioner

		Ram Gautam	Senior Account Officer
		Hardeep Batra	Deputy Director
			Audit/Joint Director Audit
		Mohan Bhardwaj	Chief Sanitary Inspector
		Madan Lal	Chief Sanitary Inspector
		Arvind Balyan	Executive Officer
		Dr. Shaleen	Commissioner
		Arvind Nehra	Section Officer
		Jarnail Singh	Executive Officer
		Rajesh Jogpal	Commissioner
		Saroj Bala	Senior Account Officer
		Vikas Gulia	Senior Account Officer
		R.K Singh	Commissioner
		Sushil Kumar	Senior Account Officer
		Sanyam Garg	Joint Commissioner
		Dharmpal	Senior Account Officer
		Avinash Singla	Chief Sanitary Inspector
		Vinesh	Joint Commissioner
		Dharmvir Singh	Commissioner
		Vikas Kaushik	Joint Director Audit
		Dr. Sameer Bhardwaj	Pet Animal Medical Centre Sector-3, Panchkula
Sonepat	Municipal Corporation, Sonepat	Sh. Sunil	Sanitary Inspector
		Sh. Satender	Sanitary Inspector
		Sh. Jitender	Sanitary Inspector
		Sh. Sadhu Ram	Chief Sanitary Inspector
		Sh. Vinod Nehra	Executive Officer
		Sh. Sushil Kumar	Commissioner
		Sh. Krishan	Sanitary Inspector
		Sh. Joginder	Sanitary Inspector
		Sh. Umesh	Sanitary Inspector
		Sh. Sunder	Sanitary Inspector

		Sh. Satpal	Chief Sanitary Inspector
		Sh. Satender	Chief Sanitary
			Inspector
		Sh. Sahab Singh	Chief Sanitary Inspector
		Sh. Virender	Deputy Municipal Commissioner
		Sh. Dharmender	Commissioner
Yamunanagar	Municipal Corporation, Yamunanagar	Sh. Girish Arora	Commissioner
		Sh. Bharat Bhusan Batra	Additional Commissioner
		Sh. Deepak Sura	Executive Engineer
		Sh.Vijay Pal yadav	Executive Engineer
		Sh. Sunil Kumar Bansal	Senior Account Officer
		Sh. Satish Kumar	Account Officer
		Sh. Naveen Kumar	Accountant
		Sh.Harjeet Singh	Sanitary Inspector
		Sh.Harjinder Singh	Tax Inspector
		Sh.Tej Pal	Veterinary Doctor
		Sh. Desraj	Assistant
		Sh.Vinod Kumar	Clerk
Karnal	Municipal Corporation, Karnal	Smt. Sumedha Kataria	Commissioner
		Sh. Vikram	Commissioner
Rohtak	Municipal Corporation, Rohtak	Sh. Sunder Singh& Harsh Chawla	Sanitary Inspector
		Sh. Mahavir Singh Sodhi	Chief Sanitary Inspector
		Sh. Naveen Dhankhar	Municipal Engineer
		Sh. Tilak Raj	Assistant Town Planner
		Sh. Manjeet Dahiya	Executive Engineer
		Sh. Sudershan	Accountant
		Sh. Harish	Section Officer
		Sh. Surender Kaliraman	Senior Account Officer
		Sh. Inderjeet	Deputy Municipal Commissioner
		Sh. Ram Swroop Verma	Commissioner
		Dr. Surya Khatkar& Dr. Om	DD, Animal Husbandry, Rohtak
Panipat	Municipal Corporation,	Sh. Pardeep Dagar	Commissioner
		Sh. R. K. Singh	Commissioner

	Panipat	Sh. Dharmender	Commissioner
Palwal	Municipal	Sh. Padam Singh	Secretary
	Committee, Hathin	Dhanda	
		Sh. Javed Hussain	Municipal Engineer
		Sh. Aabid Hussain	Junior Engineer
		Sh. Devender Kumar	Secretary
		Sh. Rohtash	Accountant
Gurugram	Municipal Corporation, Gurughram	Sh. Ambika Parsad	Section Officer
		Sh. Bijender Sharma	Section Officer
		Sh. Rishi Malik	Senior Sanitary Inspector-HQ
		Sh. Ashish Singla,	Senior Medical Officer
		Sh. Ashish Singla	Senior Medical Officer

———

To Connect National Highway -44

82. Shri Neeraj Sharma: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to connect National Highway 44 Delhi leading to Agra with Sohna via Ballabgarh, village Pali and Dhauj; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

उप मुख्यमंत्री (श्री **दुष्यंत चौटाला**) : नहीं श्रीमान जी, मौके पर पहले से ही लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग की सड़क मौजूद है, जिसका नाम बल्लभगढ़-पाली-धौज-सोहना (एम.डी. आर.-133) जो 10.00 मीटर चौड़ी है जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (अब राष्ट्रीय राजमार्ग -19) दिल्ली आगरा से जुड़कर बल्लभगढ़-पाली-धौज होते हुए सोहना तक जाती है। सड़क अच्छी स्थिति में है ।

To Check the release of Dirty Water in Gaunchi Drain

83. Sh. Neeraj Sharma:- Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to renovate the Gaunchi drain and to check the release of dirty water in the abovesaid drain togetherwith the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized; and

(b) whether it is a fact that the garbage is being dumped on the road adjacent to Gaunchi drain alongside the Mujesar cremation ground and the said road has been closed for transportation; if so, the time by which the said road is likely to be opened for transportation togetherwith the extent of amount incurred by the Government for the construction of abovesaid road?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता) :

(क) श्रीमान जी, वर्तमान में नगर निगम फरीदाबाद के पास गौंची नाले के जीर्णोद्धार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उक्त नाले में छोड़े जा रहे गंदे पानी को रोकने के लिए नगर निगम फरीदाबाद, प्रतापगढ़ में 100 एमएलडी एसटीपी का निर्माण करा रहा है, जो 30.06.2023 तक चालू हो जाएगा। उक्त नाले में जिन–जिन बिन्दुओं पर गंदा पानी छोड़ा जाता है, उन्हे वहां मौजूदा 1600 एमएम व्यास के सीवर से टैप कर एसटीपी से जोड़ा जाएगा। एसटीपी बनने के बाद उपचारित पानी ही गौंची नाले में छोड़ा जाएगा।

(ख) हां, श्रीमान जी। यह तथ्य है कि गौंची नाले से सटी सड़क पर अवैध रूप से कूड़ा गिराया जा रहा है जिसे नगर निगम फरीदाबाद द्वारा सफाई एजेंसी के माध्यम से नियमित रूप से उठाया जा रहा है।

वर्तमान में मुजेसर श्मशान भूमि के साथ–साथ गौंची नाले के पास कोई पक्की सड़क मौजूद नहीं है। वर्तमान में उक्त सड़क के निर्माण के लिए नगर निगम फरीदाबाद के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

Details Regarding New Tehsils, Sub-Tehsils and Sub-Divisions

84. Sh. Neeraj Sharma: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) the number of new tehsils/sub-tehsils/sub-divisions declared by the Government in State from the year 2019 to 2022 togetherwith the districts in which new tehsils/sub-tehsils/sub-divisions are likely to be declared by the Government alongwith the details thereof; and

(b) the action taken by the Government on my proposal of developing new tehsil/sub- division in Faridabad NIT Assembly Constituency togetherwith the details thereof?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :

(क) हां, श्रीमान जी, वर्ष 2019 से 2022 के दौरान सरकार द्वारा एक नया उपमण्डल नामतः बादशाहपुर (गुरूग्राम), एक नई तहसील नामतः वजीराबाद (गुरूग्राम) तथा एक नई उप-तहसील नामतः ईण्डरी (नूंह) घोषित की गई।
(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है।

Reservation to Women of other States

85. Sh. Kuldeep Vats: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the women belonging to SCs and BCs of nearby States are not being given the benefit of reservation or any Government Schemes by the Government after getting married in Haryana whereas their different certificates like caste, residence, aadhar card and family ID are being issued by the State Government; if so, the reasons thereof; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to give the benefit of reservation to the abovesaid women togetherwith the details thereof?

मुख्य मन्त्री (श्री मनोहर लाल):

(क) श्रीमान जी, अन्य राज्यों की अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण या किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति एंव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ने दिनांक 13.09.1984 को अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों एवं राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्रवासियों के दावों के सत्यापन के संबन्ध में निर्देश जारी किये थे, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने की स्थिति में उसकी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अपना दर्जा नहीं खोयेगा, लेकिन वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

के लिए अनुदेय रियायत/लाभ का हकदार अपने मूल राज्य में ही होगा न कि उस राज्य में जहां वह प्रवासित हुआ है। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग, हरियाणा ने भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में सरल पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित हिदायतें क्रमांक 22/132/2013–1जी0एस0ाा, दिनांक 22.03.2022 जारी की हैं और उन हिदायतों के पैरा 3 (iiiऔर IV) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:–

(iii) प्रवास के मामलों में जाति प्रमाणपत्रः–

जहां कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है, वह केवल उस राज्य के संबंध में अधिसूचित जाति से सम्बधित होने का दावा कर सकता है, जहां से वह मूल रूप से संबंध रखता था तथा उस राज्य में नहीं जहां वह प्रवासित हुआ है।

(IV) विवाह के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्रः–

केई भी व्यक्ति, जो जन्म से अधिसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है, केवल इसलिए अधिसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने उस जाति/जनजाति के व्यक्ति से विवाह किया था। दूसरी ओर एक व्यक्ति जो एक अधिसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है, वह उसी अधिसूचित जाति/जनजाति का सदस्य बना रहेगा बेशक उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो कि अधिसूचित जाति/जनजाति से संबध नही रखता है।

इसलिए, किसी व्यक्ति की जाति, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास के बादभी नहीं बदलती है और न ही किसी व्यक्ति के किसी अन्य जाति के व्यक्ति से विवाह के बाद बदलती है।

(ख) नहीं, श्रीमानजी।

Illegal Mining of Sand

86. **Shri Kuldeep Vats**: Will the Mines & Geology Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the illegal mining of sand is being operated on the panchayat land of villages Goela Kalan, Silana and Ukhal Chana (Kot); and

(b) if so, the steps taken or likely to be taken by the Government to check the said illegal mining togetherwith the details thereof ?

खनन मंत्री (पंडित) **मूल चंद शर्मा** :

(क) नहीं, श्री मान् जी ।

(ख) भाग (क) के दिए हुए जवाब के अनुरूप उत्तर नहीं बनता ।

To Construct the Roads

87 Shri Krishan Lal Middha: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the roads of Sector-6,7,8 and 9 in Jind City are in bad condition; and

(b) if so, the time by which the said roads are likely to be repaired / constructed?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): नहीं, श्रीमान जी।

(क) सैक्टर-6, 7, 8 व 9 जींद की सभी अंदरूनी सड़कों की विशेष मरम्मत वर्ष 2019 में शुरू की गई थी तथा ये सड़कें अक्टूबर 2022 तक डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड में थी। सैक्टर-8, 9 जींद की कुछ सड़कों की विशेष मरम्मत वर्ष 2018 में करवाई गई थी जिनका डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड अगस्त/सितंबर 2021 तक था। सैक्टर-8, 9 जींद की बाकी सड़कों की विशेष मरम्मत वर्ष 2019-2020 में करवाई गई थी। सैक्टर-8 की सड़कों का डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड अप्रैल 2022 तक था जबकि सैक्टर-9 की सड़कों का डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड सितंबर 2023 तक है। इन सड़कों का मरम्मत/रख-रखाव ह.श.वि.प्रा. द्वारा अपने स्तर पर या डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड में ठेकेदार द्वारा जरूरत अनुसार सामान्य पैच वर्क करवाकर किया जा रहा है।

(ख) सैक्टर-7, 8 व 9 जींद के साथ परिधि सड़क की विशेष मरम्मत का कार्य (लागत 171 लाख रुपये) तथा जींद-सफीदों सड़क पर दालमवाला अस्पताल से शुरू होने वाली सड़क को सुदृढ़ बनाने का कार्य (लागत 80.10 लाख रुपये) की निविदायें प्राप्त की जा चुकी है तथा इनका विशलेषण किए जा रहा है। इन कार्यों को आबंटन की तिथि के 4 महीने के अंदर पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

To Construct New Office Building of MC

88 Shri Pardeep Chaudhry: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new office building for the Kalka Municipal

Council; if so, the time by which it is likely to be constructed togetherwith the location thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा० कमल गुप्ता): हॉ श्रीमान जी, नगर परिषद, कालका के लिए नए कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके लिये जगह का चयन, पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग कालका–पिंजौर पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और यू0एच0बी0वी0एन0 पावर हाउस कालका के पास किया गया है। इसके लिए अनुमान और ड्रांइग तैयार किए जा रहे है व कार्य पूरा होने की संभावित तिथि ड्रांइग व अनुमान को अंतिम रूप देने और फंण्ड की व्यवस्था करने के बाद ही तय की जा सकती है।

.....

To appoint the Yoga Teachers

89. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state whether it is a fact that Yoga teachers have not been appointed by the Government in the gymnasiums constructed in the Kalka Assembly Constituency so far; if so, the reasons for delay togetherwith the time by which the Yoga teachers are likely to be appointed in the abovesaid Gymnasiums?

स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान जी, सरकार ने हरियाणा राज्य के 6500 गांवों में योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 1121 योग एवं व्यायामशालाएं पंचायत विभाग द्वारा निर्मित की जायेंगी। कालका विधान सभा क्षेत्र में निम्न योग एवं व्यायामशालाएं स्थित हैं:–

क्र0 सं0	ब्लॉक	व्यायामशाला का नाम
1	पिंजौर	खेड़ावाली
2	पिंजौर	नानकपुर
3	पिंजौर	किरतपुर

इन योग एवं व्यायामशालाओं में आयुष योग सहायक का पद स्वीकृत है। आयुष योग सहायक की मांग पहले से ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को भेजी जा चुकी है। आयुष योग सहायक की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के साथ प्रक्रिया में है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड से उम्मीदवारों की सिफारिश उपरान्त इन योग एवं व्यायामशालाओं में आयुष योग सहायक की नियुक्ति कर दी जाएगी।

.....

To Make the Waste Management Plants Functional

90. Sh. Pardeep Chaudhary: Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state whether it is a fact that Waste Management Plants constructed in village Tirlokpur, Khairwali-Parwala and Bhrali in Raipur Rani Block have not been made functional so far; if so, the reasons therefore together with the time by which these are likely to made functional?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली):श्री मान जी,गांव त्रिलोकपुर में ठोस कचरा प्रबंधन शेड बनकर तैयार हो चुका है और गांव खेरवाली-पारवाला में ठोस कचरा प्रबंधन शेड निर्माणाधीन है और तीन सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएगा। गांव भरेली में ठोस कचरा प्रबंधन शेड के निर्माण के लिए उपयुक्त पंचायत भूमि उपलब्ध नहीं है। जब ग्राम पंचायतों द्वारा घर-घर जाकर ठोस अपशिष्ट एकत्र करने की गतिविधि शुरू की जाएगी तब इन शेडों का उपयोग ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा।

.....

To Provide Dumping Ground for Waste Material

91 **Sh. Pardeep Chaudhry** : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide dumping ground for dumping of waste material of the Kalka Municipal Council; if so, the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ कमल गुप्ता): सर, इस समय नगर परिषद कालका के अपशिष्ट पदार्थों को गिराने के लिए डंपिंग ग्राउंड उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

Education to Disabled Children

92. Sh. Rakesh Daultabad: Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the education system is not accessible to disabled students in State and the children with mild to moderate disabilities are usually excluded from education; and

(b) if so, the steps taken by the Government to make schools accessible and train teachers for disabled students during the last five years in State togetherwith the budget allocated by the Government for the Same?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क)नहीं, श्रीमान जी। राज्य के सभी राजकीय विद्यालय विकलांग छात्रों के लिए सुलभ हैं क्योंकि सभी विद्यालयों में हैंडरेल के साथ रैंप, अक्षम अनुकूल शौचालय और मुख्य द्वार से विद्यालय भवन तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता बनाया गया है। हरियाणा शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा नामक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें विकलागों के लिए समावेशी शिक्षा एक घटक है, को लागू कर रहा है। आर0पी0डब्लयू0डी0 अधिनियम–2016 मे निहित किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले सभी दिव्यांग छात्रों को समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों में दाखिल किया गया है। दिव्यांग छात्रों को संसाधन सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए खण्ड स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आई0ई0डी0) संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में, 21741 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) विभिन्न राजकीय विद्यालयों में पहली से बारहवीं कक्षाओं में पढ़ रहे हैं।

(ख)'सुगम्य भारत अभियान' के अन्तर्गत विभाग द्वारा सभी विद्यालयों के भवनों को सुलभ बनाने के लिए हैंडरेल के साथ रैंप और विकलांगों के अनुकूल शौचालय बनाने इत्यादि जैसे कई कदम उठाए गए हैं। विभाग ने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष शिक्षकों के साथ–साथ सामान्य शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित किए हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, शिक्षा विभाग द्वारा 587.55 लाख रूपये की राशि से रैम्प बनाकर 2720 राजकीय विद्यालयों के भवनों को विकलांग छात्रों के लिए सुलभ बनाया गया तथा 3160 राजकीय विद्यालयों के भवनों में 2774.48 लाख रूपये की राशि खर्च करके विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अनुकूल शौचालय बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 256.63 लाख रूपये की राशि खर्च करके राजकीय विद्यालयों के 14097 सामान्य शिक्षकों को विकलांग छात्रों के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

————

To Provide Basic Facilities in Schools

93. Shri Rakesh Daultabad: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the total number of Government schools in District Gurugram and in State, that does not have adequate drinking water and sanitation facilities as on date togetherwith the details thereof;

(b) whether any time-bound targets have been set by the Government to provide drinking water and sanitation facilities in all the abovesaid schools; and

(c) if so, the details thereof togetherwith the funds earmarked by the Government for the abovesaid purpose?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क) जिला गुरुग्राम के सभी राजकीय विद्यालयो मे और राज्य मे पर्याप्त पेयजल और शौचालय की सुविधा है।

(ख) इस प्रश्न के भाग का सवाल नही उठता।

(ग) इस प्रश्न के भाग का सवाल नही उठता।

.....

To Link the E-Shram Cards

94. **Shri Rakesh Daultabad** : Will the Minister of State of Labour and Employment be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to link the e-Shram cards with other cards such as 'One Nation One Ration' card to make delivery of benefits to worker more efficient in State; if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

श्रम एवं रोजगार मंत्री (श्री अनूप धानक): नहीं महोदय । हरियाणा सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है क्योंकि मामला केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है ।

To Follow Child Safety Norms

95. Shri Rakesh Daultabad: Will the Education Minister be pleased to state whether the Government has formulated any rules for those schools which are not following the Child Safety Norms in the State; if so, the details thereof?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल): श्रीमान जी, राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 8/193–2017 पी0एस0 (4) दिनांक 15.09.2022 के तहत विद्यालय जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय सुरक्षा बारे नियमावली बनाई गई है। यदि कोई विद्यालय इस नियमावली में वर्णित हिदायतों की अनुपालना नही कर रहा है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है:–

(क) सरकारी सहायता बन्द करना (सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामलों में)।

(ख) मान्यता वापिस लेना ।

(ग) निजि विद्यालयों की प्रबन्धक समिति को टेक ओवर करना।

(घ) भारतीय दण्ड संहिता की प्रासंगिक धारा के तहत एक लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से घोषित आदेश की अवमानना के लिए अपराधिक कार्रवाई शुरू करना।

.....

Procurement in Barara Municipal Committee

96 Shri Varun Chaudhry : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether the procurement done by the Municipal Committee Barara on quotation basis (of Rs. One lac and above) and by splitting of work during the last three years is as per the rules and guidelines laid down by the Government; if not, the action taken or likely to be taken by the Government against the delinquents?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता): नगरपालिका, बराड़ा ने कोटेशन के आधार पर एक लाख से अधिक राशि की वस्तुओं/सेवाओं की खरीद की है जिसका विवरण **अनुलग्नक–क** पर संलग्न है।

उद्योग और वाणिज्य विभाग हरियाणा के निर्देश दिनांक 10.06.2016 (**अनुलग्नक–ख** पर प्रति संलग्न है।) के अनुसार राज्य में प्रत्येक स्टोर/सामान/कार्य/सेवाओं की खरीद के संबंध में ई–निविदा के लिये न्यूनतम सीमा 01 लाख रुपये है।

नगरपालिक बराडा ने कोरोना काल मे समय की कमी और जनहित में कार्यो की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए यह कार्य करवाए है।

इस मामले में सरकार की ओर से अभी कार्रवाई नहीं की गई है।

(अनुलग्नक–क)

गत तीन वित्तीय वर्षों में एक लाख से ऊपर के कार्यों का विवरण

क्रमांक	दिनांक	काम का नाम	राशि (रु० में)
1	10.06.2020	फर्नीचर की खरीद	2,21,654
2	29.09.2020	पम्प सेट की खरीद	1,07,476
3	05.10.2020	जेसीबी किराये पर लेना	1,60,480
4	02.03.2021	सफाई कार्य के लिए जेसीबी किराए पर लेना	1,13,162
5	25.06.2020	मेडिसील्ड की खरीद	1,03,488
6	10.08.2021	तालाब की स्वच्छता	1,57,350
7	15.09.2021	बिजली के तारों की खरीद	1,27,440
8	15.09.2021	अध्यक्ष कार्यालय का जीर्णोद्धार	1,14,150
9	25.10.2021	एलईडी स्ट्रीट लाइट उपकरण	1,68,960

अनुलग्नक–ख)

Government of Haryana
Department of Industries & Commerce
G. O. No. 2/2/2016-4I BII dated 10-06-2016

Subject: Fixing of uniform minimum threshold value of e-Tendering in respect of procurement of Stores/Goods/Works/Services.

The matter regarding fixing of uniform minimum threshold value of e-Tendering in respect of procurement of Stores/Goods/Works/Services in the State has been inviting attention of the State Government since some time.

Having considered the relevant issue, the Government has decided that the minimum threshold value of e-Tendering in respect of procurement of Stores/Goods/Works/Services in the State is Rs. 1 Lac in each case (without any splitting of orders).

The above instructions may be brought to the notice of all concerned.

Dated:08.06.2016

Devender Singh
Principal Secretary to Government Haryana,
Industries & Commerce Department.

Endst. No. 2/2/2016-4I-B II **Dated, the 10-06-2016**

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Administrative Secretaries to Govt. Haryana.
2. All the Heads of Departments, Govt. of Haryana.
3. All the MDs/CEOs of Boards/Corporations/Federations in the State of Haryana.
4. All the Divisional Commissioners in the State of Haryana.
5. All Deputy Commissioners in the State of Haryana.

-sd-
Superintendent Industries-II
For Principal Secretary to Government Haryana,
Industries & Commerce Department

Endst. No.2/2/2016-4I-B II **Dated, the 10-06-2016**

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Director, Supplies & Disposal, Haryana, Panchkula.
2. Principal Accountant General (Audit), Haryana, Sector-33, Chandigarh.

-sd-
Superintendent Industries-II
For Principal Secretary to Government Haryana,
Industries & Commerce Department.

To Make the Roads Free from Homeless/Separated Cattles

97. Sh. Varun Chaudhary: Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state the action taken by the Government to make the roads of State free from homeless/ separated cattles together with the time by which the above said work is likely to be completed?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): श्रीमान् जी, हरियाणा पंचायती राज एक्ट, 1994 के अधिनियम की धारा 21 (XXVI), जोकि ग्राम पंचायतों पर लागू होती है, के अनुसार ग्राम पंचायत का दायित्व है कि वे पशु शेड, पशुबाड़ा और कार्ट स्टैंड का निर्माण और रखरखाव करेगीं। तदानुसार, सभी उपायुक्तों को ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधनों/स्त्रोतों की सीमा के अर्न्तगत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

Details of pending disciplinary action against Officers of Haryana Cadre

98. Sh. Varun Chaudhary: Will the Chief Minister be pleased Question No. to state the details of the cases wherein disciplinary action is pending against 98 officers in the Chief Secretary office alongwith name of officers and date of pendency ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): मुख्य सचिव, हरियाणा के कार्यालय में अधिकारियों के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक मामलों का विवरण निम्न अनुसार है :–

विवरण

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम सर्व श्री/श्रीमति	अखिल भारतीय सेवा नियमों के तहत नियम 8– बड़ी शास्ति नियम 10– छोटी शास्ति	हरियाणा सिविल सेवा नियमों के तहत नियम 7– बड़ी शास्ति नियम 8– छोटी शास्ति	चार्जशीट जारी दिनांक	फैसला लेने उपरान्त अभी चार्जशीट जारी की जानी है।
1	प्रवीण कुमार, भा0प्र0से0, सेवानिवृत	8	––	18.11.2019	––
2	जगदीप सिंह, भा0प्र0से0	8	––	07.09.2020	––
3	शिव प्रसाद, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत)	8	––	25.09.2020	––
4	रानी नागर, भा0प्र0से0	8	––	05.05.2022	––
5 (i)	रीगन कुमार, एच0सी0एस0	––	7	30.11.2018	––
(ii)	–सम–	––	7	25.02.2020	––
(iii)	–सम–	––	7	21.05.2020	––
(iv)	–सम–	––	7	14.12.2021	––
(v)	–सम–	––	7	18.11.2022	––
6	राजेश कुमार, एच0सी0एस0	––	7	22.01.2020	––
7	मुकेश कुमार, एच0सी0एस0	––	7	30.11.2021	––
8	कंवर सिंह, एच0सी0एस0	––	7	30.11.2021	––
9	तरूण कुमार पवारिया, एच0सी0एस0	––	7	30.11.2021	––
10	भारत भूषण, एच0सी0एस0 (निलम्बित)	––	7	24.06.2022	––

11	संजय बिश्नोई, एच0सी0एस0	––	7	30.06.2022	––
12	पूजा भारती, एच0सी0एस0	––	7	07.10.2022	––
13	सुमित कुमार, एच0सी0एस0	––	7	14.09.2022	––
14	राहुल मिततल, एच0सी0एस0	––	7	07.11.2022	––
15 (i)	प्रशान्त, एच0सी0एस0	––	7	30.11.2022	––
(ii)	–सम–	––	7	12.12.2022	––
16	विरेन्द्र चौधरी, एच0सी0एस0	––	7	––	मसौदा एल आर को पुनरीक्षण के लिए भेजा गया।
17	जितेन्द्र कुमार– ाा, एच0सी0एस0	––	7	––	अतिरिक्त मुख्य सचिव /सहकारिता से चार्जशीट सामग्री आपेक्षित है।
18	अमरिन्दर सिंह मिन्हास, (निलम्बित) एच0सी0एस0	––	7	––	चार्जशीट तैयार की जा रही है
19	हितेन्द्र कुमार, एच0सी0एस0	––	7	––	मसौदा एलआर को पुनरीक्षण के लिए भेजा गया
20	सितेन्द्र सिवाच, एच0सी0एस0	––	7	––	अतिरिक्त मुख्य सचिव /स्कूल शिक्षा से चार्जशीट सामग्री आपेक्षित है।
21	अनिल कुमार यादव, एच0सी0एस0	––	7	––	चार्जशीट सामग्री डीसी/ कुरूक्षेत्र से आपेक्षित है।
22	सुभिता ढाका, एच0सी0एस0	––	7	––	अतिरिक्त मुख्य सचिव / नगर एवं ग्राम आयोजना से चार्जशीट सामग्री आपेक्षित है।
23	अश्वनी कुमार, एच0सी0एस0	––	7	––	ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार की जा रही है
24	संजीव सिंगला, एच0सी0एस0	––	7	––	अतिरिक्त मुख्य सचिव / नगर एवं ग्राम आयोजना से चार्जशीट सामग्री आपेक्षित है।
25	सुरेन्द्र सिंह– ाा, एच0सी0एस0	––	7	––	प्रधान सचिव/परिवहन से चार्जशीट सामग्री आपेक्षित है।
26	सुरजीत सिंह, एच0सी0एस0 (सेवानिवृत	––	7	––	प्रधान सचिव /परिवहन से चार्जशीट सामग्री आपेक्षित है।
27	मीनाक्षी दहिया, एच0सी0एस0	––	8	––	अतिरिक्त मुख्य सचिव /विकास एवं पंचायत से ड्राफ्ट चार्जशीट की समीक्षा करने का अनुरोध किया जा रहा है
28	विवेक स्वामी, अवर सचिव (निलंबित) हरियाणा सिविल सचिवालय	––	8	17.05.2022	
29	सुभाष चन्द्र, अधीक्षक, हरियाणा सिविल सचिवालय	––	7	09.01.2019	

30	शिलक राम, अधीक्षक, हरियाणा सिविल सचिवालय	——	7	29.03.2022	

.....

To Construct Indoor Stadium

99. Shri Deepak Mangla: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the fully air conditioned Indoor Stadium in Netaji Subhash Chandra Bose Stadium of Palwal is under construction as per the Hon'ble Chief Minister's Announcement code no. 11176 for which an estimate vide letter No.59969 dated 29.04.2020 was sent by the Chief engineer, PWD (B&R) Department, Haryana to the Principal Secretary to Government Haryana, Sports and Youth Affairs Department; and

(b) if so, the time by which the above said stadium is likely to be constructed together with the details thereof?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) हां, श्रीमान।

ख) पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम के निर्माण का कार्य दिनांक 24.12.2021 को रूपये 11,49,97,340/- के व्यय के साथ पूरा किया गया था। वातानुकूलित व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु रू0 207.97 लाख का अनुमान अलग से खेल एवं युवा विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति की व्यवस्था हेतु दिनांक 29.04.2020 को प्रस्तुत किया गया था। खेल विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

———————

To Lay Down Drinking Water Supply Pipe Lines

100 Sh. Deepak Mangla : Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the drinking water supply pipe lines have been laid approximately 10-12 feet deep in the colonies i.e. Shekhpura colony, Jhabar Nagar colony, Shyam Nagar colony, Dev Nagar Colony and Tuhiram Colony of Palwal city due to which the repair work could not be

performed at the time of leakage and people are compelled to drink the contaminated water; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down new pipeline in the abovesaid colonies togetherwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):पलवल शहर की शेखपुरा कालोनी, झाबर नगर कालोनी, श्याम नगर कालोनी, देव नगर कालोनी और तुहीराम कालोनी में स्थित पुरानी पाइप लाइन की जगह नई पाइप लाइन बिछाने के लिए 82.16 लाख रूपये का अनुमान 14.09.2021 को प्रशासनिक अनुमोदित किया था जिसके अंतर्गत 5698 मीटर में से 4908 मीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य 31.01.2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

To Repair the Sewerage Line

101 Sh. Deepak Mangla : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the sewerage line from Committee chowk to Minar gate of Palwal city has been damaged from many places; and

(b) if so, the action taken by the Government to repair the abovesaid sewerage line?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):पलवल शहर में कमेटी चौक से माइनर गेट तक क्षतिग्रस्त सीवर को सी० आई० पी० पी० तकनीक द्वारा सुदृढ़ करने के लिए 329.02 लाख रूपये के अनुमान को जलापूर्ति एवम सीवरेज बोर्ड की बैठक में 20.07.2022 को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान हो चुका है। इस कार्य के विस्तृत अनुमान का तकनीकी अनुमोदन भी 18.10.2022 को हो चुका है। इस कार्य की डी० एन० आई० टी० 20.12.2022 को अनुमोदित हो चुकी है और निविदाऐं आमंत्रित की जा रही है ।

To Execute Works Through Palwal Public Health Division

102 Shri Deepak Mangla : Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the work of installing new tubewells and transformers in Palwal Assembly Constituency is being executed by mechanical division, Rewari (GWI) and the said works are not being performed in time; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to execute the abovesaid works by the Public Health Division of Palwal ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): यह तथ्य है कि यांत्रिक मंडल, जी डब्ल्यू आई रेवाड़ी द्वारा विधानसभा क्षेत्र पलवल में नए नलकूप लगाने का कार्य किया जाता है तथा उक्त कार्यों को समय से निष्पादित किया जाएगा। ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य सिविल मंडल पलवल द्वारा किया जा रहा है।

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंडल पलवल द्वारा नए नलकूप लगाने का कार्य निष्पादित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सभी नए नलकूप आवश्यकता अनुसार यांत्रिक मंडल, जी डब्ल्यू आई रेवाड़ी द्वारा लगाए जाऐंगे।

The Details of Safai Karamcharies and Chowkidars

103 Sh. Ghanshyam Saraf : Will the Chief Minister be pleased to state the details of Safai Karamcharies and Chowkidars appointed in the Chaudhary Bansi Lal Park, B.D. Gupta park and Thakur Bir Singh park of the Bhiwani city under the Horticulture Division of HSVP?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी, चौधरी बंसी लाल पार्क, बी.डी. गुप्ता पार्क, और ठाकुर बीर सिंह पार्क, भिवानी शहर को ह.श.वि.प्रा. द्वारा विकसित किया गया था और इसका रख-रखाव ह.श.वि.प्रा. की बागवानी मण्डल, हिसार द्वारा किया जा रहा है। इन पार्कों के रख-रखाव के लिए हाल ही में निविदाएं आबंटित की गई हैं तथा एजेंसी इन पार्कों की नियमित रख-रखाव और सफाई कार्य के लिए अपने कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करेगी।

वर्तमान में इन पार्कों में कोई चौकीदार नहीं है। इन पार्कों में चौकीदारों को नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

To complete the Construction Works

104 Sh. Ghanshyam Saraf: Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction works of Gymkhana Club HUDA Bhawan and Old Age Home are likely to be completed in Bhiwani?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):श्रीमान जी, ह.श.वि.प्रा. द्वारा सैक्टर-14, भिवानी में जिमखाना क्लब भवन का निर्माण कार्य लगभग 60 फीसदी पूरा किया जा चुका है। कार्य के निष्पादन के दौरान साईट की स्थितियों के कारण आकलन में संशोधन आवश्यक हो गया है। तदनुसर, संशोधित आकलन तैयार किया गया है और यह अनुमोदन के अधीन है। इस संशोधित आकलन के अनुमोदन के 6 महीने के भीतर कार्य पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

इसके अलावा, वृद्धाश्रम का निर्माण ह.श.वि.प्रा. द्वारा पहले ही किया जा चुका है तथा इसे वर्ष 2012 में समाज कल्याण विभाग को सौंप दिया गया है।

To Construct the Road

105 Shri Ghanshyam Saraf. :Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from village Dhani Janga to Jharwaiin District Bhiwani; if so, the time by which the above said road is likely to be constructed?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) नहीं श्रीमान् जी, गांव ढाणी से जंगा से झरवाई (1.315 तक) सड़क पहले से मौजूद है और इस सड़क की स्थिति मोटर वाहन योग्य है।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनज़र समय सीमा का मुद्दा नहीं उठता है।

To Construct the Road

106 Shri Ghanshyam Saraf: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the four lane road from Meham Gate of Bhiwani to Air Strip (hawaipatti) at Chang of Bhiwani Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed?

उप-मुख्यमंत्री (**श्री दुष्यंत चौटाला**): नहीं, श्रीमान्, वर्तमान में भिवानी जिले के महम गेट से हवाई पट्टी चांग तक चार मार्गीय सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग, के अंतर्गत नहीं है।

Problems Related to Sewage System and Drinking Water

107 Smt. Naina Singh Chautala: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that there are great problems of chocked sewage system, mismanagement of drainage of contaminated water and supply of contaminated drinking water in Dadri city; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to solve the abovesaid problems permanently togetherwith the details thereof ?

मुख्यमंत्री (**श्री मनोहर लाल**):

(क) दादरी शहर की सीवरज प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है लेकिन कुछ मौजूदा सीवर लाइनें अवरूद्ध हो गई है जैसे कि बाईपास रोड़ दादरी चुंगी, चिड़िया रोड़ मल शोधन संयत्र के समीप, सीसीआई तालाब के समीप व तीकोणा पार्क झज्जर रोड़ मल शोधन सयंत्र के समीप। शहर में पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा रही है। जब भी कोई दूषित पानी की शिकायत प्राप्त होती है उसको तत्काल सुधारा/ठीक कर दिया जाता है।

(ख) मौजूदा दो मल शोधन सयंत्रों से ड्रेन नंबर 8 तक उपचारित अपशिष्ट के निस्तारण के लिए एच.डी.पी.ई. राईजिंग मेन बिछाने का कार्य 3770.00 लाख रूपये के अनुमान के अंतर्गत प्रगति पर है व यह कार्य 31.03.2023 तक पूर्ण होने की सभांवना है। मौजूदा क्षतिग्रस्त सीवरेज को प्रतिस्थापन/पुर्नवास करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपार्ट तैयार की जा रही है व इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दो महीने के भीतर हो जाएगी। इस विस्तृत परियोजना रिपार्ट के अंतर्गत कार्य 31.12.2025 तक पूर्ण होने की सभांवना है ।

To provide Financial Assistance for Pucca House

108. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide financial assistance to the needy people in rural areas of district Dadri for constructing pucca house; and

(b) if so, the time by which the above said financial assistance is likely to be provided by the Government?

शहरी स्थानीय निकाय तथा आवासीय मंत्री (डा. कमल गुप्ता): श्रीमान जी,

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के दिशानिर्देशा अनुसार, सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना–2011 (एसईसीसी–2011) के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षण में पाए गए ऐसे परिवार जिनके पास 0 या 1 या 2 कमरे की कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले घर हैं, को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला चरखी दादरी के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित 284 घरों के लक्ष्य के विरूद्ध सभी 284 लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए 3.83 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करवाई जा चुकी है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए जिला चरखी दादरी के लिए कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के अंतर्गत हरियाणा को कम से कम 20,000 घरों का लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। लेकिन, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए राज्य को कोई लक्ष्य आंवटित नहीं किया है। अतः भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से लक्ष्य प्राप्त होने पर चरखी दादरी जिले के और ज्यादा पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।

.....

To Meet the Shortage of 25 KV Transformers

109 Smt. Naina Singh Chautala: Will the Power Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that there is shortage of 25 KV transformers for the fields of Dadri Assembly Constituency since long time; and

(b) if so, the reasons therefor togetherwith the time by which the said shortage is likely to be met out by the Government?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : नहीं श्रीमान जी, 25 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मरों की कोई कमी नहीं है, क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिनांक 21.12.2022 को दादरी स्टोर में 59 ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं।

To Make Villages Lal Dora Free

110 Smt. Naina Singh Chautala: Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state the steps are being taken by the Government to remove the short comings occurred during the scheme of making villages Mai Kalan and Todi of Badhra Assembly Constituency Lal Dora free togetherwith the details thereof?

उप-मुख्यमंत्री (**श्री दुष्यंत चौटाला**): महोदय, कथन सदन के पटल पर रखा है।

कथन

स्वामित्व योजना के तहत बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के टोडी और माई कलां गांवों में लाल डोरा की पैमाईश की गई तथा प्रथम चरण में पैमाईश करने उपरान्त ड्रोन सर्वे के माध्यम से एट्रीब्यूट शीट तैयार करके भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चंडीगढ़ को भेजी गई। तदोपरान्त द्वितीय चरण के नक्शों पर एक माह की अवधि के अन्दर ग्रामीणों के दावे/आपत्तियां मांगी गई जिसके उत्तर में गांव टोडी में 34 व गांव माई कलां में 48 दावे/आपत्तियां प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकतर आपसी हिस्सेदारी व कुछ लाल डोरा की सीमा तय करने से संबंधित थी। तत्पश्चात इन आपत्तियों का राजस्व

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मूल्यांकन किया गया तथा मूल्यांकन एवं जमीनी सत्यापन के पश्चात् लाल डोरा की बाउंड्री सही पायी गयी। दावों/आपत्तियों के निपटान हेतू ग्राम सभा की बैठको का आयोजन किया गया तथा इन दावों/आपत्तियों के समाधान उपरान्त भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अंतिम चरण के नक्शे प्राप्त किये गये। गांव टोडी में 10 और गांव माई कलां में 119 संपत्ति कार्ड ग्राम सचिवों के माध्यम से ग्रामीणों को वितरित किए गए। फिर भी ग्रामीणों द्वारा समय-समय पर दावे/आपत्तियां दायर किये जाते रहे हैं, जिनका संबंधित गांवों की ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करके निपटान किया जा रहा है।

******

सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री बिशम्बर सिंह, विधायक अपने रिश्तेदार की मृत्यु के कारण आज दिनांक 28.12.2022 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से श्री प्रदीप चौधरी, विधायक अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 28.12.2022 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

————

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के विधि विभाग के विद्यार्थियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के विधि विभाग के छात्र दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी और सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं।

————————

नियम–15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री नियम–15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाये।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

———

नियम–16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

शून्य काल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों से संबंधित सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल शुरू होता है। आज 15 माननीय सदस्य शून्य काल पर बोलेंगे मैं उनके नाम बता देता हूं। श्रीमती निर्मल रानी, विधायक, राव दान सिंह, विधायक, श्री मोहन लाल बडौली, विधायक, श्री नयन पाल रावत, विधायक, श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक, श्री सुधीर सिंगला, विधायक, श्री भवय बिश्नोई, विधायक, श्री धर्मपाल गोंदर, विधायक, श्री अमित सिहाग, विधायक, श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक, श्रीमती किरण चौधरी, विधायक, श्री राम कुमार गौतम, विधायक, श्री दुड़ा राम, विधायक, श्री चिरंजीव राव, विधायक और श्री राम कुमार कश्यप, विधायक शून्य काल पर बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम दो दिन से पर्ची डाल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बलवीर जी, आपने पर्ची तो डाली हुई है परन्तु लॉटरी के माध्यम से ड्रॉ निकाला जाता है, उसमें अगर आपका नाम आयेगा तभी तो आपका नाम बोला जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं अपने आप कैसे किसी का नाम बोल दूं?

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं।

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरे सैशन के दौरान बोलने का मौका नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, ऐसा है कि 3 दिन का सैशन है और 90 विधायक हैं।

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सैशन का समय एक दिन के लिए और बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : देखिये, क्या आपको इस बात का पता है कि सैशन से संबंधित बिजनैस के बारे में क्या एप्रूव हुआ है?

———————

शून्य काल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना

श्रीमती निर्मल रानी (गन्नौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जिंदगी आसान रहना ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, इसलिए इसे और भी सुगम बनाना ये हमारी मोदी सरकार की प्राथमिकता है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन करोड़ों दिलों में इसकी बहुत ही ताकत होती है। ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अंत्योदय स्कीम को लागू किया तथा जो 1.80 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार थे उनको आगे लेकर आये और उन्हें चिरायु कार्ड

दिये गये और उन्हें बी.पी.एल. परिवारों में जगह दी गई। अध्यक्ष महोदय, कहते हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड वैसे तो हमेशा वही लोग आगे रहते हैं जो आगे–आगे रहते हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उसका हक दिलाना यह हमारी सरकार की प्राथमिकता रही हैं, ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने शराब तस्करी और पॉल्यूशन करने वालों के खिलाफ बहुत बड़े कदम उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी तो एक ही अपील है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाये जाएं। अगर कोई भी मिलावट करते पकड़ा जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि मंत्री जी को जब भी किसी काम के बारे में कहा जाता है तो वे उसे बहुत ही ध्यान से करते हैं। भगत फूलसिंह विश्वविद्यालय, खानपुर के कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा विभाग में 6 शिक्षक पढ़ा रहे थे, लेकिन वहां पर क्लासिज बंद हो गई थी। मंत्री जी, आपने उन क्लासिज को दोबारा से शुरू करवाया जिससे इन शिक्षकों को भी दोबारा पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद एक दिक्कत आ रही है कि हमारे जो स्टूडैंट्स हैं, वे 25,000 रुपये फीस दे रहे हैं जबकि सरकारी में यह फीस केवल 35,00 रुपये है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जनहित में महिला शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ये फीस कम करवाये और जो शिक्षक यहां पढ़ा रहे हैं उनको भी समय पर पेमैंट मिलें। मेरा आपसे निवेदन है आप इस काम को जरूर करवाएं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के गन्नौर की इंटरनैशनल मंडी का काम तेजी से करवाया जाए। इसके अलावा मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से भी एक मांग रखना चाहूंगी कि गन्नौर में 161 एकड़ जमीन में रेल कोच फैक्ट्री है और यहां बहुत बड़ी इंटरनैशनल मार्किट आ रही है, इसलिए यहां एक ट्रोमा सैंटर होना बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला विषय गन्नौर की कुछ सड़कों के बारे में हैं। इसमें एक बड़ी सड़क शेखपुरा से अगवानपुर की तरफ जा रही है अगर इसको चौडा नहीं किया गया तो बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि शेखपुरा रोड ऊंचाई पर है। इसकी चौड़ाई 12 फुट होने के कारण अगर कोई व्हीकल सामने से आता है तो वह गिर जाता है, इसलिए कृपा करके इस सड़क को चौड़ा करवा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने विधान सभा में बहुत अच्छे–अच्छे काम किये हैं, इसलिए मेरा भी आपसे एक निवेदन है कि जब हम हाऊस में पानी पीने जाते हैं तो पानी पीने का मन नहीं करता, क्योंकि वहां दोनों तरफ मेल और फीमेल वॉशरूम बने हुए हैं। इस विषय के लिए पता नहीं किसी और सदस्य ने क्यों नहीं कहा, लेकिन मैं जब भी पानी पीने

जाती हूं तो वहां पानी पीने का मन नहीं करता इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप इस व्यवस्था को जरूर बदलवा दीजिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्या, जब आप अगले सैशन में आएंगी तो आपको यह व्यवस्था जरूर बदली हुए मिलेगी।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों की बात आती है। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि सरकार दावा करती है कि हमने तकरीबन सड़कों का सुधार कर दिया है और उनका नया निर्माण कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर से दक्षिणी हरियाणा और विशेष तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि worst condition in the State अगर कहीं हैं तो उन रोड्स की है। यह मुद्दा सदन में मैं एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार उठा चुका हूं, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन रोड्स पर ध्यान दिया जाए ताकि national loss and life loss को बचाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा विषय एक किसान मॉडल स्कूल का है। जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार थी उस समय 10 एकड़ जमीन गांव नांगल सिरोही ने दी और उस पर बिल्डिंग का पैसा भी लगा चुके हैं। अब मात्र 20 प्रतिशत फिनिशिंग के लिए खर्चा बचा हुआ है। यह सवाल मैंने पीछे भी उठाया था तब कहा गया कि इस बिल्डिंग का हम कोई दूसरा यूज करेंगे लेकिन न तो उसमें किसान मॉडल स्कूल बना और न ही उस बिल्डिंग का कोई दूसरा यूज हो रहा है। वह एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग बन सकती है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर आज बना हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार उस पर ध्यान दे और उस बिल्डिंग की पूरी तरह से फिनिशिंग करके उसका सदुपयोग किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं लोकल सड़कों की बात करना चाहता हूं। महेन्द्रगढ़ के अंदर जो शहर की सड़कें हैं उनकी बहुत ज्यादा दुर्दशा हो चुकी है। वहां पर बीच में एक रोड बनाया गया। मैं समझता हूं कि उस रोड को उस तरह से बनाये जाने की जरूरत नहीं थी। उस रोड को ग्रेनाईट लगाकर सजाने का प्रयास किया गया जबकि अगर उस रोड को मेन रोड से जोड़ा जाता तो उस रोड को कम पैसे में बहुत ही सुन्दर तरीके से डिवैल्प किया जा सकता था। उसके अंदर किसी न किसी तरह की अव्यवस्था रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह पता लगाया जाये कि किस व्यक्ति ने इसकी सलाह दी थी और क्यों इतना पैसा उस रोड पर लगाया गया। जिस पर

इतना पैसा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उस रोड पर इतना पैसा लगाकर सरकारी पैसे का दुरूपयोग किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक हमारे हॉस्पिटल की बात आई। देखिए हारी–बीमारी किसी से पूछ कर नहीं आती लेकिन जब कोई आदमी बीमार हो जाता है और वह महेन्द्रगढ़ में सिविल हॉस्पिटल में जाता है तो यह कहा जाता है कि पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नया बनाया जा रहा है। नई बिल्डिंग हमारी सरकार के टाईम की बनी हुई है। उसमें न डॉक्टर्स हैं और न ही मैडीकल फैसिलिटीज हैं। वह सिर्फ रैफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया है। कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर अपने ईलाज के लिए जाता है तो उसको referred to Hisar, referred to Rohtak, referred to Delhi and referred to Jaipur इस प्रकार से वहां पर यह कहा जाता है। वहां पर ईलाज नाम की कोई भी चीज नहीं है। मेरा हैल्थ डिपार्टमैंट से और खास तौर पर हैल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी से निवेदन है कि उस हॉस्पिटल को जो उन्होंने आज तोड़ रखा है उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाये और वहां पर डॉक्टर्स की व्यवस्था करके अच्छी तरह से मैडीकल फैसिलिटीज दी जाये। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार कहा कि हर विधायक को हम 5 करोड़ रूपये देंगे ताकि वे अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में उस राशि का सदुपयोग कर सकें। मेरे जिले के अंदर हम कुल चार विधायक हैं। जिनमें से तीन विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूं। तीनों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 5–5 करोड़ रूपये की राशि दे दी गई लेकिन मुझे यह राशि अभी तक नहीं दी गई है। सरकार का सबका साथ और सबका विकास का वायदा है मैं समझता हूं वह इसमें कामयाब नहीं है इसलिए मेरा निवेदन यह भी है कि सभी विधायकों को यह राशि दी जाये और इसमें पिक एण्ड चूज न किया जाये। रहा सवाल 25 करोड रूपये रोड्ज के लिए देने के लिए घोषणा करने का तो हमने उनकी लिस्ट दे दी है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू. डी. से, मार्केटिंग बोर्ड से जिस भी डिपार्टमैंट के तहत वे सड़कें आती हैं उनसे यह निवेदन करना चाहते हैं वे सही तरीके से पैसा लगाएं ताकि सभी रोड्ज ठीक तरह से बन सकें। अध्यक्ष महोदय, अगला निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक वूमैन कॉलेज है। उसमें 2500 की संख्या है लेकिन वहां पर बैठने की जो जगह है वह मैं समझता हूं कि वह 1200 से ज्यादा नहीं है। उस बिल्डिंग के लिए पैसा दिया जाना चाहिए। सरकार ने इसकी एप्रूवल दी है। वहां पर बी.एस.सी. और एम. एस.सी. क्लॉसिज हैं लेकिन वहां पर कोई लैबोरेट्री नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है

कि वहां पर लैबोरेट्री का होना बेहद जरूरी है। इस कारण से वहां पर लैबोरेट्री को सबसे पहले दिया जाये। कम से कम जो बच्चियां वहां पर धूप और सर्दी के मौसम में बाहर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं उनके बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाये और बिल्डिंग को सम्पूर्ण करके पूरी तरह से तैयार किया जाये।

श्री नयन पाल रावत (पृथला) : अध्यक्ष जी, जो हमारी शिक्षा की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वह बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार की भी बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है। मेरे पृथला विधान सभा क्षेत्र में लगभग चार लाख परिवार रहते हैं। उसमें मैंने एक नवोदय विद्यालय की मांग की थी। इस बारे में मेरा क्वैश्चन भी लगा हुआ था। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः मांग करता हूं कि मेरे हल्के के जवां गांव में जल्दी से जल्दी एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाये। कुछ स्कूलों का नाम हमारे शहीदों के नाम पर किया जाना है वह भी जल्दी से जल्दी किया जाये। इसी प्रकार से जिन स्कूलों का अपग्रेडेशन होना है उनको भी जल्दी से जल्दी अपग्रेड किया जाये। अध्यक्ष जी, हमारे यहां पर इस्टर्न पैरीफरल एक्सप्रैस–वे में किसानों की जमीन गई थी उसका मेरे हल्के के किसानों को 1800 करोड़ रूपये मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इसमें मेरे हल्के के 25 गांवों के किसानों की जमीन आई हुई है। जिन किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है वे अपने आप में बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि मेरे हल्के के 25 गांवों के किसानों कोउनकी जमीन का मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के 7 गांव नगर निगम में शामिल किये गये हैं। उनकी एक्वॉयरमैंट का पैसा भी हमारी गवर्नमैंट ने नगर निगम के पास जमा कर दिया लेकिन उनमें कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहां पर सारे के सारे विकास कार्य पूरी तरह से ठप्प पड़े हैं। मेरे हल्के में अभी चुनाव नहीं हुए हैं। वहां पर बहुत सारे कार्य पैंडिंग हैं। उन कामों को भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाये। इसी प्रकार से दिल्ली–वडोदरा रेलवे लाईन को भी मेरे हल्के से निकाला गया है। उसके अण्डर पास और एक दिल्ली–मुम्बई पुरानी रेलवे लाईन के नीचे जो पुल बनाये गये हैं उनमें बहुत सारा पानी भरा रहता है। जिनमें आये दिन एक्सीडैंट्स की सम्भावना बनी रहती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट है कि उनको भी जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाये। आपके माध्यम से यही मेरी दो–तीन छोटी–छोटी डिमाण्ड्ज हैं। आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा): अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में बोलने के लिए समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज मैं यमुनानगर से लेकर पलवल तक की जो यमुना बैल्ट है उससे संबंधित एक विषय इस महान् सदन में रखना चाहता हूं क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र भी यमुना बैल्ट पर ही पड़ता है। विषय यह है कि जो पुश्तैनी जमीनें दरियाबुर्द और बरामदगी के कारण शामलातदेह में दर्ज हो गई हैं उनके मालिक होते हुए भी उन किसानों को आज तक उनका मालिकाना हक नहीं मिला है। अगर मैं करनाल जिले की बात करूं तो 18 गांव इससे प्रभावित हैं तथा 5 से 6 हजार छोटे किसान इसमें शामिल हैं। जब हम इस बारे में अधिकारियों से चर्चा करते हैं तो इसमें एक कन्फ्यूजन आता है। यह शामलातदेह वह शामलातदेह नहीं है जो कंसोलिडेशन के समय कॉमन परपज के लिए जमीन रिजर्व की जाती है। यह वह जमीन है जो दरियाबुर्द के कारण शामलात में चली गई थी और वह वापिस मालिकों के पास आनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं आई है। इस बारे में सरकार की तरफ से वर्ष 2012 में एक पत्र सभी उपायुक्तों को लिखा गया था जिसके बाद वहां पर जो उन जमीनों की रजिस्ट्रियां हुआ करती थी, जो लोन मिला करता था या उनको जो मुआवजा मिला करता था वह भी उनको नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से उन किसानों के लिए यह बहुत बड़ी कठिनाई हो चुकी है। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार इसका सरलीकरण करे। उस पत्र में एक बात यह भी आई थी कि जो भी किसान या जो जमीन इस रिजर्व कैटेगरी से बाहर है वे सैक्शन 13–ए में कमिश्नर के पास अपना दावा कर सकते हैं। अगर मैं पिछले 10 वर्षों की बात करूं तो केवल 4 किसानों ने यह दावा किया है और 10 साल में अभी तक उनका फैसला भी नहीं हुआ है। अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं तो यह बिल्कुल सम्भव नहीं है कि हजारों किसानों को हम अपील के माध्यम से या सैक्शन 13–ए के तहत दावे करवा कर उनको रिलीफ या न्याय दे सकें इसलिए इस बारे में सरकार को जरूर कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। हाई कोर्ट की फुल बैंच ने भी जयसिंह बनाम राज्य के मामले में स्पष्ट यह बात कही है कि if land is not reserved or earmarked during consolidation for common purposes, it would not vest in the Gram Panchayat. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को और विशेष तौर पर राजस्व विभाग को यह कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर वे जरूर संज्ञान लें और इसका सरलीकरण करके ऐसी जमीनों को, इस कैटेगरी को वैरिफाई करके कोई ऐसी नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी हो जिससे उनको इकट्ठा रिलीफ

मिल सके। दूसरी बात यह है कि यमुना के साथ–साथ बाढ़ का बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है तथा सरकार का बहुत ज्यादा फंड भी इस पर खर्च होता है। नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दिल्ली से यमुनानगर तक यमुना के ऊपर एक एक्सप्रैस–वे बनाने का प्रस्ताव है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उस प्रस्ताव को आगे बढ़ायें। उससे न केवल यमुना बैल्ट की तरक्की होगी बल्कि जी.टी. रोड पर जो कंजैशन है वह भी कम होगा, तथा वहां पर जो बाढ़ का खतरा बना रहता है वह भी कम होगा। मेरी तीसरी बात यह है कि हमारे बहुत से प्रोजैक्ट ऐसे हैं जो किसी कांट्रैक्टर के डिफॉल्ट के कारण लिटिगेशन में हैं जिसके कारण हमारे करनाल जिले में भी कई महिला कॉलेजिज का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनको एक्सपेडाइट किया जाये ताकि हमारे अधूरे पड़े प्रोजैक्ट्स पूरे हो सकें। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि जो पी.पी.पी. के माध्यम से लगभग 14–15 लाख नए परिवारों को चिन्हित करके उनको आयुष्मान की 5 लाख तक की मुफ्त ईलाज योजना तथा बी.पी.एल. की योजना का लाभ देने का काम किया है। धन्यवाद।

श्री सुधीर सिंगला(गुड़गांव): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब कोई बाहर का व्यक्ति हमें यह कहता है कि आपके हरियाणा में तो एक मजबूत और ईमानदार सरकार काम कर रही है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के आज हमारी सरकार सभी के साथ समान अधिकारों के साथ मजबूती से काम कर रही है। दुनियाभर की योजनाएं और नौकरियों में पारदर्शिता तथा अंत्योदय का भाव मनोहर सरकार की जीत है इसीलिए सरकारी नौकरी में सिलैक्ट हुआ गांव का आदमी कहता है कि मनोहर सरकार ईमानदार सरकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि गुरूग्राम में अत्याधुनिक अस्पताल जिसकी बिल्डिंग टूट गई है उसका यथाशीघ्र शिलान्यास करके काम शुरू करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों भारत के एक बहुत बड़े अखबार समूह द्वारा हरियाणा में सड़क सुरक्षा को लेकर एक महाअभियान चलाया गया था जिसमें जन प्रतिनिधियों के साथ हर क्षेत्र के विशेष लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई है और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम

किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस स्थापित अखबार समूह के द्वारा प्रदेश के 22 जिलों में लगभग 6500 किलोमीटर प्रमुख सड़कों पर सड़क विशेषज्ञों के साथ मिलकर सर्वे किया गया और इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार आप सभी को हैरानी होगी कि 218 प्रमुख सड़कों पर 255 बोटल नैक हैं और 377 दुर्घटनाएं संभावित क्षेत्र हैं, 1013 अवैध कट हैं, 104 जगहों पर सड़कों पर रोशनी नहीं है और 725 जगहों पर सड़कों की डिजाइन में कमी है। अध्यक्ष महोदय, वाकई यह बहुत चौकाने वाला आंकड़ा है। अगर यह आंकड़ा वास्तविक है तो हमें इस पर सचेत होकर कुछ काम करने की आवश्यकता है क्योंकि हर साल हरियाणा में 5 हजार से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठते हैं जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बात को लेकर एक वैज्ञानिक टीम गठित करें और वास्तविकता का पता लगाकर सही दिशा में काम करें। अध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि कम से कम कीमत पर अच्छे से अच्छा मकान बना सके लेकिन हर कोई जमीन और मकान को खरीदने की बारीकियों को समझ नहीं पाता है और वह अधिकृत और अनाधिकृत कॉलोनी के अन्तर को समझ नहीं पाता है। इसी कारण कई बार कुछ लोग अपनी जीवन की पूंजी से मकान तो बना लेते हैं परन्तु उन्हें बाद में पता चलता है कि वह कॉलोनी अनाधिकृत है। कमोवेश यही स्थिति 300 मीटर में रह रहे लोगों की भी है। वे लोग बिजली का प्रयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको हम बिजली का मीटर नहीं दे सकते और वे मजबूर होकर यहां–वहां से बिजली लेते हैं और वे बिजली चोरी के जुर्म में पकड़े जाते हैं। मैं मानता हूं कि उनसे गलती हुई है लेकिन वे मजबूरी में ऐसा करते हैं। वहां हमें कहीं न कहीं मानवीय संवेदनाओं के साथ उनकी मदद करनी होगी और इसका कोई सार्थक हल निकालना होगा जिससे वे भी अपना गुजर बसर कर सके। अध्यक्ष महोदय, पहले से 900 मीटर में बने हुए मकानों की तोड़फोड़ पर रोक के बावजूद भी कई बार निगम के अधिकारियों द्वारा उन लोगों को सताया जाता है और निगम के अधिकारी कभी भी उनके मकानों में तोड़ फोड़ करने पहुंच जाते हैं। इस पर भी रोकथाम लगनी चाहिए। जैसे पिछली बार भी मैंने सदन में अपनी बात रखी थी कि गुरूग्राम में वायु सेना के आयुद्ध डिपो बहुत पुराने समय से हैं परंतु बदलते समय के साथ शहरीकरण की वजह से पहले उसके आस पास की जो जगह खाली पड़ी थी वह अब भर गई है जिसकी वजह से आयुद्ध डिपो के आस पास तोड़ फोड़ चलती रहती है और यह मामला काफी पुराना है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा

कि वायुसेना के प्रतिबंधित दायरे को लेकर माननीय अदालत का जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक इस समस्या को सुलझाने का एक्शन प्लान बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ हमारे जिले का नाम गुड़गांव से गुरूग्राम हुए कई साल गुजर चुके हैं किंतु अभी तक गुरूग्राम रेलवे स्टेशन का नाम गुड़गांव ही है और गुरूग्राम विधान सभा का नाम भी गुड़गांव ही है। हमारी सरकार को गुरूग्राम रेलवे स्टेशन का नाम गुड़गांव से ठीक कराकर गुरूग्राम करवाना चाहिए और जिले की भांति गुड़गांव विधान सभा का नाम भी गुरूग्राम करना चाहिए। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री भव्य बिश्नोई (आदमपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे आदमपुर हल्के के अंतर्गत आने वाले गावं पीरांवाली, धनडूर, बीड बबरान के साथ–साथ बीड़ हिसार के पांचों गावों को जल्द से जल्द मालिकाना हक दिलवाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इन गांवों को तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1955 में बसाने का काम किया था। स्वतंत्रता सेनानियों को 100–100 कनाल जमीन और मुजाहिरों को 50–50 कनाल जमीन दी गई थी और आज यहां पर 25 हजार से ज्यादा लोग बसे हुए हैं तथा यहां पर रहने वाले सभी बाशिंदों को स्कूल, अस्पताल, पक्की गलियां और बिजली कनैक्शन आदि सभी प्रकार की सुविधायें मिली हुई हैं। लंबे अरसे से यहां के लोग अपने आशियानों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके इन लोगों को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री और युग पुरूष स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान यहां पर प्लॉट काटकर, इन लोगों को देने का काम किया था। इसके बाद कई सरकारें आई और गई। कईं मुख्यमंत्री आए और चले गए लेकिन इन लोगों की किसी ने सुध तक नहीं ली। मैं आज इस महान सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने न केवल इन गावों में रहने वाले ग्रामवासियों की बातों को सुना बल्कि अपना पूरा समय देकर उनकी बातों को समझने का भी काम किया और आश्वासन दिया कि उनको जल्द से जल्द मालिकाना हक दिलाने का काम किया जायेगा। 20 और 21 नवम्बर, 2022 को यहां का ड्रोन से सर्वे भी हुआ था और यही नहीं इस सारे क्षेत्र की पैमाइश तक भी हो चुकी है लेकिन इसके आगे कार्रवाई नहीं हुई है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री

जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे तुरंत प्रभाव से इन ग्रामीणों की जायज मांगों को पूरा करने का काम करें और साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा–निर्देश देने का भी काम करें। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदा–सदा के लिए इन लोगों के दिलों में बसेंगे और ऐसा करके एक तरह से इतिहास लिखने का ही काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं एक–दो विषयों पर बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करना चाहूंगा। आदमपुर हल्के में बालसमंद गांव के अंदर जो महिला कालेज की जमीन पर कब्जा था उसको हटाकर हमारी जन–हितैषी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके लिए समस्त आदमपुरवासी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आभारी हैं लेकिन साथ ही मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस जमीन पर यह कालेज प्रस्तावित है, वहां पर जल्द से जल्द इस कालेज का निर्माण कार्य शुरू किया जाये। इसके साथ–साथ आदमपुर की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस कालेज का नाम युगपुरूष स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के नाम से रखा जाये क्योंकि यदि हम आधुनिक हरियाणा और शिक्षा की बात करें या फिर महिला उत्थान की बात करें तो स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता है और विशेष रूप से अगर हम हिसार और आदमपुर की चर्चा करें तो स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का नाम दिलो–दिमाग में सहज ही आ जाता है। इन बातों के मद्देनज़र मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस कालेज को खोलने का काम करे तथा इस कालेज का नाम युग पुरूष स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के नाम से रखने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक अन्य मुद्दा सदन में रखना चाहूंगा। आदमपुर और बालसमंद गांव में किसानों की वर्ष 2020 में खराब फसलों का मुआवजा देने की घोषणा, हमारी सरकार ने की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 58 करोड़ 34 लाख 15 हजार 5 सौ रूपये की मुआवजा राशि जिला प्रशासन के खाते में डाली हुई है लेकिन अभी तक यह राशि हमारे किसानों को नहीं मिल पाई है और इसके लिए बहुत लंबा और जायज संघर्ष हमारे किसानों का चलता आ रहा है। ये किसान आज भी दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब ये किसान अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाया जाता है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द यह मुआवजा राशि इन किसानों को देने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के सभी विधान

सभा हल्कों के मुकाबले में आदमपुर में सबसे ज्यादा ढाणियां भी हैं और यहां लगभग सभी ढाणियों और गावों में बिजली और खालों की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहां बहुत छोटी जमीन के किसान हैं और ये किसान बहुत कम जमीन पर अपनी गुजर–बसर कर रहे हैं और कई किसान ऐसे भी है जोकि ठेके पर जमीन लेकर खेती करने का काम करते हैं। ऐसी अवस्था में ये किसान बिजली या खाद वगैरह पर ज्यादा खर्च करने में असमर्थ हैं अतः मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे आदमपुर की ढाणियों की बिजली से संबंधित जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें। 6 सितम्बर, 2022 को उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से टाउन हाल में मीटिंग रखी थी जहां पर हमारे आदमपुरवासियों ने अपनी–अपनी मांगे रखी थी। इन सभी मांगों की सारी सूची वहां के अधिकारियों के पास है। मैं खुद इस सिलसिले में अधिकारियों के पास गया। यही नहीं जनता की समस्याओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाने वाली मेरी टीम के सदस्य भी अधिकारियों से जाकर मिले लेकिन इसके अभी तक कोई सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिले है। अतः इस तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन आपने मुझे बोलने से रोकने के लिए जो घंटी बजाई है, के ध्यानार्थ मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मपाल गौंदर (नीलोखेड़ी): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक ही नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार भी है, विकास पुरूष भी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है। यह बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021 में पंचायतों की जमीन की बोली हुई थी तो उस बोली से प्राप्त राशि का शायद 20 प्रतिशत भाग ही किसी गांव के विकास कार्यों में लगा होगा लेकिन वर्ष 2022 में पंचायती जमीन की जो बोली हुई है, उससे प्राप्त राशि का एक रूपया भी किसी गांव के विकास कार्यों पर खर्च नहीं हुआ है। वास्तव में यह राशि पंचायतों के खातों में पहुंची ही नहीं है। यही नहीं बी.डी.ओ. आफिस से भी गांव के विकास के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, दो साल से तो वैसे ही पंचायतें अस्तित्व में नहीं थी और न ही सरपंच थे तो ऐसी स्थिति में सिर्फ बी.डी.ओ. आफिस ही जानता है कि वह राशि कहां गई। अतः मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि कि जो यह घोटाला हुआ है, इस घोटाले के संदर्भ में मेरी विधान सभा के नीलोखेड़ी, निसिंग

और चिड़ाव ब्लॉक का ब्यौरा लेने का काम किया जाये और पूछा जाये कि यह राशि कहां चली गई और यही नहीं यदि बी.डी.ओ. आफिस कामों की गिनती करवाने लग जाये तो उन कामों को भी जरूर चैक करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि यहां गावों में कूड़े के ढेर पड़े थे और नालियां गंदगी से भरी पड़ी थी। चुनाव के बाद जो नए सरपंच आये हैं उन्होंने ही इसका निवारण करने का काम किया हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि पंचायती जमीन की बोली का जो पैसा होता है, वह गांव का ही होता है, अतः इस पैसे को बिना कोई टैंडर किए पंचायत या सरपंच को ही खर्च करने का अधिकार दिया जाये और बी.डी.ओ. आफिस की इसमें कोई दखलअंदाजी न हो। अध्यक्ष महोदय, गांव के विकास में अनेक प्रकार के बिल्डिंग मैटीरियल का प्रयोग होता है। टाइल, ग्रिल, दरवाजें व खिड़कियों से संबंधित मैटीरियल का असली स्वामी बी.डी.ओ. आफिस ही होता है जिसमें एक बहुत लंबा प्रोसैस लगता है। अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि बगैर टैंडर के 30 लाख रूपये तक की राशि सरपंचों को ही खर्चने का अधिकार दिया जाये क्योंकि देखने में आया है कि पिछले दो साल से 20–20 लाख के जो टैंडर है वे अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नीलोखेड़ी की अनाज मण्डी के बारे में चार वर्ष पहले दिनांक 17.09.2018 को घोषणा की थी कि यह मण्डी मनक माजरा में शिफ्ट होगी। अध्यक्ष महोदय, पुजम व मनक माजरा के बीच 100–100 गज के बाड़ों का इशू है, इस इशू को दूर करवाया जाये क्योंकि मैं इसके लिये दो–अढाई वर्षों से चक्कर काट रहा हूँ। अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया था कि टी.जी.टी. और पी.जी.टी. के बच्चे एस. सी. व बी.सी. समाज में बहुत कम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि संबंधित विभागों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गलत आंकड़े दिये हैं। एस.सी. और बी.सी. एक बहुत बड़ा समाज है। अध्यक्ष महोदय, टी.जी.टी. और पी.जी.टी. में एस.सी. व बी.सी. वर्ग को रिजर्वेशन के हिसाब से उनका हक मिलना चाहिये। हरियाणा में आठ उप–मण्डल नये बनाये गये हैं, इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें नीलोखेड़ी का उप–मण्डल भी शामिल है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि नीलोखेड़ी उप–मण्डल

के कार्यालय को शीघ्र चालू करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

————————

राज्य सभा के सदस्य तथा हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि आज सदन की कार्यवाही देखने के लिये श्री कृष्ण लाल पंवार, राज्य सभा सदस्य एवं हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी और सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ।

————————

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा अनुसूचित जाति आयोग, हरियाणा के अध्यक्ष का अभिनन्दन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि आज सदन की कार्यवाही देखने के लिये प्रो0 रविन्द्र बलियाला, हरियाणा के भूतपूर्व विधायक एवं चेयरपर्सन, एस.सी. कमीशन, हरियाणा भी अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी और सारे सदन की तरफ से इनका भी स्वागत करता हूँ।

————————

शून्यकाल (पुनरारम्भ)

श्री अमित सिहाग (डबवाली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह पूरा सदन नशे की समस्या से काफी वाकिफ है। मैं 14वीं विधान सभा के प्रत्येक सत्र में विशेष रूप से सिरसा जिला और डबवाली विधान सभा क्षेत्र में भयानक रूप धारण कर रही इस नशे की समस्या का उजागर करता आ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, डबवाली विधान सभा और कालांवाली विधान सभा को साथ जोड़ कर उसको जिला या पुलिस जिला बनाया जाये। जिला बनाने के लिये जो–जो मापदंड होने चाहिये, वे जिला बनने के हक में हैं। ये दोनों क्षेत्र दो प्रदेशों की सीमा से लगे हुए हैं और सिरसा जिला यहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यदि इस संबंध में प्रशासनिक मापदंड भी देखें चाहे वे गांव की बात हो, चाहे चार लाख जनसंख्या की बात हो, चाहे दो उपमण्डल की बात हो, तहसील/सब–तहसील की बात हो या फिर 80 हजार से ज्यादा हेक्टेयर रकबे की बात हो, जिला बनने के लिये सभी मापदंड पूरे होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं

लगभग दो–तीन साल पहले इसके लिये व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिला था। वर्ष 2020 के आखिर में इसके लिये कुछ सुगबुगाहट शुरू हुई, दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया। मैं यह बात मानता हूँ कि इसमें राजनीतिक कारण हैं। अगर यह जिला बन गया तो पब्लिक कहेगी कि अमित सिहाग ने इसको बनवाने का काम किया है, इसलिए शायद इसको अभी तक नहीं बनाया गया है। अब मैं आखिरी बार इस सत्र में यह मांग उठाता हूँ कि डबवाली और कालांवाली को जोड़कर जिला या पुलिस जिला बनाया जाये, वरना जन आंदोलन ही हमारे पास एकमात्र विकल्प होगा। सरकार के ऊपर सही मायने में यह प्रश्नचिन्ह भी लगेगा कि यह सरकार प्रशासनिक लड़ाई लड़ने के लिये गंभीर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चौटाला नाम को इस विधान सभा के बहुत से माननीय सदस्यगण अपने नाम के साथ लगाते हैं। चौटाला गांव से हम सभी बहुत ताकत भी लेते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह गांव बुनियादी सुविधाओं से अभी तक वंचित है। पांच–पांच संबंधित विधायकों को इसके लिये शर्मसार होना पड़ता है। चौटाला गांव का हाल ही में एक उदाहरण है कि सी.एच.सी., चौटाला गांव में तीन गर्भवती महिलाओं की मैडिकल सुविधाओं के अभाव में उनके गर्भ में ही बच्चों की मौत हो गई। उनमें से एक महिला को हरियाणा में सही ढंग से इलाज न मिलने के कारण जयपुर में भर्ती होना पड़ा है और देरी की वजह से वह वहां भी मौत के कगार पर खड़ी है। वहां पर लोगों को धरने पर बैठे हुए 21 दिन से ज्यादा हो चुके हैं । उनकी मृत्यु का डॉक्टर चाहे कुछ भी कारण बताये लेकिन सही मायने में कारण यह है कि वी.वी.आई.पी. गांव चौटाला का वह अस्पताल मरीजों को केवल रैफर करने का एक अड्डा बनकर रह गया है । वह अस्पताल सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है । वहां पर न रेडियोग्राफर है, न गायनेकोलोजिस्ट है, न पीडियाट्रिशियन है, न एक्स–रे करने की मशीन है । वहां पर मैडिकल ऑफिसर्ज एवं लैब टैक्नीशियंज की भारी किल्लत है । यह तो उस वी.वी.आई.पी. गांव के अस्पताल की हालत है । जब मैंने इसे और खंगालकर देखा तो पाया कि अकेले सिरसा जिले में 400 से अधिक मौतें हो चुकी हैं । मैं तो कहूंगा कि सभी विधायक अपने–अपने क्षेत्र में इस ओर देखने का काम करें क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है । इस मांग के विषय में मैं डी.जी., हैल्थ के पास भी गया था और उन्होंने मेरी बात को सैंसटिवली सुना था । मैं मानता हूं कि जब तक सरकार गम्भीर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा । अतः मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच करवाने की आवश्यकता है । इसके साथ–साथ मैं कहना चाहूंगा कि

चौटाला गांव के कई व्यक्ति आज सत्ता पक्ष के विधायक हैं । अतः वे चौटाला गांव की कमियों को पूरा करवाने का काम अवश्य करें । मैं मानता हूं कि यह काम मुश्किल है । मुझे हैल्थ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि उस अस्पताल में रेडियोलॉजी की मशीन को भेज दिया जाएगा । इस बात को लगभग 2 साल हो चुके हैं लेकिन उनका दिया हुआ यह आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ है । मुझे उनके दिए हुए इस आश्वासन के पूरा होने की संभावना तो कम लगती है लेकिन अगर सरकार मूलभूत मुद्दों पर सेंसटिविटी दिखाएगी तो हम इन कमियों को पूरा करवा सकते हैं । धन्यवाद । जय हिन्द ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला (बाढड़ा) : धन्यवाद अध्यक्ष जी । बाढड़ा को नगर पालिका से हटाकर ग्राम पंचायत का दर्जा देने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऊन नाम से एक गांव है । मेरी आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि उस गांव के राजकीय मिडिल स्कूल को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड किया जाए । इस संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उन्होंने मुझे इसका जवाब भी दिया था । उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि वह स्कूल कुछ नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करता है । **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि महेन्द्रगढ़ के गांव ढरोली अहीर, गांव बलाना और गांव खरोली के स्कूलों में विद्यार्थियों की स्ट्रैंग्थ काफी कम थी लेकिन अपग्रेड होने के बाद इन स्कूलों ने विद्यार्थियों की स्ट्रैंग्थ पूरी कर ली । ऊन गांव के 250 से भी अधिक विद्यार्थी पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं । अगर इस स्कूल को 8वीं कक्षा से अपग्रेड करके 12वीं कक्षा तक कर दिया जाए तो मैं वादा करती हूं कि दूसरे गांव में पढ़ने वाले सभी बच्चे इस गांव के स्कूल में एडमिशन ले लेंगे । इसके अलावा बाढड़ा विधान सभा क्षेत्र में लोग ड्रिप इरीगेशन करते हैं । वहां पर कोई बहुत बड़े किसान नहीं हैं । वहां पर खेती के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है । वहां के किसानों ने वर्ष 2018 से पहले ट्यूबवैल्ज हेतु पावर कनैक्शन के लिए अप्लाई करके पैसे दिये थे । वहां पर 25 किसान तो ऐसे हैं जिनके ट्यूबवैल्ज के लिए मोटरें आई हुई हैं और अधिकारियों के ऑफिस में पड़ी हैं लेकिन अधिकारी उनको लगवा नहीं रहे हैं । कल मेरी माननीय बिजली मंत्री जी से बात हुई थी । उन्होंने अधिकारियों से कहा भी था लेकिन मैं चेयर के माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में पुनः यह बात लाना चाहती हूं कि हमारे आग्रह पर बाढड़ा हल्के के बाढड़ा, कादमा और डाढी

बाना गांवों के लिए 10 एम.वी.ए. क्षमता के ट्रांसफार्मर्ज को सरकार ने भेजा हुआ है । पिछले 6 महीने से वे ट्रांसफार्मर्ज बाहर पड़े हैं लेकिन अधिकारी उनको लगवाने का काम नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव चिड़िया, नौसवां, मकड़ाना, मकड़ानी, छिल्लर, आदमपुर डाढ़ी, बलाली, घसौला, मंदौला, मंदौली, बलकरा, नौरंगाबास गांवों में पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है । मेरा तो मन करता है कि मैं संतोखपुरा गांव का पीने का पानी एक बार विधान सभा में लाकर सभी को दिखाऊँ । उस पानी से सल्फर की बदबू आती है । वह पानी इतना ज्यादा गन्दा है कि उसको पीने की बात तो दूर वह पानी एक फुट दूर से भी गन्दी बदबू मारता है । मेरा कहना है कि मैहड़ा और सिरसाली गांवों में जिस तरह का वाटर प्रोजैक्ट दिया गया है उसी तरह का एक वाटर प्रोजैक्ट इन गांवों में भी देने का काम किया जाए । मैहड़ा गांव का वाटर प्रोजैक्ट बहुत बड़ा है और बनकर तैयार हो चुका है । इस समय माननीय बिजली मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहती हूं कि उस प्रोजैक्ट को पावर कनैक्शन नहीं दिया जा रहा है । सिर्फ पावर कनैक्शन न मिलने की वजह से लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिल रही है । अतः उसको पावर कनैक्शन देने का काम अवश्य किया जाए । (विघ्न)

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि उस वाटर प्रोजैक्ट को पावर कनैक्शन दे दिया जाएगा ।

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कल भी मेरी माननीय बिजली मंत्री जी से बात हुई थी और इन्होंने उस दौरान आश्वासन भी दिया है और अब भी आश्वासन दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहूंगी कि आप इस आश्वासन को 1 महीने के अन्दर ही पूरा करवा दें। माननीय सदस्यगण अपने– अपने क्वैश्चंज लगाते हैं कि उनके संबंधित काम हो जाएं, लेकिन काम होने के बाद संबंधित चीजें अधिकारियों के पास ही पैंडिंग रह जाती हैं। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि संबंधित चीजें आगे वर्किंग नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि बाढड़ा के गवर्नमैंट कॉलेज में एम.एस.सीज. की सीट्स बढ़ा दी जाएं। उन्होंने पिछली बार आग्रह करने के बाद संबंधित सीट्स बढ़ा दी थी। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर 50 लड़कियां आज भी इस बात का इन्तजार कर रही हैं कि अगर

वहां पर एम.एस.सीज. की सीट्स बढा दी जाएं तो वे संबंधित कॉलेज में एडमिशन ले लेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वहां पर बसों की बहुत ज्यादा कमी की समस्या के बारे में भी बताना चाहूंगी कि जब वहां पर लड़कियां बसों में बैठकर पढने के लिए जाती हैं तो लड़कों द्वारा उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अगर आप संबंधित वीडियो देख लेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि वहां पर बसें भेजें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वहां पर बसें भरी होने के कारण लड़कों द्वारा लड़कियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, इसलिए मैं माननीय परिवहन मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि वहां पर बसें भेजने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने बिजाई सीजन में देखा कि अखबारों में खबरें छपी कि प्रदेश में यूरिया और डी.ए.पी. की बहुत जबरदस्त किल्लत है। इस दौरान दादरी जिले में ये हालात थे कि यूरिया और डी.ए.पी. लेने वालों की लम्बी– लम्बी लाईंज लगी हुई थी और उनको पुलिस के द्वारा रफा–दफा किया जा रहा था। माननीय मंत्री जी अपने रिप्लाई में बताते हैं कि यूरिया और डी.ए.पी. की कोई कमी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब यूरिया और डी.ए.पी. की कोई कमी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि सरकार कालाबाजारी करवा रही है। चूंकि कालाबाजारी हो रही होगी तभी लोग यूरिया और डी.ए.पी. लेने के लिए लाईंज में लगे हुए थे। अगर यूरिया और डी.ए.पी. की कमी नहीं है और लोग उसको लेने के लिए लाईंज में लगे हुए हैं फिर भी उनको यूरिया और डी.ए.पी. नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या है ? दूसरी बात यह है कि बाजरे की एम.एस.पी. 2350/– रुपये प्रति क्विंटल थी लेकिन हैफेड द्वारा 1850–60 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया है। हमारा हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि क्या इस भाव के गैप को 'भावांतर भरपाई योजना' के तहत पूरा किया जाएगा या नहीं? इसके अलावा लम्पी की बीमारी ने बहुत ही जबरदस्त प्रकोप किया है जिसके कारण हरियाणा प्रदेश की कैटल्ज बर्बाद हो गयी, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं की है और न ही उनको कोई कम्पन्सेशन दी गयी है। इसके साथ ही साथ शुगरकेन के पैसे बढाने के लिए भी

किसानों ने सरकार से अनुरोध किया है कि इसको 450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाए। पंजाब ने अपने राज्य में शुगरकेन का रेट 80 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया है। जब हमारे बगल के पंजाब राज्य ने शुगरकेन का भाव बढ़ा दिया है तो मैं कहना चाहूंगी कि इस मामले में पंजाब राज्य हमारे राज्य से आगे क्यों रहे ? इसलिए हमारे यहां पर भी शुगरकेन का भाव बढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। उपाध्यक्ष माहेदय, मैं इसके अतिरिक्त माननीय बिजली मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि नॉन एनर्जी चार्जिज को एडजैस्ट करें। अब जो फोर्थकमिंग नये बिल्ज आएंगे उनमें संबंधित नॉन एनर्जी चार्जिज को एडजैस्ट कर दें। आप इनको सिक्योरिटी चार्जिज की तरह इस्तेमाल न करें। चूंकि इलैक्ट्रिक मैन्युअल में लिखा हुआ है कि non energy charges should be levied. आज हमारे प्रदेश के बहुत से बच्चे सदन की कार्यवाही देखने आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कॉमन इलिजिब्लिटी टैस्ट की बात करना चाहूंगी। सरकार ने कॉमन इलिजिब्लिटी टैस्ट लेना शुरू किया है और उस टैस्ट को केवल 3 साल तक ही मान्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगी कि इस कॉमन इलिजिब्लिटी टैस्ट के जरिए जो इलिजिब्लिटी का क्रॉइटेरिया फिक्स होता है उसको हर साल के लिए कर दिया जाए तो उसमें सभी बच्चे भाग ले सकेंगे। इसमें जो 3 साल तक मान्य करने की अवधि रखी हुई है उसमें कुछ बच्चे संबंधित टैस्ट देने से छूट गये और जो बच्चे किसी कारण से टैस्ट नहीं दे पाए तो वे इन 3 सालों तक क्या करेंगे ? वे तो 3 साल तक बेकार बैठे रह गये और हरियाणा सरकार की किसी भी नौकरी में वे भाग नहीं ले सकेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह बात बच्चों के फायदे के लिए है। आज हमारा प्रदेश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। हमारे नौजवान बच्चे हताश हो रहे हैं क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उनको नौकरियां न मिलने के कारण उनकी शादियां नहीं होती है। हालात यह हो गये हैं कि इससे समाज का पूरा ताना–बाना बिगड़ता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार इस पर जरूर संज्ञान ले। यह बहुत जरूरी बात है। इसके साथ ही साथ मैंने मेरे हल्के की 17 सड़कों के बारे में माननीय पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) मंत्री जी को लिखकर दिया हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इनको जल्दी ठीक करवा दें। सरकार ने रोडज की मैंटीनैंस के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है, इसलिए इस प्रावधान से यह काम जल्दी करवा दें। इसके अतिरिक्त 16 मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों को भी जल्दी ठीक करवा दें। उपाध्यक्ष

महोदय, मैंने आपको स्टेडियम के बारे में लिखकर भेजा था आज हमारे हरियाणा प्रदेश में नौजवान बच्चे हैं। We have a nursery of people so why we should not give them this thing. मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह स्टेडियम हमारे खिलाड़ियों के लिए बना दिया जाये ताकि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन कर पायें। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों बहुत ही खतरनाक बरसात हुई थी जिसमें नारनौंद विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांव तबाह हो गये थे और सभी के सभी ट्यूबवैल डूब गये थे, मकानों में तरेड़ आ गई थी, जिसकी वजह से मकान खराब हो गये थे और बहुत सी फसलें भी खराब हो गई थी। जिसके कारण हमारे बहुत से गांवों में विशेष तौर पर गांव बुराना, सिंहवाड़ा, मिलकपुर, मिर्चपुर और खरबला और राखी आदि में किसानों की गवार की फसल भी नहीं हो पाई थी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इन गांवों के किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाये ताकि जिस किसान को इस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वह ठीक से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दूसरा आज के दिन हमारी सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़कों को ठीक करने के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया था। मैंने अपने हल्के के संबंधित एक्सीयन से पूछा कि नारनौंद में सड़कों की हालत को ठीक करने के लिए कितने पैसे लगेंगे? इसके साथ ही साथ मैं सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि कैप्टन अभिमन्यु के समय में नारनौंद में सड़कें बनते–बनते ही टूट गई थी। हांसी से जींद तक के एरिया में और राजस्थल तक सड़क बनाई गई थी लेकिन इससे आगे सड़क ही नहीं बनाई गई थी। अब वहां पर यह हालात हो गई है कि नारनौंद गांव में भी बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं जिसके कारण गांवों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। मैंने संबंधित एक्सीयन से पूछा कि इन सड़कों की हालत कब तक और कितने पैसों में ठीक हो जायेगी तो उसने बताया कि 35 करोड़ रुपये में तो सिर्फ गांव के अंदर की सड़कों को छोड़कर बाकी की सड़कें ही ठीक हो पायेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में श्री दुष्यंत चौटाला जी बैठे हैं और मुझे हल्के में इनसे बात करने का मौका नहीं मिलता है इसलिए मैं सदन में ही अपनी बात कहना चाहता हूं क्योंकि यह इनका भी हल्का पड़ता है और वहां पर दोनों बाबू बेटे यह बात कहकर आये थे कि हम नारनौंद हल्के को संभालेंगे। इसमें मेरा कहना यही है कि अब आप

नारनौंद हल्के को संभाल लो क्योंकि नारनौंद की सड़कें बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं। अगर नारनौंद को संभाल सकते हैं तो संभाल लें। जहां तक नारनौंद बाईपास की बात है तो हमारी बहुत पुरानी मांग थी और इस बाईपास को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाने की मंजूरी भी दी थी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि पूरे नारनौंद की सड़कों को बनाने का काम किया जाये। जहां से सड़कें बनाना चाहता है वहां से बना ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तीसरी बात यह है कि हमारे नारनौंद के अस्पतालों में डॉक्टरों की 72 पोस्टें मंजूर की गई थी और इसमें से 27 डॉक्टर्स ही लगे हुए हैं। अभी भी डॉक्टर्स की 45 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। आज के दिन अस्पतालों की हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। नारनौंद में सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें एक्सरे की मशीन पड़ी हुई है लेकिन वहां के मरीज बाहर से एक्सरा करवा कर लाते हैं क्योंकि मशीन को चलाने वाला स्टाफ नहीं है। वहां पर न ही आंखों का डॉक्टर है और न ही डॉक्टर का कोई अस्सिटैंट नियुक्त कर रखा है। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि हरियाणा में मेडिकल छात्रों ने 50 लाख रुपये के बांड पॉलिसी के विरोध में हड़ताल कर रखी थी। उसके बाद सरकार ने बांड पॉलिसी में बदलाव करके 40 लाख रुपये तक कर दिया था लेकिन उसके बाद मेडिकल छात्र इस बात से सहमत नहीं हुए तो सरकार ने फिर बांड पॉलिसी में बदलाव किया और इसको 30 लाख रुपये तक कर दिया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि प्रदेश में बहुत ज्यादा डॉक्टर बेरोजगार घूम रहे हैं इसलिए डॉक्टरों की सभी की सभी पोस्टें भर दी जायें। अकेले नारनौंद हल्के में डॉक्टरों की 45 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और गांव बास की आबादी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सिसाय और नारनौंद गांव की भी आबादी बहुत ज्यादा हैं। इनमें सिर्फ एक डॉक्टर लगा रखा है। पुठी गांव की भी बहुत ज्यादा आबादी है, वहां डॉक्टर्स और स्टाफ भी उपलब्ध न होने के कारण वहां के मरीजों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। जो अस्पताल बना हुआ है उसकी बिल्डिंग भी खत्म हो चुकी है क्योंकि इसकी दीवारें टूटी पड़ी हुई हैं। खेड़ी चौपटा गांव और गांव बास में सी.एच.सी. बनाने का काम करें। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने अपनी बात कहनी शुरू ही की थी।

श्री उपाध्यक्ष : गौतम जी, सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए 4–4 मिनट का समय दिया गया है।

श्री राम कुमार गौतम : उपाध्यक्ष महोदय, कई ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें 70 परसैंट से भी फालतू रिजर्वेशन का लाभ लोग ले रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में भी हुड्डा साहब के कार्यकाल में एक बार करीबन 70 परसैंट रिजर्वेशन हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : गौतम जी, सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए 4–4 मिनट का समय दिया है और आपको बोलते हुए 4:15 मिनट हो गए हैं इसलिए आप अपनी स्पीच लिखित में दे दो ताकि उसको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया जा सके।

श्री राम कुमार गौतम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात जल्दी ही खत्म करूंगा। मैं इस विषय से संबंधित यही कहना चाहूंगा कि 10–10 परसैंट रिजर्वेशन और बढ़ा दी जाये लेकिन सरकार कह रही है कि हमने ई.डब्ल्यू.एस सर्टिफिकेट बना दिया है इसलिए इसमें मेरा यही कहना है हमें ई.डब्ल्यू.एस सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं है और यह हमारे किसी काम का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अतिरिक्त यह भी बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा लागू किया गया कॉमन इलिजिबिलिटी टैस्ट बिल्कुल घातक कदम है। क्या सरकार इससे यह चाह रही है कि दूसरी पार्टी जल्दी से सत्ता में आ जाए क्योंकि इसमें जो भी युवा रह जाएगा वह सरकार को वोट नहीं देगा। इसके अलावा जिनकी ओल्ड एज पेंशन कट गई है सरकार उनको भी पेंशन देने का काम करे।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज आप बैठ जाएं और आपकी जो भी समस्याएं हैं, वे आप लिखकर के दे दीजिए।

श्री दुड़ा राम (फतेहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से फतेहाबाद जिला हेडक्वॉर्टर में कॉलेज देने के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। सरकार ने फतेहाबाद जिला हेडक्वॉर्टर पर कॉलेज के लिए जगह देने के बारे में लैटर लिखा है। इस संबंध में मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मताना गांव में जे.बी.टी. स्कूल, डाइट की बिल्डिंग व 10 एकड़ जमीन है, ये बिल्डिंग और 10 एकड़ जमीन भी काम आ जाएगी, इसलिए आप फतेहाबाद जिला हेडक्वॉर्टर पर कॉलेज बनाने की घोषणा करें। यहां पर पूरे जिले से बच्चे पढ़ने आते हैं, मैंने यह विषय पिछले सैशन में भी उठाया था, लेकिन अब सरकार आने वाले सैशन से पहले जरूर कॉलेज बनाने की घोषणा करे। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि बरसात के समय फतेहाबाद हल्के में बहुत नुकसान हुआ इसमें खासकर भुना के अन्दर अनाज मंडी व दुकानों में पानी भरने से बड़ा भारी नुकसान हुआ, इसलिए मैं नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग करना चाहूंगा तथा मेरे हल्के में बरसात

के समय में 15–20 गांवों में भी पानी भरने से जिन किसानों को नुकसान हुआ है, सरकार उनको भी मुआवजा देने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से एक निवेदन यह भी है कि सरकार की खालें बनाने की 20 वर्ष की पॉलिसी है लेकिन मेरे हल्के में जितने भी खालें बने हुए हैं, वे लगभग टूटे हुए हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि खालें बनाने की 20 वर्ष की पॉलिसी को बदलकर 10 वर्ष की पॉलिसी लाई जाए और नए खालों का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि हिसार, फतेहाबाद तथा सिरसा जिले में लगभग सभी खालें टूटे हुए हैं, जिससे पानी की बहुत दिक्कत होती है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं फतेहाबाद की दो सड़कों का जिक्र करना चाहूंगा जिनमें पहली सड़क फतेहाबाद के मिनी बाईपास की है, जो बहुत पहले की बनी हुई है इसको चौड़ा किया जाना जरूरी है, क्योंकि इस पर बहुत ट्रैफिक हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी सड़क धांगड़ से लेकर दरियापुर गांव तक जाती है। यहां पर बाईपास भी बना हुआ है, लेकिन अन्दर से यह सड़क सिंगल होने के कारण बड़ी दिक्कत आती है, इसके लिए मैं डिप्टी सी.एम. साहब से निवेदन करूंगा कि इस सड़क को फोरलेन बनाया जाए जिससे लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद हल्के के काफी गांवों में सेम की बड़ी समस्या है जिसके कारण पिछले सीजन में भी बिजाई नहीं हुई और आने वाले सीजन में भी बिजाई होने के आसार नहीं लग रहे हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां सेम की समस्या के कारण बिजाई नहीं हुई, वहां पर मुआवजा दिया जाए तथा सरकार द्वारा सेम की समस्या से परमानैंट रूप से निजात दिलाने के प्रबंध किए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में 5 कदम और 6 कदम के काफी सारे रास्ते कच्चे पड़े हैं, मेरी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आने वाले बजट में जितने भी 5 या 6 कदम के रास्ते हैं उन सभी को पक्का करने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अगला विषय जिस पर माननीय सदस्य भव्य विश्नोई ने भी प्रश्न उठाया था कि हिसार तथा फतेहाबाद जिले के खेतों में, ढाणियों में जो लोग रहते हैं उनको ट्यूबवैल कनैक्शन पर केवल 8 घंटे बिजली मिलती है, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इन लोगों के ट्यूबवैल्ज की बिजली कनैक्शन से हटाकर गांव की लाइन के साथ जोड़ा जाए जिससे खेतों या ढाणियों में रहने वाले लोगों को भी 24 घंटे बिजली मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह मामला सदन में पहले भी उठाया था कि खेतों में रहने वाले लोगों को गांव की लाइन के साथ जोड़ा जाए ताकि इन्हें भी 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज आप बैठ जाएं और जो भी आपकी समस्याएं है वे आप लिखकर के दे दीजिए।

राव चिरंजीव (रिवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह विषय लाना चाहूंगा कि पिछले दिनों अहीर रैजीमैंट के लिए बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक मार्च कर रहे थे उस दौरान जिस तरह से पुलिस द्वारा उनके ऊपर बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया मैं उसकी घोर निंदा करता हूं एवं जिन अधिकारियों ने यह किया उनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग करता हूं। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मानेसर गांव में करीबन 1810 एकड़ जमीन है जिनके अंदर कासन, सेरावल और काकड़ोला गांव शामिल हैं। वहां पिछले 190 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी को उनकी बात को जल्दी से जल्दी सुनना चाहिए। पिछले दिनों राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस दौरान हमारा मेवात के अंदर जाना हुआ और वहां के स्टूडैंट्स से हमारी मुलाकात हुई। शहीद हसन खान गवर्नमैंट मैडीकल कॉलेज, मेवात के स्टूडैंट्स ने यह बात रखी कि वहां पर जो लोगों के लिए फैसिलिटीज हैं वे बहुत ही कम हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा दो सत्र पहले यह आश्वासन दिया गया था कि हमारे रेवाड़ी के अंदर धारूहेड़ा और रेवाड़ी के बस स्टैंण्ड्स के निर्माण कार्य की शुरूआत हो जायेगी। इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी से कहना चाहूंगा कि इन दोनों बस स्टैण्ड्स का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाये। हमारे वहां पर जो भिवाड़ी से गंदा पानी धारूहेड़ा में आता है और उसकी वजह से बहुत बड़ा जाम नेशनल हाईवे के ऊपर लगता है एवं धारूहेड़ा कस्बे के जो लोग वहां पर रहते हैं उनको कैमिकलयुक्त पानी से जो असुविधा हो रही है उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहूंगा कि उसके ऊपर काम करवाया जाये। हमारे वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर्ज की बहुत ज्यादा कमी है। मेरी सरकार से मांग है कि उस कमी को भी जल्दी से जल्दी दूर किया जाये। रेवाड़ी शहर के अंदर सर्दियों के मौसम में भी एक दिन छोड़कर पानी आ रहा है। पीछे यह बात कही गई

थी कि वहां पर एडीशनल वॉटर टैंक बनाया जायेगा। इस समय इस बात को सात साल का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक भी वहां पर जो एडीशनल वॉटर टैंक बनाना था उसके लिए जगह चिन्हित भी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि उसके लिए जल्दी से जल्दी एक जगह चिन्हित की जाये ताकि जल्द से जल्द वह काम हो सके। हमारे रेवाड़ी में और खास कर धारूहेड़ा में बहुत सारे लोग पूर्वांचल के रहते हैं। उन्होंने काफी दिनों से यह मांग उठाई हुई है कि छठ पूजा के दौरान पूजा करने के लिए उनके लिए विशेष घाट रेवाड़ी बनाये जायें क्योंकि यह उनकी आस्था का पर्व है। अगर यह घाट वहां पर बनाया जायेगा तो उससे उनको भरपूर फायदा मिलेगा। आज से आठ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने मनेठी में एम्स बनाये जाने की घोषणा की थी। उसके लिए भी आज तक जगह चिन्हित नहीं हो पाई है। उसके लिए अभी तक वहां पर एक भी पत्थर नहीं लगा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस बारे भी जल्दी से जल्दी कार्यवाही शुरू की जाये ताकि जो लोग मैडीकल की सुविधा से वंचित हैं उनको जल्दी से जल्दी मैडीकल की सुविधा का फायदा मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपके बीच में रखना चाहूंगा कि जो खेड़की दौला टोल टैक्स बैरियर है उसकी वजह से आने जाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसकी वजह से बहुत ज्यादा असुविधा होती है। उस टोल टैक्स बैरियर को उठाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि मार्च के बाद अगले साल उस टोल टैक्स बैरियर को हटा दिया जायेगा लेकिन अभी एन.एच.ए. आई. की तरफ से यह स्टेटमैंट आई थी कि अभी उस टोल टैक्स बैरियर को नहीं हटाया जायेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि उस टोल टैक्स बैरियर से जो असुविधा लोगों को होती है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्य किया जाये। इसके अलावा हमारा जो रेवाड़ी शहर है वो अंधेरे के अंदर रहता है शहर के अंदर जितनी भी स्ट्रीट लाईट्स लगी हुई हैं उनमें से एक भी नहीं जलती है। इसकी ओर भी खास तौर से ध्यान दिये जाने की जरूरत है। इसके अलावा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने 5 करोड़ रूपये की बात कही थी कि क्या यह राशि हर विधायक को मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों यह कहा था कि तीन विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 5 करोड़ रूपये के कार्यों को करवाने की लिस्ट नहीं दी है। मैंने सबसे पहले उन कार्यों की लिस्ट

सरकार को दी थी लेकिन अभी तक मेरे वे 5 करोड़ रूपये के काम शुरू नहीं हो पाये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री रामकुमार कश्यप(इन्द्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात रखने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं कुछ समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बसों की कमी के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र करनाल जिले में आता है। करनाल डिपो में बसों की सैंक्शन स्ट्रैंथ 283 है और केवल 94 बसें चलन में हैं जो बहुत कम हैं जिसकी वजह से छात्र–छात्राओं तथा यात्रियों को बहुत परेशानी होती है इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाये। बसों की कमी के कारण लम्बे रूट्स की बसें भी बंद कर दी गई हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बसों की संख्या बढ़ाई जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में करनाल से गढ़ी बीरबल वाया बड़ागांव हो कर एक सड़क जाती है जिस पर बसों में बहुत भीड़ होती है जिसके कारण छात्र–छात्राओं और अन्य यात्रियों को खड़े हो कर सफर करना पड़ता है। वहां की खबर रोज अखबारों की सुर्खियों में आती है क्योंकि वहां पर एक्सीडैंट्स भी बहुत होते हैं इसलिए बसों की संख्या बढ़ाई जाये। मेरी दूसरी समस्या गांवों में सफाई कर्मियों की कमी को लेकर है। आज गांवों में सफाई कर्मियों की बहुत कमी है। सबसे पहले 2 अक्तूबर, 2007 में वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। उसके अनुसार 2000 की आबादी पर 1 सफाई कर्मी, 2000 से 5000 तक की आबादी पर 2 सफाई कर्मी नियुक्त किये गये थे। 5000 से 10000 तक की आबादी पर 4 सफाई कर्मी तथा 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में 6 सफाई कर्मी नियुक्त किये गये थे। आज वर्ष 2022 भी समाप्त हो रहा है और उस हिसाब से हमारी आबादी बहुत बढ़ चुकी है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आबादी के अनुसार सफाई कर्मियों की कमी को पूरा किया जाये। मेरी तीसरी मांग है कि मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया जाये। सरकार ने अभी अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं तथा उसके चेयरमैन श्री रविन्द्र बलियाला जी सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं मैं उनको भी बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मिट्टी कला बोर्ड जो वर्ष 2019 से बंद पड़ा है उसका दोबारा से गठन किया जाये। हमारे प्रजापति समाज के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम

करते हैं और उनकी बहुत समस्याएं हैं। अगर मिट्टी कला बोर्ड का गठन हो जायेगा तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। मेरी अगली समस्या गैर पंजीकृत डॉक्टरों को लेकर है। आज हरियाणा में लगभग 1.5 लाख अनट्रेंड डॉक्टर्स गांवों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करनाल जिले में 4230 तथा मेरे हल्के में 950 गैर पंजीकृत डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सेवाएं तो दे रहे हैं लेकिन ये निडर हो कर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जब कोरोना आया तब भी इन डॉक्टर्स ने बढ़–चढ़ कर प्रदेश के लोगों की सेवा की थी जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बच पाई थी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनको पंजीकृत करके और इनको ट्रेनिंग देकर रजिस्टर्ड कर दिया जाये ताकि ये निडर हो कर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 सितम्बर, 2017 को करनाल में हुई मीटिंग में इनको पंजीकृत करने का आश्वासन दिया था इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इनको पंजीकृत करके तथा ट्रेनिंग देकर इनको रजिस्टर्ड किया जाये ताकि ये अपनी सेवाएं निडर हो कर दे सकें। मेरी अगली समस्या जो शहरों में भी और गांवों में बहुत अधिक हो रही है वह यह है कि लोग घर बनाते हैं यह तो अच्छी बात है लेकिन घर के आगे गली में और सड़क पर रैम्प बना लेते हैं जिससे आने–जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। अगर इसको नहीं रोका गया तथा इसके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं बनाये गये तो आने वाले समय में यह बहुत गम्भीर समस्या होने वाली है तथा वाहन लेकर तो क्या गलियों से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जायेगा इसलिए इस समस्या का समाधान किया जाये। धन्यवाद।

श्री मोहन लाल बड़ौली(राई): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसान आंदोलन के बाद 16 सड़कें दोबारा से बनाई गई हैं इसके लिए मैं हरियाणा सरकार और उप–मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही साथ अभी मैंने 33 सड़कों के 25 करोड़ रुपये के ऐस्टीमेट्स भेजे हैं जिनकी कुल लम्बाई 47 किलोमीटर है जो भिन्न–भिन्न गांवों को जोड़ने वाले छोटे–छोटे टुकड़े हैं, जिनका बहुत सारे गांवों के लोगों को फायदा मिलेगा इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाये। इसके अतिरिक्त एक बेहराबाकीपुर से दहिसरा गांव की सड़क बहुत बुरी हालत में है और उसका ऐस्टीमेट्स मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से बन कर आया हुआ है इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध

करना चाहूंगा कि इस ऐस्टीमेट को जल्दी से जल्दी एप्रूव करके उसको भी बनाया जाये। इसी तरह से कुछ और सड़कें नाहरी गांव से हलालपुर, राई से राठधाना, मुरथल से नांगल खुर्द, बेहरा से दहिसरा, सफियाबाद से सबौली और नाथूपुर से प्रीतमपुरा ये 6 सड़कें भी मार्केटिंग बोर्ड की हैं और अगर ये भी बन जायें तो मेरी विधान सभा क्षेत्र के लोगों की आने–जाने की जो समस्या है वह दूर हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हम जब भी गांवों में जाते हैं तो वहां यही शिकायत सुनने को मिलती है कि जो राशन गरीब लोगों को दिया जाता है वह समय पर नहीं मिलता है क्योंकि ये राशन डिपोज पर विभाग की तरफ से हर महीने की 25 तारीख के बाद भेजने का काम किया जाता है। जब महीने के आखिर के दो या तीन दिन रह जाते हैं उस समय वह राशन गांवों में पहुंचता है और राशन डिपोज धारक लोगों को नैटवर्क की समस्या बताते हैं या मशीन पर अंगूठा काम नहीं करता है इस प्रकार की समस्या बताते हैं और वे गरीब लोग राशन लेने से वंचित रह जाते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि बड़ी सख्ती के साथ विभाग को आदेश किये जाएं कि हर महीने की 15 व 20 तारीख के बीच हर गांव में सभी डिपोज पर राशन पहुंच जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी मांग है। इसी तरह से जब भी हम गांवों में जाते हैं तो वहां यह शिकायत सुनने को मिलती है कि गांवों में गरीब लोगों को रहने के लिए जो 100–100 गज के प्लॉट दिये गये थे उनके ऊपर से हाई टैंशन बिजली की तारें पहले से ही खींची हुई है और वे गरीब लोग अपने खर्चे से उस हाई टैंशन बिजली की तारें को नहीं हटवा सकते हैं। मुझे विधायक बने तीन वर्ष का समय हो गया है लेकिन मेरी विधान सभा में अभी तक सरकार के खर्चे से कोई भी बिजली की तार नहीं हटाई गई है। मैंने ऐसी तारों को हटाने के लिए विभाग को 14 गांवों की एप्लीकेशन दी थी लेकिन अभी तक वे बिजली की लाईन नहीं हटाई गई हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उन लाईनों को हटाया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री लीला राम (कैथल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश के अतिथि अध्यापकों की मीटिंग कैथल हैडक्वार्टर पर बुलाई थी जिसमें उन अतिथि अध्यापकों ने मंत्री जी के सामने अपनी मांग रखी थी और उन्होंने हमें भी एक मैमोरैंडम दिया था। मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन अतिथि अध्यापकों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आपने उनकी कुछ समस्याओं को बड़े लैवल पर ठीक करने का काम किया

है। अब उन अतिथि अध्यापकों की थोड़ी बहुत और भी समस्या है उनको भी ठीक करने का काम करें। ठीक इसी प्रकार कैथल के ही नहीं मेरे हल्के के 40 के करीब प्राईवेट स्कूल्ज हैं जिनकी मान्यता के लिए उनको छोटे–मोटे अधिकारियों द्वारा तंग किया जाता है। मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन 38–40 स्कूल्ज की समस्या को भी जल्दी दूर करने का काम करें क्योंकि उन स्कूल्ज में लगभग 400–400, 500–500 बच्चों के दाखिले हो रखे हैं। उन बच्चों की शिक्षा में कुछ बाधा न आए इसलिए उनकी समस्या का भी जल्दी से जल्दी समाधान करने का काम जरूर करें। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सैशन में भी आप जब इस चेयर पर बैठे हुए थे उस समय भी मैंने कैथल सब्जी मण्डी का मुद्दा सदन के बीच में उठाया था जिसके लिए सरकार ने कैथल शहर में सब्जी मण्डी बनाने का वायदा भी किया था परंतु कैथल शहर बड़ा शहर है जिसकी करीब अढ़ाई लाख से ज्यादा की आबादी है और कैथल में और कोई सब्जी मण्डी भी नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि इस मण्डी के बनने से हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहां पर 100 एकड़ से ज्यादा जमीन में एक नई अनाज मण्डी बनी है और वहां हमारे पास 12 एकड़ जमीन और भी खाली पड़ी हुई है उसमें आप सब्जी मण्डी बनवाने का काम करें। मेरे हल्के में पूरा कैथल शहर और इसके अलावा 45 गांव और हैं तथा 20–25 गांव कलायत हल्के के भी मेरे ब्लॉक में पड़ते हैं। हमारे वहां एक ही तहसील होने के कारण सभी रजिस्ट्रियों पर टोकन नहीं लग पाते जिससे वहां पर सभी रजिस्ट्रियां नहीं हो पाती हैं इसलिए मेरी सरकार से एक मांग है कि मेरे हल्के में एक गांव केवड़क है जोकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गोद लिया हुआ बड़ा गांव है और उसकी आबादी 12–14 हजार के लगभग है उसको सब तहसील का दर्जा दिया जाए ताकि लोगों को वहां रजिस्ट्रियां करवाने में सुविधा हो सके और कैथल शहर की भीड़ को भी कम किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी इस मांग को पूरा करवाने का काम करें क्योंकि आप इस समय चेयर पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ कैथल शहर के अन्दर ग्योंग ड्रेन के नाम से एक बड़ी ड्रेन है जिसका मुद्दा मैं हर सैशन में उठाता हूं और अधिकारियों द्वारा उस संबंध में आश्वासन भी दिया जाता है। यह ड्रेन शहर के बीचों बीच जाती है। इस संबंध में अधिकारी कहते हैं कि एन.जी.टी. ने इसको नॉट फिजिबल कर दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कैथल के लोगों को एन.जी.टी. के भरोसे मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है इसलिए इस ड्रेन का कोई हल निकाला जाए। इसको कवर किया जाए या इसकी दोनों तरफ 6–6 फीट कंकरीट की दीवारें

बनाकर दोनों तरफ सड़क बनाने का काम किया जाए। ऐसी मेरी मांग है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल में रेलवे ऐलिवेटिड ट्रैक बनाने की घोषणा की थी उस पर कैथल के लोगों को थोड़ी शंका हो जाती है क्योंकि कोई अखबार लिख देता है कि यह नॉट फिजिबल किया गया है परंतु पिछले दिनों इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी मिला था और कैथल के लोग भी मिले थे।

श्री उपाध्यक्ष : लीला राम जी, आप अपनी बाकी मांगें लिख कर दे दें।

श्री सोमबीर (दादरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से दो–तीन बातें सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि इन्होंने दादरी को जिला बनाकर, मैडीकल कालेज देकर तथा सरकारी कालेज देकर एक तरह से बहुत बड़ी सौगात देने का ही काम किया है। यही नहीं सीवरेज, पीने का पानी और रेन वाटर के लिए भी 200 करोड़ रूपया मंजूर करके 25 गावों की पानी से संबंधित समस्या का समाधान करने का काम किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ लेकिन बावजूद इसके दादरी में अभी भी बहुत कुछ काम पैंडिंग हैं। दादरी से खैरड़ी मोड़ तक के रोड को फोरलेनिंग करने का काम किया जाये। रोहतक रोड पर जो 29 करोड़ रूपये का ओवरब्रिज मंजूर हुआ है, इसका काम भी जल्द से जल्द शुरू किया जाये। हमारे यहां सरकारी कालेज में स्टॉफ की कमी है वैसे तो पूरे हरियाणा में शिक्षण स्टाफ की कमी बनी हुई है, इसको भी तुरंत प्रभाव से दूर करने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, एजुकेशन के बगैर किसी देश और प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती इसलिए पूरे हरियाणा के अंदर जो टीचर्ज और प्रोफेसर की कमी बनी हुई है, इसकी तरफ माननीय शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेते हुए, इस कमी को तुरंत प्रभाव से दूर करने का काम करना चाहिए। यह बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दादरी में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की 203 एकड़ की एक बहुत बड़ी लैंड है। इस जगह पर यदि कोई कमर्शियल सैक्टर काटकर इसे प्रयोग किया जाए तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे यहां शहर के चारों तरफ बाई पास बनाने का काम किया जाये। यहीं नही शहर के अंदर रोडों की बहुत बुरी हालत है। दुष्यंत जी अभी सदन से बाहर चले गए हैं, यह एरिया तो वैसे भी इनकी कर्मस्थली है। रोडों के लिए बनाई गई 25 करोड़ की प्लान में, इन रोडों को कवर करने के लिए तीन बार लिखकर भेजा गया है लेकिन अभी तक इस पर कोई इंप्लीमैंटेशन नहीं हो पाई है। अतः मेरा निवेदन है कि शहर के रोडों की

समस्या का समाधान किया जाये। यही नहीं महेन्द्रगढ़ बाई–पास से लेकर रावलदी बाई–पास की तरफ भी संज्ञान लेने की बहुत जरूरत है। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री कवंर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार बार रोडों की बात कह रहे हैं कि इनके यहां रोडों की बड़ी दुर्दशा हो गई है। यह सुनकर माननीय हरविन्द्र कल्याण जी बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि वे रोड़ समाज से संबंधित है। अतः माननीय सदस्य को रोडों शब्द का प्रयोग न करके सड़क शब्द का प्रयोग करना चाहिए। (इस समय सदन में हंसी फव्वारे फूट पड़े)

श्री उपाध्यक्षः मंत्री जी एक बार माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी कर लेने दें।

श्री सोमबीर : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे कुछ भी हो यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि एजुकेशन में टीचर्ज और प्रोफैसर्ज की बहुत जरूरत है और रोडों की भी बहुत बुरी हालत बनी हुई है। मेरा इतना निवेदन है कि दादरी हल्के में जितने पैंडिंग कार्य हैं उनको तुरंत प्रभाव से पूरा करने का काम किया जाये। दादरी को जिला बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है इसलिए यहां पर कामों की सबसे ज्यादा पैंडेंसी बनी हुई है। दिल्ली और गुड़गांव से इस जिले की कनैक्टिीविटी होने के कारण यदि यहां पर बढ़िया कमर्शियल सैक्टर डिवैल्प कर दिया जाये तो यहां पर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अब एक बात और कहना चाहूंगा कि चरखी दादरी एजुकेशन का हब है। जहां तक खेलों की बात है चाहे रेसलिंग हो, कबड्डी हो, बाक्सिंग हो और भिवानी तो क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है तो ऐसी सूरत में यदि यहां पर सरकार एक स्पोर्टस युनिवर्सिटी दे दे तो आने वाले समय में और भी ज्यादा मैडल लाने में हमारी भागीदारी बढ़ सकती है। अतः सदन के माध्यम से मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस तरफ जरूर ध्यान देने का काम करें। सदन में स्पोर्टस मिनिस्टर भी बैठे हुए है। हमारे यहां तीन–चार छोटी–छोटी स्पोर्टस नर्सरीज थी, उनको भी पता नहीं किन कारणों से बंद कर दिया गया है। इन नर्सरीज को दोबारा से चालू करने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, दादरी के लोगों की कद–काठी ज्यादा मजबूत होने के कारण स्पोर्टस के क्षेत्र में दादरी अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मैं अंत में फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि दादरी जिले में कामों की जो भी पेंडेसी है, उनको पूरा करते हुए यहां पर सुधार लाने की तरफ पूरा ध्यान दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द –जय भारत।

श्री हरविन्द्र कल्याणः उपाध्यक्ष महोदय, एक सामाजिक विषय यह है कि सभी सम्मानित सदस्यगण लगभग सड़कों की बात करते हैं। सड़क को अंग्रेजी में रोड कहते हैं। माननीय सदस्यों से बोलते समय ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनका अर्थ दूसरा हो जाता है। कई बार तो माननीय सदस्यगण यह बोल देते हैं कि रोडों को ठीक करो, क्योंकि ये बहुत खराब हैं। मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि यदि इस तरह का कोई वाक्य आये तो रोडों की जगह सड़कों शब्द का इस्तेमाल किया जाये। रोड हमारे किसान वर्ग की सम्मानित और शरीफ बिरादरी है। धन्यवाद।

डॉ. अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में आश्वासन दिया गया था कि पब्लिक स्ट्रीट के बीच में से बिजली के खम्भे हटाये जायेंगे लेकिन अभी तक नहीं हटे हैं और ना ही अभी तक कोई कार्यवाही शुरू हुई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन खम्भों को जल्द से जल्द हटवाया जाये। धन्यवाद।

श्री जयवीर सिंह (खरखौदा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। आज हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। नगर निगम, नगर परिषद् व नगर पालिका आदि सभी जगहों पर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी वर्ग होता है जो सरकारी कार्यालयों, प्राईवेट कार्यालयों, मन्दिर, मस्जिद आदि सभी जगहों पर सबसे पहले दस्तक देता है, लेकिन हमारा उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उनको सर्दी, गर्मी, बरसात आदि में क्या–क्या सुविधाएं देनी होती है। जैसे कल एस.सी. आयोग की बात हो रही थी उसी तर्ज में सफाई कर्मचारी आयोग का भी गठन किया जाये। सोनीपत, नगर निगम में लगभग 26 गांव के लोग धरने पर बैठे हुए थे। दिनांक 2 जून, 2018 को संबंधित सांसद श्री रमेश कौशिक, स्थानीय उपायुक्त, मुख्यमंत्री महोदय के राजनीतिक सलाहकार श्री राजीव जैन व नगर निगम कमिश्नर ने उनका धरना यह कह कर समाप्त करवा दिया था कि आपके गांवों में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। उसके बावजूद भी मेरे हल्के के गांव राठधना में श्री धर्म सिंह के नाम से 39312 रूपये का टैक्स आया है। इन गांवों ने यह शर्त रखी थी कि हम महानगर में तो शामिल हो जायेंगे लेकिन हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं थोपा जायेगा। इस तरह की कार्यवाही प्रदेश में हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मंद बुद्धि उत्थान सेवा समिति का कोटा मुख्यधारा में लाने के लिये 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत तो कर दिया गया लेकिन हरियाणा सरकार में सर्विस रूल्ज के माध्यम से वर्ष 2018 में चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिये योग्यता 10वीं पास निर्धारित कर

दी गई। जब वह 10वीं पास है तो मंद बुद्धि कैसे हो सकता है? अतः इस संस्था को इस बात का एतराज है और इस कमी को दूर किया जाना चाहिए । हमारी सरकार के समय में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने वर्ष 2014 में खरखोदा में एक आई.एम.टी. खोलने की घोषणा की थी । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : जयवीर जी, आपकी जो बातें कहनी रह गई हैं आप उन्हें लिखित में दे दीजिए । हम उनको हाउस की प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवा देंगे ।

***श्री जयवीर सिंह :** ठीक है उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की समस्याएं और मांगें लिखित में दे देता हूं । आप उन्हें हाउस की प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवा देना ।

1. खरखोदा से बरोणा रोड की हालत खस्ता है जिसके कारण ऐक्सीडैंट्स होते रहते हैं। अतः उसको ठीक करवाया जाए ।

2. खरखोदा बाईपास चारो तरफ से टूटा हुआ है । अतः उसका निर्माण भी जल्दी ही शुरू करवाया जाए ।

3. सोनीपत से ककरोई रोड की हालत खस्ता है । उसको भी ठीक करवाया जाए।

4. खरखोदा में स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जायें ।

5. खरखोदा में सब्जी मण्डी की हालत खस्ता है । अतः उसमें भी सुधार किया जाए ।

6. गांव गोरड़ में बरसाती पानी की निकासी न होने से हजारों एकड़ जमीन में फसल की बिजाई नहीं हो पा रही है जिससे किसानों को दिक्कत आ रही है।

श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गुरूग्राम में ड्रग्स का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है । इस बारे में मैंने डी.जी.पी., हरियाणा से भी रिक्वैस्ट की थी कि अगर हम ड्रग्स की पूरी कड़ी को तोड़ेंगे तो ही हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे । दूसरा, अनअप्रूव्ड कॉलोनीज के संबंध में मेरा कहना है कि हमारे पड़ोसी राज्य में अनअप्रूव्ड कॉलोनीज के लिए एक प्रोविजनल रेगुलेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है । इससे उन कॉलोनीज में तुरंत काम शुरू हो जाता है फिर चाहे वे कॉलोनीज बाद में अप्रूव होती रहें । मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने कॉलोनीज को

***चेयर के आदेशानुसर उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया ।**

रैगुलराइज करने के लिए एक लिस्ट निकाली है । मेरा कहना है कि इस कार्य को थोड़ा जल्दी किया जाए । इसके अलावा हमारे स्टेट में अनअप्रूव्ड कॉलोनीज के लिए बजट्री प्रोविजन नहीं रखा जाता है जबकि अन्य स्टेट में अनअप्रूव्ड कॉलोनीज के लिए भी बजट्री प्रोविजन रखा जाता है । अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में गरीब व्यक्ति, इण्डस्ट्रियल लेबर और आई.टी. सैक्टर में कार्य करने वाले लोग रहते हैं । अतः अनअप्रूव्ड कॉलोनीज के लिए यह प्रोविजन अवश्य किया जाए । 'आयुष्मान भारत' एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है । गरीब आदमियों के लिए वह एक अच्छी योजना तैयार की गई है लेकिन कुछ गरीबों का इस योजना के तहत बनाई गई सूची में नाम न आने के कारण उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है । मेरे क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं । इसके बावजूद सी.एच.सी. सैंटर द्वारा लाभार्थियों की सूची में उनका नाम नहीं है । श्रीमती मीरा देवी, फैमिली आई.डी. 7एम.क्यू.के. 5711 का ऐसा ही एक केस है । परिवार पहचान पत्र में उनकी पारिवारिक आय शून्य दर्शाई हुई है । इसके बावजूद उनका 'आयुष्मान भारत' की सूची में नाम नहीं है । इसी तरह से 9वीं कक्षा का और 14 साल का हार्दिक आर्य नाम का एक बच्चा है तथा उसकी आय 10 हजार रुपये प्रतिमाह दर्शाई हुई है । इसके अलावा जी.एम. डी.ए. के क्लॉज–47 में यह प्रावधान था कि इसके शुरू होने के 3 साल के बाद उसकी परफॉरमैंस रिव्यू के लिए एक कमेटी बनेगी । इसको बने 5 साल हो चुके हैं लेकिन इसकी अब तक परफॉरमैंस रिव्यू के लिए कमेटी नहीं बनाई गई है । अगर ऐसी कोई कमेटी बन जाती है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी जी.एम.डी.ए. की परफॉरमैंस को चैक कर सकते थे। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सदन में यह स्क्रीन लगी हुई है हमें इन स्क्रीन्ज पर वीडियो चलाने की सुविधा दी जाए ताकि हम अपने विषय को और भी क्लीयरली बता पाएं । कई बार विभाग की तरफ से जवाब दिया जाता है कि काम हो गया है लेकिन वास्तव में वह काम पूरा नहीं हुआ होता । अतः सदन की स्क्रीन्ज पर वीडियो चलाने का प्रोविजन किया जाए । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल समाप्त होता है ।

————————

बैठक का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन की कार्यवाही दोपहर भोज हेतु 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

*13:29 बजे

(तत्पश्चात् सभा मध्याह्न पश्चात् 2:30 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)

नगर परिषद् कालका के चेयरमैन एवं पार्षदों का अभिनंदन

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज सदन की दर्शक दीर्घा में नगर परिषद् कालका के अध्यक्ष एवं पार्षद सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं।

———————

राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पानीपत के अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों का अभिनंदन

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज सदन की दर्शक दीर्घा में राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत के अध्यापकगण एवं विद्यार्थीगण, सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं।

———————

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(i) दिसम्बर महीने में जिला सोनीपत में 2 ठेकेदारों के एल–13 गोदाम में शराब के स्टॉक में लगभग 7.4 लाख पेटियां कम पाये जाने से संबंधित

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा दिसम्बर महीने में जिला सोनीपत में 2 ठेकेदारों के एल–13 गोदाम में शराब के स्टॉक में लगभग 7.4 लाख पेटियां कम पाये जाने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या– 27 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या– 56 जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गयी है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या– 27 के साथ जोड़ दी गयी है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं। अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि यह मैटर सब ज्युडिश है और दिनांक 22.12.2022 को सिविल कोर्ट, सोनीपत ने इस पर स्टे दिया है कि इस पर फर्दर कोई कार्यवाही न हो, यानि उस पर विराम लगाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अगर कोई मामला सब ज्युडिश है तो उसके ऊपर सदन में चर्चा नहीं करवायी जा सकती।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बता दें कि इस ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा क्यों नहीं करवायी जाएगी ? आप सदन में सब ज्युडिश मामलों पर चर्चा करवाते हैं तो इस मामले पर चर्चा क्यों नहीं करवा सकते ? आप रिकार्ड निकलवाकर देख लें क्योंकि अनेकों मामले कोर्ट में होने के बाद भी उन पर चर्चा हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: अभय सिंह जी, यह मामला कोर्ट में सब ज्युडिश है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करवा सकते। यह बात रूल में स्पष्ट लिखी हुई है।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी सब ज्युडिश मामलों पर सदन में चर्चा होती रही है।

श्री उपाध्यक्ष: अभय सिंह जी, यह मामला सब ज्युडिश है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करवायी जा सकती है।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर सदन में चर्चा हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा करवाने से पीछे क्यों हट रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: अभय सिंह जी, इस मामले में चर्चा नहीं हो सकती। इसके बारे में रूल्ज में स्पष्ट लिखा हुआ है।

श्री भारत भूषण बत्तरा: उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बता दें कि यह बात कौन– से रूल में लिखी हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष: बत्तरा जी, यह बात Kaul and Shakdher की बुक के पेज नं0 1190 पर लिखी हुई है।

Shri Bharat Bhushan Batra: Hon'ble Deputy Speaker Sir, quoting of Kaul and Shakdher Book here does not mean that it is an executory.

There should be a rule in this regard in our Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. Right now there is nothing in this regard in this Rule Book तो सब ज्युडिश मैटर पर

डिस्कस क्यों नहीं हो सकता ? उपाध्यक्ष महोदय, आप Kaul and Shakdher की बात कर रहे हैं but this is not a Constitution. This is not a Statutory Book. उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा किसी भी हालत में नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्षः बत्तरा जी, पार्लियामैंट की प्रैक्टिस भी यही है। इसके बारे में Kaul and Shakdher में क्लीयर लिखा हुआ है। आप स्वयं एडवोकेट हैं, इसलिए आप इसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लें।

श्री भारत भूषण बत्तराः उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा यह होता है कि जब कोई सब ज्युडिश मैटर होता है तो उसमें किसी जज या ज्युडिशियल सिस्टम पर कोई aspersion / comments नहीं कर सकते, लेकिन बाकी मैटर डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए इसमें ऐसी कोई बात या बाधा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो इस मैटर में Kaul and Shakdher का हवाला देकर बात रख रहे हैं, लेकिन अगर आप यह बात कहे कि it is prerogative of Hon'ble Speaker and whatever Hon'ble Speaker decides, that is binding upon the House.

श्री उपाध्यक्षः बत्तरा जी, इसके बारे में Kaul and Shakdher में क्लीयर लिखा हुआ है। आप इसको पढ लें।

श्री भारत भूषण बत्तराः उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कल के सैशन के दौरान भी आयी थी तो उस दौरान भी रूलिंग पूछी गयी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके बारे में आप Kaul and Shakder की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप ये बातें अपनी रूल्ज बुक में दिखा दें कि कहां पर लिखी हुई हैं ?

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, जब मेरा कॉलिंग अटैंशन मोशन एडमिट किया गया था तो क्या उस वक्त इन बातों के बारे में पता नहीं था ?

श्री उपाध्यक्षः अभय सिंह जी, इस बात के बारे में पता नहीं था।

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आपको सबंधित डिपार्टमैंट ने क्यों नहीं बताया ? आपने ध्यानाकर्षण सूचना को एडमिट किया और विभाग द्वारा उसका लिखित में आंसर आ गया है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि यह मामला सब ज्युडिश है। उपाध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण सूचना को पहले एडमिट क्यों किया गया ?

श्री उपाध्यक्षः अभय सिंह जी, इस मामले पर सदन में डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मामला सब ज्युडिश है।

श्री भारत भूषण बत्तराः उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आपको तो पहले पता नहीं था, लेकिन संबंधित विभाग को तो इस मामले की जानकारी थी।

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा दी गयी ध्यानाकर्षण सूचना को एडमिट कर लिया गया और विभाग द्वारा उसका रिप्लाई भी आ चुका है। लेकिन अब आप उस पर चर्चा नहीं करवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्षः अभय सिंह जी, जब आपके द्वारा दी गयी ध्यानाकर्षण सूचना को एडमिट किया गया तो उस समय इसके बारे में पता नहीं था कि यह मामला सब ज्युडिश है।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण सूचना को एडमिट करने से पहले क्या आपको इस बारे में पता नहीं था।

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी डिपार्टमैंट से अप्रूवल हुई है तब आपके पास यह आया है। डिपार्टमैंट ने यह लिखा कि we are ready to give the reply और इसका रिप्लाई तैयार हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, यहां पर एडमिट करके ही डिपार्टमैंट को रिप्लाई के लिए भेजा जाता है और उसके बाद अब माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि यह मामला सब ज्युडिश है इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता है।

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, डिपार्टमैंट ने इसकी रिप्लाई तैयार की है, उसके बाद ही आपने टेबल किया है।

श्री शमशेर सिंह गोगी : उपाध्यक्ष महोदय, डिपार्टमैंट को सब–ज्युडिश मैटर के बारे में सैशन शुरू होने से पहले बताना चाहिए था।

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब आपकी और डिपार्टमैंट की आपस में कॉआर्डिनेशन नहीं है। It is the sign of the failure of the Government. गवर्नमैंट इस बात को नहीं कह रही है कि इसको टेबल मत करना। आप इसको पहले ही रिजैक्ट कर देते कि यह मामला सब–ज्युडिश है।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, इसके बारे में पहले पता नहीं था इसलिए इसको रिजैक्ट कैसे कर सकते थे? माननीय सदस्य ने कॉलिंग अटैंशन मोशन लगाया और माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसको एडमिट कर लिया गया।

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की convention और precedent भी हैं। यह पूरा मामला हाउस की intention divert करने के लिए है क्योंकि once a Calling Attention Motion has been tabled, meaning thereby

the discussion must be there in the House and reply must come from the department. It is my submission, Sir. यह सारी गलत convention हो जायेगी और रिप्लाई टेबल होने के बाद इस तरह से विदड्रा करोगे तो आपकी अथॉरिटी चेलैंज होगी। आप यह बात तो कह सकते हो कि it is my authority. कोई ज्युडिशियल सिस्टम या जज के खिलाफ कोई aspersion न आये, उस बात पर हाउस एग्री करेगा। यह कॉलिंग अटैंशन मोशन माननीय सदस्य ने दिया है। इसमें इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है और छोटे–मोटे कोर्ट का हवाला देकर इतने बड़े स्कैंडल को छुपाने की कोशिश की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, यह मामला सब–ज्युडिश है इसलिए इस मामले को सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनायेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप इस मामले में शामिल हो। क्या कहीं इस मामले में आपका नाम आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अभय जी, इसमें नाम आने की ऐसी कोई बात नहीं है। यह मामला सब–ज्युडिश है।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला कौन सी कोर्ट में सब–ज्यूडिश है। आप कोर्ट का नाम बतायें।

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एडमिट हो गया और उसके बाद आपने इसको टेबल भी कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इसका रिप्लाई विधान सभा में तैयार हुआ है and that is in coordination with the department. बगैर डिपार्टमैंट के रिप्लाई तैयार नहीं होता है। as and when यह बात हो रही थी there and then यह होना चाहिए था कि this is sub-judice matter that is why this Calling Attention Motion has been disallowed फिर हम इस बात को एग्री कर लेते।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, कल ही एक विधान सभा में क्वैश्चन आया था और वह मैटर भी सब–ज्युडिश था इसलिए उसको नहीं लिया गया।

श्री आफताब अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस क्वैश्चन को सब–ज्युडिश कह कर डिस–अलाउ कर दिया था।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एडमिट हो गया था तो आप उसको कैस डिस–अलाउ करेंगे। इसमें कंट्राडिक्टरी है।

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, माननीय अभय सिंह चौटाला जी और आपने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है तब आपको भी इस बात का पता होगा कि यह मामला सब–ज्युडिश है।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे यह बताईये कि अगर आप कह रहे है कि यह मामला सब–ज्युडिश है तो why have you admitted this Calling Attention Motion?

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, जब इस कॉलिंग अटैंशन मोशन को एडमिट किया था तब इस मामले के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय को पता नहीं था कि यह सब–ज्युडिश मामला है।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या बात कर रहे हो। इस बारे में तो डिपार्टमैंट ही बतायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, कॉलिंग अटैंशन मोशन को एडमिट करने के बाद ही डिपार्टमैंट को रिप्लाई के लिए भेजते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कॉलिंग अटैंशन मोशन को एडमिट करने के बाद डिपार्टमैंट को नहीं भेजा जाता है। पहले इसका डिपार्टमैंट से रिप्लाई लेते हैं उसके बाद इसको एडमिट किया जाता है। आप क्या बात कर रहे हो?

Shri Bharat Bhushan Batra: Deputy Speaker Sir, I want to speak on point of order.

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी आप अभी रूको। अभय सिंह जी यह पूछ रहे थे कि यह मामला किस कोर्ट में है तो मैं बताना चाहूंगा कि this matter is in the Court of Civil Judge, Junior Division at Sonipat.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस लैवल के कोर्ट की बात बता रहे हो वहां पर किसी का कोई जमानत का केस रजिस्टर हुआ होगा और वह जमानत के लिए गया होगा। इसमें इशू किस मामले पर है। सवाल इस बात है कि किस मामले पर स्टे है। कोई केस रजिस्टर हुआ होगा और कोई एक व्यक्ति पकड़ा गया होगा इसलिए वह जमानत पर चला गया होगा। इस प्रकार से वह सब–ज्युडिश मामला थोड़े ही हो गया। आप जिस लैवल के कोर्ट की बात बता रहे हो, वह व्यक्ति कोर्ट से अपनी जमानत लेने गया होगा?

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष जी, हम मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। We want to know about what kind of procedure or process has been put

into a case. ताकि आगे यह ना हो। We are not talking about a sub judice case.

श्री दुष्यंत चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसकी डिटेल्ड रूलिंग दे दीजिए, क्योंकि कल भी एक सेम मैटर बॉन्ड पॉलिसी का आया था जिस पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग दी थी, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सब ज्युडिश केस पर आप अपनी रूलिंग दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्षः उप मुख्यमंत्री जी, मैंने रूलिंग बता दी है, अगर आप कहें तो मैं इसे पढ़कर भी सुना देता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष जी, सब ज्युडिश केस किस वास्ते है ? एक पर्टिकुलर कोई accused है, वह जमानत के लिए गया है तो वह केस सब ज्युडिश थोड़ी हो गया। सब जज के पास किसलिए गए हैं, कोई पॉलिसी रिलेटिड मैटर सब ज्युडिश है या कोई और विषय है ?

डॉ रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, आपने ये कालिंग अटैंशन मोशन टेबल कर दिया है इसलिए अब ये रिप्लाई में कह दें कि it is a sub judice matter .

श्री उपाध्यक्षः उप मुख्यमंत्री जी, इस पर मैंशन करवा देते हैं कि यह मामला सब ज्युडिश है।

डॉ रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष जी, मैं वर्ष 1987 से हाऊस में चुनकर आ रहा हूं। मुझे 35 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने इस तरह का precedent या convention आज तक नहीं देखा कि once the Calling Attention Motion has been tabled before the House and a copy of the same has been delivered to the Hon'ble Members then रिप्लाई के समय आता है कि सब ज्युडिश मैटर है। मैं कहना चाहता हूं कि अब मैम्बर को अपना कालिंग अटैंशन तो पढ़ने दीजिए, जब उसकी रिप्लाई आएगी तब रिप्लाई में कह देना कि it is a sub-judice matter. I won't give the reply. I am helpless to give the reply because the matter is sub judice then the matter is over.

श्री उपाध्यक्षः जब एक बात सबके संज्ञान में आ गई कि यह मामला सब ज्युडिश है, इसलिए यह हाऊस में डिसकस नहीं हो सकता।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, आप असली मुद्दे से भटक रहे हैं। We are not talking about the matter which is sub judice. We want to know what the mechanisms are being put in place by the Government to see that this does not happen in the future. What are the processes? This is what we want to know और वह हमारा अधिकार है, उस अधिकार को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। हम सब ज्युडिश मैटर के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। We want to know what the government is going to do in the future**.** पर उसके लिए आप तैयार नहीं है, ये तो कमाल की बात हो गई है।

डॉ रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असेम्बली बुक हैं इसमें इस तरह का कोई रूल नहीं है। Kaul and Shakdher को आप मैंशन कर सकते हो but it does not guide us, it is a book.

श्री उपाध्यक्षः आप देख लीजिए "Practice and procedure of Parliament by Kaul and Shakdher" के नियम "Discussion on sub Judice Matters" में लिखा है।

> "……. One such restriction is that the discussion on matters pending adjudication before courts of law should be avoided on the floor of the House, so that the courts function uninfluenced by anything said outside the ambit of trial in dealing with such matters."

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Deputy Speaker Sir, where the things has been mentioned in the Constitution? In which Act and rule ये बात लिखी है, जो आपने कहा है, कहा लिखा हुआ है ? Kaul and Shakdher तो एक प्राइवेट मैम्बर ने लिख दी, उसने एक किताब लिख दी। उसका अपना व्यू है, इसलिए उसने यह किताब लिख दी।

श्री उपाध्यक्षः यह पार्लियामैंट के अन्दर भी अडॉप्ट की जाती है।

डॉ रघुबीर सिंह कादियानः इस तरह के केस में या तो कोई कन्वैन्शन हुई हो या कोई प्रैसिडैंट हुआ है तो आप हमें पहले बता देते।

Smt. Kiran Choudhry : Deputy Speaker Sir, Kaul and Shakdher does not talk about the Rules. It talks about practice and procedure.

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Deputy Speaker Sir, maintain the House as per the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. आप रूल्स बुक के हिसाब से मैंटेन करो, प्रैसिडैंट मैंशन करो, कन्वैन्शन तो है, पर आप रूल्स बुक के हिसाब से मैंटेन करो नहीं तो इससे गलत प्रैसिडैंट चला जाएगा। उपाध्यक्ष जी, या तो आप कोई एक मौका बता दीजिए कि once the Calling Motion has been tabled और उसमें कोई बात विड्रॉ हुई हो, आप उसका ऐसा कोई एक प्रैसिडैंट बता दीजिए ?

श्री उपाध्यक्षः सदन में कल ही ऐसा एक प्रश्न था। उसे भी इसलिए टाला गया, क्योंकि वह मामला सब ज्युडिश था।

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Deputy Speaker Sir, you are under the pressure of the13 Government. I am making the allegation upon you. You are under the pressure of the Government.

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, इसमें प्रैशर की कौन सी बात है?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष जी, रिप्लाई को तो आप पढ़ने दें और रिप्लाई में कह दिया जाये कि it is sub-judice matter I can not give the reply रिप्लाई में यह कह दिया जाये तो matter is over. हम मान जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, जब एक चीज सामने आ गई कि मामला सब–ज्युडिश है तो क्या हमें उस पर डिस्कशन करनी चाहिए?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, जब रिप्लाई तैयार हुआ है उसके बाद ही तो यह टेबल्ड हुआ है। जब यह रिप्लाई तैयार हो रहा था तो उस समय सम्बंधित विभाग कहां जा रहा था?

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, इस मामले को हाउस में लेने से पहले जब यह क्लीयर हो गया कि यह मामला सब–ज्युडिश है तो उसके बाद हम यहां पर इस बारे में कोई चर्चा करें यह कोई अच्छी बात नहीं है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष जी, मेरा तो यही कहना है कि जब रिप्लाई टेबल्ड हो गया है तो आप उसके ऊपर चर्चा मत करवायें लेकिन उस रिप्लाई को पढ़ने तो दें। हमारी यही सबमिशन है ताकि हमें फैक्ट्स के बारे में तो पता चल जाये। Facts of the case क्या हैं इसका रिप्लाई गवर्नमैंट दे देगी।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, अभी डिप्टी सी.एम. साहब ने पूरे हाउस को यह बताया कि यह मामला सब–ज्युडिश है। मेरा यह कहना है कि यह मामला सब–ज्युडिश है

इसलिए इस पर हाउस में चर्चा नहीं करवाई जा सकती। अब मैं आज के लिए चर्चा के लिए निर्धारित अगले कालिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा के लिए श्री जगदीश नायर जी को कहता हूं कि वे अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ें।

श्री भारत भूषण बतरा : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है इसलिए मुझे बोलने की इजाजत दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री भारत भूषण बतरा : डिप्टी स्पीकर सर, सबसे पहले मैं इस रूल की बुक के ऊपर यह कहना चाहूंगा कि this is the principle इसके अंदर कहीं भी सब–ज्युडिश और इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखा हुआ। यह तो मेरी नम्बर एक बात हुई। नम्बर दो I will read the provisions of the Constitution. संविधान से बड़ा तो कोई नहीं है। इस बारे में हिन्दुस्तान का संविधान क्या कहता है वह भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। अगर आप संविधान को मंगवा भी लें तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आर्टिकल 121 है।

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी, पार्लियामैंट में भी प्रैक्टिस इसी पर चलती है। जो मामले सब–ज्युडिश होते हैं उनके ऊपर वहां पर भी चर्चा नहीं करवाई जाती है।

श्री भारत भूषण बतरा : डिप्टी स्पीकर सर, इस बारे में पार्लियामैंट क्या कहती है। मैं आर्टिकल 121 ही आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं आपको आर्टिकल का सैक्शन पढ़ कर सुना रहा हूं और आप कॉल एण्ड शकधर पढ़ रहे हैं। मेरी आपसे यही रिक्वैस्ट है कि आप मुझे इसको पढने दें।

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी, जिनका यह कालिंग अटैंशन मोशन था मैंने उनको बता दिया। यह कालिंग अटैंशन अभय सिंह जी और किरण चौधरी जी का था मैंने उनको इसके बारे में बता दिया है।

श्री भारत भूषण बतरा : डिप्टी स्पीकर सर, जब कोई कालिंग अटैंशन मोशन हाउस में आ जाता है तो उसके बाद वह हाउस की प्रॉपर्टी बन जाता है अब वह किसी की भी इंडीविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। आप मेरी बात को दो मिनट सुनें तो सही। उसके बाद सारे मैम्बर फैसला कर लेंगे। इसमें क्या दिक्कत वाली बात है।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष जी, यह हमारा कॉलिंग अटैंशन मोशन था आप हमें यह बतायें कि आपने हमें क्या बता दिया।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष जी, इस समय पूरा हरियाणा टकटकी लगाये देख रहा है कि यह मैटर आज विधान सभा में आयेगा इस पर सरकार क्या जवाब देगी?

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, यह मामला सब–ज्युडिश है। इसके बारे में आप सभी को बता दिया गया है। इसके बाद माननीय सदस्य ने यह पूछा कि यह मामला कौन सी कोर्ट में है तो उसके बाद उस माननीय सदस्य को कोर्ट का नाम भी बता दिया गया।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष जी, इस मामले में मेरा एलीगेशन यह है कि इसमें दाल में कुछ काला है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इस पूरे स्कैंडल के साथ कहीं न कहीं गवर्नमैंट के तार जुड़े हुए हैं। मेरा यह एलीगेशन है। उस एलीगेशन के लिए अगर यह टेबल्ड हुआ है तो उसका जवाब भी आने दो।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष जी, यह मामला अब फंस गया है। इसको असैप्ट कर लिया, टेबल्ड हो गया और अब आप कह रहे हैं कि यह मामला सब–ज्युडिश है। इस समय इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसका रास्ता एक ही है कि जो टेबल्ड हो चुका है इनको पढ़ने दें डिस्कशन नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से यह कह दिया जाये कि यह मामला सब–ज्युडिश है इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं करते। इसके बाद यह कहानी खत्म हो जायेगी। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि इस मामले का कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। जब टेबल्ड हो गया। सरकार को जवाब नहीं देना तो नहीं दे। इनके सी.ए. को टेबल्ड करें और इनको पढ़ने दें। फिर सरकार जो जवाब देगी उसके बाद देख लिया जायेगा। सरकार कह सकती है कि यह मामला सब–ज्युडिश है इसलिए हम जवाब नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरा आप सभी को यही कहना है कि यह मामला सब–ज्युडिश है इसलिए इस पर हाउस में चर्चा नहीं करवाई जा सकती। अब मैं अगले कालिंग अटैंशन पर चर्चा की अनुमति दे रहा हूं। (विध्न) मेरा आप सभी को बार–बार यही कहना है कि यह मामला सब–ज्युडिश है इसलिए इस पर यहां पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री भारत भूषण बतरा : डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपको इस बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि संविधान ने पार्लियामैंट में डिस्कशन न हो इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं वो इस आर्टिकल 121 के अंदर लिखी हुई हैं। मैं आर्टिकल 121 को आपके सामने पढ़ देता हूं। इसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन न किसी विधान

सभा में होती है और न ही पार्लियामैंट में होती है। Sir, Article 121 of the Constitution says: "No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties except upon a motion for presenting an address to the President praying for the removal of the Judge as hereinafter provided." सिर्फ जज के बारे में नहीं बोल सकते और कोई मामला सब–ज्युडिश नहीं होता है। अगर और कोई विषय होता तो यह संविधान उसको भी रोक सकता था कि यह मैटर सब–ज्युडिश है इस पर डिस्कशन नहीं हो सकती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बतरा जी, जिस पर पार्लियामैंट की प्रैक्टिस है वह यह बुक है जिसमें से मैंने पढ़ कर आपको बता दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो कहा गया है This restriction is not only on the conduct of the Judge. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमैंट और प्रोसीडिंग्ज के बारे में नहीं बोल सकते हैं, बाकी सभी विषयों के बारे में बोल सकते हैं। This is a wrong thing. (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बतरा जी, यह मामला सब–ज्युडिश है, यह बात अब संज्ञान में आ गई है इसलिए अब इस मामले को उठाया नहीं जा सकता है इसलिए मैं अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव टेकअप कर रहा हूं।

माननीय सदस्यगण, मुझे श्री जगदीश नायर विधायक व तीन अन्य विधायकों सर्वश्री दीपक मंगला, प्रवीण डागर तथा राजेश नागर द्वारा आगरा नहर में दिल्ली से आने वाले रसायन तथा गंदे पानी के मिश्रित होने के कारण जिला फरीदाबाद तथा पलवल में बीमारियों के फैलने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–55 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। अब श्री जगदीश नायर, विधायक अपनी सूचना पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के विधायक श्री अभय सिंह चौटाला वैल में आकर उपाध्यक्ष महोदय से अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करवाने को लेकर तर्क वितर्क करने लगे।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, इस कालिंग अटैंशन मोशन को आप टेकअप करें उससे पहले मेरा एक निवेदन है कि हमने और भी बहुत सारे कालिंग अटैन्शन नोटिस और एडजर्नमैंट नोटिस दिये हुए हैं उनको आपने एडमिट नहीं किया। हमने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापिस लेने के लिए एडजर्नमैंट मोशन दिया था, गन्ने के

भाव बढ़ाने के बारे में कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया तथा जल भराव के बारे में भी कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया हुआ है आपने उनको भी स्वीकार नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः अभय सिंह जी, अब विषय यह आ गया है कि अब यह मामला सब–ज्युडिश है इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर सकते। कल भी एक प्रश्न ऐसा लग गया था जो सब–ज्युडिश था इसलिए हमने उसको भी नहीं लिया था। आप अपनी सीट पर जाइये और वहीं से बोलिए, मैं आपका माइक ऑन करवाता हूं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नायरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान् सदन का ध्यान एक अत्यंत लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली से आ रहे कैमिकलयुक्त और गंदे पानी से आगरा नहर का पानी दूषित होने के कारण हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिले के गांवों में बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हाउस नहीं चल सकता है। हमने किसानों के मुकदमें वापिस करवाने बारे एक एडजर्नमैंट मोशन दिया था उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से गन्ने के भाव बढ़ाने बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था उसको भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि अगर वे विषय पर रहेंगे तो कुछ चर्चा हो सकती है। जब किसी को दिखास की बीमारी लगती है तब इस तरह का सीन उपलब्ध होता है। अब इनको लगता है कि एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो आपने रिजैक्ट कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि हमारा यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लिया वह नहीं लिया। यह दिखास की बीमारी है कि हम किसी तरीके से दिखाई देते रहें और हमारी बात आगे जाती रहे। आज विषय यह आया था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करनी है या नहीं करनी है। आपने उस पर निर्णय ले लिया कि यह मामला सब–ज्युडिश है इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता है। दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है और अब ये कह रहे हैं कि हमने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था वह दिया था जबकि उपाध्यक्ष महोदय, यह बता चुके हैं कि एक दिन में दो से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर डिस्कशन नहीं हो सकता है। उसके बावजूद अगर ये 36–36 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देंगे तो उन पर चर्चा सम्भव नहीं है। इसलिए जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया

हुआ है उस पर आप चर्चा करवाएं और बाकी इधर–उधर की चर्चा का कोई महत्व नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, हम तो अपनी बात कहेंगे, उसका फैसला आपको करना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब, आप अपनी बात का जवाब सुन लें। आज सुबह ही आपको बता दिया गया था कि ये–ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, एडमिट होने के बावजूद भी आपने उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को टेकअप नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, उसके बारे में तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अब बताया है कि वह मामला तो सब ज्युडिश है इसलिए उसको नहीं लिया जा सकता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमारे एडजर्नमैंट मोशन भी नहीं लिये। यह क्या बात हुई। यह कल ही तो आया है। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने एस. ए.पी.(स्टेट एडवाईजरी प्राईस) तो 15 रुपये क्विंटल बढ़ा दी है लेकिन हरियाणा सरकार ने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, ये बातें करने के लिए एक घंटा जीरो ऑवर का था। हमने तो जिन सदस्यों के जीरो ऑवर में बोलने के लिए नाम भी नहीं थे उनको भी बुलवाया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने उनको बुलवाया है उसके लिए आपका धन्यवाद। पहले आपने जिनका नाम था उनको बुलवाया उसके बाद कितने लोग उधर से बोले हैं और कितने लोग इधर से बोले हैं आप उसका हिसाब लगा लें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैंने दोनों तरफ से बुलवाया है। मैंने तीन सदस्यों को ज्यादा बुलवाया है जिसमें एक पक्ष का, एक विपक्ष का और एक इंडिपेंडेंट के सदस्य थे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की हमें कोई दिक्कत नहीं है। वह तो आपकी डिस्क्रिशन है। वह जीरो ऑवर का सवाल था लेकिन हमारा है कालिंग अटैंशन का सवाल जिसमें किसानों के बारे में मुख्य मुद्दे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, इन मुद्दों के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया था कि तीन दिन के अन्दर आप छः से ज्यादा मुद्दे नहीं उठा सकते हैं। जिनमें से पिछले दो दिन में चार मुद्दे ले लिये गये हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यही कहना है कि आप हमारा कालिंग अटैंशन मोशन एडमिट क्यों नहीं करते? इस तरह से तो हाऊस नहीं चलेगा कि आप जैसे मर्जी हाऊस चलाओगे। आप गन्ने के भाव के बारे में बताइये क्या रहा?(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपका कालिंग अटैंशन मोशन तो कल ही लगा था जिसमें एक वरूण चौधरी जी का कालिंग अटैंशन मोशन था और दूसरा एक और सदस्य का था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने गन्ने के भाव का क्या किया, गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने तो गन्ने का रेट बढ़ा दिया है और यह सरकार एक रुपया भी नहीं बढ़ा रही है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें यह बताएं कि कौन सा मामला सबज्युडिश है? लोकडाउन में जो शराब की तस्करी का मामला हुआ था उसमें सात–सात लाख शराब की पेटियां बरामद हुई थी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, इस मुद्दे पर तो कल चर्चा हो गई है लेकिन जो मामला सबज्युडिश है उस पर हम चर्चा नहीं करवा सकते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, यहां सभी ने जल भराव का मुद्दा उठाया और सभी ने अपने–अपने हल्के के और मुद्दे भी उठाए हैं जिन पर कालिंग अटैंशन मोशंस नहीं लगे और उसका सरकार जवाब नहीं देगी।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें यह तो बता दीजिए कि कौन सा मामला सबज्युडिश है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, जो मामला सबज्युडिश है उसके बारे में मैंने बताया है। मैंने तो उस कोर्ट का नाम भी बताया है जिसमें वह मामला सबज्युडिश है। आप सुन नहीं रहे तो मैं क्या करूं।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, अगर सदन में इस तरह के काम होंगे तो लोकतंत्र कहां मजबूत होगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें यह तो बता दीजिए कि कौन सा मामला सबज्युडिश है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, जो आप लोगों ने कालिंग अटैंशन लगाया हुआ है वह स्टेट ऑफ हरियाणा डिप्टी कमिश्नर सोनीपत का मामला है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी हुआ है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, जो मामला आप कालिंग अटैंशन मोशन में लेकर आए हैं वह मामला सोनीपत की कोर्ट के अन्दर सबज्युडिश है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हम पहले जो एस.आई.टी. गठित हुई है उसके ऊपर बात करेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, आप जो यह कह रहे हैं कि यह सबज्युडिश मामला है उसमें आप मुझे एक बार यह बताइये कि इस ऑर्डर में डेट कौन सी डली हुई है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभय जी, इस ऑर्डर में 22.12.2022 की डेट डली हुई है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, आज कितनी तारीख है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज 28 तारीख है।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस ऑर्डर को 6 दिन हो गये हैं और आपने पोर्टल पर इस का जवाब आज लिखा हुआ है। क्या आप 6 दिन से सो रहे थे। आप विधान सभा में 6 दिन से क्या कर रहे थे। यह ऑर्डर 22 तारीख का है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैंने बता दिया है कि यह मामला सबज्युडिश है इसलिए इसको नहीं लिया जा सकता। अतः इस कालिंग अटैंशन मोशन को रिजैक्ट कर दिया गया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस पोर्टल पर रात 12 बजे डाला गया है क्या आप उस समय सोए हुए थे। आप 6 दिन से क्या कर रहे थे?(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी मुद्दा है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, यह जो नायर जी पढ़ने जा रहे हैं वह भी एक जरूरी मुद्दा है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नायर : उपाध्यक्ष महोदय, यह पलवल जिले का बहुत जरूरी मुद्दा है। आगरा नहर फरीदाबाद और पलवल जिले को टच करते हुए जाती है।(शोर एवं व्यवधान)**(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)**

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर खड़े हेकर नारेबाजी करने लगे।)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाइये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अब यह सारा उलझा हुआ और फंसा हुआ मामला हो गया है। अध्यक्ष महोदय, आपको तो कोई मजबूरी नहीं है आप तो इसमें रूल के तहत फैसला करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप मेरी कौन सी मजबूरी की बात कर रहे हैं। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सब काम रूल के हिसाब से ही होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह फंसा हुआ मामला हो गया है। पहले तो माननीय सदस्य के कालिंग अटैंशन नोटिस को मंजूर कर लिया गया। सरकार की तरफ से रिप्लाई भी आ गया और माननीय सदस्य को कालिंग अटैंशन नोटिस पढ़ने के लिए भी अलाउ कर दिया गया और जब माननीय सदस्य ने अपनी कालिंग अटैंशन नोटिस को पढ़ना शुरू किया तो कह दिया गया कि यह मैटर सब–ज्युडिश है। अगर मैटर सब–ज्युडिश है तो इस बारे में सब कुछ पहले ही सोचा जाना चाहिए था। जब कालिंग अटैंशन नोटिस को सदन में टेबल कर दिया गया है तो इसके बाद सब–ज्युडिश मैटर कहने की बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता । (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, कालिंग अटैंशन नोटिस टेबल ही तो हुआ है । टेबल होने के बाद इस पर डिस्कस तो नहीं हुआ । आप तो बहुत ही सीनियर सदस्य हैं और भलीभांति जानते हैं कि जो मामला सब–ज्युडिश होता है, उस मामले पर हाउस में डिस्कशन नहीं हो सकती। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, उप–मुख्यमंत्री जी पहले भी तो कह सकते थे कि मामला सब–ज्युडिश है । अभय जी ने यह कालिंग अटैंशन नोटिस दिया था मैंनें भी दिया था। अगर हमें अलाउ कर दिया जाता तो कम से कम हम अपनी बात तो रख ही सकते थे। अध्यक्ष महोदय, हम तो खाली एक प्रोसीजर पूछना चाहते थे कि

सरकार ने इस घटना से सबक लेकर कौन सा ऐसा काम किया है जिससे आगे से प्रदेश को राजस्व का इतना ज्यादा नुकसान न हो। अध्यक्ष महोदय, 7 लाख शराब की पेटियां पकड़ी गई हैं । प्रदेश को करोड़ों रूपये का राजस्व का नुकसान हुआ है और बावजूद इसके हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम तो यह मामला उठाकर केवल यह पूछना चाहते हैं कि what are the procedures they have put in place ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटैंशन नोटिस को एसैप्ट करने का क्या मतलब होता है ? अगर एसैप्ट किया गया है तो उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः नहीं नहीं, अगर मैटर सब–ज्युडिश है तो हाउस में ऐसे विषय पर डिस्कशन नहीं हो सकती। ऐसे तो कोई भी मैम्बर कल किसी भी सब–ज्युडिश मैटर पर चर्चा करवाना चाहेगा तो क्या सदन में उसको अलाउ करने का काम किया जायेगा। ऐसे नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, तो फिर आप बताओ कि कालिंग अटैंशन नोटिस को एसैप्ट करने का क्या मतलब निकाला जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः देखिए, पहले कालिंग अटैंशन नोटिस को इसलिए मंजूर किया गया था क्योंकि इस मैटर के सब–ज्युडिश होने की जानकारी नहीं थी। इस कालिंग अटैंशन नोटिस को एसैप्ट करने के बाद ही यह जानकारी मिली है कि यह मैटर सब–ज्युडिश है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, बाद में जानकारी मिलने का क्या मतलब होता है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, बाद में जानकारी मिलने का मतलब मैं फिर बता देता हूँ कि जब कालिंग अटैंशन नोटिस को मंजूर किया गया था उस वक्त तक कालिंग अटैंशन नोटिस में वर्णित विषय के सब–ज्युडिश से संबंधित हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। बाद में जैसे ही जानकारी मिली कि यह मामला सब–ज्युडिश है तो फिर इस विषय को वहीं पर रोक दिया गया।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप यह बतायें कि आपके पास इस कालिंग अटैंशन नोटिस से संबंधित जवाब सरकार की तरफ से कब आया और सब–ज्युडिश

से संबंधित जानकारी आपको कब मिली। अध्यक्ष महोदय, आप बहुत ही जिम्मेवारी वाले पद पर बैठे हो। मैं कैसे इस बात को मान लूंगा कि आपको अभी इस बात की जानकारी मिली है कि यह मैटर सब–ज्युडिश है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा जी, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। जब हमें इस मैटर की जानकारी अभी मिली है तो वही बात तो मैं आपको बताउंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अगर आपको जानकारी अभी मिली है तो ऐसी सूरत में प्रश्न उठता है कि आपके अधिकारी अब तक क्या कर रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले में सबसे अहम प्रश्न यह है कि जब कालिंग अटैंशन नोटिस को सदन में टेबल किया गया और उपाध्यक्ष महोदय ने कालिंग अटैंशन नोटिस को पढ़ने के लिए अलाउ किया तो उस समय इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया कि यह मैटर सब–ज्युडिश है। जब सरकार को यह पता था तो इस बारे में पहले सूचना क्यों नहीं दी गई। अभय सिंह चौटाला तो सीट पर बाद में पहुंचे हैं। जब डिप्टी स्पीकर साहब ने कालिंग अटैंशन नोटिस को पढ़ने की बात कही तब जाकर अभय सिंह चौटाला अपनी सीट पर पहुंचे हैं। अगर अभय सिंह चौटाला डिप्टी स्पीकर साहब के कालिंग अटैंशन नोटिस के पढ़ने के समय बीच में खड़े होते तो अलग बात होती। जब डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि अब अभय सिंह चौटाला अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े तब अभय सिंह चौटाला अपनी सीट पर पहुंचे और ध्यानाकर्षण सूचना को जैसे ही पढ़ने के लिए तैयार हुए तो कह दिया गया कि मैटर सब–ज्युडिश है। यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, डिप्टी स्पीकर साहब ने कालिंग अटैंशन नोटिस को नहीं पढ़ा था । आप हाउस के बहुत ही सीनियर सदस्य हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि जो मैटर सब–ज्युडिश होता है उसका हाउस में डिस्कस नहीं किया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, वास्तव में डिप्टी स्पीकर साहब को स्वयं कहना चाहिए था कि यह मैटर सब–ज्युडिश है इस पर चर्चा मत करो और ऐसा न करके इन्होंने संबंधित सदस्य को अपने कालिंग अटैंशन नोटिस को पढ़ने की बात कह डाली। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, डिप्टी स्पीकर साहब ने ही तो माननीय सदस्य को रोका था और अब मैं चेयर पर हूं तो अब एज ए स्पीकर मैं रोक रहा हूँ। अब डिप्टी स्पीकर साहब थोड़े ही रोकेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटैंशन नोटिस का रिप्लाई तक सदन में टेबल नहीं किया गया है। इससे सरकार की इंटैंशन साफ झलकती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, अगर हमारी इंटेंशन गलत होती तो हम इस मैटर को पहले ही रिजैक्ट कर देते। हमने कालिंग अटैंशन नोटिस को एसैप्ट करने का काम किया है और एसैप्ट करने के बाद जब जानकारी मिली कि यह सब–ज्युडिश मैटर है तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस मैटर में तो एफ.आई.आर. ही गलत हुई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः देखिए, मामला कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के अंदर केस ले जाने के लिए एफ.आई.आर. जरूरी नहीं होती है। कोई भी कोर्ट में जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, यह कांसपीरेसी है। यह अपोजीशन के साथ कांसपीरेसी है। एक दिन में दो कालिंग अटैंशन नोटिस लगने का प्रावधान होता है। दिखाने के लिए दो कालिंग अटैंशन नोटिस मंजूर कर लिए गए। किसानों का मुद्दा और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों को पहले ही रिजैक्ट कर दिया गया और अब दूसरा मुद्दा सदन में आया था तो इसको भी रिजैक्ट कर दिया गया है। इस तरह का काम करके एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटने की साजिश ही की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आप गवर्नमैंट के साथ मिले हुए हो। यह मेरा आप पर एलीगेशन है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप कुछ भी एलीगेशन लगा सकते हैं। अगर मैं आपके समय की हाउस की प्रोसिडिंग्ज दिखाऊं तो पता चल जायेगा कि आपके स्पीकर काल में एक दिन में एक भी कालिंग अटैंशन नोटिस पर सदन में डिस्कश नहीं हुआ। यह सब उस समय हुआ जब आप स्पीकर के पद पर बैठते थे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे समय में कालिंग अटैंशन मोशन पर सदन में डिस्कशन नहीं हुआ होगा तो यह भी तो हो सकता है कि उस समय किसी ने कालिंग अटैंशन नोटिस ही न दिया हो। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपको यह भी देखना चाहिए कि कालिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा करने की शुरूआत हमने ही की है। अगर प्रजातंत्र का गला घोटने की बात

होती तो यह कालिंग अटैंशन, जीरो आवर या जो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने की आजादी सदन में दी गई है, उसको शुरू करने का काम ही नहीं किया जाता। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कहीं का भी कोई एक कंवैंशन या कोई एक उदाहरण बता दो कि जब कोई कालिंग अटैंशन नोटिस सदन में टेबल कर दी गई हो और उस पर डिस्कशन न होने दी गई। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः देखिए, यह कंवैंशन नहीं है यह तो सब कुछ लिखा हुआ है। टेबल कहीं भी हो सकता है लेकिन मेन मसला डिस्कशन का है। अगर मैटर सब–ज्युडिश है तो ऐसे सब–ज्युडिश मैटर पर हाउस में डिस्कशन नहीं हो सकती।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे किसी भी प्रदेश का कोई एक भी उदाहरण बता दो कि जहां पर कालिंग अटैंशन मोशन के हाउस में टेबल होने के बाद उस पर डिस्कशन न हुई हो। यह गलत कंवैशन है। गलत परंपरा है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि bring the House in order.

श्री अध्यक्षः कादियान जी, जब आप बैठेंगे तभी तो हाउस आर्डर में होगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, ने कॉल एंड शकधर को कोट कर के अपनी बात को जायज ठहराने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय आपको इस कालिंग अटैंशन मोशन पर डिस्कशन करानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, इसमें डिस्कशन नहीं हो सकती, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव टेबल तो हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं लगभग 35 वर्षों से हाउस का सदस्य रहा हूँ। यह गलत परम्परा डाली जा रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हाउस को आर्डर में लाया जाये और कार्यवाही को आगे बढाया जाये। Kaul & Shakdher is not the Constitution.

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, हाउस कुछ रूल्स से चलता है और कुछ कन्वैंशंज से चलता है। आप तो कौल एण्ड शकधर को भी चैलेंज करने लग गये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं ही चैलेंज नहीं कर रहा कौल एण्ड शकधर पार्लियामैंट में भी चैलेंज हुई है।

श्री अध्यक्षः आज तक हाउस में कौल एण्ड शकधर की ही बात करते हैं कि कौल एण्ड शकधर में ऐसा लिखा है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप अपने रूल्स को भी तो बदल रहे हैं।

श्री अध्यक्षः मैंने रूल्स को नहीं बदला। Discussion on sub-judice matters के बारे में रूल्स में लिखा हुआ है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, फिर आप इसको अपनी रूल्ज बुक में लिख देते।

श्री अध्यक्षः रूल्स में पहले से ही लिखा हुआ है। अगर आपको एतराज था तो आप परसों क्यों नहीं बोले। परसों भी तो यही स्थिति थी।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, परसों मैटर टेबल नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, नहीं परसों भी टेबल हो गया था।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपने वक्ता का नाम भी बोल दिया था।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इस पर चर्चा की शुरूआत की थी तो उस समय उनके संज्ञान में ला दिया गया था कि मामला सब–ज्युडिश है। आज नेवा के अन्दर यह एरर है जिसकी वजह से रिप्लाई पब्लिक डोमेन में है। जब तक कंसर्ड रिप्लाई ओरली डिक्टेट नहीं होता, जब तक हाउस में टेबल नहीं होता, आप भी इस हाउस के अध्यक्ष रहे हैं, आपको पता है कि कालिंग अटैंशन के रूल क्या होते हैं । आज के दिन जब तक मैं हाउस में इसका रिप्लाई नहीं दूंगा तब तक नहीं माना जायेगा।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई टेबल हो चुका था और बोलने के लिए श्री अभय सिंह का नाम ले दिया गया था। चाहें तो आप रिकार्ड निकलवा लें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहली बार हुआ है।

श्री अध्यक्षः यह पहली बार नहीं हुआ है। परसों भी ऐसा हुआ था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, वो आप क्वैश्चन के बारे में कह रहे हैं।

श्री अध्यक्षः हुडडा साहब क्वैश्चन की बात नहीं हैं। कोई भी मैटर जो सब–ज्युडिश है वह हाउस के अन्दर डिस्कस नहीं हो सकता।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि आपने क्वैश्चन पर डिस्कशन बंद कर दी क्योंकि आपने कहा कि यह सब–ज्युडिश मैटर है, पर यह डिफरैंट मैटर है। यह मैटर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मैटर तो आज भी डिस्कशन का है। मैटर केवल इतना है कि can this subject be discussed in the House or not?

Shri Bhupinder Singh Hooda: Speaker Sir, have some patience to listen to me. After that whatever you want to react, you may react on it. आज मामला अलग है क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्री अभय सिंह चौटाला अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ेंगे और उसके बाद he was stopped, मैं तो बीच का रास्ता बता रहा था कि श्री अभय सिंह चौटाला को अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ने दो, उसके बाद let the Government reply कि यह मैटर सब–ज्युडिश है इसलिए हम रिप्लाई नहीं दे सकते, here matter ends. हम तो वो भी मानने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, जब डिस्कस हो नहीं सकता तो कैसे पढ़ा जा सकता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह तो हो सकता है कि यह मैटर सब–ज्युडिश है, इसलिए आप ना पढ़े। मेरी नौंवी टर्म है इससे पहले कभी इस तरह नहीं देखा, never in my life. जब चेयर ने ही कह दिया कि आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ें तो to keep the honour of the Chair, क्योंकि चेयर की भी अपनी कोई गरिमा होती है और चेयर की गरिमा को ही रखने के लिये मैंने कहा था कि श्री अभय सिंह चौटाला को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ने दिया जाये। Let the Government reply.

Mr. Speaker: No. It will not happen. Government cannot reply on a matter which is sub-judice.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट यह कह दे कि इस पर डिस्कशन नहीं हो सकती, बात वहीं पर खत्म हो जायेगी, इसलिए माननीय सदस्य को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले पढ़ने तो दीजिए। चेयर की गरिमा का पालन होना चाहिये। Once you have announced, he has the right to read his Motion.

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, यह जो मैटर है सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट हो चुका है। सभी माननीय सदस्यों को पढ़ना भी आता है। इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है कि किसी भी माननीय सदस्य को पढ़ना नहीं आता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सर्कुलेट हो चुका है तो फिर हमें सदन में बैठने की क्या आवश्यकता है। घर बैठकर भी पोर्टल के माध्यम से पढ़ा जा सकता है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, क्या माननीय न्यायालय का सम्मान करना हमारा फर्ज नहीं होता है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमारा माननीय न्यायालय के साथ–साथ चेयर का भी सम्मान करना फर्ज होता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप पहले बात तो सुनिये। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ तो जो हो रहा है वह तो अलग बात है लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमने एक ऐडजर्नमैंट मोशन दिया था लेकिन आपने किसानों से संबंधित हमारा एक भी मुद्दा असैप्ट नहीं किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, केवल 3 दिन के सैशन के लिए अगर माननीय सदस्यगण 55 कॉलिंग अटैंशन मोशंज देंगे तो सभी को कैसे असैप्ट किया जाएगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप न तो जनहित की किसी समस्या को हाउस में डिस्कस करने देते हो, न ऐडजर्नमैंट मोशन को असैप्ट करते हो और न ही कॉलिंग अटैंशन मोशन को असैप्ट करते हो । इसके अलावा जिस सी.ए. नोटिस को असैप्ट किया जाता है बाद में उस पर भी डिस्कशन नहीं करवाई जाती है । आप हमारी बात को मान लीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप मेरी बात सुनिये । आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप दोनों बातें रखिये । आप अपनी कुर्सी का सम्मान भी बरकरार रखो और हर सदस्य का सम्मान भी बरकरार रखो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप मेरी बात को सुनिये । आप सीनियर मैम्बर हो । कई माननीय सदस्य अनेक बार विधान सभा के सदस्य चुने जा चुके हैं । कोई माननीय सदस्य 6 बार विधान सभा का सदस्य चुना जा चुका है तो कोई माननीय सदस्य 7 बार भी विधान सभा का सदस्य चुना जा चुका है और माननीय सदस्य कादियान साहब तो सबसे ज्यादा 7 बार विधान सभा के सदस्य चुने जा चुके हैं । अतः आप जैसे पुराने माननीय सदस्यों को विधान सभा के रूल्ज एंड रैगुलेशंज की पूरी जानकारी है । इसके अलावा सभी माननीय सदस्यों को पता है कि इस सत्र की अवधि 3 दिन है । अगर 3 दिन के सत्र में 55 कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए जाएंगे तो हमें कुछ

कॉलिंग अटैंशन मोशंज को तो रिजैक्ट करना ही पड़ेगा । (विघ्न) हमने ऐडजर्नमैंट मोशन को कॉलिंग अटैंशन मोशन में कंवर्ट भी किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपने किसानों से संबंधित एक भी मुद्दा असैप्ट नहीं किया है । (शोर एवं व्यवधान) सरकार ने हाल ही में ऑर्डर कर दिया कि हम गन्ने का रेट नहीं बढ़ाएंगे तो क्या हम उस विषय पर सदन में बोल भी नहीं सकते ?

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह कॉलिंग अटैंशन मोश्न मैंने दिया था। मैंने उपाध्यक्ष महोदय से यह प्रश्न पूछा था कि कोर्ट का ऑर्डर कब का है, लोग किस दिन कोर्ट में गए और यह मामला किस दिन सब–ज्युडिश हुआ आदि । इस पर जो डेट डाली गई है वह 22 दिसम्बर है । आज 28 दिसम्बर है । अतः आज इसको कुल 6 दिन हो चुके हैं । कल रात को इस सी.ए. नोटिस का आंसर पोर्टल पर अपलोड किया गया है । जब इस सी.ए. नोटिस का आंसर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया और डिप्टी स्पीकर महोदय ने मुझे अपनी सी.ए. मोशन को पढ़ने के लिए कह दिया तथा जब मैं अपनी सी.ए. मोशन को पढ़ने के लिए सदन में खड़ा हुआ तो माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि यह मैटर सब–ज्युडिश है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को उसकी जानकारी दे दी । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को उसकी जानकारी तो दे दी लेकिन जब 22 दिसम्बर को यह मामला कोर्ट में चला गया था तो उस समय क्या विभाग सोया हुआ था ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप यह कह सकते हैं कि अगर इसकी जानकारी दिनांक 22.12.2022 को ही मिल जाती तो अच्छा होता लेकिन किसी बात की सदन को जानकारी मिल गई और उसके पश्चात् किसी सब–ज्युडिश मैटर को हाउस में डिस्कस किया जाता है तो मैं समझता हूं कि वह संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है । (विघ्न)

मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों के घरों को गिराने के संबंध में दिनांक–26.12.2022 को सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या–18 में शब्द विध्वंसक का मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला : ठीक है अध्यक्ष महोदय, अब आप मेरी अगली बात भी सुन लीजिए । मैं आपको परसो की एक बात के बारे में बताना चाहता हूं कि प्रश्न काल में मेरा एक प्रश्न लगा हुआ था । यह बड़ी अहम बात है कि उस समय हाउस में संबंधित मंत्री बैठे नहीं थे, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में खड़े होकर मेरे प्रश्न का जवाब देना शुरू कर दिया । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक शब्द 'विध्वंसक' पढ़ा था । मैंने पोर्टल पर ऑनलाइन जो क्वैश्चन भेजा था वह मेरे पास है। अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय चाहें तो पता लगवा लें कि मेरे प्रश्न में यह शब्द किसने जोड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, इसका पता माननीय मुख्य मंत्री महोदय नहीं बल्कि मैं करवाऊंगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इसका पता करवा लें कि यह शब्द किसने जोड़ा है । अगर यह शब्द किसी ने जोड़ा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, इसे किसी ने ट्रांसलेट किया होगा । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं आप पहले उसे सुन लीजिए । मैंने अपने क्वैश्चन में लिखा था कि –

"नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की सम्पत्ति तोड़ने बारे ।

(क) क्या यह तथ्य सही है कि प्रदेश भर में नशे के कारोबार से जुड़े हुए लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दिया जाए ।

(ख) यह तोड़फोड़ कब शुरू की गयी और अभी तक कितने मकान तोड़े जा चुके हैं?

(ग) क्या नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों को सूचीबद्ध किया गया है ?

(घ) उपरोक्त संबंधित ब्यौरा विवरण सहित दिया जाए ।

मैंने इसके सिवाय अपने प्रश्न में कुछ भी लिखकर नहीं भेजा था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वह बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है ?

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही प्रश्न पढ़ा है जो उनके पास हरियाणा विधान सभा सचिवालय की तरफ से लिखकर भेजा गया था, इसलिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, विधान सभा सचिवालय में कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे प्रश्न को तोड़मरोड़ कर भेजा है ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास लिखित में जो आएगा मैं तो उसी को पढकर उल्लेख करूंगा। इस बात की जांच करना मेरा काम नहीं है कि आपने लिखित में क्या भेजा था? मेरे पास जो लिखकर आया था मैंने उसी के बारे में पढकर बताया है। इसमें गलती कहां पर हुई है ? इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि उसकी छानबीन करवाएं और संबंधित ऑफिशियल पर एक्शन लें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें किसी ने गलती नहीं की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी तरफ से संबंधित शब्द जोड़ा है तो उसके लिए हाऊस में माफी मांगे। अगर किसी ऑफिशियल ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं हाउस को यह एश्योर करना चाहता हूं कि इसमें किसी स्तर पर कहीं पर गलती हुई है जिसके बारे में अभी माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा बताया गया है कि उनके प्रश्न में कोई शब्द जोड़ा गया है। यह शब्द किसने जोड़ा है और क्यों जोड़ा है ? इसके पीछे उसकी इन्टैंशन क्या है? इस मामले की पूरी इन्कवायरी करवाकर एक्शन लेने के बाद मैं सभी को जानकारी दूंगा।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में पूछ लूंगा।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, इसमें आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं आपको जानकारी दे दूंगा।

————————

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमने जो कॉलिंग अटैंशन मोशन लगाया था उसका संबंधित विभाग की तरफ से रिप्लाई आया हुआ है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आप संबंधित मामले में माननीय कोर्ट का रिट नम्बर बता दें। आप संबंधित मामले में नेचर ऑफ रिट बता दें।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह सोच रहे हैं कि कहीं इनके नम्बर न कट जाएं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास संबंधित फोटो कॉपी है।

वॉक आउट

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, पहले आप मेरी बात सुन लें।

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, मैं आपकी बात से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि आप मेरे द्वारा दिए गए कालिंग अटैंशन पर चर्चा नहीं करवा रहे हैं इसलिए मैं सदन से वॉक आउट करके जा रहा हूं। स्पीकर सर, आपने जो तरीका अपनाया हुआ है और जिस तरीके से हाऊस चला रहे हो। ये तरीका प्रजातांत्रिक नहीं है बल्कि यह तानाशाह तरीका है। मैं इस तानाशाह तरीके के खिलाफ सदन से वॉक आउट करके जा रहा हूं।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोक दल पार्टी के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक उनके द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न दिये जाने के विरोध में सदन से वॉक आउट कर गये।)

दादा बनने पर श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. को बधाई

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी दादा बने हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला को दादा बनने के लिए बधाई देता हूं।

(इस समय माननीय सदस्यों द्वारा मेंजे थपथपाकर माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक को दादा बनने पर बधाई दी गयी।)

अस्वीकृत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–27 के स्थान पर दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेने का मामला उठाना।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इसके अतिरिक्त दूसरी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–55 है।

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजर्नमैंट मोशन लगाया था। आपने कहा है कि 57 कॉलिग अटैंशन मोशंज लगाये गये हैं, लेकिन एडजर्नमैंट मोशन तो केवल एक ही लगाया गया था और आप उस पर भी चर्चा नहीं करवा रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आज सदन में चर्चा के लिए 2 कॉलिंग अटैंशन मोशंज लगे हुए थे, लेकिन उनमें से एक रिजैक्ट कर दिया गया है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप नियमानुसार 2 कॉलिंग अटैंशन मोशंज पर चर्चा करवाने के लिए 1 हमारी पार्टी की तरफ से दिये गये कॉलिंग अटैंशन मोशन को स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, अब मैं जिस कॉलिंग अटैंशन पर चर्चा करवाने की बात कह रहा हूं यह भी आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा दिया हुआ है। इसमें किसानों से संबंधित विषय है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आप नियमानुसार 2 कॉलिंग अटैंशन मोशंज पर चर्चा करवा सकते हैं, लेकिन उनमें से 1 कॉलिंग अटैंशन मोशन रिजैक्ट हो गया है, इसलिए आप एक हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये कॉलिंग अटैंशन मोशन को स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप यह गलत परम्परा न डालें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, गलत परम्परा तो पहले से ही डल चुकी है। चूंकि कॉलिंग अटैंशन मोशन टेबल किया हुआ है और उसका रिप्लाई भी आ चुका है लेकिन आप उस पर डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, कॉलिंग अटैंशन मोशन सदन की बैठक शुरू होने से 1 घंटे पहले दिया जा सकता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, हमने सदन की बैठक शुरू होने से पहले कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, मेरे पास आपकी पार्टी की तरफ से दिया हुआ कॉलिंग अटैंशन मोशन है, जोकि आज 11:05 बजे प्राप्त हुआ है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिये हुए हैं, इसलिए आप उन पर डिस्कशन करवा लें।

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों के द्वारा इससे पहले भी बहुत से कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप पहले वाले कॉलिंग अटैंशन मोशंज को छोड़ दें। आप अब जिस कॉलिंग अटैंशन मोशन की बात कर रहे हैं वह मेरे पास आज 11:05 बजे आया है। वैसे तो बहुत से कॉलिंग अटैंशन मोशंज आये हुए हैं उनमें एक कॉलिंग अटैंशन मोशन गन्ने के भाव बढाने से संबंधित भी आया हुआ है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप ऐसी बात न करें। हम आपकी बातों को मानते हैं। हमने टेबल किये हुए कॉलिंग अटैंशन मोशन पर आपकी रूलिंग मान ली है। इसलिए आप एक हमारी बात भी मान लें। आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा कॉलिंग अटैंशन मोशन देने में डिले हुआ है। इसमें किसानों की बहुत ही इम्पोर्टैंट बात है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, इसमें बात यह है कि नियम के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है और ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं बल्कि माननीय सदस्यों द्वारा ही बनवाये गये हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार तो टेबल किए हुए कॉलिंग अटैंशन मोशन पर भी डिस्कस होना चाहिए। आप हमारे कॉलिंग अटैंशन मोशन पर नियमों की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, ये नियम सभी माननीय सदस्यों द्वारा ही बनवाये गये हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी डिस्क्रिशन है, इसलिए इसमें आप एग्जैम्पट कर सकते हैं और आप एग्जैम्पट कर दें।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, मैं एग्जैम्प्ट नहीं कर सकता हूं अगर मैंने इसको एक बार एग्जैम्प्ट कर दिया तो फिर मुझे हर सैशन में इस तरह के मामलों को एग्जैम्प्ट करना पड़ेगा।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक नियम तो यह है कि सदन की बैठक शुरू होने से पहले माननीय सदस्यों द्वारा कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक घंटा पहले दिया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप मेरी अगली बात भी सुन लें। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस तरह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार भी करते हैं तो उसका विभाग को उत्तर देने के लिए समय भी दिया जाता होगा।

श्री अध्यक्षः मुख्यमंत्री जी, इस समय इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यही कहना है कि अगर आप इसको स्वीकार भी करते हैं तो कम से कम विभाग को इसका उत्तर देने के लिए 24 घंटे का समय देना ही पड़ता है इसलिए आज इसको स्वीकार करने का अर्थ नहीं बनता है, हां यह बात सही है कि अगर विधान सभा का सैशन आगे चल रहा होता तब तो इसको स्वीकार करने के बारे में सोचा भी जा सकता था क्योंकि आज इस सैशन का अंतिम दिन है। अगर आज इसको स्वीकार करके अगले बजट सैशन में उसका उत्तर देना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, बजट सत्र में भी प्रस्ताव फ्रैश देना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हमने एक मांग की थी कि सरकार को किसानों के गन्ने का भाव बढ़ाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप प्लीज बैठ जायें क्योंकि आपकी बहुत सारी मांगे हैं। (शोर एवं व्यवधान) कादियान जी, ऐसा है कि आपके नोटिस का जवाब तो सरकार ने देना है, मैंने नहीं देना है और इसलिए किसी भी विषय का उत्तर देने के लिए सरकार को समय चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, सरकार को किसानों के गन्ने का भाव बढ़ाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी शेरो–शायरी कर रहे थे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हमारी कोई बात नहीं मानते हैं। हम सदन में जनहित के मुद्दों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया और कहा, क्या कहा कि भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम में एम. एल.ए. का एक भी रिश्तेदार लगा हो तो दिखा दो। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी यह समझते हैं कि एम.एल.ए. के जो भी रिश्तेदार हैं वे नालायक हैं। कोई किसी काबिल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में एम.एल.ए. के एक भी रिश्तेदार को सिफारिश के आधार पर नौकरी दी हो तो बता दें। हुड्डा साहब, हो सकता है कि मैरिट के आधार पर उन रिश्तेदारों को नौकरी मिली होगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कभी हमें यह बात कह देते हैं कि तुम्हारे सरकार के कार्यकाल में क्या था, मैं उसकी जांच करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये मेरी भी एक बात सुन लें। इनकी सरकार के कार्यकाल को भी 8 साल हो गये हैं इन्होंने लोगों के लिए क्या किया हैं? सदन में स्पोर्टस मिनिस्टर जी बैठे हैं, हमने अपनी सरकार के समय में इनको भी स्पोर्टस पॉलिसी के तहत भर्ती किया था। आपको ये अच्छी तरह से बता देंगे कि उस समय स्पोर्टस पॉलिसी क्या थी? आप चाहें तो यह बात किसी से भी पूछ लो, आपको यही बात बतायेंगे जो मैंने कही है इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक शायरी पढ़कर सुनना चाहता हूं।

चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी,
यहीं इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का,
चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से,
वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट है कि किसानों के गन्ने का भाव बढ़ा दो क्योंकि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने भी एस.ए.पी. के तौर पर 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था। हरियाणा सरकार चाहे तो गन्ने का भाव 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दे या 20 रुपये बढ़ा दे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हुड्डा साहब को एक शेर सुनाना चाहता हूं।

जिसे निभा न सकूं, ऐसा वादा नहीं करता
मैं बात अपनी सीमा से, ज्यादा नहीं करता
तमन्ना रखता हूं, कि आसमान छू लेने की
लेकिन औरों को गिराने का, इरादा नहीं रखता।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक शेर और सुनाना चाहता हूं।

ना पूछ मेरे सब्र की इंतेहा कहां तक हैं,
तू सितम कर ले, तेरी हसरत जहां तक हैं,
वफा की उम्मीद, उन्हें होगी जिनकी आंखें बंद हैं,
मैं तो दुनिया को दिखा रहा हूं, तू बेवफा कहां तक हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हुड्डा साहब को एक और शेर सुनाना चाहता हूं।

हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है,
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जायेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक शेर और सुनाना चाहता हूं।

मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा
इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा

उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ
हमें यकीं था हमारा कुसूर निकलेगा।

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, my submission is that kindly bring the House in order.

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, हाउस ऑर्डर में ही है। यहां पर दो मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक प्रजैंट मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। House is in order.

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष जी, मैं विपक्षी साथियों को कहना चाहूंगा कि

मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए
मेरे लफ्ज आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष जी, मैंने तो केवल एक ही बात कही है कि सरकार गन्ने के भाव बढ़ाये जबकि मुख्यमंत्री जी ध्यान इधर–उधर ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप तो यहां नरवाना के दांतों के डॉक्टर वाला काम कर रहे हैं। हम यहां गन्ने का भाव मांग रहे हैं और आप शेरो शायरी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, नरवाना में एक डॉक्टर बिना किसी चिकित्सा उपकरणों के ही कुर्सी लगाकर बैठ गया और वहां लिखवा दिया कि दांत के दर्द का लाजमी ईलाज और अपने पास दो शीशी मिर्च के पानी की रख ली। डॉक्टर के पास कोई मरीज दांत दर्द की तकलीफ लेकर आया तो डॉक्टर ने उसकी आंख में मिर्च का पानी डाल दिया। इस पर मरीज चिल्लाने लगा कि मेरी आंख–मेरी आंख। इस पर डॉक्टर ने कहा कि तेरे दांत में दर्द है। मरीज बोला कि दांत दर्द को छोड़ो, पहले मेरी आंख देखो। इसी तरह मुख्यमंत्री जी भी मुद्दे से भटका रहे हैं। गन्ने का भाव बढ़ाने पर कुछ नहीं कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि गन्ने के भाव बढ़ाये जाएं।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन यह है कि जहां तक गन्ने के भाव की बात है तो अब गन्ने का भाव 362 रूपये प्रति क्विंटल है। गन्ना 450 रुपये तब बिकता है जब उसमें से खोई भी निकल जाती है, इस हिसाब से 450 रुपये ये निकल आए। उसके बाद 10 किलो चीनी निकलती है, इस हिसाब से 350 रुपये की चीनी निकल आई। उसके बाद 2 किलो गुड़ बनाते हैं 100 रुपये का गुड़ हो गया। उसके बाद भी कुछ सीरा बच गया उससे दारू निकाल लेते है। इस तरह 1500–1600 रुपये 1 क्विटंल गन्ने से मुनाफा हो रहा है। इसलिए आज गन्ने के रेट बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है। मुख्यमंत्री जी, ये फराखदिली की बात है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। उसकी बहबुदी और खुशहाली के लिए आप गन्ने के रेट बढा दीजिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो 15 दिन में पूरा अध्ययन करके रिपोर्ट पेश करेगी। जैसा कहा गया है कि

गन्ने की रिकवरी इतनी है, गन्ने का भाव इतना है, इतना गन्ना खराब हो गया, इतना प्रोफिट हो गया। पिछले 4 साल से लगातार हर मिल को जो घाटा होता है उसकी भरपाई ये सरकार करती है फिर चाहे वे मिलें प्राइवेट हों अथवा सरकारी हों। प्राइवेट मिलों को जो हम भरपाई देते हैं उसे सब्सिडी के नाते से जोड़ना पड़ता है। सरकारी और कॉपरेटिव मिलों पर भी आज लगभग 550 करोड़ कर्ज चढ़ा हुआ है। कॉपरेटिव मिलें हैं, इसलिए इनका हिसाब उनको रखना पड़ता है। यह अलग बात है कि वह पैसा वहां से रिकवर होगा या नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि एक एट पार लेवल चीज आई है। एक एट पार आने के बाद केवल हरियाणा, पंजाब उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश ही ऐसे चार प्रदेश हैं जहां गन्ने के रेट सरकारें घोषित करती हैं और उसके लाभ–हानि का असर सरकार के ऊपर जाता है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में जहां–जहां गन्ना होता है वहां कॉपरेटिव मिलें हैं या प्राइवेट मिलें है उनका रिकवरी और जो चीनी का भाव है या अतिरिक्त खर्चे भी उनके जो और बायो प्रोडेक्ट्स हैं, उन बायो प्रोडेक्ट्स में चाहे बगास है, चाहे मुलेसिज है अब तो एथनॉल वगैरा भी बनने लग गई। इन सबका कम्पैरीजन करने के बाद कृषि मंत्री जी और गन्ने विशेषज्ञों को साथ जोड़कर आज ही एक कमेटी घोषित करेंगे। वे इसका अध्ययन करेंगे कि क्या वास्तव में एट पार आया है। थोड़ी–बहुत पहले हम सब्सिडी देते थे अगर उतनी नहीं तो इसमें कुछ सब्सिडी घोषित करके कोई एक फॉर्मूला जल्दी बनाकर घोषित करेंगे। अभी तो एक बार घोषित कर दिया है ताकि किसानों को पेमैंट मिलना शुरू हो जाए। जब तक यह घोषित नहीं था तब तक पेमैंट रूकी हुई थी। अब चूंकि घोषित किया है इसलिए अब उनको उसकी पेमैंट पिछले भाव से मिलनी शुरू हो गई है। अगर आगे भी कीमत और बढ़ाने की गुजाईश होगी तो 15 दिन के बाद कमेटी रिपोर्ट देगी तो हम बढ़ायेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना है कि हमारा पड़ोसी प्रदेश पंजाब है हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी गन्ने का पंजाब के बराबर ही भाव कर दिया जाये। वो तो 50/– रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सबसिडी दे रहे हैं। हमारा तो बार–बार यही कहना है कि सरकार हरियाणा में गन्ने के भाव को कम से कम पंजाब के बराबर तो कर दे। मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब का किसान हमारे किसानों से ज्यादा अच्छा गन्ना पैदा करता है या हमारे यहां पंजाब में सस्ता खाद मिल रहा है। मेरा मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि हरियाणा में भी गन्ने के भाव को तुरन्त प्रभाव से बढ़ाया जाये। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बाबत आज ही अनाउंसमैंट करनी चाहिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैंने घोषणा कर दी कि इस बारे में गठित कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी तो हम उसके बाद इस बारे में निर्णय ले लेंगे। यह मैंने बोल दिया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही है हमारे लिए यह बहुत तकलीफ वाली बात है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, यह विषय बहुत ठीक है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया। सरकार ने जवाब दे दिया कि नहीं बढ़ा सकते।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी अभी घोषणा कर सकते हैं कि हरियाणा में भी गन्ने का भाव पंजाब के बराबर किया जाता हैं। मेरा तो इतना भी कहना है कि और राज्यों के भावों को तो छोड़ दिया जाये कम से कम पंजाब के बराबर तो हरियाणा में गन्ने का भाव कर ही दिया जाना चाहिए क्योंकि किसानों की मांग तो 450/– रूपये प्रति क्विंटल की है। सरकार गन्ने का भाव इतना न करे लेकिन कम से कम पंजाब के बराबर तरे कर दिया जाये। अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे अभी हरियाणा में गन्ने का भाव पंजाब के बराबर करने की घोषणा कर रहे हैं?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, इस बारे में हुड्डा साहब को 15 दिन बाद बतायेंगे।

वॉक–आउट

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी हमारी हरियाणा में गन्ने के भाव को बढ़ाने की मांग को नहीं मान रहे हैं इसलिए हम इसके विरोध में सदन से वॉक–आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य राज्य में गन्ने का भाव न बढ़ाये जाने की घोषणा न करने के विरोधस्वरूप सदन से वॉक–आउट कर गए।)

———

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(ii) आगरा नहर में दिल्ली से आने वाले रसायन तथा गंदे पानी के मिश्रित होने के कारण जिला फरीदाबाद तथा पलवल में बीमारियों के फैलने से सम्बंधित

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री जगदीश नायर तथा तीन अन्य विधायकों सर्वश्री दीपक मंगला, प्रवीण डागर तथा राजेश नागर द्वारा आगरा नहर में दिल्ली से आने वाले रसायन तथा गंदे पानी के मिश्रित होने के कारण जिला फरीदाबाद तथ पलवल में बीमारियों के फैलने से सम्बंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–55 प्राप्त हुई

है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। अब श्री जगदीश नायर, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

श्री जगदीश नायर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन के संज्ञान में यह लाना चाहूंगा कि आगरा कैनाल में दिल्ली से आ रहे कैमिकलयुक्त व गंदे पानी के आने के कारण आगरा नहर का पानी दूषित होने के कारण हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिले के गांवों में कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। यह एक अति लोकहित का विषय है। आगरा नहर दिल्ली से यमुना नदी से आगे चलकर हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिले से गुजरती है। आगरा नहर में दिल्ली से आ रहा कैमिकल या दिल्ली का गन्दा पानी गुजरता है। इस पानी के कारण हमारे हरियाणा के लोगों को कैंसर, अस्थमा, खुजली, एलर्जिक बीमारी फैल रही है। इसके द्वारा गुजरने वाले पानी को किसान अपने खेतों में प्रयोग में लाता है। जिसके कारण बीमारियों के फैलने का पूरा खतरा बना हुआ है। अतः माननीय अध्यक्ष से अनुरोध है कि इस पर सदन में चर्चा करवाई जाये तथा लोक हित में इस पर सुधारात्मक निर्णय लिया जाए।

वक्तव्य –

परिवहन मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

परिवहन मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा) : अध्यक्ष जी, जो जगदीश नायर जी ने विस्तार से आगरा और गुड़गांव नहर के बारे में बताया है। मैं उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी सदन को देने जा रहा हूं।

1. आगरा कैनाल दिल्ली क्षेत्र से ओखला बैराज पर यमुना नदी से निकलती है और सैक्टर–08, फरीदाबाद तक समानान्तर रूप से दोनों साथ–साथ चलती हैं। बाद में आगरा नहर पूर्व दिशा में बहती है और नजदीक गांव करमन, उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचती है।

2. उसके साथ–साथ वर्ष 2022 के दौरान जिला फरीदाबाद में बदरपुर सीमा पर आगरा नहर की बी.ओ.डी. के संदर्भ में प्रदूषकों की स्थिति 24 से 32 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच है। यह दर्शाता है कि नदी दिल्ली क्षेत्र में बुरी तरह से प्रदूषित हो रही है।

3. यमुना नदी हरियाणा से दिल्ली में पल्ला गांव में प्रवेश करती है और एन.सी.टी.डी. में पल्ला से जैतपुर तक 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नदी ओखला हैड के पास फरीदाबाद जिले में हरियाणा राज्य में फिर से प्रवेश करती है। नदी

दिल्ली क्षेत्र में 62 नालों के माध्यम से आंशिक रूप से उपचारित/अनुपचारित औद्योगिक/सीवेज एफलुएन्ट प्राप्त करती है और इसके परिणामस्वरूप पानी बुरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। दिल्ली के क्षेत्र में 62 नाले हैं जो यमुना नदी में गिरते हैं और 3 नाले दिल्ली क्षेत्र में आगरा नहर में गिरते हैं। इसके अलावा ओखला एस. टी.पी. का डिस्चार्ज आगरा कैनाल में गिरता है।

4. इसके अलावा, फरीदाबाद से 45 एम.एल.डी. का अनुपचारित एफलूएन्ट आगरा नहर में बहता है।

5. दिल्ली की सीमा पर वजीराबाद में, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यमुना नदी की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। नदी में बायो–केमिकल ऑक्सीजन डिमांड(बीओडी) वर्ष 2022 में दिल्ली में प्रवेश करने से पहले 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर की अनुमेय सीमा के मुकाबले 1.2 से 4.8 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच रही है। इससे संकेत मिलता है कि हरियाणा दिल्ली को यमुना का साफ पानी दे रहा है।

6. दिल्ली राज्य ने 2874 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. स्थापित किए हैं लेकिन 3491 एम.एल.डी. का सीवेज पैदा किया जा रहा है। हालांकि, केवल 2714 एम.एल. डी. क्षमता का ही उपयोग किया जा रहा है जो बिना सीवर वाले क्षेत्र को दर्शाता है। इस प्रकार, दिल्ली एस.टी.पी. की अपनी स्थापित क्षमता से अधिक सीवेज पैदा कर रहा है। इन नालों के नेटवर्क के माध्यम से काफी हद तक सीवेज को अनुपचारित यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है।

7. एन.सी.टी., दिल्ली सरकार ने एक विस्तृत रणनीति तैयार की है और एक कार्य योजना प्रस्तुत की है। कार्य योजना में, अन्य बातों के साथ–साथ, मौजूदा एस.टी.पी. और सी.ई.टी.पी. में वृद्धि, आधुनिकीकरण, संशोधन, नए एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. की स्थापना शामिल है ताकि दिल्ली के पूरे क्षेत्र के घरेलू और औद्योगिक सीवेज और अपशिष्ट को शोधित किया जा सके, किसी भी कचरे के यमुना में फैलने से रोकने के लिए कदम उठाना इत्यादि। यमुना नदी में एक प्रकार का ठोस अपशिष्ट, चाहे वह निर्माण मलबा हो या पूजा सामग्री/प्रसाद या नगरपालिका अपशिष्ट आदि के अवशेष।

हरियाणा राज्य द्वारा उठाए गए कदम

1. पर्यावरण विभाग, हरियाणा सरकार ने अपने आदेश दिनांक 23.07.2018 के तहत जिला गुरूग्राम, मेवात, फरीदाबाद और पलवल के विधायकों को सदस्य और

एम.एस., एच.पी.सी.बी. को सदस्य संयोजक के रूप में एक समिति का गठन किया है। इसके अलावा, ए.सी.एस., पर्यावरण और पी.एस., सिंचाई को भी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। समिति की बैठकें दिनांक 12.12.2018, 17.01.2019, 15.09.2020, 18.08.2021 एवं 11.05.2022 को आयोजित की जा चुकी हैं। अंत में, यह निर्णय लिया गया कि पी.एच.ई.डी., यू.एल.बी.डी., सिंचाई, एच.एस.पी.सी.बी. के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए जो गुरूग्राम और आगरा नहर के प्रदूषित पानी के उपचार के लिए उपचार पद्धति/तकनीक का सुझाव दे। जांच के बाद, समिति ने देखा है कि नाली के प्रदूषित पानी की उपचार लागत 1900 रुपये से 3300 रुपये प्रति मिलियन लीटर होगी जो बहुत अधिक है। इस संबंध में रूचि की अभिव्यक्ति पी.एच.ई.डी. द्वारा निष्पादित की जानी थी लेकिन उच्च लागत के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि इसमें हम पर पानी की लागत 01 रुपये 90 पैसे से लेकर 03 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पड़ती है जोकि बहुत ज्यादा है। इसका एक ही रास्ता है कि जहां से सीवरेज निकलते हैं, जहां से सीवरेज का पानी डलता है एस.टी.पी. वहीं लगाया जाए और वहां से हम नदी, नाले या जैसे नीरज जी ने कहा है कि गौच्छी ड्रेन साफ होनी चाहिए या हम आगरा कैनाल से पानी लेंगे ये सब हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह बहुत महंगा पड़ेगा इसलिए हमने एस.टी.पी. वहीं लगाना चाहिए जहां सीवरेज का पानी गिरता हो।

2. राज्य सरकार ने भी यमुना नदी का एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें हरियाणा के उन सभी 11 नालों में प्रदूषण नियंत्रण की परिकल्पना की गई है, जो यमुना नदी में उपचारित/अनुपचारित एफलूवेंट ले जाते हैं। नालों में प्रदूषण के नियंत्रण से प्रदूषित जल यमुना नदी में नहीं जाएगा जिससे आगरा नहर निकलती है।

3. हरियाणा राज्य ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जा रही है। सीवरेज और औद्योगिक प्रवाह के उपचार में शामिल सभी हितधारक विभाग जैसे पी.एच.ई. डी., यू.एल.बी.डी., एच.एस.वी.पी., एच.एस.आई.आई.डी.सी. और जी.एम.डी.ए. के सभी अधिकारी कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में की गई कार्यवाही रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए बैठक में भाग लेते हैं अर्थात जैसे इरीगेशन, नहर व पॉल्यूशन विभाग से संबंधित जितने भी अधिकारी थे सभी ने बैठक में भाग लिया था। इस कार्य योजना के मौजूदा एस.टी.पी. और सी.ई.टी.पी. का निर्माण/सुधार और गैर–अनुमोदित क्षेत्रों

से सीवरेज डालना और सीवरेज का अवरोधन एच.एस.पी.सी.बी. द्वारा जल प्रदूषणकारी उद्योगों की नियमित निगरानी और ऐसे उद्योगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करना आदि शामिल हैं। जो हमारे 11 नाले हैं उनमें फैक्ट्रियों व उद्योगों का पानी डाला जा रहा है हमने उनको रोकने का काम भी किया है।

4. माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने दिनांक 04.02.2019 को मुख्यमंत्री दिल्ली को यमुना नदी और गुरूग्राम नहर में प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में डी.ओ. पत्र भी लिखा है और उनको बार–बार यह भी कहा है कि आगरा कैनाल और गुरूग्राम यमुना नहर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली का होता है। जब हम सोनीपत से हैदपुर से डाटा देते हैं तो 3.0 पॉल्यूशन होता है और आपके दिल्ली में आते–आते इतना बढ़ जाता है। इस पर कई बार कार्यवाही भी की गई है।

निष्कर्ष :–

कार्य योजना के कार्यान्वयन के साथ–साथ पिछले कुछ वर्षों में आगरा नहर के पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसे बायो कैमीकल ऑक्सीजन डिमांड के पैरामीटर के रूप में नियमानुसार दर्शाया जा चुका है।

वर्ष 2017 में 40 बी.ओ.डी. था, वर्ष 2018 में 29 बी.ओ.डी., वर्ष 2019 में 24 बी. ओ.डी, वर्ष 2020 में 22 बी.ओ.डी, वर्ष 2021 में 19 बी.ओ.डी. और वर्ष 2022 में 27. बी.ओ.डी. रहा है। इसमें यह तो नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम तो हुआ है और दिल्ली व हरियाणा दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया है। सबसे ज्यादा पॉलूशन दिल्ली की तरफ से गिरता है। उनसे हम बार–बार मीटिंग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और जब बारिश होती है तो धीरे–धीरे बी.ओ.डी. घट जाता है क्योंकि उसमें बारिश का पानी मिल जाता है। जब बारिश बन्द हो जाती है तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन की मात्रा दिल्ली में होती है।

माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा उस कार्य योजना की बहुत बारीकी से समीक्षा की जा रही है और निकट भविष्य में इस समस्या का काफी हद तक समाधान होने की उम्मीद है। शीघ्र ही पड़ोसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के साथ अन्तर्राज्य बैठक आयोजित करने की योजना है। धन्यवाद।

श्री जगदीश नॉयरः अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय मंत्री जी ने काफी कुछ सुधार के लिए जो कई प्रकार की बातें कही हैं, मैं उन बातों से सहमत भी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह मामला वर्ष 1996 में इसी विधान सभा में उठाया था और मुझे खेद है कि

बीच में कांग्रेस की सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष भी अभी सदन में मौजूद हैं और उनकी जानकारी में यह सब कुछ जरूर होगा। मैंने उस समय ये मुद्दा बड़े–जोर से उठाया था लेकिन इस विषय पर काम नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, यहां पर ऐसे हालात बने हुए हैं कि अगर कोई सदस्य उस पानी के पास खड़ा भी हो जाये तो तुरंत बीमार हो जायेगा। हमारे एरिया का किसान, फरीदाबाद जिले का किसान तथा पलवल जिले का किसान डेली अपनी फसल को उगाने के लिए, इस पानी को यूज में लेता है जिसकी वजह से पशुओं में बीमारियां फैल रही हैं और यही नहीं यहां के लोगों में भी बीमारियां फैलती जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, एक लंबे समय से यह नहर वहां से गुजर रही है लेकिन कभी किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से इसमें प्रदूषण बढ़ता ही चला गया। जो दिल्ली की गंदगी थी, उस गंदगी के रूकाव के लिए सरकारों ने कभी काम ही नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री महोदय जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा और सुझाव भी देना चाहूंगा वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने लैटर लिखकर दिल्ली सरकार को इस बारे में आगाह करने का काम भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 4.2.2019 को दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर आगाह किया था कि इनके यहां जो सीवरेज का गंदा पानी है और फैक्ट्रियों का कैमिकल युक्त जो गंदा पानी है, उसके लिए अलग से कोई रास्ता निकाला जाये और इस गंदे पानी को आगरा नहर में न डाला जाये। अध्यक्ष महोदय, इस गंदे पानी की वजह से हमारे यहां कैंसर जैसी बीमारियां, एलर्जिक बीमारियां तथा खुजली जैसी बीमारियां फैल रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बासवां गांव है जिसमें 27 कैंसर के केसिज पाए गए थे और पिछले साल डाक्टरों की टीम भेजकर यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह विषय सदन में उठाना बहुत जरूरी था इसलिए मैं आज यह मामला इस महान सदन के संज्ञान में लेकर आया हूँ और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर टैक्निकल एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाकर इसका निरीक्षण करने का काम किया जाना चाहिए। वैसे तो आलरेडी इस विषय पर कमेटी बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, इस नहर से जो गंदा पानी बहता है, के संदर्भ में मैं अपने पूरे इलाके की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमें इस गंदे पानी की कोई जरूरत नहीं है। इस गंदे पानी की वजह से हमारे यहां के लोग बीमारियों से ग्रस्त होकर मरते जा रहे हैं। अतः बैटर तो यही होगा कि इस नहर के पानी को बंद कर दिया जाये क्योकि इसकी वजह से हमारे

सारे क्षेत्र में बीमारियों का आकार बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यह अनुरोध करते हुए, अपना स्थान लेता हूँ कि इस विषय पर टैक्निकल एक्सपर्ट लोगों की एक विशेष कमेटी गठित करके संज्ञान लेने का काम किया जाये और आगरा नहर में गंदे व कैमिकल युक्त पानी को आने से रोका जाये। जय हिन्द।

श्री दीपक मंगलाः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस ध्यानाकषण प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आज जो विषय सदन में आया है यह हमारे पलवल, फरीदाबाद बार्डर से लेकर यू.पी. बार्डर तक के हमारे किसानों का तथा हमारे लोगों के जीवन–मरण का प्रश्न है। वैसे तो इसके लिए सरकार उपाय कर ही रही है जिसके लिए मैं सराहना करता हूँ लेकिन जैसाकि अभी हमारे माननीय विधायक जगदीश नायर जी ने इनके यहां के बासवां गांव के बारे में बताया ठीक ऐसे ही हमारे यहां लांडिया कारूंधी के साथ–साथ अनेकों ऐसे गांव है जो यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं और वहां पर गंदे पानी की वजह से तरह–तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि ऐसे गांव जिनमें कैंसर व दमा जैसी भयंकर बीमारियां बुरी तरह से फैलती जा रही हैं, का सर्वे करवाकर, वहां पर लोगों को साफ पानी देने के उपाय किए जाने चाहिए और साथ ही इन भयंकर बीमारियों को दूर करने के लिए भी आवश्यक व प्रभावी कदम उठाये जायें ताकि हमारे यहां के आम जन–मानस को इन बीमारियों से छुटकारा मिल सके और वे राहत की सांस ले सकें। यह मेरा एक सुझाव भी है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर यह गंदा पानी सिंचाई के लिए प्रयोग होता है लेकिन अगर इस पानी में कोई हाथ भी डाले तो उसके हाथ में उसी समय खुजली हो जाती है अतः ऐसे बड़े–बड़े कोई संयंत्र लगाये जायें ताकि इस गंदे पानी को साफ करके हमारे ही इलाके में पुनः प्रयोग किया जा सके। वैसे अब तो दुनिया भर में पानी साफ करने के संयत्र भी आ गए है। इस गंदे पानी के प्रबंधन के लिए जो कमेटी बनाई गई है, हमारे मंत्री जी उस कमेटी के चेयरमैन भी है और इस कमेटी की एक मीटिंग भी हुई थी और उसमें ऐसे सुझाव आये थे कि जितनी जल्दी हम इस विषय को आगे लेकर जायेंगे उतनी जल्दी ही जो हमारा दिल्ली बार्डर से लेकर यू.पी. बार्डर के साथ लगता हरियाणा का क्षेत्र है, वहां के लोगों को गंदे पानी की समस्या से बहुत राहत मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री प्रवीण डागरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई कैंसर और अन्य बीमारियों से पीड़ित होते जा रहे हैं, सरकार को इस तरफ तुरंत प्रभाव से ध्यान देना चाहिये। मेरा एक सुझाव यह है कि बरसात के समय दो महीने हमें नहरों से पानी मिल जाये, बाकी 10 महीने इस पानी को यमुना नदी के माध्यम से नालों तक पहुँचाया जाये और नहरों को बंद किया जाये। अध्यक्ष महोदय, यदि मौतों की परसेंटेज निकाली जाये तो लगभग 100 मौतों में से 40 मौतें कैंसर के कारण हो रही है। जिसका मुख्य कारण सिर्फ पानी ही है। इससे हमारे किसान भाई हताश और परेशान हैं। जब तक इस दिशा में कोई ट्रीटमैंट प्लांट ना लगाया जाये तब तक यमुना नदी के माध्यम से पानी सीधा नालों में पहुँचाया जाये और नहरें बंद की जाये। बरसात के दिनों में हमारे किसान भाइयों को नहरों के माध्यम से पानी दिया जाये। हमारे दो जिले फरीदाबाद और पलवल ही प्रभावित नहीं है बल्कि मेवात (नूंह) और गुरूग्राम जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जो नहरों से सिंचाई करते हैं, वे संबंधित किसान भाई भी इसी तरह से परेशान हैं। अध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी कोई न कोई ट्रीटमैंट प्लांट लगाकर इस समस्या का समाधान करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश नागरः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा दिल्ली को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर यमुना का पूरा पानी दिल्ली–हरियाणा सीमा के पल्ला गांव में देता है, तब इसका बी.ओ.डी. लैवल 2.5 होता है लेकिन पल्ला से करीब 5 किलोमीटर दिल्ली की सीमा से गुजरता यह पानी जब ओखला बैराज पर हमें फरीदाबाद–पलवल के लिए मिलता है तो इसका बी.ओ.डी. लैवल 37 होता है। अध्यक्ष महोदय, यानी हम साफ पानी दिल्ली जल बोर्ड को देते हैं और दिल्ली सरकार हमें जहरीला पानी देती है। ओखला बैराज पर यमुना के पानी से ही हमारे क्षेत्रों की आगरा और गुरूग्राम कैनाल भरी जाती हैं। इन नहरों का पानी हमारे मेहनतकश किसान खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं फरीदाबाद की आधी से अधिक शहरी क्षेत्र की आबादी तो यमुना के पानी को ही रैनीवेल के माध्यम से पीती है। अभी हाल ही में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने इस पानी के नमूनों की जांच कराई तो पाया कि पानी के सभी नमूने फेल थे। फरीदाबाद–पलवल के खेतों में

दिल्ली सरकार की नाकामी और लापरवाही की वजह न सिर्फ फसल की गुणवत्ता के मापदंड कम हैं बल्कि पीने के पानी की गुणवत्ता भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे में क्या हो रहा है? लोग तरह–तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये दिल्ली की 'आम आदमी पार्टी' की सरकार जिम्मेदार है। मैं तो चाहता हूँ कि इस बारे में पूरा सदन एकजुट होकर हमारा साथ दे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक जागरण का, जिन्होंने यह मुद्दा समय–समय पर उठाया। इस बाबत दिल्ली और हरियाणा के आंकड़ों से युक्त दैनिक जागरण में प्रकाशित तथ्यात्मक समाचार की प्रति भी मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम सदन की एकजुटता और राज्य सरकार का ध्यान इसलिए भी आकर्षित करना चाहते हैं कि यमुना, भगवान श्रीकृष्ण की जन्म स्थली वृंदावन तक जाती है। पहले वहां पहुँचने वाले श्रद्धालु यमुना के पानी में स्नान कर पानी का आचमन करते थे लेकिन अब दिल्ली के गंदे नालों के प्रदूषित और कैमिकल युक्त पानी की बदबू से यमुना किनारे खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि लाखों लोगों के स्वास्थ्य और आस्था से जुड़े मुद्दे पर सरकार ध्यान करे और सरकार दिल्ली सरकार से यमुना की शुद्धता सुनिश्चित कराए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह मुद्दा हमारे राज्य का है। दिल्ली सरकार का जहां पानी सोनीपत से आ रहा है, वह फरीदाबाद आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने गोच्छी ड्रेन का जिक्र भी किया था। अध्यक्ष महोदय, एन.जी.टी. की टीम भी वहां आई थी। यही सारा का सारा पानी गुरूग्राम नहर से होकर पूरे मेवात तक जा रहा है। हम जब अपने इलाके में जाते हैं तो किसी भी दिन ऐसा सुनने को नहीं मिलता कि आज कोई कैंसर की बीमारी से ना मरा हो। यमुना नदी के किनारे पर रैनीवेल लगे हुए हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पानी है उसका टी.डी.एस. 2300 से 2800 तक है । कोई भी आर. ओ. उस पानी को ठीक नहीं कर सकता । इस पर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिपोर्ट भी आई है । हम सभी काम कर रहे हैं । सरकार को जिस भी क्षेत्र में हमारी जो भी जरूरत हो हमारी पूरी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं । यह लोगों की जिन्दगी का सवाल है । उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए । इसके अलावा हमारी गोच्छी ड्रेन के लिए 'नमामि गंगे' का एक प्रोजैक्ट खास तौर पर आ रहा है । इस बारे में भारत सरकार से भी बात हुई है । गोच्छी ड्रेन 5–6 विधान

सभा क्षेत्रों को टच करती है । अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उस प्रोजैक्ट का पैसा गोच्छी ड्रेन पर अवश्य लगाया जाए।

श्री मामन खान : शुक्रिया सर । सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य श्री जगदीश नायर, माननीय सदस्य श्री दीपक मंगला, माननीय सदस्य श्री राजेश नागर और माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने सदन में उस क्षेत्र की एक गम्भीर समस्या को रखा है । मेरा कहना है कि हमारा मेवात भी इससे काफी इफैक्टिड है । मैंने यह क्वैश्चन जीरो आवर में भी उठाया था । प्रदूषण से संबंधित कमेटी के माननीय मंत्री पंडित मूल चन्द शर्मा जी चेयरमैन हैं । उस कमेटी की अभी तक 3 ही मीटिंग्ज हुई हैं । उन मीटिंग्ज में कई कम्पनियां बुलाई गई थी और उनको डेमो देने के लिए भी कहा गया था । उन कम्पनियों ने कहा था कि आप हमें जगह दे दो, हम आपको पानी को ट्रीट करके पीने योग्य साफ पानी देंगे । अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री जी दोनों बैठे हुए हैं । मेरा प्रश्न है कि उन कम्पनियों को जगह क्यों नहीं दे दी जाती ताकि हमारे क्षेत्र को पीने योग्य साफ पानी मिल सके । यह मामला मीटिंग्ज में अनेक बार डिस्कस हो चुका है । पानी साफ होगा तो किसानों की फसल अच्छी होगी और इससे उनको लाभ होगा, लोग कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचेंगे आदि । अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि एक बार मीटिंग बुलाकर इस विषय का संज्ञान लिया जाए । धन्यवाद ।

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जगदीश नायर, माननीय सदस्य श्री दीपक मंगला, माननीय सदस्य श्री राजेश नागर, माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा और माननीय सदस्य श्री मामन खान ने जो जानकारी दी है वह बिल्कुल सत्य है । इन माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में गुड़गांव कैनाल और आगरा कैनाल से पानी जाता है । इन कैनाल्स का पानी पहले फरीदाबाद में एंट्री करता है, फिर पलवल में जाता है, फिर गुरूग्राम और उसके बाद मेवात में जाता है । इन क्षेत्रों में पानी के सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही है । इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिल्ली सरकार को कई बार पत्र लिखे हैं । हरियाणा में ठीक पानी दिया जाता है । अगर सोनीपत की बात करें तो वहां पर बो.ओ.डी. केवल 3 है लेकिन यह पानी दिल्ली की सीमा में 52 किलोमीटर तक चलता है । इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिल्ली सरकार को कई बार लैटर्ज भी लिखे हैं और उनके साथ कई मीटिंग्ज भी कर चुके हैं । हम प्रयास करेंगे कि दक्षिण हरियाणा में दिए जाने वाले पानी में जल्दी–से–जल्दी सुधार हो ।

ब्लॉक रायपुर रानी, जिला पंचकूला, की ब्लॉक विकास समिति के नव–निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज पंचकुला के रायपुररानी खण्ड के प्रखण्ड विकास समिति के नव–निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सदन की दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं, मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ ।

————————

सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज–पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर नेवा पोर्टल के माध्यम से कागज–पत्र रखेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूं –

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 05/15/2016-1 ए आर, दिनांकित 19 अक्तूबर, 2022 (ग्रुप-क सेवा नियम) ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 05/15/2016-1 ए आर, दिनांकित 19 अक्तूबर, 2022 (ग्रुप-ख सेवा नियम) ।

विधायी कार्य–

(i) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. दि हरियाणा सिख गुरद्वाराज (मैनेजमैंट) अमैंडमैंट बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए ।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि यह जो हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी है, यह सिख आस्था की एक संस्था है। इसको सिखों के कल्याण और उनके संबंधित गुरूद्वारों के रख–रखाव के लिए बनाया गया है। इसकी प्रेरणा शिरोमणि कमेटी ऑल इंडिया एक्ट की मर्यादा के अनुसार ही होनी चाहिए। चूंकि शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऑल इंडिया गुरूद्वारा एक्ट, सन् 1925 में बना था और सन् 1920 में संबंधित गुरूद्वारों पर अंग्रेजों ने महंत बैठा दिए थे। उन महंतों को निकालने के लिए हजारों सिखों ने कुर्बानियां दी थी तब सन् 1921 में जाकर संबंधित सभी गुरूद्वारे आजाद हुए थे। तब से सिखों को इनका रख–रखाव मिला था और उसके अंदर एक मर्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहूंगा कि इनका सरपरस्त गुरूग्रंथ साहिब के अलावा कोई नहीं हो सकता। शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी ऑल इंडिया का सरपरस्त भी गुरूग्रंथ साहिब ही है। इसमें अमैंडमेंट की जा रही है कि एक चुना हुआ व्यक्ति इसका सरपरस्त होगा और उसका patron होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर विरोध है और यह बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि जो उस मर्यादा को पूरा नहीं करता है वह इसका मैम्बर नहीं बन सकता है। उदाहरण के तौर पर मुझे ही लें। मैं सिख हूं, लेकिन मैं संबंधित कमेटी का मैम्बर बनने की मर्यादा पूरी नहीं करता तो मैं इसका मैम्बर नहीं बन सकता। मैं इसमें विश्वास रख सकता हूं, आस्था रख सकता हूं, लेकिन संबंधित कमेटी का मैम्बर नहीं बन सकता। इसमें अभी जो कमेटी बनी है उसको देखकर मुझे लगता है कि वह आर.एस.एस. की एक राष्ट्रीय संगत है, शायद, उसी का परिरूप है, जो संबंधित कमेटी में दर्शाया गया है। संबंधित कमेटी में आर.एस.एस. और बीजेपी के ही व्यक्ति मैम्बर बना दिए गए हैं और जिसको प्रधान बनाया गया है, वह खुद ही एक गुरूद्वारे का महंत है। आज के दिन जो हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं, पहले वे उस जिले के डी. सी. थे। इसलिए आप उनसे पूछ लें कि जब गुरूद्वारे का झगड़ा हुआ था तो उन्होंने ही उसको संबंधित गुरूद्वारे का कब्जा दिलवाया था। ऐसे महंत को दोबारा बैठाना है तो क्या सन् 1919–20 वाला समय लाना है ? अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही एक विनती है कि इसके लिए बहुत से लोगों ने लड़ाई लड़ी है। इसके लिए श्री जगदीश झींडा, श्री दीदार सिंह नलवी के अलावा ऑल हरियाणा के सिखों ने 22 साल तक लड़ाई लड़कर अलग बनवाया है। यह संबंधित कमेटी कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। ये लोग उस समय से लेकर सुप्रीम कोर्ट में

केस लड़ रहे थे। अब उन्हीं लोगों को इससे दूर कर दिया गया है। इसमें संबंधित कमेटी के मैम्बर्ज सरकार ने ही बनाने हैं उनमें चाहे सरकार अपने नुमाइंदे को ही बना दें, लेकिन जो मर्यादा पूरी करते हैं, उन्हीं को बनाएं। अगर गैर–मर्यादित लोगों को इसका मैम्बर बनाओगे तो उससे सिखों में रोष बढ़ेगा और इसका आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। धन्यवाद।

Shri Bharat Bhushan Battra (Rohtak): Hon'ble Speaker Sir, thank you for giving me an opportunity to speak. जब वर्ष 2014 में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमैंट, एक्ट पास हुआ था और उसको दिनांक 14.07.2014 को गर्वनर साहब ने मंजूरी दी थी। उस टाईम यह जो एक्ट लाया गया था, उसकी हमारे स्टेट में एक लोंग स्टैंडिंग सिख कम्युनिटी ने डिमांड की थी। मैं यह भी कहने में संकोच नहीं करूंगा। चूंकि यह बात पुरानी हो गयी है कि जब उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब ने इसका initiative लिया था तो पंजाब में सिखों ने एक बहुत बड़ा resenting attitude दिखाया था। जिस तरह का पंजाब राज्य का माहौल है, जैसे पंजाब राज्य में टैरिरिस्ट मूवमैंट है या दूसरी चीजें हैं। उस समय के स्टेट के सी.आई.डी. के प्रमुख और पुलिस के अधिकारी फीड बैक देते थे कि ये जो मूवमैंट हुड्डा साहब चला रहे हैं, there can be a threat. मगर उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा था कि मैं इन बातों की परवाह नहीं करुंगा और संबंधित कानून आएगा और अल्टीमेटली वह कानून आया। इस हाउस के अंदर यह बात ठीक है कि इस सरकार के कार्यकाल में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अच्छा वर्डिक्ट मिला। इस हाउस को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उस टाइम इन्होंने इस गुरूद्वारा एक्ट से संबंधित बोल्ड स्टैप लिया और पिछले लम्बे समय से जो हमारी डिमांड थी, उसको पूरा करने का काम किया। इसके बाद इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री और भी है। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि गुरूद्वारा एक्ट को पैंडिंग इसलिए रखा गया था जब reorganization of the States हुई थी और जब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल बना था। उस टाइम भी यह इशू अराइज हुआ था। इस एक्ट के लिए एक लम्बी लड़ाई लड़ी गई थी और विदिन कम्युनिटी भी इस बात के लिए मूवमैंट चला था और उस मूवमैंट के अंदर पंजाब की एस.जी.पी.सी. और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी हरियाणा के सिखों के साथ इन्टरफेयर किया और इस बात का दबाव डाला गया था, जहां से भी एस.जी.पी.सी. के मैम्बर भी बनाये गये थे, उनको

इस बात के लिए कहा गया था कि हरियाणा में गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वह नहीं बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें बड़े नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आप सभी इस बात को जानते हैं, जिन्होंने वहां पर एस.जी.पी.सी. को कंट्रोल किया हुआ है, मैं उनका नाम सदन के सामने नहीं लेना चाहता हूं। जैसे हमारे साथी शमशेर सिंह गोगी जी ने कहा कि उस टाइम एक्ट बना था और इसके लिए एडहॉक कमेटी भी बनाई गई थी। इस कमेटी में सिख पंथ के बहुत ज्यादा लोग थे और वे यह बात सोचते थे कि हरियाणा में इतनी हमारी असैट्स हैं और वह असैट्स हमारे प्रांत को क्यों न मिले। अध्यक्ष महोदय, पंजाब से लोग हमारे यहां पर अपना एस.जी.पी.सी. का मेडिकल कॉलेज खोल लेते हैं लेकिन इसको बनाने के लिए पैसे हमारे लगे हुए हैं। ऐसे ही हमारे नाडा साहब गुरूद्वारा है वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी माथा टेकने गये थे और दूसरे गुरूद्वारों में भी माथा टेकने गये थे। मेरे कहने का मतलब यही है कि वहां से जितना पैसा आता है वो इस स्टेट के सिख कम्युनिटी के फायदे के लिए ही होता है ना कि किसी और के फायदे के लिए पैसा है। इस बात के लिए सदन के अंदर पुरानी सरकार को भी बधाई का पात्र मानना चाहिए और इस हरियाणा सरकार को भी, क्योंकि हरियाणा सरकार के इस कार्यकाल में इस लड़ाई में जीत हुई है। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हमने इसमें इक्ट्ठे ही सांझा लक्ष्य प्राप्त किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपना पसर्नल इंट्रैस्ट लेकर इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। बड़े–बड़े ज्युडिशियल व्यक्ति जैसे श्री वेणुगोपाल और श्री कपिल सिब्बल से वे बात करते थे कि कोर्ट में हमारा केस अच्छी तरह डिफैंड होना चाहिए। पंजाब ने हमारे हरियाणा का एक श्री हरभजन सिंह, कुरूक्षेत्र का था वह एस.जी.पी.सी. का मैम्बर था उससे गुरूद्वारा एक्ट को चेलैंज करवा दिया था। मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं कि what is its constitution, कौन सा प्रोवीजन है, कौन सा शैड्यूल है और कौन से शैड्यूल टू के अंदर हमारे राईट बनते हैं। हमारे स्टेट में हमारे क्या राईट बनते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि चूंकि पंजाब तो नहीं चाहता था लेकिन उस समय Harbhajan Singh from SGPC from Kurukshetra ने विधान सभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिविल रिट पैटीशन वर्ष 2014 में फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको status quo का ऑर्डर दिया था और यह बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि दिनांक 20.09.2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरूद्वारा मैनेजमैंट एक्ट 2014 की वैलिडिटी को मैंटेन रखा और सिख कम्युनिटी

हरियाणा वालों को हरियाणा का हक दिया और कहा कि यह कोई आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 की कोई वायलेशन नहीं है। किसी प्रांत की सिख कम्युनिटी माइनोरिटी कम्युनिटी है वह अपनी एक संस्था बना सकती है। उसके बाद यह अमैंडमैंट आपके सामने आई है। इसमें सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी आपने उनको क्यों हटा दिया? जिन लोगों ने पहले जो डिमांड की उस डिमांड को छोड़ दीजिए, लेकिन इन्होंने 8 साल इस मुकदमे में लड़ाई लड़ी और उस समय हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के पास पैसे नहीं थे, ये किसी गुल्लक के मालिक नहीं थे। इनको किसी गुरुद्वारे में एंट्र भी नहीं करने दिया जाता था। हमारे 52 गुरुद्वारे हैं जिनमें से 48 गुरुद्वारे हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कंट्रोल के अन्दर हैं, मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते हैं इन लोगों ने बिना पैसे के लड़ाई लड़ी है फिर चाहे इन्होंने आपस में डोनेशन करके ही क्यों न लड़ाई लड़ी हो। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने का मतलब एक पेशी के लिए कम से कम 10–15 या 20 लाख रुपये होने चाहिए। इससे कम रुपये किसी हालत में नहीं लगते, न ही कोई सीनियर एडवोकेट इससे कम रुपये लेता है। आपको उन लोगों के एफर्टस को एप्रीशियट करना चाहिए। इसका एकदम जैसे ही फैसला आया आपको इसका पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाना चाहिए था, यह एक कम्युनिटी एट लार्ज का सारे सिस्टम का फैसला है।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप अपनी बातें थोड़ी शॉर्टकट करके कहने की कोशिश कीजिए।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम बिल पर अभी नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप बोलिए मैं मना नहीं कर रहा, परन्तु समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को थोड़ी शॉर्ट करके कहने की कोशिश कीजिए।

श्री भारत भूषण बतराः ठीक है, अध्यक्ष जी मैं अपनी बात शॉर्ट कर देता हूं। जब ये अमैंडमैंट आयी तो इस अमैंडमैंट से पहले भी एक्ट में था कि 41 मैम्बर्ज की कमेटी का गठन उस समय एक्ट बना और उस पर स्टेट्स क्यओ (status quo) हो गया। उस समय भी उस एक्ट में 18 महीने का समय रखा गया वह एक वाजिब चीज थी कि लोग मैम्बर बनेंगे, लोग आएंगे, रजिस्टर्ड होंगे, एक बॉडी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बॉडी बनेगी, तहसील लैवल पर और स्टेट लैवल पर बॉडी बनेगी जिसका चुनाव होगा इसमें यह सब प्रोसैस होगा और इस सब के लिए 18 महीने का समय रखा

गया था। सरकार को 18 महीने का समय न रखकर कम समय रखना चाहिए था, क्योंकि अलटीमेटली यह विषय उठेगा कि यह कमेटी तो सरकारी कमेटी हो गई है और इस बात को कोई भी चेलैंज कर देगा कि 36 महीने तक तो सरकार ही इसकी मालिक है। अगर कहीं से कोर्ट का कोई एडवर्स ऑर्डर आ गया तब क्या फैट होगा। 18 महीने उस समय हालत के हिसाब से ठीक रखे गये थे। अब आप चुनाव करवाएं 6 महीने में चुनाव हो जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने 18 महीने क्यों रख दिए और उन 18 महीने के बाद आपने उसके अन्दर एक और क्लॉज डाल दी कि एक और 18 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी। Speaker Sahib, this is unjustified? भविष्य में इस बारे में काम्पिलेकशन होगी। आपने जो लड़ाई लड़ी, वह हरियाणा के सिखों के लिए लड़ी, कोई कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ी, प्रदेश ने एक स्टैंड लिया। आज मैं एक सरकार की बात नहीं करता, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन यह सरकार का एक सराहनीय कदम रहा। चाहे यह पिछली सरकार का सराहनीय कदम रहा हो, चाहे इस सरकार का सराहनीय कदम रहा हो। परन्तु आप इसे 3 वर्ष लगातार करेंगे तो कोई न कोई एस.जी.पी.सी. सुप्रीम कोर्ट के अन्दर रिव्यू पिटीशन डालेगी तब वहां यह कहेंगे कि this is being managed by the Government not by the Sikh Community. मैं इस अमैंडमैंट पर यह चाहता हूं कि अगर 18 महीने से कम का टाइम सी.एम. साहब दे दें तो बहुत अच्छा होगा, उनको इस पीरियड के अन्दर प्रोसैस को मैनेज करने दो। इसकी इन्कम करोड़ों रुपयों में है। नाड़ा साहिब जैसे गुरुद्वारे में तो एक दिन में 5 लाख रुपये की इन्कम आती है। इस इन्कम से मेडिकल कॉलेज बनाएंगे स्कूल बनाएंगे या और भी बहुत कुछ बनाएंगे, क्योंकि सिख कम्युनिटी का अपना बहुत बड़ा इतिहास है, वे इस बात के लिए काम करेंगे। आपने 36 माह का समय बिल्कुल गलत रखा है, जो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि इसका गलत इंम्प्रैशन जाएगा। इसके लिए कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट में चला जाएगा तो फिर से आपको मुकदमे लड़ने पड़ेंगे और जीती हुई लड़ाई फिर से खटाई में पड़ जाएगी इसमें और कोई बात नहीं है, इसलिए आप इसको संजीदगी से लीजिए। अपने एल.आर. से ऑपिनियन लीजिए और अपने ऑफिसर्स से कंसल्ट कीजिए। 18 महीने से भी कम समय रखकर इस ऑर्डिनैंस को वापस करके दोबारा से ऑर्डिनैंस में थोड़ा कम समय कीजिए। आपने तो एच.एस. भल्ला को इसका इलैक्शन ऑफिसर्स भी बना दिया है। इसके लिए 18 महीने का समय नहीं चाहिए। यहां असैम्बली के चुनावों में इलैक्शन कमीशन 3 महीने

के अन्दर सब कुछ करवा देता है जबकि आपने यहां चुनावों के लिए 18 महीने रख दिये हैं। सैकिण्ड पार्ट में यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोगी जी, ने जैसे पैट्रन की बात की है, this is not in favour of religious sentiments. We are playing with the sentiments of the Sikh community. वे यह कहते हैं कि पैट्रन तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं, जब कमेटी ही बन गई, उसके प्रेजिडेंस बन गए तो what will be the function of the patrons. I request the Hon'ble Chief Minister that इस पैट्रन वाली बात को विड्रॉ कर दें क्योंकि यह न तो हमारे हित में है और न ही सिख कम्युनिटी के हित में है। जिस सिख कम्युनिटी के लिए सरकारों ने काम किया है उनको अपनी अकसियत दिलवाने के लिए इतने बड़े धमतान साहब, बंगला साहब और भी गुरूद्वारे हैं। सभी जगह गुरूद्वारे हैं। अम्बाला में भी विज साहब के वहां पर गुरूद्वारा है। कुरूक्षेत्र और पानीपत में भी गुरूद्वारे हैं। इनमें एक बहुत बड़ा दान आता है, सब कुछ आता है और वे सारे के सारे पैसे कम्युनिटी पर खर्च होंगे इसलिए मेरा कहना है कि पैटर्न को विद्ड्रॉ किया जाये और we will not approve as a party we say कि 18 महीने की एक्सटैंशन की जो अमैंडमैंट है उसका हम विरोध करते हैं। हम सभी का यह सुझाव है कि ये चुनाव आने वाले 6 महीने के अंदर होने चाहिएं। Six months is a reasonable time and still it is a reasonable time. Today, also Hon'ble Chief Minister can make a big statement on the floor of the House that I will complete this election within six months. मेरा यह कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जायेगा। हम भी उससे खुश हैं। सभी इससे खुश हैं। इसके साथ ही साथ मेरा एक बार फिर से कहना है कि इस प्रकार से एक जीती हुई बाजी को हमें किसी हालत में इस तरह पलटने नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई और दिक्कत आ जायेगी। रिव्यू पैटीशन में इस बात से सारा जाहिर होता है। अब मैं बात करूंगा कि आपका क्या क्राईटेरिया था। जो अभी माननीय सदस्य गोगी साहब ने कहा कि आपने जो मैम्बर बनाये वे एक्टिव नहीं थे। हमारा भी इस बात का गर्ज/आग्रह है कि जिन आदमियों ने लड़ाई लड़ी उन आदमियों को आपको कमेटी में रखना चाहिए था। सरकार के पास पॉवर्ज जरूर हैं। उस पॉवर के हिसाब से सिक्खों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में काम करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री वरूण चौधरी (मुलाना) (एस.सी.) : स्पीकर सर, ये जो हरियाणा सिख गुरूद्वारा मैनेजमैंट अमैंडमैंट बिल आया है इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे चुनाव न

कराने का एक रास्ता बनाया जा रहा है। इसमें 18 महीने का तो पहले ही प्रावधान था। उसके बाद एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी के बाद फिर 18 महीने की एडहॉक कमेटी। सर, जैसे अभी बी.बी. बतरा जी ने बताया कि हरियाणा में रहने वाले सिखों ने जो अपने हक की लड़ाई लड़ी वह एडहॉक कमेटीज या नोमिनेटिड कमेटीज बनाने के लिए नहीं लड़ी थी। वह लड़ाई इलैक्टिड कमेटीज बनाने के लिए लड़ी थी। इसमें पहले ही प्रावधान है। अब जहां पर इस अमैंडमैंट को लेकर आया जा रहा है कि अगर 18 महीने तक चुनाव नहीं होता तो फिर से 18 महीने के लिए एडहॉक कमेटी बना दी जाये। 18 महीने तक चुनाव क्यों नहीं हो पाता इसके कहीं पर भी रीजनज नहीं दिये हुए कि क्या कारण रहेंगे कि 18 महीने तक चुनाव नहीं हुए और उसके बाद फिर से 18 महीने के लिए एडहॉक कमेटी बना दी जायेगी। पहले ये चुनाव नहीं हुए इसका कारण यह था कि यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लम्बित था लेकिन अब यह रास्ता बनाया जा रहा है कि चुनाव करने ही नहीं हैं और ये नोमिनेटिड कमेटीज को ही बनाकर रखना है। ये गलत है। प्रदेश का जो सिख समुदाय है वह यह चाहता है कि चुनाव हों और हम सभी भी उनके साथ हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि यह बिल वापिस हो। धन्यवाद।

श्री शीशपाल सिंह (कालांवाली) (एस.सी.) : अध्यक्ष जी, वैसे तो गोगी जी और बतरा जी ने तमाम मुद्दे पर बात की। उन्होंने ठीक कहा कि किस प्रकार से सिखों के सैंकड़ों वर्षों के दौरान जिन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी उसके बाद पिछली हुड्डा सरकार ने एक कमेटी बनाई और इस बार अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिये उनके बाद फिर एक कमेटी बनाई गई है जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरा यह कहना है कि यह चुनाव होना चाहिए था। पर अब चुनाव नहीं हो रहा है उसके बाद जो सरकार यह अमैंडमैंट लेकर आई है इसके अंदर सैक्शन–16 में क्लॉज–8 में 9 और जोड़ा गया है जिस पर अभी बात की गई है। यह बिल्कुल ठीक बात है कि अगर गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी और गुरूद्वारों में हम देखेंगे तो सबसे बड़े श्री गुरू ग्रंथ साहब हैं। उन्हीं को ही संरक्षक माना गया है। इस प्रकार से यह शब्द आना ही नहीं चाहिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सिखों की आवाज है जो ग्राउंड लैवल से निकलकर आई है कि इस प्रकार का सरकार कोई काम न करे कि किसी एक व्यक्ति को तमाम गुरूद्वारों, गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरू ग्रंथ साहब से भी ऊपर किसी को माना जाये। इसको सिख समुदाय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं क्योंकि यह बात तो तय हो चुकी

है कि सरकार ने जिस प्रकार से कमेटी बनाकर जिस प्रकार से सदस्यों को अंदर घुसाया है। जो गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के सदस्य होने चाहिएं वो मर्यादा पूरी नहीं कर रहे। उनको भी सदस्य बनाया है। हम उस कमी को तो दूर नहीं कर सकते लेकिन हमारे पास आज यह वक्त है कि बिल पास होने से पहले हम सभी मुख्यमंत्री जी से जी से मांग करेंगे कि इस शब्द को हटाया जाये। मेरा बार–बार यही आग्रह है वरना जो सिख समुदाय है वह न तो इस सदन को माफ करेगा और न ही सरकार को कभी माफ करेगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असन्ध): अध्यक्ष महोदय, इसमें उनको भी मैम्बर बनाया गया है जो अलग हरियाणा गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के खिलाफ अकाली दल के साथ मिल कर पंजाब वालों का साथ दे रहे थे। उसका कारण यह है कि उस समय अकाली दल का साथ देने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी थी। वे अकाली दल और एच.जी.पी.सी. के मैम्बर रहे हैं उनको भी इसमे मैम्बर तथा सीनियर वाइस प्रैजिडैंट बना दिया गया है। यह तो हरियाणा के सिखों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जायेगा तो अमृत नहीं निकलेगा बल्कि कुछ और ही निकलेगा।

श्री रामकुमार गौतम(नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, मुझे गोगी जी की एक बात पर बहुत ऐतराज है। इन्होंने कहा कि इसमें आर.एस.एस. और भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों को मैम्बर बनाया गया है। मेरा कहना यह है कि संघ तो हिन्दू और सिख में कोई अंतर ही नहीं समझता है और अंतर है भी नहीं क्योंकि हिन्दू और सिख का बेटी–रोटी का रिश्ता है। सिख तो बैस्ट ब्लड ऑफ हिन्दू है, ये अलग हैं ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रियम्बल पढ़ कर सुना रहे थे उसमें तो सिख को अलग माना ही नहीं गया है और अलग हैं भी नहीं। वैसे भी किसी ने सिख को हिन्दुओं से अलग नहीं माना है। दूसरी बात यह है कि अमृतसर में गोल्डन टैम्पल में जो एस.जी.पी.सी. का अध्यक्ष है वह उन्होंने भी हिन्दु को बना रखा है और हिन्दू और सिख अलग हैं ही नहीं। गोगी जी को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, इन्होंने पहले भी एक बार ऐसा ही कहा था। एक बार हुड्डा साहब ने भी कहा था कि मेरी बेटी सिख के साथ ब्याही हुई है। मैं कहता हूं कि सिख और हिन्दू अलग हैं ही नहीं। हमारे नरवाना और कैथल में जाटों और जट सिखों के बहुत रिश्ते हो रखे हैं। दूसरी जातियों के भी हो रखे हैं। अरोड़ा के जट सिख के बहुत रिश्ते हो रखे हैं। इसलिए इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। चुनाव जल्दी करवाने की बात तो ठीक है

लेकिन ऐसी बात तो अच्छे लोगों के सेंटीमेंट्स को टच करती है इसलिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी गौतम जी ने मेरा नाम लेकर कहा है इसलिए मैं इसको क्लैरीफाई करना चाहता हूं। यह झगड़ा हिन्दू और सिख का नहीं है क्योंकि हिन्दू तो सभी हैं। मेरी बात आर.एस.एस. की विचारधारा को लेकर है। मैं ऑन दा फ्लोर ऑफ दा हाउस कह रहा हूं कि सिख वह है जो बाबा नानक की शिक्षाओं को मानता है।(शोर)

श्री महिपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी गोगी जी से पूछना चाहता हूं कि आर.एस.एस. की विचारधारा क्या है? हमें भी तो पता चले कि आर.एस.एस. की विचारधारा क्या है? ये अपनी बात कहें लेकिन इनको गलत नहीं बोलना चाहिए।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि झगड़ा हिन्दू और सिख का नहीं है बल्कि झगड़ा सिखों की भावनाओं का, आस्था का है। बाबा नानक की शिक्षाओं को जो मानते हैं वे सारे सिख हैं। बाबा नानक भी हिन्दू थे। इसमें झगड़ा तो कुछ है ही नहीं, झगड़ा तो कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए बनाया हुआ है, वह बात नहीं है।

श्री लीला रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री गोगी जी को कहना चाहूंगा कि यह सारा झगड़ा कांग्रेस ने ही खड़ा किया हुआ है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री लीला राम जी को कहना चाहूंगा कि यह देश ही कांग्रेस ने बनाया हुआ है। दादा गौतम जी जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि अगर कोई हिन्दू सहजधारी सिख इसका मैम्बर बन जाता तो उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन एक राजनीतिक पार्टी का मैम्बर इस संस्था का मैम्बर नहीं होना चाहिए। इस पर मुझे स्ट्रॉग ऐतराज है। हमारा पैट्रन गुरूग्रंथ साहेब के अलावा कोई नहीं हो सकता। हमारे लिए गुरूग्रंथ साहेब सर्वोपरि है।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि पंजाब में भी तो पोलिटिकल लोग ही इसमें शामिल हैं। वे एम.पी. भी रह चुके हैं, एम.एल.ए. भी रह चुके हैं और अब मैम्बर भी हैं।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बनाने में हरियाणा की जो कमाई थी, जो पैसा था, जो यहां की प्रोपर्टी थी, उसको पंजाब में जाने के लिए हरियाणा में न रहने के लिए साथ दे रहे थे क्या वह कमेटी के मैंबर बनने चाहिएं? जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में विरोध किया। वे तो इस कमेटी के मैंबर नहीं बनने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, आप बैठें। इस पर डिसाईड करेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, वाहे गुरू जी दा खालसा ते वाहे गुरू जी दी फतह। मैं सारयां नूं बहुत–बहुत लख–लख बधाई देंदी हां कि जेहड़ी कांग्रेस दे राज विच आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने साडे हरियाणा दे सिखां दी डिमांड ते लड़ाई लड़ी तांई एक्ट बनाया, वह एक्ट साडा कोई वी कारण रहा, चैलेंज होया। अज मैं बधाई देंदी हां कि सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट नूं अप हैल्ड कीता ते जेड़ी पैटीशंज सी, ओ डिसमिस होई है। ए साडे हरियाणा वास्ते बहुत ही वडी गल है कि साडा वखरा हरियाणा सिक्ख गुरूद्वारा मैनेजमेंट बणन दी जैड़ी राह है ओ आसान होई है। मैनूं ता एक गल नहीं समझ आई कि जदों अज कालिंग अटैंशन लगा सी अध्यक्ष महोदय, सारे कह रे सी कि ए मामला सबज्युडिश है। ते एदे ते कोई चर्चा नहीं होयेगी। जद सुप्रीम कोर्ट ने सानू कह दिता कि तुसी बणा लो तां हुण what was the need of the hour and why the amendment has been brought in this House to appoint patron? What was the need to amend the Section 16?

श्री अध्यक्ष : गीता जी, इस दा उस दे नाल की संबंध है कि वह सबज्युडिश केस है। यह कोई सबज्युडिश केस है क्या?

श्रीमती गीता भुक्कल : नहीं it is a decided case now, Sir.

श्री अध्यक्ष : डिसाइडिड केस तो कोई भी हो सकता है।

श्रीमती गीता भुक्कल : एही तां मैं कह रही हां when this is a decided case, then what is the need to bring an amendment in this House?

श्री अध्यक्ष : ए मैटर तां कमेटी बनाण दा है। हुण दोबारा प्रबंधन कमेटी वास्ते कोई सुप्रीम कोर्ट इच लड़ाई लड़न दा मामला नहीं है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने ओही एक्ट अपहैल्ड कीता है जेड़ा साडी कांग्रेस राज विच सीगा । असी बिल बनाया सीगा। तदी एह एक्ट बनया सीगा।

श्री अध्यक्ष : मैं कहदां कि सारा कुछ तुसी कीता हैगा लेकिन एथे ज्युडिशियल किथे आ गया।

श्रीमती गीता भुक्कल : सारयां नूं बधाई । मैं त इक गल पूछणा चाहंदी हां।(विघ्न) मैं तां कह रही हां सारे हरियाणा दी सरकार नूं, हरियाणा दे सारे वासियां नूं, साडे सिख बहनां ते परावां नूं, सारा नूं लख–लख बधाई कि साडा वखरा हरियाणा गुरूद्वारा प्रबंधक जेड़ा साडा बिल सीगा हुण एक्ट बन गया है। सारयां नूं असी बधाई देंदे हां पर मैंनु एह गल समझ नहीं आई जेड़ी एडहॉक कमेटी असी बनाई है, सानूं ओदे तों ऑब्जैक्शन है। लोक कह रहे ने जिन्हांने एह लड़ाई लड़ी, जिन्हांने कैहा कि साडा वखरा एक्ट होणा चाहिदा है, साडी वखरी कमेटी होंणी चाहिदी है, ओ लोग किथे ने? की गल है कि सरकार पूरा कंट्रोल कर रही है । एह मेरी अपनी गल है।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, तुसी कोई अलग गल दसो। जेड़ी गल ओ कह चुके ओ नी, कोई अलग गल दसो।

श्रीमती गीता भुक्कल : सर, सरकार दा कम है to facilitate, not to administer. सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट ने कैहा है कि तुहाडा जेड़ा एक्ट सी ओ अपहैल्ड हो गया, पैटीशंज डिसमिस हो गई है तां तुसी चुनाव कराओ। इक तां सर मेरी रिक्वैस्ट है कि फटाफट सबतों पहलां तां हल्के बंधी होणी चाहिदी है। असी एडहॉक कमेटी बना रहे हैं, मैंबर असी बना रहे हां, तां अमैंडमैंट सैक्शन–16 दे, 8 दे, सब सैक्शन–9 दी सानु की लोड़ पई है कि असी इदे विच पैटर्न बनाइये। जदो साडी सिक्ख कम्युनिटी जिन्हांने साडे हिन्दुवां दी रक्षा वास्ते कुर्बानियां दिती ने, जिन्हांने सारे हिन्दुवां वास्ते कम कीते ने, उन्हांने जदो कह दीता गुरू मानियो ग्रंथ। असी वी ए कह रहे हां साडा चाहे हिन्दु धर्म होए, जेड़ा गुरू मानियो ग्रंथ है ओदे इच सारे जिन्ने वी गुरू ने उन्हां दि वाणी लिखी हुई है। सारे कह रहे ने गुरू मानियो ग्रंथ, ते ग्रंथ तां उते कोई नहीं है।

मेरी तां इक रिक्वैस्ट है कि जिन्ने वी साडे गुरूद्वारे ने पहली गल तां ए है कि जो ए कमेटी बणी है किन्ने गुरूद्वारे ओदे अण्डर आणगे।

श्री अध्यक्ष : हाले ता कॉन्स्टीचूशन बणेगा, बाईलॉज बणनगे, ओदे वास्ते जस्टिस एच. एस.भल्ला दी एप्वायंटमैंट हो गई है वह सारा तैयार करणगे । इलैक्शन कराण वास्ते कोई मैंबरशिप होयेगी किवें होयेगा एह तां सारा बणना हैगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : सर, एक तां मेरा ए कहणा है कि जिन्ने वी साडी कमेटी दे मैंबर्ज बणन ओदे इच चाहे शैड्यूल कास्ट होवे, चाहे कोई होर होवे, उदे वास्ते की प्रावधान कीता जाएगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : एह तां एडहॉक कमेटी है, ए कोई परमानैंट कमेटी नहीं है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, फेर एडहॉक कमेटी दी एक्सटैंशन दी जेड़ी गल हो रही है। इन्ना दे बारे एक ता मेरी रिक्वैस्ट है कि ए जेड़ा जो विषय अज आया है, there was no need of appointing any patron. What was the need ? असी नूं किहा जा रहा है पैट्रन एप्वायंट करांगे। सरकार नूं चाहिदा है कि इस मामले इच फटाफट डिलिमिटेशन करके चुनाव करवाए ते कमेटी नूं अपना कम करन देवे। सरकार दी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि असी गुरूद्वारे चलाइए ते मंदिर चलाइए। साडी ए जिम्मेदारी बनदी है कि असी एडहॉक कमेटी दी बजाय उन्ना दी हल्काबंदी करवाइए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गीता जी, ऐसा लगता है कि आपने मैटर पढ़ा नहीं है। जस्टिस एच.एस. भल्ला जेडे हैं ओ इलैक्शन करान वास्ते ही ता आय हन।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, असी सारे विषय नूं पढ्या है। ते मेरा ता प्रपोजल ऐ है कि जिनाने ऐदे वास्ते लड़ाई लड़ी हन, उना नूं एदे विच मैम्बर रहणा चाहिदा है। एडॅहाकिज्म खत्म करके असी नूं गुरूद्वारे दे वास्ते इस वल्लो कम करना चाहिदा है ताकि जिन्ना वी पैसा आये, ओ पैसा रखरखाव वास्ते, सोशल कम वास्ते, एजुकेशन वास्ते या चाहे मैडीकल एजुकेशन वास्ते लगणा चाहिदा है। अज ए अमैंडमैंट जो आई ए, मैं सोचिदियां इनां दी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जे फेर किसी ने चैलेंज कर दित्ता ता असी तां फिर देखदे रह जावांगे। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने अपणे राज दे दौरान 2014 इच इनां नू बणाया सी। चलो ठीक है लोगां ने उन्नू चैलेंज कर दित्ता या करवाता जो वी रीजन होये औ वखरी गल है। मेरी ता ऐ रिक्वैस्ट है कि फटाफट इसदी डिलिमिटेशन करके–इलैक्शन करवाकर पूरी एक बाडी बनाई जानी चाहिदी है और इनानूं अपना कम करन देणा चाहिदा है ताकि साढ़े गुरूद्वारे चंगे नाल कम कर पावण । धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इस विषय के उपर मैं ज्यादा लंबी–चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। जो इलैक्टिेड बाडी होती है उसके उपर पैट्रन की कोई जरूरत नहीं है। इसमें प्रेजीडैंट इलैक्शन होना है, वाइस प्रेजीडैंट इलैक्शन होना है और

सैक्रेटरी का इलैक्शन होना है तो ऐसी सूरत में पैट्रन का क्या रोल रह जाता and who will appoint the Patron ? पैट्रन का अगर रोल होगा तो यह एक तरह से सिखों के सैंटीमैंट्स से खेलने वाली बात होगी। सिखों का पैट्रन तो गुरूग्रंथ है।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सिखों के धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में कोई भी दखल नहीं देना चाहती है। यह जो हमने एडहॉक कमेटी बनाई है यह इसलिए बनाई है कि कांग्रेस के समय में 14.7.2014 को इस संबंध में एक एक्ट बनाया गया था लेकिन एक्ट इस बारे में साइलेंट था कि अगर चुनाव न हुए और ऐसा होते हुए 18 महीने से उपर का समय भी बीत जाता है तो उस हालत में क्या किया जायेगा। एक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसलिए यह हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी थी कि हम एक 18 सदस्यीय कमेटी बनाते। हमने उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यह कमेटी बना दी है। अध्यक्ष महोदय, इसके चंद दिनों के बाद ही हमने इसके चुनाव कराने के लिए जस्टिस एच.एस. भल्ला को कमिश्नर भी एप्वायंट कर दिया है। अब जो चुनाव की कार्रवाई करनी है, वह इस कमिश्नर ने ही करनी है और अगर हम यहां पर इस मामले में किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो हम जस्टिस एच.एस.भल्ला की एबिलिटी और उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने एडहॉक कमेटी बनाकर तथा जस्टिस भल्ला को कमिश्नर एप्वायंट करके सिर्फ यह कोशिश की है ताकि शीध्रातीशीघ्र इसके चुनाव करवाये जा सके। अध्यक्ष महोदय, सामने की तरफ से कई सदस्यों की तरफ से कहा गया कि इसमें आर.एस.एस. के आदमी भर दिए गए हैं और इस तरह की तमाम प्रकार की बातें कही गई। अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. सबको एक समान से देखना सिखाती है। आर.एस.एस. राष्ट्रीयता सिखाती है। आर.एस.एस. प्रेम सिखाती है। कोई आदमी किससे संबंध रखता है, हमें यह चीज नहीं देखनी है। जो आदमी ज्यादा सक्रिय नज़र आये, हमने ऐसे लोगों को इस कमेटी में रखने का काम किया है और जिनका नाम बार–बार लिया जा रहा है उनको भी हमने ही रखने का काम किया है और अब अगर इस कमेटी में से कोई गया है तो त्याग पत्र देकर गया है। त्याग पत्र देने का उसका अधिकार है। जैसाकि कहा गया कि कोई मैम्बर एस.जी.पी.सी. का भी था उसको भी इसमें रख लिया गया है, अध्यक्ष महोदय, इस व्यक्ति ने पहले वहां से त्याग पत्र देने का काम था और फिर हमने उसको यहां पर रखने का काम किया है। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि सिखों के मुद्दे को रख कर राजनीति करें। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं

बल्कि हम चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र इसके चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाये और शीघ्र अतिशीघ्र जो इसके चुने हुए नुमाइंदें हैं वो अपनी एडहॉक कमेटी बना लें। जो विपक्षी पार्टी कह रही है कि Patron बना दिया, अध्यक्ष महोदय, Patron कोई हम बाहर से लाकर तो थोड़ा बनायेंगे। उसका हमने यह प्रावधान रखा है कि among the elected or executive जो होगा उसमें से एक व्यक्ति को Patron बनाया जायेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उसको un-democratic तरीके से बाहर से लाकर बिठा देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की मंशा साफ है, सरकार बिल्कुल साफ मन से काम कर रही है। (विध्न) अब चुनाव हो जायेगा और जनता डिसाईड करेगी। क्या विपक्षी पार्टी को जनता के ऊपर कोई विश्वास नहीं है? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो काम किया है, वह अच्छा किया है। हम चुनाव भी इसलिए जल्दी करवा रहे हैं ताकि यह नाम भी न लगे कि यह हमारी सरकार की बनाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह सिख समाज की बनाई हुई समिति है और सिख समाज जो उनकी शर्तों को पूरा करेगा, उन्हीं को ही वे चुनेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। इस सरकार का Patron कौन है? Elected Body ही बना रहे हैं तो फिर Patron की क्या जरूरत है? That is a Constitutional post.

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हमने कोई Patron नहीं बनाया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, पहले हमारी बात सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हमने अभी Patron कहां बनाया है? अगर बनाना ही होता तो जिस दिन चुनाव हुआ था और प्रैजीडेंट, वाईस–प्रैजीडेंट और सेक्रेटरी बने थे, उसी दिन हम Patron की भी घोषणा कर देते। अध्यक्ष महोदय, मैं बार–बार कह रहा हूँ कि हमारी सरकार बिल्कुल साफ मन से और निष्पक्ष रूप से काम कर रही है और हमारी सरकार इनके धार्मिक मामलों में बिल्कुल भी रूचि नहीं रखना चाहती है। हमारी सरकार के लिये सभी बराबर है और जो मैम्बर्ज जीतेंगे वे भी हमारे लिये बराबर होंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सिफारिश करूंगा कि विज साहब को इस सरकार का Patron बना लो।

Shri Anil Vij: Hooda ji, who are you to interfere in our affairs?

Shri Bhupinder Singh Hooda: Speaker Sir, I am also an elected Member.

Shri Anil Vij: Hooda ji, you are an elected Member of this House not of that Committee. (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि एडहॉक कमेटी का Patron तो बना रहे हैं लेकिन सरकार तो सदा के लिये Patron बनाने की पावर ले रही है। This is not correct (विघ्न) इसमें यह साफ लिखा है कि सरकार इस तरह की पावर अपने पास रख रही है। अध्यक्ष महोदय, जब भी Elected Committee चुनकर आयेगी सरकार उस कमेटी के ऊपर Patron appoint कर देगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि Patron का रोल क्या होगा?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, जब इस कमेटी का चुनाव होगा उसके बाद उनके टर्म्ज, ड्यूटी, राईट्स आदि लिखे जायेंगे। हमें उसमें कुछ नहीं करना है। हम चाहते हैं कि ठीक ढंग से इनके चुनाव हो जाये और चुनाव के लिये हमने प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी है और जब प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तो उसके बाद हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है कि वे चुनाव कल ही करवायें या कुछ दिनों बाद करवायें। इसका एक सैट प्रौसीज़र होता है। उसमें मैम्बरशिप भी होनी है, उसमें वार्डबंदी भी होनी है और इस प्रोसैस में कितना समय लगेगा आदि काम भी होने हैं। साथ में यह भी निहित है कि जैसे ही चुनाव हो जायेगा उसके बाद जो भी Elected Body होगी वो सारा काम take over करेगी और जो अब प्रबंधन चल रहा है उसका अस्तित्व अपने आप खत्म हो जायेगा। Patron का रोल इतना ही होगा कि वह एक सामंजस्य बनाकर, सबको साथ में लेकर चलेगा। अध्यक्ष महोदय, साथ में इसमें यह भी प्रावधान है कि जो भी Elected Board होगा उनके परामर्श लेकर ही काम किया जायेगा और उनके परामर्श के बिना कुछ नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से चुनाव होने के बाद Elected Board के हाथ में सारी चीजें चली जायेंगी और Elected Board के अनुसार ही काम होगा, अभी तो उसमें Elected Board का रोल नहीं है। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, सरकार इस तरह पावर दे नहीं सकती। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, उसको सरकार ने पावर नहीं देनी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार कभी किसी आई.ए.एस. अधिकारी को उसका पैट्रन बना देगी और कभी किसी अन्य व्यक्ति को उसका पैट्रन बना देगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होगा । उसमें जो 41 मैम्बर्स की कमेटी है, नामधारी सिख है और जो उसकी सारी अहर्ताएं पूरी करता है केवल वही उसमें जाएगा । उसके अलावा उसमें कोई नहीं जाएगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, अब इस पर काफी डिस्कशन हो चुकी हैं ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इसमें पैट्रन वाली क्लॉज को डिलीट किया जाए । सैकेण्डली, प्रोविजो में जो सैकेण्ड एक्सटैंशन है उसको भी वापस किया जाए । इसमें सैकेण्ड एक्सटैंशन 18 महीने की है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसमें सैकेण्ड टाइम पर ऐडहॉक बॉडी का प्रावधान रखा गया है उसमें एक सावधानी बरती गई है । कई बार सरकार के हाथ में भी चीजें नहीं रहती हैं । जैसे पिछला प्रावधान इसका कारण बन गया । हमने तो 18 महीने के लिए प्रावधान किया था कि उस अवधि के अंदर चुनाव हो जाएगा लेकिन जैसे ही कमेटी बनी वैसे ही वह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया । सुप्रीम कोर्ट में उस पर स्टे लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने में 8–10 साल लगा दिये । उन 10 सालों में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे । इसके अंदर इतना ही है कि यदि किसी कारण से 18 महीने में चुनाव नहीं हुए, क्योंकि इलैक्शन कमिश्नर ने चुनाव करवाने हैं । वे चुनाव हमने नहीं करवाने हैं । (विघ्न) मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं हो पाएगा तो हमें फिर से एक्ट बनाना पड़ेगा तथा उस एक्ट में अमैंडमैंट लाना पड़ेगा । (शोर एवं व्यवधान) हम कोई पावर नहीं लेना चाहते । अगर इलैक्शन कमिश्नर इलैक्टिड बॉडी हो जाती है तो उसके बाद यह रोल खत्म हो जाएगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक Status quo का ऑर्डर किया था regarding the possession of Gurdwaras. So far as the Committee was concerned, there was no stay of the Supreme Court और वह कमेटी वर्क करती रही । वह कमेटी अपना काम कर रही थी । उस कमेटी में 41 सदस्य चुने गए थे । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का विषय है उसके विषय में मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में तो अलग सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक्ट

का ही अस्तित्व बचेगा या नहीं, इसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते इसके ऊपर भी प्रश्नचिह्न था । अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका जो एक्ट है वह ठीक बना है, इसलिए आप अलग सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी बना सकते हैं तो उसके बाद प्रक्रिया शुरू करने की बात है । मान लीजिए अगर हम उससे पहले बना देते तो वे कहते कि यह मैटर सब–ज्युडिश है । ऐसे में आपने कमेटी को कैसे बना दिया ? अतः हम कमेटी नहीं बना सकते थे । (विघ्न)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं माननीय मंत्री अनिल विज जी की बात पर ही विश्वास करूं तो सरकार पुरानी बनी हुई कमेटी को ही एक्सटैंड कर देती । पावर तो इनके पास ही थी । कमेटी तो पहले भी बनी हुई थी ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो माननीय सदस्य यह बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ एक मैम्बर जो पहले से ही कमेटी का मैम्बर था उस पर भी इनको एतराज है । मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 41 मैम्बर्ज की जो पिछली कमेटी थी उसमें 15 मैम्बर्ज ऐसे थे जो उधर भी मैम्बर्स थे, इधर भी मैम्बर्स थे । दुर्भाग्य से उनमें 4 मैम्बर्ज की डैथ हो गई । उस 41 सदस्यों की कमेटी में अभी भी 11 ऐसे मैम्बर्ज थे जो यहां भी मैम्बर थे और वहां भी मैम्बर थे । अतः अब विपक्ष को 1 सदस्य हजम नहीं हो रहा है । ऐस में अगर उन 11 के 11 सदस्यों को ऐज इट इज ले लिया जाता तो क्या होता । अब तो हमने उन 11 मैम्बर्स के लिए भी यह शर्त रखी है कि कोई व्यक्ति यहां केवल तभी मैम्बर बनेगा जब वह वहां से रिजाइन दे देगा क्योंकि इसमें क्लैश ऑफ इंटरैस्ट है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, वे 11 मैम्बर इन्होंने ही तो बनाए थे । इन्होंने उस वक्त इस बात को नहीं देखा कि वे एस.जी.पी.सी. के भी मैम्बर्स हैं । (शोर एवं व्यवधान) वह कमेटी भी इन्होंने ही बनाई थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, इसका गुरू ग्रंथ साहिब और सिख धर्म से संबंध है । क्या आप दिल से यह चाहते हैं कि इसमें पैट्रन बनाने जैसे पंगे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, वर्किंग को स्मूथ रखने के लिए कई बार संस्थाओं में पैट्रन बनाया जाता है । (शोर एवं व्यवधान) हमने अभी किसी को पैट्रन बनाया नहीं है । इसकी आवश्यकता पड़ने पर देखेंगे और हमने उसके अधिकार भी अभी तक तैयार नहीं किये हैं । संस्थाओं में पैट्रन केवल समन्वय बैठाने के लिए होते हैं । कई बार कई झगड़े होते हैं । मान लो अध्यक्ष बनने के लिए दो आदमी आकर खड़े हो

जाते हैं । अध्यक्ष के लिए चुनाव तो एक का ही होना है । हम नहीं चाहेंगे कि वे दो फाड़ हो जाएं और आधे लोग इधर खड़े हो जाएं एवं आधे लोग उधर खड़े हो जाएं तथा फिर चुनाव करवाकर वे अध्यक्ष बनें । अगर कभी ऐसा होता है तो एक आदमी अध्यक्ष चुना जाएगा । इसके विपरीत सर्वमान्य व्यक्ति का समाज में एक अच्छा स्थान होता है । अगर उसको पैट्रन कह दिया जाता है तो उससे समस्या हल होती है । मेरा कहना है कि इसमें हमने अभी तक किसी को पैट्रन बनाया नहीं है ।

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसके लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उन सभी को मैम्बर रखा गया है। श्री जगदीश झींडा और श्री दीदार सिंह नलवी जी को भी मैम्बर रखा है। मेरा कहना यह है कि इसमें 3–4 लोग फ्रंट पर थे और बाकी लोग मैम्बर्ज थे। इन सभी को संबंधित कमेटी का मैम्बर रखा गया है। इसमें दूसरे लोग आना चाहते हैं तो हम सहयोग करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह तमाशा तो जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक का है। इसमें चुनाव खत्म हो जाने के बाद फिर उन्हीं के हाथ में बात है। वे पब्लिक में जाकर भी चुनाव लड़कर आ सकते हैं। इसमें हमने तो नोमिनेट नहीं करना है। इसमें जैसी स्थिति बनेगी, वैसा ही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात रखने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः गोगी जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी बात रखने के लिए 1 मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्षः गोगी जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। आपकी बात पूरी हो चुकी है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सरकार की ही चलेगी। मैंने यहां पर देख लिया है क्योंकि मैं भी पिछले 3 सालों से विधायक हूं।

श्री अध्यक्षः गोगी जी, हमेशा सरकार की ही चलती है। आप यह बता दें कि सरकार की कब नहीं चली है ?

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर उनको जीरो परसैंट भी बाबे नानक में विश्वास है तो

patron गुरूग्रंथ साहिब को बनाना। नहीं तो यह काला अक्षर सदा के लिए लिखा जाएगा। हम इनके patron के खिलाफ हैं और उस पर मेरी डाईसैंटिंग नोट लिखना।

श्री अध्यक्षः गोगी जी, आपने जो बोला है, वह नोट हो गया है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी अमैंडमैंट मूव कर दें।

श्री अध्यक्षः बत्तरा जी, आपकी बात नोट हो चुकी हैं। जो प्रस्ताव है, वह as it is पास हो गया है। आपने जो बातें रखी हैं, वे प्रोसिडिंग्ज में नोट हो गयी हैं।

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, हमने अमैंडमैंट प्रपोज की है।

श्री अध्यक्षः बत्तरा जी, उसको सरकार ने नहीं माना है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज– बाई– क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधयेक पारित हुआ।)

.....

शून्य काल में सदस्यों द्वारा उठाये गए विभिन्न मामलों/मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर तथा नववर्ष की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, आज शीतकालीन सत्र का तीसरा और अंतिम दिन है और बहुत से सदस्यों ने बीच–बीच में चाहे वह जीरो ऑवर हो या अन्य विषयों पर चर्चा करते समय बहुत से विषय उठाये हैं। मैं समझता हूं कि इस समय मुझे कुछ बातों पर उल्लेख जरूर करना चाहिए वैसे तो अधिकांश विषय चाहे मैंने स्वयं यहां

बैठकर सुने हैं, चाहे अपने कक्ष में बैठकर सुने हैं अथवा मेरे पास लिखकर भी आये हैं। उसमें अधिकांश सदस्यों ने अपने इलाके से संबंधित डिमांड्स की हैं या इलाके की कुछ ऐसी कठिनाईयां हैं, उन सबको नोट कर लिया गया है। जहां भी कहीं बीच में हमारे मंत्रियों अथवा उपमुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिये गये हों, उन आश्वासनों को पूरा करने का काम किया जायेगा। कुछ ऐसे विषय हैं जो प्रदेश भर से जुड़े होते हैं, वे महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जिनकी चर्चा सदन में हुई है। मुझे लगता है कि इनका जवाब देना जरूरी है क्योंकि सत्र का लगभग एक घंटे का समय शेष बचा है, हमें उसमें अपने उत्तर रखने चाहिएं इसलिए मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष अगर यहां होते तो उनके द्वारा भी शायद बीच–बीच में ऐसी कोई बात आ जाती जो प्रदेश के हित में होती तो हम उनका भी उत्तर देते। अगर किसी माननीय सदस्य द्वारा बीच में टोका टिप्पणी नहीं की जायेगी तो हम उपरोक्त विषयों पर अपनी बात 15–20 मिनट में ही समाप्त कर देंगे। उसके बाद विधायी कार्य को भी पूरा करने का काम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार का पक्ष होता है वह निश्चित रूप से सरकार अवश्य रखने का काम करती है। जहां तक बहस करने के लिए समय की बात है तो सदन में जो बहस पहले हो गई है उस पर इस समय सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर सदन में इस समय बहस होगी तब भी हम वही बात कहेंगे और अगर बहस नहीं होगी तब भी हम वहीं बात कहेंगे इसलिए अगर कोई बात dissenting हो भी जाये तो वह भी सही है। अगर

माननीय सदस्य अपनी बातें बाद में भी बतायेंगे या अगले बजट सत्र के लिए लिखकर भेजेंगे तो उस समय भी उनकी बात को पूरा करने का काम करेंगे लेकिन उसमें बहस का ज्यादा लाभ नहीं होगा। मैं यहां पर कुछ स्पष्टीकरण या तथ्य रखना चाहता हूं। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को मैं इतना बताना चाहूंगा कि उन्होंने सी.ए.जी. की रिपोर्ट का नाम लेकर कहा गया कि वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट के ऊपर 4 लाख 15 हजार करोड़ रुपये का debt है, जो कहीं भी तथ्य के अनुरूप नहीं है, चूंकि जो वर्ष 2022 की रिपोर्ट है, वह वर्ष 2021–22 के ऋण को प्रदर्शित करती है और उस रिपोर्ट में यह लिखा है। यह फैक्ट्स मैं सबके सामने रखना चाहता हूं और इसको कोई भी देख सकता है। इस रिपोर्ट में 2 लाख 39 हजार करोड़ रुपये पब्लिक debt लिखा है जबकि हमारे फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से हालांकि एक साल के बाद इसका रिकंसीलेशन होता है। उसमें 2 लाख 27 हजार 697 करोड़ रुपये है और इसमें 12000 करोड़ रुपये का अंतर दिखाई देता है। इसको अपने आप अकउंट्स वाले चैक करेंगे परन्तु 2 लाख 27 हजार करोड़

रुपये या 2 लाख 39 हजार करोड़ रुपये इसको अगर 4 लाख 15 हजार करोड़ रुपये कहा जायेगा तो यह एक मिसइन्फॉर्मेशन होगी। इस मिसइन्फॉर्मेशन का लोगों में गलत मैसेज जायेगा जो कि प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति वही रखनी चाहिए जो सही है आखिर बाकी प्रदेशों के लोग और देश के भी लोग भी इसको पढ़ते है। मेरा इसमें यही कहना है कि यह आंकड़ा किसी भी कारण से 2 लाख 39 करोड़ करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है। जैसा हमने अपने अकाउंट्स बुक में 2 लाख 27 हजार करोड़ रुपये दर्शाया है, मैं यह फैक्ट्स रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा फैक्ट यह है कि हमारे संवैधानिक तौर पर जितने भी पैरामीटर्स बनाये गये हैं वे अंडर लिमिट है। इस बार हमें debt लेने की छूट थी क्योंकि कोविड के बाद इसको बढ़ाया गया था। अगर मैं बात करूं तो हमारी सरकार वर्ष 2020–21 में 40661 करोड़ रुपये का ऋण ले सकती थी लेकिन हमारी सरकार ने 30500 करोड़ रुपये का ही ऋण लिया।_अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021–22 में 40872 करोड़ रुपये का ऋण ले सकते थे लेकिन हमारी सरकार ने 30500 करोड़ रुपये का ऋण लिया। हमारे कहने का मतलब यही है कि सरकार ने अपनी लिमिट से कम ऋण ही लिया। ऐसे ही फिसकल डैफिसिट में लिमिट की बात रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, 15वें फाइनैंस कमीशन ने एफ.आर.बी.एम. (फिसकल रिस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमैंट) की 4 परसैंट की लिमिट रखी है लेकिन हमारी सरकार द्वारा आज भी एफ.आर.बी.एम. की लिमिट को 2.99 परसैंट पर मैंटेन किया हुआ है। देश का कोई स्टेट एफ.आर.बी.एम. की लिमिट की परसैंटेज को इतना मैंटेन नहीं कर सकता है। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हमारी आर्थिक स्थिति दूसरे राज्यों से बहुत अच्छी है, जिसके कारण से हम इसको रखे हुए हैं। मैंने यह फैक्ट सदन के सामने रखा है। दूसरा विषय गुरुग्राम जिले के गांव कासन और उसके आसपास के गांवों की जमीन वर्ष 2009 या वर्ष 2010 में एक्वायर करने के बारे में भी उठाया गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था उससे पहले निचली कोर्ट में भी यह मामला गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया कि वर्ष 2010 की रिट के फैसले के अनुसार ही सरकार ने जमीन एक्वायर की है उसको वापिस ले सकते हैं। इसमें एक कठिनाई यह पैदा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस समय के जो रेट्स थे, वही रेट्स देने हैं इससे ज्यादा नहीं देने हैं और रेट कैलकुलेट करने के बाद एक्विजिशन एक्ट के सिस्टम के तहत लगभग 92 लाख रुपये पर एकड़ का रेट बना है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे संबंधित

अमाउंट पर इंट्रैस्ट देने की भी मनाही कर दी, लेकिन आज जब वहां पर आंदोलन हुए तो सरकार को भी लगता है कि गुरुग्राम जैसे शहर में 92 लाख रुपये प्रति एकड़ एक्विजिशन के रेट्स बहुत कम है और ये रेट्स 10–12 वर्ष के बाद उनको मिल रहे हैं। हमसे किसानों के ग्रुप्स भी मिलते रहे हैं और मौके पर वहां आज भी धरना चल रहा है। किसानों के ग्रुप्स से मिलने के बाद सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है और उसमें कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है। इसमें 2.40 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाएं, ऐसा कोई सिस्टम बनाकर उनका अवार्ड डिक्लेयर करेंगे। उनका मत था कि संबंधित रेट्स को बढ़ाया जाए। अंत में हमने भी इसे स्वीकार किया कि ठीक है इन 2.40 करोड़ के रेट्स को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल पॉलिसी बनाएंगे। यह स्पेशल पॉलिसी उसी एक लैंड एक्विजिशन के लिए है, यह सब के लिए नहीं है। उस एक एक्विजिशन के लिए पॉलिसी बनाने के बाद 92 लाख रुपये प्रति एकड़ एक्विजिशन के अतिरिक्त 450 मीटर प्रति एकड़ का प्लॉट भी दिया जाता है, ये चीजें जो पहले की पॉलिसी में हैं। हमने इस 450 मीटर के प्लॉट को बढ़ाकर 1,000 मीटर कर दिया है। इसमें यह सुविधा भी दी है कि संबंधित ऑनर चाहे तो 1,000 मीटर के प्लॉट को बाजार रेट पर बेच लें। जब भी वह डिवैल्प हो जाएगी तब उसको हैंडऑवर करेंगे। उसके बदले में डिवैल्पमैंट चार्जिज और जमीन की कीमत लगाकर के 16,500 रुपया प्रति मीटर बनता है, वह उनसे लेंगे और जब वे उसको बाजार रेट पर बेचेंगे तो 16,500 रुपये पर मीटर के हिसाब से उनका 92 लाख रुपया काटकर बाकी उनसे 2 साल बाद लिया जाएगा। उनको एक प्रमाण पत्र 3 महीने बाद दे दिया जाएगा, अगर वे चाहें तो वह प्रमाण पत्र 15 दिन में सरकार को देकर बाय बैक की सुविधा भी ले सकते हैं। सरकार उसको बाय बैक भी कर लेगी और उस बाय बैक का जो रेट है, वह भी हम उनको बता देंगे। आज के रेट में 34,100 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद लगभग 2.67 करोड़ रुपया प्रति एकड़ बनता है। जो 2.40 करोड़ किया था उसको हमने 2.67 करोड़ रुपया प्रति एकड़ कर दिया है। इसके अतिरिक्त जैसे एनुअटी 21,000 रुपया प्रति एकड़ पर ईयर दिया जाता है। जिसमें 750 रुपया हर साल बढ़ता रहता है। इक्विटी 33 साल की होती है। इसका हमने हिसाब लगा लिया है और अगर कोई व्यक्ति इक्विटी भी नहीं लेना चाहता तो उसको उसका रेट 34,450 अर्थात 350 रूपया पर गज ज्यादा मिल जाएगा। ये 1,000 मीटर के ऊपर लगभग 3.50 लाख रुपया बनता है जोकि संबंधित ऑनर को एक साथ lumpsum दे दिया जाएगा, लेकिन ये सारी पॉलिसी नो लिटीगेशन

पॉलिसी होगी। अगर इस पर सहमति होती है और इसको स्वीकार करते हैं तो उनको इतना पैसा मिल जाएगा या फिर 92 लाख रुपये प्लस 1,000 मीटर का प्लॉट बेचेंगे तो उस समय 2 साल के बाद उनको 16,500 रुपया प्रति मीटर वापिस जमा कराना पड़ेगा। ये सारा मामला नो लिटीगेशन पॉलिसी में है। अगर नो लिटीगेशन पॉलिसी पर नहीं आते तो जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उस हिसाब से उनको 92 लाख प्लस 450 मीटर का प्लॉट मिलेगा। अगर उसके बाद भी कोर्ट में जाएंगे तो जो फैसला कोर्ट करेगा वह फैसला मान्य होगा। हमने ऐसी एक पॉलिसी बनायी है, इसलिए मुझे लगा कि ये घोषणा सदन में करनी चाहिए, क्योंकि वहां के माननीय सदस्य श्री सत्य प्रकाश जरावता जी ने यह मुद्दा उठाया था, इसलिए मैंने इसको यहां सदन में बताना ठीक समझा। एक विषय नई पंचायतें चुनकर आई हैं, उस संबंध में है। इन पंचायतों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि उनको लगे कि उनके सारे अधिकार बरकरार हैं, लेकिन हम इन अधिकारों को बरकरार के बजाय सोचते हैं कि इन अधिकारों को और ज्यादा बढ़ाया जाए। जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर निगम का अपना पैसा होता है या जो उनको grant-in-aid देते हैं, ये सारा पैसा खर्च करने का अधिकार उनका है। इसमें हो सकता है कि अभी कुछ फाइलें डायरेक्टर साहब के पास आती हों या चंडीगढ़ आती हों, उन सारी फाइलों को यहां पर मंगवाना बंद करेंगे और उनको वहीं पर लोकल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम को ऑटोनोमी के नाते से उनका पूरा अधिकार दिया जाएगा। इसके अंदर इतना जरूर है कि पारदर्शिता बनी रहे तो पारदर्शिता बनाकर रखना सरकार का दायित्व बनता है और जनता भी यह बात चाहती है कि पारदर्शिता बनी रहे। इसमें ऐसा न हो कि पारदर्शिता समाप्त हो जाये। अभी कोटेशन लैवल पर हमारा कोई रोल नहीं होगा। छोटा काम कोई भी है, पंचायत रैजोल्यूशन करे या पंचायत समिति या जिला परिषद् कोई रैजोल्यूशन करे तो वह दो लाख रुपये तक के काम को कोटेशन के आधार पर कैसे करवाना है और कैसे उसको चैक करवाना है, यह उनका काम है हमारा काम नहीं है लेकिन दो लाख रुपये से ऊपर तक के वर्क्स को करने के लिए Haryana Engineering Works Portal बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी वर्क्स किये जायेंगे उनके टैंडर्स इसमें ही डाले जायेंगे। हमारी अभी तक टैंडर्स डालने की जो प्रक्रिया थी उसमें टैंडर्स को एक्स.ई.एन. लैवल पर ही क्लीयर किया जाता था लेकिन अब 2 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक सब–डिवीजन लैवल पर एस.डी.ओ. द्वारा ही सैंक्शन दी जायेगी

ताकि एक स्थान पर आने की बजाये अलग–अलग सब–डिवीजंस पर यह काम हो सके। प्रदेश के 22 जिलों के जिला केन्द्र होने की बजाये जितने भी सब–डिवीजंस हैं उतने लैवल पर ही वह काम हो जायेगा। इससे काम की स्पीड थोड़ी फास्ट हो जायेगी। जहां तक इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल का सम्बन्ध है हर जगह जो ग्राम पंचायत का सरपंच है यानी पंचायत उस रैजोल्यूशन को पास करेगी और सरपंच उसकी एप्रवूल देगा। पंचायत समिति की जो बॉडी है, वह उसको पास करेगी और एप्रूवल चेयरमैन, पंचायत समिति द्वारा दी जायेगी। इसी प्रकार से जिला परिषद् भी अपने वर्क्स की एप्रूवल जारी करेगी। 2 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक सब–डिवीजन लैवल पर, 25 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक एक्स.ई.एन. लैवल पर, 1 करोड़ रुपये से लेकर अढ़ाई करोड़ रुपये तक एस.ई. लैवल पर और अढाई करोड़ रुपये से ऊपर की सैंक्शन का केस चीफ इंजीनियर लैवल पर आयेगा। चूंकि अढाई करोड़ रुपये से ऊपर के वर्क्स बहुत कम और बड़े वर्क्स होते हैं इसलिए चीफ इंजीनियर का रोल उसमें टैक्नीकल सैंक्शन के लिए रखा है लेकिन इन वर्क्स की एप्रूवल चेयरमैन और सरपंच के स्तर पर होगी इन वर्क्स की एप्रूवल सरकार नहीं करेगी। अब विषय यह आता है कि कहीं कहीं उनका जो बजट है वह विकास के कामों में कम पड़ जाता है क्योंकि अनिश्चित बजट होने के कारण बजट कम पड़ता है। चाहे उसमें स्टेट फाइनैंस कमीशन का हो या सैंट्रल फाइनैंस कमीशन का हो या उनकी अपनी इनकम हो या फिर स्टॉम्प ड्यूटी में से पैसा मिले या कहीं उनकी लीज मनी या ठेके वगैरह से इनकम आती हो। जो भी इनके पास इनकम आती है उसको विकास के कामों पर खर्च करने का अधिकार भी इनको है। अगर कहीं बजट कम पड़ता है तो फिर उनको रूरल डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट की ओर से या एच.आर.डी.एफ. की ओर से या अन्य जो रिजर्व फंड हमारे किसी स्कीम के होंगे उस स्कीम में से ऑन डिमांड उनको दिये जायेंगे। जो छोटे काम है जो 25 लाख रुपये तक के काम हैं उनको कराने के लिए उनको फण्ड्स मिलेंगे। अगर 25 लाख रुपये से ऊपर का कोई काम है तो वह कार्य रूरल डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट के द्वारा करवाया जायेगा। जो उसका अधिकार है वह स्टेट गवर्नमैंट के पास रहेगा। उसकी एप्रूवल और उसकी सैंक्शन यह सब स्टेट गवर्नमैंट के ही अधिकारी देंगे। जो 25 लाख रुपये से नीचे वाले काम हैं वे उनको तो उसी पैटर्न पर करवायेंगे जो उनका अपना पैसा है लेकिन जो 25 लाख रुपये से उपर के काम होंगे उनकी एप्रूवल इत्यादि की कार्यवाही स्टेट गवर्नमैंट के स्तर पर की जायेगी जैसे 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के

कामों को सी.ई.ओ., जिला परिषद् एप्रूव करेगा, एक्स.ई.एन. उसकी सैंक्शन देगा और 1 करोड़ रुपये से अढाई करोड़ रुपये तक के कामों की डायरैक्टर पंचायत एप्रूवल देगा और सुपरइनटैंडैंट इंजीनियर उसकी सैंक्शन देगा। इसी प्रकार से अढाई करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों की एप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्रेटरी देगा और ई.आई.सी. या जिस डिपार्टमैंट में ई.आई.सी. नहीं होते क्योंकि हम और भी डिपार्टमैंट्स में भी यह कर रहे हैं तो वहां पर चीफ इंजीनियर द्वारा टैक्नीकल सैंक्शन दी जायेगी। इसी प्रकार से 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के कार्यों की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल सम्बंधित डिपार्टमैंट के मंत्री द्वारा दी जायेगी और ई.आई.सी. व चीफ इंजीनियर सैंक्शन देंगे। इसके अलावा 10 करोड़ रुपये से ऊपर के कार्यों की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मिलेगी और इंजीनियर इन चीफ या चीफ इंजीनियर द्वारा टैक्नीकल सैंक्शन दी जायेगी। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमैंट के प्रावधान किये गये है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हमने पंचायतों, जिला परिषद् और ब्लॉक समिति को पॉवर्ज दी हैं। ऐसा ही पैट्रन हमने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद् का बना दिया है। उसकी अमाउंट कुछ अलग हो सकती है लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जो पैसा इन संस्थाओं का है उसमें स्टेट गवर्नमैंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगी कि हमारा भी पैट्रन बना दें।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या को मेरा यही कहना है कि इनकी पैट्रन तो जनता है। जनता जरूर देख लेगी कि उसको क्या करना है। अध्यक्ष जी, इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि इनका पैट्रन बने या न बने लेकिन हम हरेक काम के लिए पोर्टल जरूर बना देंगे। देखिए कहने के लिए यह कटाक्ष किया जा रहा है कि हमारी सरकार पोर्टल की सरकार है लेकिन मैं इस महान् सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब से आई.टी. का सिस्टम शुरू हुआ है, 21वीं सदी जिस प्रकार से काम को आगे बढ़ाना चाह रही है उसमें आज टैक्नोलॉजी के बिना ये चीजें सम्भव नहीं हैं। एक समय था जब मैनुअली काम होता था। एक फाइल नीचे से चलकर मुख्यालय तक पहुंचती थी तो उसमें बहुत समय लगता था। उसी कारण सरकार को एक नाम दिया गया था कि जो सरक–सरक कर चले वह सरकार होती है। लेकिन आज के युग में हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज बूथ लैवल पर हो रही है और उसको टैक्निकली किसी ऐप

या पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर दिया तो जिस समय उसको एंटर किया उसी समय जिसको भी उसे देखने का अधिकार है वह तुरंत लोगइन करके देख सकता है। सबकी नजर उस पर रहे जिससे काम की स्पीड बढ़े तथा काम की कॉस्टिंग पर नजर रहे, भ्रष्टाचार न हो सके तथा क्वालिटी को चैक किया जा सके, तो ऐसा एक मल्टीपल सिस्टम बने जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हों, इसमें जनता भी इन्वॉल्व हो इसीलिए कहा गया है कि सबका साथ सबका प्रयास। सोशल ऑडिट भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज का जो समय है इस समय में हम कदमताल मिला कर, सभी को साथ मिला कर चलेंगे तो इस पोर्टल का सभी को लाभ होगा, किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। भले ही हमें पुरानी सोच का कहा जाता है कि हरियाणा खड़ी बोली का प्रदेश है, इसमें ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, देश दुनिया में चाहे कुछ भी कहा जाता रहा हो लेकिन आज आधुनिकता के आधार पर पिछले 8 साल में हमने जितने प्रयत्न किये हैं उन प्रयत्नों के आधार पर देश में सभी सरकारों में यह डंका बजा है कि इन मामलों में हरियाणा सबसे आगे निकल गया है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जिनके बारे में दूसरी सरकारें हमसे पूछने के लिए आती हैं कि आपने यह कैसे किया। जम्मू कश्मीर के एल.जी. ने मुझे बुलाया कि आपके यहां पर परिवार पहचान पत्र का क्या सिस्टम है हमारे यहां आ कर बताओ। मैं वहां गया और इस विषय पर मेरा वहां घंटेभर का भाषण भी हुआ। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के लोग भी हमारे यहां पर आये तथा पड़ोस में राजस्थान सरकार ने भी हमारे बहुत से विषयों को समझा है। इसी प्रकार से हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज को 8 राज्यों ने स्टडी किया है, उसमें पार्टी के हिसाब से नहीं बल्कि जिन राज्यों को लगता है कि यह अच्छी पद्धति है वे उसको फोलो करते हैं। जब किसी दूसरे राज्य में कोई अच्छी बात होती है तो हम भी सीखते हैं। यह हमारा फैडरल स्टेट है, फैडरल कॉआप्रेटिज्म है तो हमको सभी से अच्छी बातें सीखनी चाहिएं और अपनी जो अच्छी बात हो वह दूसरे को बतानी चाहिए इसलिए यह जो सीखने का समय है इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। इसमें हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इस बारे में मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार दो नौजवान कहीं रास्ते में जा रहे थे, उनको किसी गांव में जाना था। गांव का नाम तो उनको पता था लेकिन किस दिशा में है, कितनी दूर है और वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यह मालूम नहीं था। किसी ने कह दिया होगा कि यह गांव है आप जाओ और वे चल पड़े। वे पैदल जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक बुजुर्ग मिले,

उनको लगा कि इनसे पूछना चाहिए कि फलां गांव किस दिशा में है, कितनी दूर है तथा वहां पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा। उन्होंने पूछा कि बाबा उक्त गांव किस दिशा में है, कितना दूर है तथा हमें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा लेकिन बाबा चुप रहे। उसके 1–2 मिनट के बाद फिर पूछा लेकिन बाबा फिर भी चुप रहे और तीसरी बार उन्होंने फिर पूछा लेकिन बाबा फिर भी चुप ही रहे, कुछ नहीं बोले। उसके बाद वे परेशान हो गये और सोचने लगे कि हो सकता है कि इनको सुनाई नहीं देता हो या हो सकता है इनको हमारी बात समझ न आई हो या ये हमारी भाषा ही न समझ पाये हों, वे निराश हो कर चल पड़े। जब वे 100–200 कदम चले तो बाबा ने जोर से आवाज लगाई कि जवानों सुनो–सुनो, तो वे हैरान हुए कि बाबा अभी तक तो बोल नहीं रहे थे अब हमें बुला रहे हैं तो वे वापिस मुड़ कर उनके पास आ गये। तब बाबा ने कहा कि जिस गांव के लिए तुम जा रहे हो उसके लिए यही रास्ता है, तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम दो घंटे में पहुंच जाओगे। बाबा की यह बात सुन कर वे बहुत हैरान हुए और उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा हमने आपको 3 बार पूछा तब तो आपने कुछ नहीं बताया और अब आप कह रहे हैं कि तुम दो घंटे में पहुंच जाओगे। फिर बाबा ने उनको बताया कि बेटा जब तुमने हमसे पूछा उस समय हमें तुम्हारी गति पता नहीं थी कि तुम किस गति से चलोगे लेकिन अब जब तुम 100–200 कदम चल लिए हो तो मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारी यह गति है और तुम्हारी चाल को, तुम्हारी गति को देख कर बता दिया कि तुम 2 घंटे में पहुंच जाओगे तो निश्चित रूप से हमारी जो चाल है इस चाल को देखकर आज दुनिया यह कहने लगी है कि हरियाणा बहुत जल्दी आगे पहुंचेगा और हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे (विघ्न) इसलिए इस ऑन लाईन पोर्टल का जितना भी खिल्ली मजाक उड़ाया जाएगा उतना ही हमारे लिए लाभदायक है। ये जनता सब समझती है कि हम क्या करते हैं और आप क्या कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपने एस.डी.ओ. लैवल पर जो सैंग्शन के बारे में कहा है उनके लिए टाईम फिक्स जरूर कर देना ताकि एक–दो दिन में काम शुरू हो जाए।

श्री मनोहर लाल : ठीक है, मेरा यह कहना है कि इन सभी विषयों की तरफ हमारा ध्यान है। जो कठिनाइयां, कमियां ध्यान करवाई गई हैं उनको जरूर हमारे अधिकारी सुन रहे हैं। हम एक–एक चीज पर ध्यान करके उसको आगे बढ़ाएंगे। बिशन लाल सैनी जी ने एक तालाबों का विषय उठाया था। अथोरिटी के पास यह बहुत बड़ा काम

है। हमारे पूरे हरियाणा में 14 हजार तालाब हैं उनमें से 8 हजार तालाब ऐसे हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। उनमें से कुछ ऑवरफ्लो हैं, कुछ पॉल्यूटिड हैं तथा कहीं पर कब्जे भी हैं। इन सब कामों को करने के लिए विभागों ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है। अभी 1762 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका है और 663 तालाबों का काम पूरा भी हो चुका है। हमारे सभी विभाग चाहे पंचायती राज, रूरल डिवैल्पमैंट, सिंचाई, पब्लिक हैल्थ एवं काडा आदि जो भी विभाग इस काम को कर रहे हैं अर्थात जिन्होंने पानी को सिंचाई के लिए बाहर निकालना है, ऐसे सभी विभाग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। इनकी काम करने की गति ठीक भी है और बहुत अच्छी भी है फिर भी इस गति को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ और इंजीनियर्स व किसी और डिपार्टमैंट का कॉर्डिनेशन करके हम इस काम को और तेज करेंगे। बहन गीता भुक्कल जी ने आशा वर्कर्स का एक विषय उठाया है। इसमें एक तो विषय यह था कि जो आशा वर्कर्स पंचायतों में चुनकर आई हैं वे रेगुलर कर्मचारी नहीं हैं इसलिए सरकार उनसे इस्तीफा कैसे मांग सकती है। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि जहां कहीं भी ऐसा किया गया होगा वह किसी एक इम्प्रैशन में जरूर किया गया होगा क्योंकि इनका रेगुलर आठ–दस घंटे का काम होता है अगर ये पंचायतों में जाएंगी तो वहां काम नहीं कर पाएंगी। फिर भी चूंकि यह विषय हाई कोर्ट में पहुंच गया है जैसे अगेन सबज्यूडिश मामला होता है। उसमें जो तारीख लगेगी उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे उसमें जो कोर्ट का फैसला होगा उसको हम मानेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वे आशा वर्कर्स रहेंगी या नहीं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं होगा तब तक उन पर कोई एक्शन नहीं होगा और तब तक वे आशा वर्कर्स काम करती रहेंगी। इसी तरह से शिक्षा के बारे में कई लोगों ने विषय उठाए हैं। मैं ब्रीफ में उन सभी बातों को ध्यान कराऊंगा। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे सरकारी स्कूलों व निजी स्कूलों की बात शायद वरूण चौधरी जी ने उठाई थी। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि गरीब विद्यार्थियों को जिनकी इच्छा सरकारी स्कूल की बजाए निजी स्कूल में पढ़ने की है, के लिए एक योजना बनाई गई है जिसके तहत अगर गरीब विद्यार्थी सरकारी स्कूल की बजाए निजी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से नीचे है क्योंकि यह तय है कि इसके अलावा हम किसी की मदद नहीं करेंगे, अगर उनको निजी स्कूल एक्सैप्ट करता है तो हम उनकी मदद करेंगे और अगर

निजी स्कूल एक्सैप्ट नहीं करेगा तब हम सहायता नहीं करेंगे। हमने इस संबंध में सभी निजी स्कूल्ज से ऑफर मांगी है जिसमें अभी तक हमारे 381 निजी स्कूल्ज ने दूसरी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक 1881 विद्यार्थियों को दाखिला दिया है और उनकी फीस बिल्कुल तय कर दी है कि दूसरी कक्षा से पांचवीं कक्षा तक 700 रुपये प्रति महीना, छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक 900 रुपये प्रति महीना, नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक 1100 रुपये प्रति महीना या स्कूल द्वारा जो फार्म–6 भरा जाता है उसकी फीस दोनों में से जो कम होगी वह उनको दी जाएगी। उसके आधार पर अभी तक हमने 15,64,995 रुपये फीस की प्रतिपूर्ति कर दी है। इस विषय में हमें कोई बहुत ज्यादा अन्तर नहीं पड़ता है क्योंकि लाखों विद्यार्थियों में से अगर ये 1188 विद्यार्थी निजी स्कूल्ज में गये भी हैं। वरूण जी आप मेरी पूरी बात एक बार सुन लीजिए। दूसरा विषय यह लिखा हुआ है कि निजी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाये। शमशेर सिंह गोगी जी ने भी सवाल उठाया है कि प्राइवेट स्कूलों में सत्तर हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, अतः प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जाये। वैसे गोगी जी अभी सदन में मौजूद नहीं हैं। इस बात की जानकारी के लिए मैं सदन में बताना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूलों को रेगुलर करने की नियमावली वर्ष 2003 में बनी थी। उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की शासन काल था। उस समय यह प्रावधान किया गया था कि जो प्राइवेट स्कूल, पैरामीटर्ज पूरे नहीं कर रहे थे, उनको एक–एक साल की मान्यता दी जायेगी। एक–एक साल की मान्यता बढ़ाते–बढ़ाते आज इसको होते हुए 19 साल हो गए हैं। हमारी सरकार ने वर्ष 2016 में ही यह तय कर लिया था कि इन प्राइवेट स्कूलों को स्थाई मान्यता देने का काम किया जाये और अगर स्थाई मान्यता नहीं देनी है तो स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट रूप से कह दिया जाये कि यदि वे निर्धारित पैरामीटर्ज पूरे नहीं करेंगे तो अगले साल से उनको मान्यता नहीं दी जायेगी ताकि इन स्कूलों में आगे से कोई एडमिशंज न हो सकें। अभी लास्ट जनवरी, 2022 में जब प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी गई थी तो उस समय भी यह कहा गया था कि जो आपका 2021–22 का शैक्षणिक सत्र है, वह आखिरी सत्र होगा और 2022–23 के लिए आप एडमिशंज नहीं करेंगे। इस बारे में सभी डी.सीज. को भी लिखकर भेज दिया गया था। हमने कोई कोरसीव मैथड नहीं अपनाया था लेकिन इसके बाद भी इन लगभग 1380 प्राइवेट स्कूलों ने नए विद्यार्थियों का एडमिशन करने का काम किया। अब जब परीक्षा का समय सिर पर आ गया है तो फिर से वही पिछले समय में दी जाने वाली अस्थाई मान्यता देने का प्रचलन शुरू करने के लिए

प्रैशर बनाना शुरू कर दिया गया। ऐसी अवस्था में अल्टीमेटली हमें कुछ तो विचार करना ही पड़ेगा क्योंकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 9–10 महीने पढ़ाई करते हो गए हैं तो ऐसी अवस्था में यदि इन स्कूलों को बंद कर दिया गया तो ये बच्चे किन्हीं और स्कूलों में जाने लायक भी नहीं रह जायेंगे। अतः अब कुछ न कुछ तो हम करेंगे लेकिन अब एक जानकारी मैं सदन के माध्यम से देना चाहूंगा। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इन स्कूलों को किन्हीं टर्म्ज एंड कंडीशंज पर वन–टाइम रिलेक्सेशन जरूर दे दें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं अब एक जानकारी सदन के माध्यम से देना चाहूंगा और इस जानकारी को मीडिया के माध्यम से और सदन की कार्यवाही को देखकर ये प्राइवेट स्कूल वाले ध्यान कर रहे होंगे और जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, जब अखबारों में यह सारा छप जायेगा तो उनको भी पता लग जायेगा। यह जानकारी यह है कि अगले शैक्षणिक सत्र में यानी कि जो 2023–24 का शैक्षणिक सत्र होगा, उसमें निश्चित रूप से किसी भी सीमा तक जाकर हमें इस प्रावधान को रोकना ही पड़ेगा। हां, इन स्कूलों को अपने नार्म्ज पूरा करने के लिए यदि कोई सरकारी सहायता चाहिए तो वह निश्चित रूप से दी जायेगी लेकिन छोटे–छोटे स्कूल, छोटे–छोटे कमरे, कमरे नहीं हैं तो कहीं भी बरामदे में बच्चों को बिठा देना इस तरह की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जायेगी। इन स्कलों के पास क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, अगर क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं तो कम से कम इन स्कूलों द्वारा क्वालिफाइड टीचर्ज के मामले में कोई नार्म्ज तो बनाये ही जा सकते हैं। ठीक है कि सब स्कूल उस लैवल के पैरामीटर्ज नहीं रख सकते, जिस प्रकार के पैरामीटर्ज गवर्नमैंट के लैवल पर होते हैं लेकिन बच्चों की पढ़ाई ठीक हो और उनका वातावरण ठीक हो, इसके लिए सरकार कोई योजना बनायेगी ताकि ये स्कूल बच्चों को ये सभी सुविधायें दे सकें। अगर ये स्कूल एज इट इज नार्म्ज को पूरा नहीं करेगे तो 2023–24 के एडमिशन किसी भी दृष्टि से मान्य नहीं होंगे। हो सकता है कि आपमें से ही कोई सिफारिश भी करने लग जाये कि इन स्कूलों में इतनी संख्या में बच्चे हैं, इतनी संख्या में टीचर्ज है या स्कूलों की संख्या ज्यादा हैं अतः इनकी तरफ नरम रवैया अपनाया जाये, ऐसी स्थिति न आये इसके लिए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन स्कूलों को अपने आगे वाले रास्ते के बारे में आज से ही सोचना होगा क्योंकि अभी इनके पास तीन महीने बाकी हैं। अतः वर्ष 2022–23 के बाद 2023–24 के शैक्षणिक सत्र के लिए ये

स्कूल एडमिशन न करें और न ही इसके लिए हमें किसी प्रकार से भी बाध्य किया जाये।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस साल इन स्कूलों को रिलेक्सेशन दी जा रही है या नहीं।

श्री मनोहर लालः देखिए, 2022–23 शैक्षणिक सत्र के लिए तो दी ही जा रही है। इसके बाद उनकी यूनियन जब आयेगी तो उनसे बात करेंगे और पूछंगे कि वे कितना चाहते हैं और हम कितना कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक पंजाबी भाषा का विषय भी आया था, के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि पंजाबी भाषा के लिए टी.जी.टी. के कुल 1202 पद हैं और 946 शिक्षक कार्यरत हैं और 256 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए रिक्विजीशन भी दे दी गई है। अभी हमने एच. के.आर.एन. से इनको नहीं लिया है लेकिन बाकी प्रोसैस सारा कुछ चल रहा है। जहां तक पी.जी.टी. की बात है उसके 179 रिक्त पद हैं, इनको अभी भरा जाना था लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यह रिक्विजीशन वापिस आई है और दोबारा से रिक्विजीशन जायेगी और इनको एच.पी.एस.सी. के माध्यम से भर दिया जायेगा। मैं सदन के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि पंजाबी टीचर्ज की कमी नहीं आने दी जायेगी। यह शमशेर सिंह गोगी और शीशपाल सिंह केहरवाला जी दोनों का प्रश्न था। अध्यक्ष महोदय, शमशेर सिंह गोगी जी ने गैस्ट टीचर्स का भी विषय उठाया है। गैस्ट टीचर्ज के लिए ठीक है हमने पूरे 58 साल के लिए नौकरी का प्रावधान किया हुआ है लेकिन ट्रांसफर ड्राइव में कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पहले रेगुलर टीचर्ज की ट्रांसफर पॉलिसी ड्राइव चलाई जाये और इसके बाद जो खाली स्टेशन रह जाते हैं, उसमें गैस्ट टीचर्ज को भी लो। स्वाभाविक है कि जो नजदीक के स्टेशंज हैं वो सारे रेगुलर टीचर्ज द्वारा ही भरे जायेंगे और गैस्ट टीचर्ज को उनकी तुलना में दूर के स्टेशंज मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने 6 हजार गैस्ट टीचर्ज के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनका फिर से एक सिस्टम बनाया है कि सेम डिस्ट्रिक्ट में, एड–ज्वाईनिंग डिस्ट्रिक्ट में और एड–ज्वाईनिंग टू एड–ज्वाईनिंग डिस्ट्रिक्ट में यानी 100 किलोमीटर के दायरे में ही उनकी पोस्टिंग हो जाये तो ठीक है। अध्यक्ष महोदय, इतना सब करने के बाद 6 हजार गैस्ट टीचर्ज में से मात्र 650 टीचर्ज ऐसे बचे हैं जिनको इससे भी दूर स्टेशंज मिले हैं। अध्यक्ष महोदय, जब पोस्ट्स नहीं है तो हम किस तरह उनको रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि तीन महीने के बाद अर्थात् जब नया ड्राईव अप्रैल महीने में

शुरू होगा तो उनको और भी एडजैस्ट करने का प्रयत्न करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि माननीय न्यायालय के माध्यम से हम यह निर्णय करवा सके, क्योंकि माननीय न्यायालय में हमको दोबारा से जाना पड़ेगा। जो बाकी टीचर्ज हैं उनके समक्ष लायेंगे और उनकी जो सीनियोरिटी है, वह योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि सीनियोरिटी के आधार पर है। अध्यक्ष महोदय, उनकी सीनियोरिटी बाय सर्विस नहीं है बल्कि सीनियोरिटी बाय ऐज है। मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उनकी सीनियोरिटी बाय ऐज है। सर्विस की लैंथ थोड़ी है और ऐज ज्यादा हो गई है तो उसको घर के नजदीक जाने का मौका मिले, इसके लिये हम अप्रैल महीने के बाद जितनी उनकी एडजैस्टमैंट होगी, हम उसको करेंगे। अध्यक्ष महोदय, डॉ. कादियान साहब इस समय सदन में उपस्थित हैं और लगभग एक–आध सत्र को छोड़कर सभी सत्रों में बेरी के कॉलेज को लेकर बातें करते हैं। यह बात मैं मानता हूँ कि वर्ष 2016 में बेरी के कॉलेज की घोषणा हुई थी लेकिन जब संबंधित डिपार्टमैंट के पास यह विषय गया तो वो भी बच्चों की संख्या कॉलेज के हिसाब से देखते हैं। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज की दूरी कितनी है, इसको भी देखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन श्रीमती गीता भुक्कल जी इस बात के लिये बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान शिक्षा मंत्री होते हुए झज्जर जिले में कॉलेजिज खोलने की भरमार की थी।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में स्कूल्ज और कॉलेजिज खोलने की भरमार की थी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, बहन गीता भुक्कल जी ने झज्जर जिले में कॉलेजिज खोलने की इतनी भरमार की कि 20 किलोमीटर के दायरे में एक नहीं बल्कि दो–दो कॉलेज खोले गए। चूंकि बेरी दुजाना से काफी नजदीक है और दुजाना में कॉलेज है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, हम बेरी के लिये कॉलेज नहीं मांगेंगे, हम अपने कॉलेज की अपने आप भरमार कर लेंगे। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी जो काम करेगी, उसको तो बाद में देख लेंगे (विघ्न) विपक्ष ने जो इस तरह के काम करने हैं वो तो करेंगे ही करेंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, जिस समय कोई घोषणा वगैरह होती है, क्या उसकी कोई फिजिबिलिटी वगैरह चैक नहीं की जाती?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, कई बार मौके पर पब्लिक में ऐसा माहौल बन जाता है और पब्लिक कहती है कि मुख्यमंत्री जी आप एक बार घोषणा कर दो और वह पब्लिक के दवाब में घोषणा हो भी जाती है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसी काम की हाँ नहीं भरता और हाँ भरता हूँ तो उसको करता हूँ।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जवाब दे रहा हूँ लेकिन सुन नहीं रहे हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार के काम–काज को देखकर यह कहना है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लगभग 60 विधायक चुनकर आये थे और दूसरी बार लगभग 40 विधायक चुनकर आये हैं और पब्लिक को अब सरकार के जो काम–काज दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से अगली बार केवल 5 या 6 विधायक ही चुनकर आयेंगे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, डॉ. कादियान साहब हमारी पार्टी की चिंता न करें क्योंकि अगली बार कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायकों की संख्या में से आधे ही चुनकर आयेंगे और बची आधी संख्या हमारे साथ जुड़कर जनता द्वारा चुनकर आयेंगे। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, मैं कादियान साहब के कॉलेज के विषय पर आता हूँ। मैं माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये नाम से इतना ऑफर करता हूँ कि उस स्थान पर महापुरूष पं0 भगवत दयाल शर्मा के नाम से कोई और लड़कियों के लिये विशेष तौर पर हो चाहे वह ट्रेनिंग का हो, चाहे कोई स्किल डिवैल्पमैंट आदि का हो जिसका वहां स्कोप बन सकता है, खोलने की बात बन सकती है। वहां पर कॉलेज का स्कोप इसलिए नहीं बनता क्योंकि दुजाना कॉलेज से वहां की दूरी मात्र 8 किलोमीटर की है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में हमारी सरकार के समय उस गर्ल्ज कॉलेज की नींव रखी गई थी और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रवूल भी हुई थी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं उस कॉलेज की फिजिबिलिटी चैक करवा लेता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक विषय श्री बलराज कुंडू और श्री जगबीर सिंह मलिक का खेल के संबंध में आया है। खेल नीति के अनुसार जो आउट स्टैंडिंग और इलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन्ज हैं उनका 3 प्रतिशत का कोटा है, इसमें माननीय सदस्यों को शायद एक गलतफहमी हो गई है कि कोटा सिर्फ चार विभागों में ही दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि इसमें चार विभाग दिये गये हैं लेकिन दिया कितना जायेगा, जितनी हरियाणा में ग्रुप–सी कैटेगरी की टोटल भर्ती होंगी चाहे वह किसी

भी विभाग की हो उसका जितना 3 परसेंट बनेगा, उसकी वैकेंसी इन चार विभागों में निकाली जायेंगी, इसलिए इनकी संख्या में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमने ये 4 विभाग इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारे आउटस्टैण्डिंग स्पोर्ट्सपर्सन्स या इलिजिबल स्पोर्ट्सपर्सन्स में खेल की जो विधा है, उनकी विधा का उपयोग किस–किस विभाग में होता है उसका एक मूल्यांकन करके चाहे वह शिक्षा विभाग है चाहे वह पुलिस विभाग है चाहे स्पोर्ट्स विभाग है, इनमें हो सके । अतः ऐसे 4 विभाग हैं जिनमें हम उनकी विधा का उपयोग ज्यादा कर सकते हैं । अगर हमने बिना एग्जाम के, बिना मैरिट के आउटस्टैण्डिंग स्पोर्ट्सपर्सन्स या इलिजिबल स्पोर्ट्सपर्सन्स को क्लर्क बना दिया तो उससे कई बार जनता परेशान हो जाती है कि मैं तो गया था अपना काम कराने लेकिन वह हो नहीं पाया। खिलाड़ी तो ठीक है लेकिन किसी विभाग में उसकी नियुक्ति करते समय हमने उसका मैरिट का कोई पैमाना तो नहीं देखा । उनकी विधा खेल है । खेल का उपयोग करते हुए वे बच्चों को भी प्रैक्टिस कराएंगे, इसलिए किसी भी विभाग में जो संख्या होगी उसके टोटल 3 परसैंट की इन 4 विभागों में नौकरी दी जाएगी । ये 3 परसैंट मैडलिस्ट और दूसरे आउटस्टैण्डिंग प्लेयर्स दोनों को मिलाकर होगी । ये दोनों 3 परसैंट में ही होंगे । एक विषय पोल्यूशन का आया था। पोल्यूशन के संबंध में यह बात ठीक है कि एन.सी.आर. में और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इसके प्रति सैंसटिविटी ज्यादा है । यह बात हो सकती है कि पोल्यूशन अन्य एरियाज में भी ज्यादा हो । दिल्ली जैसे बड़े शहरों के लोग पोल्यूशन के प्रति बहुत अधिक सैंसटिविटी दिखाते हैं । मेरा कहना है कि पोल्यूशन तो पुराने समय में भी होता था । पहले तो लाल आंधी और काली आंधी चलती थी । आज के दिन लाल आंधी और काली आंधी तो खत्म ही हो गई हैं । आज तो पैरामीटर चलते हैं कि इतना ए.क्यू.आई. हो गया । अब लोग अंदर बैठे–बैठे ही देखते हैं कि आज का ए. क्यू.आई. कितना है और फिर बाहर निकलते हैं । अतः अब रफ जीवन नहीं रहा" जिसके कारण सैंसटिविटी बढ़ गई है लेकिन हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है । पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो कुछ कहा जाता है हम उसके हिसाब से सुधार के काम को आगे बढ़ाएंगे । बहुत–से काम हमने किये भी हैं । हमने ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान को भी तैयार करके लागू किया है । हमारे सारे डिपार्टमैंट्स जिनको धूल, प्रदूषण आदि का प्रबंधन करना होता है चाहे शहरी निकाय विभाग है, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. है, एच.एस.वी.पी. है, चाहे एन.एच.ए.आई. है, चाहे एच.एस.आई.आई.डी.सी. है, के लिए हमने 18 धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया है ताकि ये

समय–समय पर और स्थान–स्थान पर प्रदूषण को चैक कर सकें । इसके अलावा हमने जगह–जगह पर Common Effluent Treatment Plants (CETPs) और एस. टी.पीज. लगाए हैं । ये भी प्रदूषण को समाप्त करते हैं । हमारी इनकी गति भी बहुत अच्छी है । हमारा जो सैंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इनकी पूरी एक्टिविटीज चल रही है । आज दिन में भी कंस्ट्रक्शन वर्क आदि पर ऐसा ही एक प्रश्न आया था । इसके लिए सड़क की मशीनीकृत सफाई, स्प्रिंकलर के उपयोग जैसे अनेक उपाय भी किये हुए हैं । इसके अतिरिक्त हमने 10 साल से अधिक पुराने जो वाहन हैं उनके पंजीकरण पर भी प्रतिबंध लगाया है । इसी प्रकार पराली जलाने के जो मामले हैं वे हमारे प्रदेश में पिछले सालों में जितने भी होते थे उसकी तुलना में वे अब 50 परसैंट से भी कम रह गये हैं । हमारे प्रदेश से ज्यादा पराली तो पंजाब में जलाई जाती है । पराली का उपयोग हो इसके लिए भी हमने कई इनेशिएटिव लिए हैं । हमने इंडस्ट्री के अन्दर पराली का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके उसके लिए भी प्रयास किये हैं । हमने 1 करोड़ 2 लाख वृक्षारोपण का जो लक्ष्य तय किया था उसमें से 76 लाख पौधे लगाए हैं । यह टारगेट का लगभग 74 परसैंट है । इसी प्रकार से फरनेस ऑयल का इंधन के रुप में जो उपयोग है उसको हमने बंद किया है । सीमेंट प्लांट को छोड़कर बाकी उद्योगों में petcoke को प्रतिबंधित किया है । हमने इसके ज्यादा–से–ज्यादा मैसर्स के लिए जितने प्रावधान किये जा सकते हैं वे किये हैं । अभी भी उन सब चीजों पर काम चल रहा है । इसके अलावा इन चीजों पर एन.जी.टी. लगातार नजर रखे हुए है । अतः इस विषय पर हमारे ध्यान में जो–जो चीजें आती हैं वे पूरी कराई जाती हैं । (विघ्न) इसके अलावा मेरा कहना है कि सभी प्रश्नों का सदन में उत्तर नहीं दिया जा सकता । इन 3 दिनों में सदन में लगभग 57 माननीय सदस्य बोले हैं । मैंने बताया कि जितना रिप्लाई मेरे पास तैयार होकर आया है वह मैं बता रहा हूं । फिर भी किसी माननीय सदस्य की बात का जवाब रह जाए तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब बनाकर माननीय सदस्यों को भेजा जाए । इसके अतिरिक्त मुआवजे का विषय बहुत जगह से आया है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो लिखित में आया है उसके बारे में ही बताउंगा। इसके अलावा all of a sudden बात पूछेंगे तो फिर नया सैशन चल पड़ेगा। इस दौरान बहुत जगहों से एक मुआवजे का विषय आया है। जो हमारे माननीय बंधुओं ने उठाया है कि खेतों में जगह–जगह पानी भरा हुआ है। इसको भी निकालने की व्यवस्था जितनी संभव थी, हमने उतनी की है। इसमें शायद विभागीय अधिकारियों

द्वारा अगले सप्ताह 5 जनवरी, 2023 के लिए मेरे से समय लिया है कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होगी। जिसमें सभी प्रोजैक्ट्स पर विचार किया जाएगा क्योंकि हमने अगली बरसात के टाईम की भी चिंता करनी है। पिछले अनुभव के आधार पर अगली बार संबंधित जगहों पर पानी न रूके, इसके लिए ड्रेनेज कहां–कहां पर करना है और बाकी प्रोजैक्ट्स कहां–कहां पर लगाने हैं ? उन सब बातों पर विचार करेंगे। इसमें जो मुआवजे का विषय है, उसमें जैसे गिरदावरी का विषय होता है। इसमें सभी गिरदावरी हो जाने के बाद कल घोषणाएं कर दी गई थी कि पहले जहां पर फसल की बुआई नहीं होती थी, वहां पर 6,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता था। अब उसको बढ़ाकर के 7500 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। यह एक नियम है कि जो मुआवजा पूरी फसल के नुकसान होने का है, उसका 50 प्रतिशत मुआवजा संबंधित खेत में फसल की बुआई न होने का है। खेत में पानी भरने की वजह से जिसके खेत में बुआई नहीं हो पायी, उसको कम्पनसेट करना है। इसके लिए जो भी पात्र होंगे, उनको बहुत जल्दी मुआवजा दे दिया जाएगा। जो आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों को बहुत ज्यादा पढ़ने का फायदा नहीं है क्योंकि सरकारी प्रक्रिया में यह सब चल रहा है।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इस समस्या का परमानैंट समाधान करवा दें।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने एक चीज पर तो परमानैंट बैन कर दिया कि जो कोई अपनी जमीन पर भट्ठे लगाएगा या अपनी जमीन में से मिट्टी उठवाकर हाईवेज बनवाने में देगा। ऐसे लोगों का मुआवजा रिजैक्ट किया जाएगा।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवा दें।

श्री अध्यक्ष: कुंडू जी, इसमें संबंधित लोग मिट्टी डलवाने के भी पैसे ले रहे हैं और मुआवजा भी ले रहे हैं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एन.जी.टी. वाले कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई किसान लाखों रुपयों का बिजनैस करने के लिए मिट्टी उठवाता है और उसके बाद सरकार को कहता है कि मेरे खेत में पानी भर गया इसलिए मुझको मुआवजा दें तो हमें बी फेयर रहना चाहिए। हम फेयरनैस से चलेंगे तो सब ठीक रहेगा। जहां तक लालच का विषय है तो लालच की कोई सीमा नहीं

होती है। जिन्होंने भट्ठे लगाए हैं या जिन्होंने अपने खेतों से मिट्ठी उठवाकर सड़कों पर डलवाई है, वहां का मुआवजा इस कारण से नहीं दिया जाएगा बल्कि उन लोगों को मेरी सलाह है कि अगर वहां पानी भरता है तो वे लोग फिशरीज के काम में आगे बढ़ें और उस पानी का उपयोग करें। एक विषय यह है कि जो परमाणु उर्जा परियोजना, फतेहाबाद में लगी हुई है, उसमें रोजगार की बात कही गई है। यह आज का विषय नहीं है। इसमें 1503 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई थी, उसके लिए वर्ष 2010, 2011, 2012 में योजना बनी थी जिसमें 6 और 7 सैक्शन की अधिसूचनाएं हुई थी। उसके अंतर्गत कब्जा लिया गया था और उनको बाकी सब फैसिलिटिज तो दे दी गई थी, लेकिन जो मुआवजे की मांग है उसको एन.पी.सी.आइ.एल. की एक कमेटी ने पास करना था। यह एक नैशनल प्रोजैक्ट है। उनके सामने यह विषय रखा गया था। फिर संबंधित लोग कोर्ट में भी गए और कोर्ट ने 2 बार हमारे एफ.सी.आर. साहब को कहा कि इसके लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास करके घोषणा करें। दोनों बार हमारे एफ.सी.आर. साहब ने कहा कि अल्टीमेटली, यह एन.पी.सी.आइ.एल. प्रोजैक्ट सैन्ट्रल गवर्नमैंट का प्रोजैक्ट है। अगर इसमें रोजगार का फैसला करना है तो उन्होंने ही करना है। यह हमारी योजना में नहीं है, इसलिए वह विषय लंबा लटकता आ रहा है। इसमें वर्ष 2021 में ऐसा ही स्पीकिंग ऑर्डर पास किया गया है, लेकिन इसके खिलाफ वहां के लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने संबंधित रिपोर्ट मांगी हुई है। इसमें एन.पी.सी.आइ.एल. को भी पार्टी बनाया गया है। भारत सरकार और जो संस्था परमाणु संयंत्र बना रही है, उनको 6 महीने के अन्दर निर्णय देने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे लगता है कि इसकी जल्दी एक मीटिंग करके एक रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद उनकी कोई न कोई मदद होना संभव है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कुछ विधायी काम बाकी हैं और उनके पास होने के बाद स्वाभाविक रुप से कोई काम नहीं होगा।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे द्वारा पूछे गये संबंधित हॉस्पिटल के बारे में भी जिक्र कर दें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसके बारे में बाद में लिखित में भिजवा देंगे। इस सत्र को बहुत अच्छे रुप से चलाने के लिए हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, पूरी विधान सभा की टीम के अलावा सभी ने बहुत अच्छा योगदान किया है।

श्री अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी, इस सत्र में विपक्ष ने भी सहयोग किया है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने भी खासतौर से सहयोग किया है। विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव एप्रोच ही वास्तव में ठीक लगता है। मेरे ध्यान में है कि जब हमने कैबिनेट की मीटिंग में संबंधित सत्र की डेट 22 दिसम्बर, 2022 रखी थी तो वह खबर टी.वी. में भी चल रही थी और इसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय के पास भी सूचना भिजवा दी गयी थी लेकिन तुरन्त हुड्डा साहब का फोन आया कि हम यात्रा में व्यस्त होंगे इसलिए हमारे माननीय सदस्यों में से कोई भी सदस्य शीतकालीन सत्र में भाग नहीं ले सकेगा। हमने उसके बाद तुरन्त एक्शन लिया कि नहीं विपक्ष के बिना सैशन का कोई अर्थ ही नहीं उठता है। पक्ष और विपक्ष दोनों सैशन में भाग लेंगे तब तो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में चर्चा होगी। कैबिनेट ने तुरन्त एक सर्कुलेशन पास किया कि विधान सभा का सत्र दिनांक 22.12.2022 की बजाये दिनांक 26.12.2022, 27.12.2022 और 28.12.2022 को होगा। ये तीन दिन का शीतकालीन सत्र था और वर्ष 2022 का यह अंतिम सत्र है यानी वर्ष 2022 की विदाई होने जा रही है इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों के माध्यम से पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता को नये साल 2023 की बहुत–बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री बलराज कुंडूः अध्यक्ष महोदय, नया साल आने वाला है इसलिए सरकार ने किसानों पर जो मुकद्दमें दर्ज किये थे, उन्हें वापिस लेने का काम करें।

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, प्लीज बैठ जाये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आपने जीरो ऑवर की एक बहुत ही अच्छी रिवायत डाली है और जीरो ऑवर में जिन माननीय सदस्यों के सवाल आते हैं उनमें 40 परसैंट या 50 परसैंट डिबेटेबल प्वॉयंट्स होते हैं लेकिन इसमें से कुछ जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिये हैं और उसका आपने नोटिस भी लिया है कि ये जीरो ऑवर की जो एक्सरसाइज है वह फ्रूटफुल हो। मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला प्वॉयंट लोन के बारे में कहा है कि विपक्ष के नेता ने आपको कोई फिगर दी है, इसमें यह भी हो सकता है कि उनके पास किसी ने यह डाटा दिया हो और इनके पास कोई दूसरा डाटा हो तो फिगर में डिफरैंस हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि 48 साल में हरियाणा प्रदेश में अलग–अलग पार्टियों की सरकारें आईं और अलग–अलग मुख्यमंत्री भी बनें। प्रदेश पर पहले 70 हजार करोड़ रुपये का लोन था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, अब सदन का समय बहुत हो चुका है इसलिए अब सदन में चर्चा दोबारा शुरू नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यही कहना है कि XXXX(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यही कहना है कि XXXX (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded at any cost. कादियान जी, जो गलती की गई है उसका सुधार किया है और आप दोबारा से सदन में चर्चा करने लग गये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल एक तथ्य को स्पष्ट किया है। अगर मैं उस बात पर संज्ञान लेने के लिए कह दूंगा तो फिर ज्यादा तकलीफ हो जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) आप जिस विषय पर अपनी बात रख रहे हैं वह इस समय सदन में नहीं रख सकते हैं। आपको जीरो ऑवर का समय मिला उसमें बात करते तो मैं आपकी बात का जवाब दे देता। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यही कहना है कि ********(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, अब सैशन का समय बहुत ही अच्छे मोड़ पर खत्म हो रहा है इसको खराब मत करें। आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) Nothing is to be recorded.

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, जो लोग आपको जानकारी देते हैं पहले उनको मजबूत करें। अब आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है।

————————————————————————

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मैं आपको बोलने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, किसी बात की हद होती है। आप स्पीकर भी रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded.

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, जब आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो आपका माईक बिल्कुल बंद किया जायेगा। आप प्लीज बैठ जायें। अगर आप नहीं माने तो मैं आपको सदन से बाहर भी निकाल दूंगा। अगर आप अपनी सीट पर नहीं बैठे तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ****

Mr. Speaker: Kadian Ji, you have no permission to speak**.** आप क्लैरीफाई नहीं बल्कि डिमांड कर रहे हैं। कभी कह रहे हो कि 20 लाख की जगह 30 लाख रुपये कर दीजिए। इस तरह से हाउस की कार्यवाही नहीं चलेगी इसलिए प्लीज आप बैठ जाये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ****

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. कादियान जी, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता है।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष जी, मेरे कुछ इशूज हैं, जिनके लिए मैं सदन में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपके इशूज होंगे। मैं आपसे पूरे सैशन के दौरान बार–बार बैठने की रिक्वैस्ट कर रहा हूं। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि प्लीज आप बैठ जाएं। मेरे को कोई हार्श डिसीजन लेने के लिए मजबूर न करें।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष जी, आपको डॉक्टर की उपाधि मिली है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपका धन्यवाद। प्लीज आप बैठ जाएं।

————————————————————

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

2. दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री(डॉ. कमल गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं – कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः वरुण जी, बिल का प्रस्ताव तो पास हो चुका है। प्रस्ताव के पक्ष में हां बोला गया है। तभी तो प्रस्ताव पास हुआ है। प्रस्ताव पास होने के बाद डिस्कशन की स्टेज थोड़ी होती है। अब तो इस बिल पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार हो रहा है। यहां डिस्कशन की स्टेज निकल चुकी है।

श्री वरुण चौधरीः ठीक है सर।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष :माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री वरुण चौधरी (मुलाना): अध्यक्ष जी, इसमें कोर एरिया को डिफाइन किया गया कि जो कि बिल्ट–अप एरिया है, 50 साल पहले म्युनिसिपल एरिया के अन्दर, जहां बसावट हुई, वहां का जो सिर्फ बिल्ट–अप एरिया है यानी जो बना हुआ इलाका है उसी को कोर एरिया में जोड़ा जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 50 साल पहले बसावट हुई और वह 100 एकड़ जमीन में हुई, क्या उस 100 एकड़ जमीन का पूरा का पूरा एरिया बिल्ट–अप है ? अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं होता है, उस 100 एकड़ के अन्दर खेल का मैदान भी होगा, पार्किंग भी होगी, कोई तालाब भी होगा, किसी का ऐसा प्लॉट भी होगा जिसकी

चारदीवारी नहीं होगी। क्या उसे हम कोर एरिया में नहीं जोड़ेगे ? अध्यक्ष जी, उसे भी कोर एरिया में जोड़ना पड़ेगा। परिभाषा में यह कहीं नहीं लिखा। परिभाषा में लिखा है सिर्फ बिल्ट–अप एरिया। अध्यक्ष जी, यह किस प्रकार की परिभाषा है इससे समस्या आएगी और पूरे प्रदेश को ही यह समस्या आएगी। इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसकी परिभाषा बदलनी पड़ेगी। कोर एरिया मीन्स बिल्ट–अप एरिया। मगर इस परिभाषा के बाद जोड़ना पड़ेगा इन्क्लयुडिंग पॉकेट्स ऑफ अनबिल्ट एरिया। सर, अनबिल्ट–अप एरिया कहाँ जाएगा, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्षः ये बता रहे हैं कि रूल्स के अन्दर यह अनबिल्ट–अप एरिया डाला जाएगा।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष जी, रूल्स जो हैं वे एक्ट से बाहर तो नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्षः नही, नहीं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

———————

3. दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा नगर–पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाये।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि हरियाणा नगर–पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा नगर–पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

(ii) (पुरःस्थापित विचार तथा पारित किया जाना वाला विधेयक)
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 4) बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ –

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि शिड्यूल विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में आप सभी के द्वारा प्रदान किये गये सहयोग के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं तथा मेरी तरफ से सभी माननीय सदस्यों, अधिकारियों, प्रैस के सभी सदस्यों एवं हरियाणा विधान सभा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आने वाले नव वर्ष की बहुत–बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नव वर्ष आप सभी के लिए खुशियों भरा हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपको भी आने वाले नव वर्ष की बहुत–बहुत शुभकामनाएं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है।

*17:51 बजे **(तत्पश्चात् सभा अनिश्चितकाल के लिए *स्थगित हुई।)**